अष्टम माला, खंड 37, अंक 26

बुधवार, 30 मार्च, 1988
10 चैत्र, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दसवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B 59
4/10/88

(खंड 37 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

पृष्ठ 110, नीचे से पंक्ति 3, "कार्यक्रमों" के स्थान पर "कार्यक्रम" पढ़िये।

पृष्ठ 140, नीचे से पंक्ति 2, "(श्री पी० चिदम्बरम)" के पश्चात "(क)" अंतःस्थापित करिये।

पृष्ठ 143, पंक्ति 5, "(श्री पी० चिदम्बरम)" के पश्चात "(क)" अंतःस्थापित करिये।

पृष्ठ 146, पंक्ति 2 तथा 3 के मध्य "(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।" अंतःस्थापित करिये।

पृष्ठ 147, पंक्ति 9, "श्री सतत कुमार मंडल" के स्थान पर "श्री सनत कुमार मंडल" पढ़िये।

पृष्ठ 152, पंक्ति 10, "(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।

पृष्ठ 166, पंक्ति 5, "भारती" के स्थान पर "भारतीय" पढ़िये।

पृष्ठ 167, पाद टिप्पणी, "समिलित" के स्थान पर "सम्मिलित" पढ़िये।

पृष्ठ 169, पंक्ति 18, "58/2988" के स्थान पर "5829/88" पढ़िये।

पृष्ठ 178, पंक्ति 15, "कार्य मंत्रालय समिति" के स्थान पर "कार्य मन्त्रणा समिति" पढ़िये।

पृष्ठ 179, नीचे से पंक्ति 8, "(ओ० जी० एल०)" के पश्चात "पर" का लोप करिये।

पृष्ठ 180, नीचे से पंक्ति 6, "केरने" के स्थान पर "करने" पढ़िये।

पृष्ठ 185, पंक्ति 12, "कदम उठाया" के स्थान पर "कदम उठाना" पढ़िये।

पृष्ठ 186, पंक्ति 24, "(वारबंकी)" के स्थान पर "(बाराबंकी)" पढ़िये।

पृष्ठ 186, अंतिम पंक्ति, "बरास्ता" तथा "रैमगाड़ी" के स्थान पर क्रमशः "बरास्ता" तथा "रेलगाड़ी" पढ़िये।

पृष्ठ 187, नीचे से पंक्ति 4, "संशोनध" के स्थान पर "संशोधन" पढ़िये।

पृष्ठ 228, नीचे से पंक्ति 3, "श्री अजीत कुरेशी" के स्थान पर "श्री अजीज कुरेशी" पढ़िये।

पृष्ठ 265, पंक्ति 10, "सभापनि महोदय" के स्थान पर "सभापति महोदय" पढ़िये।

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 30 मार्च, 1988/10 चैत्र, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 3, "1688-89" के स्थान पर "1988-89" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 5, "डा० सुधार राय" के स्थान पर "डा० सुधीर राय" पढ़िये।

पृष्ठ 5, पंक्ति 18, "प्रो० के०के० तिरारी" के स्थान पर "प्रो० के०के० तिवारी" पढ़िये।

पृष्ठ 17, प्रथम पंक्ति, "श्री चन्द्रप्रपात नायारण" के स्थान पर "श्री चन्द्र प्रताप नारायण" पढ़िये।

पृष्ठ 27, पंक्ति 11, "(श्री के० नटवर सिंह)" के पश्चात "(क) और (ख)" अंतः स्थापित करिये।

पृष्ठ 39, पंक्ति 7, "(श्री चिन्तामणि पाणिग्राही)" के पश्चात "(क)" अंतः स्थापित करिये।

पृष्ठ 58, पंक्ति 9, "लंबित" के स्थान पर "लम्बित" पढ़िये।

पृष्ठ 61, पंक्ति 20, "(ग)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।

पृष्ठ 61, नीचे से पंक्ति 8, "(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।

पृष्ठ 67, पंक्ति 21, "श्री सुरेश कुरम" के स्थान पर "श्री सुरेश कुरूप" पढ़िये।

पृष्ठ 75, नीचे से पंक्ति 9, "(श्री पी० चिदम्बरम)" के पश्चात "(क)" अंतः स्थापित करिये।

विषय सूची

अष्टम माला, खंड 37, दसवां सत्र, 1988/1909-10 (शक)

अंक 26, बुधवार, 30 मार्च, 1988/10 चैत्र, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 511 से 514, 519, 522 और 524	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—168
तारांकित प्रश्न संख्या : 515 से 518, 520, 521, 523, 525, 526 और 528 से 530	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5367 से 5419 और 5421 से 5507	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	169—177
राज्य सभा से संदेश	177
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	178
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	178
39वां प्रतिवेदन	
कार्य-मंत्रणा समिति	178
51वां प्रतिवेदन	
प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 के कतिपय उपबंधों को 1 अप्रैल, 1990 से लागू करने के सरकार के निर्णय के बारे में वक्तव्य	178—179
श्री ए० के० पांजा	
खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अधीन बसों और ट्रकों के टायरों के आयात के बारे में वक्तव्य	179—180
श्री एम० अरुणाचलम	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सातवीं योजनावधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन को अधिकतम करने सम्बन्धी योजना के बारे में वक्तव्य	180—182
श्री एम० अरुणाचलम	
समितियों के लिए निर्वाचन	182—185
(एक) प्राक्कलन समिति	
(दो) लोक लेखा समिति	
(तीन) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	
(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
नियम 377 के अधीन मामले	185—188
(एक) मध्यप्रदेश के कुछ नगरों में पेय जल की कमी दूर करने के लिए कदम उठाना	
श्री प्रताप भानु शर्मा	185
(दो) मध्यप्रदेश के दतिया जिले में हाल में ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना	
श्री कृष्ण सिंह	185
(तीन) उड़ीसा में क्यों झरगढ़ में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करना	
श्री हरिहर सोरन	186
(चार) देश में बुनकरों को सस्ते मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध कराना	
श्री कमला प्रसाद रावत	186
(पांच) दिल्ली और लखनऊ के बीच बरास्ता चन्दौसी एक रेलगाड़ी चलाना	
श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक	187
(छः) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार लाना	
श्री शांताराम नायक	187
(सात) बागान श्रम अधिनियम, 1951 और उसके अन्तर्गत बनाए/नियमों में संशोधन करना	
श्री भद्रेश्वर तांती	187

विषय	पृष्ठ

(आठ) काफी बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार करना

श्री वसुदेव आचार्य — 188

अनुदानों की मांगें, 1688-89 [जारी] — 189—228

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

डा० सुधार राय	189—193
डा० फूलरेणु गुहा	193—195
श्रीमती प्रभावती गुप्त	195—199
श्री एम० महालिंगम	199—200
श्री रणजीत सिंह गायकवाड़	200—206
श्री विजय कुमार यादव	207—209
श्री जगदीश अवस्थी	309—212
श्री सोमनाथ रथ	212—215
श्री ए० ई० टी० बैरो	215—219
श्री डी० पी० यादव	219—224
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	224—225
श्री अजीज कुरेशी	225—228

संसदीय वेतन समिति

दूसरा प्रतिवेदन

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों समिति

50वां प्रतिवेदन

केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में संकल्प

श्री शांताराम नायक	
श्री सत्यगोपाल मिश्र	
प्रो० एन० जी० रंगा	—245
श्री सैयद शाहबुद्दीन	245—253
डा० गौरी शंकर राजहंस	253—257
श्री कादम्बुर जनार्दनन	257—259
श्री हरीश रावत	259—264

विषय		पृष्ठ
आधे घण्टे की चर्चा		264—270
रेलवे स्कूल		
	श्री नारायण चौबे	264—267
	श्री महावीर प्रसाद	267—268
	श्री हरीश रावत	268
	डा० गौरी शंकर राजहंस	268
	श्री शांताराम नायक	269—270

लोक-सभा

———

बुधवार, 30 मार्च 1988/10 चैत्र, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निर्वाचन सुधारों के बारे में राष्ट्रव्यापी चर्चा

[अनुवाद]

+

*511. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री माणिक राव होडल्य गावित : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्वाचन सुधारों के बारे में एक राष्ट्रव्यापी चर्चा आयोजित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह चर्चा कब आयोजित की जाएगी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं। सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष जी, वर्तमान चुनाव प्रणाली के तहत जो पीछे चुनाव हुए उन केसेस में यह देखा गया विशेषतोर पर हरियाणा के चुनाव के दौरान कि वहां पर बूथ कैपचरिंग और बोगस पोलिंग के बहुत केसेस आए हैं, तो अध्यक्ष जी चुनाव के सिस्टम को ठीक करने के लिए और चुनाव को ठीक ढंग से करवाने के लिए और फूल प्रूफ सिस्टम बनाने के लिए दो तरीके मेरी समझ में आते हैं क्यों गड़बड़ अक्सर दो जगह पर होती है, या तो पोलिंग के समय होती है या काउंटिंग के समय होती है, इसको अवॉइड करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आइडेंटिटी कार्ड उनको दिए जाएं और जो गड़बड़ काउंटिंग के समय होती है उसको हम काउंटिंग मशीन लगाकर रोक सकते हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के सामने कोई ऐसा प्रपोजल है कि इलेक्ट्रोनिकी सिस्टम वोटिंग का करवाया जाए और हर वोटर कार्ड इश्यू किया जाए ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, जहां तक वोटिंग मशीन का ताल्लुक है, मैंने पहले भी इस सदन में अर्ज किया था कि सरकार ने आरम्भिक निर्णय ले लिया है कि देश में वोटिंग मशीन को इण्ट्रोड्यूस किया जाए। आइडिएंटिटी कार्ड के बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुझाव दिया है कि वोटिंग के लिए देश में मल्टीपरपज आइडिएंटिटी कार्ड होना चाहिए। राज्य सरकारों से बात कर के इस पर भी गौर किया जाएगा।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : हम सभी देखते हैं कि आज के चुनाव के सिस्टम में धन की भूमिका से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि धन की भूमिका को खत्म करने और ठीक ढंग से चुनाव कराने के लिए क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रपोजल है कि जो नेशनल लैवल की रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, कम-से-कम उनके कैंडिडेंट्स को कुछ लिमिट में धन दिया जाए और उस धन के अलावा और किसी धन का प्रयोग न किया जाए, या सरकार कोई और सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करना चाहती है जिसमें धन की भूमिका बिल्कुल कम हो जाए?

आज तक जितने इलेक्शन ऑफेंसेज हुए हैं, मेरे खयाल में सारे हिन्दुस्तान में किसी एक आदमी को भी कन्विक्शन नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी आदमी को असेम्बली या पार्लियामेंट के चुनाव के ऑफेन्स में कहीं कोई सजा हुई है?

[अनुवाद]

श्री एच० आर० भारद्वाज : जहां तक चुनाव पर सरकारी धन लगाने का सम्बन्ध है उसके बारे में हमने बता दिया कि इस समय सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि पेट्रोल कूपनों, लेखन सामिग्री और इश्तहार कागजों आदि के लिए कुछ प्रबन्ध किए जाएं इसलिए सरकार के समक्ष चुनाव में सरकारी धन लगाने के संबंध में यह कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है लेकिन इस विषय पर चर्चा हो रही है कि देश में चुनाव पर सरकारी धन को किस सीमा तक खर्च किया जाए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : त्रिपुरा में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए कि···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : वह आपकी विजय का उल्लेख कर रहे हैं। आप उनके बीच में बाधा क्यों डाल रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : वे हार गए हैं। यही हुआ है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : चुनाव से ठीक तीन दिन पहले वहां मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक पक्षीय आधार पर सेना बुला ली गयी। केन्द्रीय सरकार को चुनाव प्रक्रिया बिगाड़ने से रोकने के लिए चुनाव आयोग की असफलता— क्या सरकार हमारी इस मांग से सहमत है कि इस सभा में निर्वाचन सुधारों के बारे में शीघ्रातिशीघ्र चर्चा की जाए?

श्री एच० आर० भारद्वाज : सभा में चर्चा करवाने के प्रश्न के सम्बन्ध में, आप इस सभा के अधिकारों के मुख्य संरक्षक हैं और यह निश्चय करना पूर्णतः अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि चर्चा कब की जाए।

लेकिन निर्वाचन सुधारों के बारे में मैंने स्पष्टतः बता दिया है कि सरकार सुधारों के लिए है। हम अपने दल में भी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और मुझे संदेह है कि क्या उनका दल इसकी किंचित चर्चा कर रहा है जहां तक हमारे दल का सम्बन्ध है···(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपके दल में चुनाव होते ही नहीं हैं। आप अपने दल में क्या चर्चा कर रहे हैं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : चुनाव की निष्पक्षता और उनके दल की भूमिका मैं उनके निर्णय पर छोड़ता हूं चुनाव कराने में वे कितने निष्पक्ष हैं। हाल ही में पश्चिमी बंगाल मंत्रिमंडल के एक या दो मन्त्रियों ने पश्चिमी बंगाल में अनियमितता के बारे में कहा है। इसलिए आप अपने को ठीक करने की कोशिश कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ममताजी कुछ कहना चाहती हैं उस पर ध्यान दें।

कुमारी ममता बनर्जी : लोक सभा लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था और सर्वोच्च स्तम्भ है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहती हूं कि कृपया, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करें।

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या उन्हें यह मालूम है कि पश्चिमी बंगाल के विगत चुनाव में चार हजार प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गयी और तीन केन्द्रीय मंत्रियों ने यह खुलेआम आरोप लगाया कि उनके नेता ने चुनाव में हेरा-फेरी की थी। इसलिए मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या माननीय सदस्य तथ्यों का पता लगाने और आवश्यक कदम उठाने के लिए एक आयोग द्वारा जांच करने पर विचार करेंगे जिससे कि भविष्य में ऐसा न हो सके। **(व्यवधान)**

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह बड़ा गंभीर मामला है कि पश्चिम बंगाल में श्री ज्योति बसु मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों ने चुनाव में हेरा-फेरी किए जाने के बड़े गम्भीर आरोप लगाये परन्तु दुर्भाग्यवश वे पंचायत के चुनाव थे इसलिए हम वहां हस्तक्षेप न कर सके। लेकिन यह मामला बड़ा गम्भीर मामला हैं, मैंने सदस्य के अनुरोध को नोट कर लिया है और हम यह पता लगाएंगे कि हम कैसे कार्यवाही कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : गुजरात में हाल ही में हुए राज्य सभा के चुनावों में क्या हुआ ? **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : कुछ नहीं हुआ था।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने इस तरह का जवाब क्यों दिया ? **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपने आदेश नहीं दिया है। जिस प्रश्न पर चर्चा की जा रही है वह निर्वाचन सम्बन्धी मामले के बारे में है जो कि चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सिर्फ चुनाव सुधारों के बारे में है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों के बारे में टिप्पणी की है।

अध्यक्ष महोदय : वे कार्यक्षेत्र में आते हैं···

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : उन्होंने त्रिपुरा के बारे में क्यों कहा ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं हैं···

श्री बसुदेव आचार्य : सेना क्यों बुलायी गयी ?

कुमारी ममता बनर्जी : उन्होंने त्रिपुरा के बारे में क्यों कहा ?

अध्यक्ष महोदय : पंचायत के चुनाव, चुनाव आयोग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : वे राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आते हैं । **(व्यवधान)** महोदय, क्या आपका यह आदेश है कि राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में जो कुछ आता है उसकी यहां चर्चा की जा सकती है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कदापि नहीं ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हम एक स्पष्टीकरण चाहते हैं । यहां प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न पूछा जा रहा है क्या हमें उन प्रश्नों को पूछने की अनुमति है जो कि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो० दंडवते, वे राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आते हैं, चुनाव आयोग की समस्यायें नहीं हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं पंचायत चुनावों के बारे में बात कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? मैं एक आदमी से बात कर रहा हूं···पंचायत चुनावों के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, चुनाव आयोग का इन चुनावों से कोई तात्पर्य नहीं है । मैं यही कह रहा हूं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : तब उनका जवाब कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं है । कृपया, ऐसा मत कीजिए ।

प्रो० मधु दंडवते : जब हम यह मुद्दा उठाते हैं तो आप हमें अनुमति नहीं देते हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा यह राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में था । उस बारे में कुछ अवैध नहीं है···इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है चुनाव आयोग से नहीं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह टिप्पणी कैसे कर सकते हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइए ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आप इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृतांत से नहीं निकाल रहा हूं । कुछ नहीं है; कोई टिप्पणी नहीं । यह टिप्पणी नहीं है । इसके बारे में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं । उन्होंने उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया है । उन्होंने केवल यह कहा है कि यह राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्होंने टिप्पणियां की हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कोई टिप्पणियां नहीं । उन्होंने सदस्यों की कुछ टिप्पणियों का उल्लेख किया । लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, फिर भी आप कार्यवाही को देखिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा ।

प्रो० के० के० तिवारी : विपक्ष की यह पुरानी नीति है कि वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । विद्यमान निर्वाचन प्रणाली के अन्तर्गत जब वे चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं कि यह लोकतांत्रिक ताकतों की जीत है और जब हार जाते हैं तो निर्वाचन प्रणाली पर दोषारोपण करते हैं । इस प्रणाली के माध्यम से हम देश में लोकतंत्र बनाए हुए है। इस पृष्ठभूमि में, मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनको यह मालूम है कि हाल ही में हुए राज्य सभा के चुनावों में एक राज्य से एक ऐसे संदिग्ध अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों वाले व्यक्ति को मतदाता बनाया गया जिसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं था और उसका नाम मतदाता के रूप में लिखकर भारी अनियमितता की गयी है···

अध्यक्ष महोदय : उसे न्यायालय में ले जाया जा सकता है ।

प्रो० के० के० तिवारी : इस प्रक्रिया में विधान सभा के कांग्रेस (आई) सदस्य···**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : **के विरुद्ध वे लांछन न लगाएं । **(व्यवधान)**** पर लांछन मत लगाइए । उन्हें गुजरात से नाम लिखाने का अधिकार है । **(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिरारी : इसका संबंध कर्नाटक में विधायकों से है । मैं जानना चाहता हूं··· **(व्यवधान)** कांग्रेस (आई) विधायकों को संसद में सी० आई० ए० के एक एजेंट के प्रवेश के लिए रिश्वत देने की कोशिश की गई थी । **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता । नहीं, कुछ नहीं । अनुमति नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : वे ** का उल्लेख करते हैं । उन्हें गुजरात से नामांकन का अधिकार है ।

प्रो० के० के० तिवारी : भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि उनके विधायकों को भी धन दिए जाने की पेशकश की गई थी मैं माननीन मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उनको यह बात मालूम है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है ।

प्रो० के० के० तिवारी : कृपया, जबाब दीजिए । यह सच है कि विधायकों को रिश्वत देने का प्रयास किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं उसे अदालत में ले जाना चाहिये ।

प्रो० के० के० तिवारी : वह किया जा चुका है । लेकिन सरकार को भी उसके बारे में कुछ सूचना रखनी चाहिए । **(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में समिलित नहीं किया गया ।

प्रो० मधु दंडवते : वह मन्त्री पर लांछन लगा रहे हैं (व्यवधान) मैं मंत्री को बचाना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखिये। मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पनिका, क्या आप बैठ नहीं सकते ? इस तरह के मामले हमारे पास हैं। यहां तक कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री भी इस मामले में शामिल थे। इसलिए यदि किसी को कुछ कहना है तो ऐसा समान मामला न्यायालय में फिर से ले जाया जा सकता है। न्यायालयें हैं। इस समस्या के समाधान के लिए मेरे पास उचित अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : परन्तु सरकार के पास कुछ सूचना होनी चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : आप उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति क्यों नहीं देते। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। वह निन्दा कर रहे हैं** जिन्होंने गुजरात से नामांकन भरा था और निर्वाचित हुये थे ? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हमने समाचार पत्र की कुछ रिपोर्टें पढ़ी हैं। परन्तु इनकी जांच करने के बाद यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और यदि आवश्यक हुआ तो उन महाशय पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री श्रीपति मिश्र : मान्यवर, इस तथ्य को देखते हुए कि अब चुनावों में जाति-पाति, पैसा, पिस्टल ज्यादा हिस्सा लेने लगे हैं, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि चुनाव का लॉ इस तरह से बदला जाय कि कोई व्यक्ति न खड़ा हो कर पार्टियां अपने सिम्बल पर चुनाव लड़ आयें और सिम्बल पर चुनाव लड़कर अपने प्रतिनिधि भेजें।

श्री एच० आर० भारद्वाज : इस प्रकार का कोई सुझाव गवर्नमेंट के पास अभी नहीं है।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान

[अनुवाद]

*512. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को गत तीन वर्षों के दौरान अनुदान अथवा ऋण के रूप में कितनी धनराशि की सहायता दी गई ;

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान को कितने प्रतिशत सहायता दी गई ;

(ग) यदि राजस्थान को दी गई सहायता का प्रतिशत अन्य राज्यों की तुलना में कम है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) राजस्थान को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) अन्य गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों की, तुलना में, राज्यस्थान को आवंटित राशि कुल आवंटन के 5.92 प्रतिशत के बराबर है।

(ग) और (घ) : 14 गैर-विशेष श्रेणी राज्यों को आवंटित कुल सहायता में, राजस्थान का प्रतिशत भाग 6 राज्यों की अपेक्षा अधिक है, लेकिन 7 राज्यों की तुलना में कम हैं। प्रत्येक राज्य को किया जाने वाला आवंटन सातवीं योजना के लिए कुल आवंटन में राज्य के हिस्से पर आधारित है जिसका निर्धारण राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा अनुमोदित संशोधिन गाड़गिल फार्मूले के अन्तर्गत, किया जाजा है। इसके अतिरिक्त विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित अतिरिक्त सहायता का आवंटन प्रत्येक राज्य को संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता के वितरण की प्रगति को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए, राजस्थान अथवा किसी अन्य राज्य के लिए सहायता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

(करोड़ रु०)

	1985-86 से 1987-88 (तीन वर्ष)			
	सामान्य केन्द्रीय सहायता	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	कुल केन्द्रीय सहायता	अनुदान/ऋण सहायता की प्रणाली
	1	2	3	4
(क) राज्य				
1. विशेष श्रेणी के राज्य				
1. असम	1398.64	6.15	1404.79	अनुदान : 30 प्रतिशत
2. जम्मू और कश्मीर	1096·30	10.87	1107.17	ऋण : 70 प्रतिशत असम के पहाड़ी क्षेत्रों तथा जम्मू एवं कश्मीर की लद्दाख उपयोजना के लिए सहायता 90% अनुदान के रूप में और 10% ऋण के रूप में दी जाती है।
3 हिमाचल प्रदेश	541.55	19.65	561.20	
4. मणिपुर	325.53	—	325.53	
5. मेघालय	265.52	—	265.52	अनुदान : 90 प्रतिशत
6. नागालैंड	418·19	—	418·19	ऋण : 10 प्रतिशत
7 सिक्किम	158·98	—	158·98	
8. त्रिपुरा	323·23	48·45	327·68	
जोड़ (1)	4527·94	44·12	4569·06	

	1	2	3	4
II. गैर-विशेष श्रेणी के राज्य				
1. आंध्र प्रदेश	962·48	57·79	1020·27	
2. बिहार	1366·29	90·06	1456·35	
3. गुजरात	450·46	182·10	632·56	
4. हरियाणा	211·91	62·51	274·42	
5. कर्नाटक	496·77	128·00	624·77	
6. केरल	578·94	90·00	668·94	अनुदान : 30 प्रतिशत
7. मध्य प्रदेश	900·06	231·23	1131·29	ऋण : 70 प्रतिशत
8. महाराष्ट्र	759 91	298·78	1058·70	
9. उड़ीसा	573·52	178·09	751·61	
10. पंजाब	252·31	36·55	228·86	
11. राजस्थान	682·27	54·14	736·41	
12. तमिलनाडु	775·46	111·83	887·29	
13. उत्तर प्रदेश	1912·75	296·01	2208·26	
14. पश्चिम बंगाल	639·87	70·39	710·26	
जोड़ (II)	10563·00	1887·49	12450·49	
III. नए राज्य (1987-88 आबंटन)				
1. अरुणाचल प्रदेश	133·27	—	133·27	अनुदान : 90 प्रतिशत
2. मिजोरम	87.47	—	87·17	ऋण : 10 प्रतिशत
3. गोवा	79·75	—	79·75	अनुदान : 30 प्रतिशत ऋण : 70 प्रतिशत
जोड़ (III)	300·49	—	300·49	

	आबंटन (करोड़ रु०)			
	अनुदान	ऋण	जोड़	
(ख) संघ राज्य क्षेत्र				
1. विधान मण्डल सहित संघ राज्य क्षेत्र				
1. गोवा, दमन तथा दीव	30·19	109·06	139·25	इन तीन राज्यों ने 1987-88 में राज्य का दर्जा प्राप्त किया था और इसलिए आबंटन 1985-86 और 1986-87 के संदर्भ में
2. मिजोरम	58·41	47·82	106·23	
3. अरुणाचल प्रदेश	61·55	101·45	163·00	
4. पांडिचेरी	68·47	51·90	120·46	1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के लिए आबंटन

	1	2	3	4
II. विधान मण्डल रहित संघ राज्य क्षेत्र		योजना आवंटन (करोड़ रु०) 1985-86 से 1987-88 (तीन वर्ष)		
1. दिल्ली		1376·15		विधान मण्डल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में योजना आवंटन पर व्यय की पूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है।
2. अंडमान तथा निकोबारद्वीप समूह		140·86		
3. दादरा तथा नागर हवेली		25·42		
4. लक्षद्वीप		30·85		
5. चंडीगढ़		125·27		
6. दमन और दीप		10·74 (क)		

(क) आवंटन केवल 1987-88 के सम्बन्ध में है। 1985-86 तथा 1986-87 के आवंटन को गोवा, दमन तथा दीव के इकट्ठे क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा उन राज्यों को जो सहायता व ऋण दिया जाता है जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और नान स्पेशल कैटेगरी स्ट्ट्स में बांटा गया है। जो जवाब प्राप्त हुआ है उससे यह स्पष्ट होता है कि 14 गैर विशेष श्रेणी राज्यों को आबंटित कुल सहायता में राजस्थान का प्रतिशत भाग 6 राज्यों की अपेक्षा अधिक है लेकिन 7 राज्यों की तुलना में कम है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जितने भी प्रदेश हैं राजस्थान उन सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है, रेगिस्तानी क्षेत्र इसमें है, आदिवासी क्षेत्र इसमें है और सर्वाधिक अकाल से प्रभावित क्षेत्र यह है और फिर सीमावर्ती क्षेत्र भी यह है···इस दृष्टिकोण से यह जो सहायता दी जा रही है यह बहुत ही कम है। इसका ठीक प्रकार से विश्लेषण करके या तो इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रखें, जबकि हिमाचल प्रदेश और असम को भी आपने स्पेशल कैटेट्स में आपने ले रखा है, या फिर आप गाडगिल फार्मूला को चेंज करके राजस्थान को विशेष सहायता दें। इस सम्बन्ध में क्या आप गौर करेंगे ?

[अनुवाद]

योजना मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में सहायता संशोधित गाडगिल फार्मूले तथा आवंटनों के आधार पर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : सूखे की भीषणता को ध्यान में रखते हुए यह बहुत अच्छी राहत है।

श्री पी० शिवशंकर : जी हां महोदया सूखे के लिए यह एक अलग बात है। वास्तव में राजस्थान के लिए यह 27% है तथा कुल धन राशि का कुछ प्रतिशत दिया गया है। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में सूखा राहत के लिए रखा गया था।

अध्यक्ष महोदय : यह 27 प्रतिशत है।

श्री पी० शिव शंकर : जी हां, सभी सम्बन्धित राज्यों के आवंटन का 27 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय : और सूखा राहत का 73 प्रतिशत है।

श्री पी० शिव शंकर : सभी को चादर देख कर पांव पसारने होते हैं। (व्यवधान)

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं राजस्थान से हूं।

श्री पी० शिव शंकर : ऐसा लगता है मैं राजस्थान के मामले में फंस गया हूं।

एक माननीय सदस्य : आपके पीछे भी राजस्थान के एक सदस्य हैं।

श्री पी० शिव शंकर : इस बात को जानकर मैं बहुत सचेत हूं कि अध्यक्ष महोदय की नजर मुझ पर है। मैं माननीय सदस्य के जिस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कर रहा था वह यह है कि राजस्थान एक अविशिष्ट श्रेणी वाला राज्य है तथा राष्ट्रीय विकास परिषद ने केवल मानदण्डी तय नहीं किए हैं अपितु विशिष्ट श्रेणी वाले राज्य तथा अवशिष्ट श्रेणी वाले राज्य भी तय किए हैं। यह मामला कुछ समय पहले तय किया गया था। जहां तक अविशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों का सम्बन्ध है, जैसाकि मैं निवेदन करने की कोशिश कर रहा था, आवंटन संशोधित गाडगिल फामूले तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के आधार पर किए गये हैं। ये दो मानदण्ड हैं। इसके अलावा बहुत क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए एक विशेष केन्द्रीय सहायता है और जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है जन-जातीय उप-योजना तथा नदी घाटी सुधार योजना इन दोनों विशेष कार्यक्रमों के लिए तथा अन्य सीमा क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए कुछ धनराशि भी दी गई है।

अनुदान का आधार खुद राष्ट्रीय विकास परिषद ने तय किया है। और जैसा कि मेरे विद्वान मित्र प्रश्न पूछ रहे थे कि इसे विशिष्ट श्रेणी राज्य क्यों नहीं माना जाये, तो यह काम तो केवल राष्ट्रीय विकास परिषद ही कर सकती है। परन्तु जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, फिलहाल इस राज्य को विशिष्ट श्रेणी राज्य का दर्जा देने के लिए इसके पास कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो माडीफाइड गाडगिल फामूला है उसमें 50 परसेंट जनसंख्या का आधा माना गया है लेकिन उसमें क्षेत्रफल का कंसिड्रेशन नहीं किया गया है, रेगिस्तानी क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों का भी कंसिड्रेशन नहीं किया गया है और पिछड़ेपन का जितना कंसिड्रेसन होना चाहिए वह नहीं किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं या इस माडीफाइड गाडगिल फामूले को और माडीफाई करने के लिए, या राजस्थान स्टेट को स्पेशल कैटेगरी में शामिल करने के लिए, इस प्रश्न को वे नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल में रखेंगे तथा हमारे हितों की रक्षा करेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष जी, जहां तक जन संख्या का प्रश्न है, जनसंख्या को देखा

जाता है। माडीफाइड गाडगिल फार्मूले के तहत 7 परसेंट जो सहायता दी जाती है, वह जनसंख्या के ऊपर आधारित है। जहां तक राजस्थान की जनसंख्या का प्रश्न है, वह सिर्फ 5 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में 17·7 प्रतिशत है। कैसे ही दूसरे ऐसे प्रदेश हैं, जहां पर जनसंख्या ज्यादा है। तो जहां तक राजस्थान का संबंध है, राजस्थान का क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है और जनसंख्या 1971 की देखी जाती है।

श्री नवल किशोर शर्मा : हम बढ़ाएं क्या उसको।

श्री पी० शिव शंकर : वह प्रश्न नहीं है। मैं यह नहीं कर रहा हूं। जनसंख्या को सम्मुख रखते हुए एलोकेशन किया जाता है। मैंने यह बात कही है और मोडीफाइड गाडगिल फार्मूले की बात कही है। मैंने यह नहीं कहा कि श्री नवल किशोर और चार शादियां कर लें। इस तरह से उनका प्रश्न अजीब सा हो जाता है।

दूसरी बात मैं यह करना चाह रहा था कि माननीय सदस्य ने पूछा कि क्षेत्रफल को सामने रखा जाता है या नहीं। स्पेशल प्राब्लम्स के तहत गाडगिल फार्मूले में 10 प्रतिशत एलोकेशन किया जाता है और क्षेत्रफल को उसमें शामिल किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय क्या यह सच है कि सूखे के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी गई सहायता को आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित अग्रिम योजना सहायता माना जा रहा है ? यदि हां, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वास्तव में यह महसूस करती है कि अग्रिम योजना सहायता के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि से कोई ठोस परिसम्पति बनेगी। अनुभव यह है कि अधिकांश धनराशि का उपयोग राहत कार्यों के लिए किया गया है तथा कोई भी ठोस आस्तियां नहीं बनाई गई हैं। यदि ऐसा है तो अग्रिम योजना सहायता जिसे अगले वर्ष समायोजित किया जाना है, देने की इस नीति के पीछे मूल आधार क्या है।

श्री पी० शिव शंकर : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर सकारात्मक है। मुझे नहीं मालूम कि क्या माननीय सदस्य मुझ से इसका उत्तर विस्तार में चाहते हैं।

प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में, यह एक स्पष्ट भाग है, जो धनराशि दी जा चुकी है, जैसाकि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है, वह उठावें वित्त आयोग की सिफारिश पर दी गई है। इस मामले पर वित्त आयोग को ध्यान देना चाहिए। तथापि मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि जो धनराशि अकाल सहायता के रूप में अग्रिम दी गई है उसे ठोस अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि कई मामलों में राज्य सरकार इसका उपयोग बांध बनाने, नहरें बनाने इत्यादि जैसे कर्मों के लिए करती है। मुझे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। पैसा अधिक रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों के लिए भी खर्च किया जाता है और इस दृष्टि से इसे ठोस आस्ति कह सकता है।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, क्या आप सन्तुष्ट हैं ?

श्री सोमनाथ रथ : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि, चूंकि उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य है तथा इसमें 40 प्रतिशत आदिवासी और हरिजन रहते है, क्या यह राज्य विशिष्ट श्रेणी में आता है या अविशिष्ट श्रेणी राज्य में आता है। परन्तु संशोधित गाडगिल फार्मूले पर गौर करते हुए क्या माननीय मंत्री उड़ीसा राज्य के लिए विशेष कदम उठायेंगे ?

उड़ीसा के बारे में सरकार के पास क्या विचाराधीन है ?

श्री पी० शिव शंकर : महोदय उड़ीसा अविशिष्ट श्रेणी राज्य के तहत आता है। माननीय सदस्य ने बहुत सही टिप्पणी की है कि काफी जनसंख्या आदिवासी तथा अन्य लोगों की है। मैं निवेदन करता हूं कि केन्द्र सरकार के पास विशेष कार्यक्रम हैं, उदाहरण के तौर पर जनजातीय उप योजना है। जनजातीय क्षेत्रों को उनके विकास के लिए अलग से सहायता दी गई है। वास्तव में, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी है, जो केन्द्र सरकार चलाती है। वास्तव में, यह मुद्दा सरकार के विचाराधीन है कि पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र पर भी पर्वतीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए।

मिश्रित रक्षा अनुसंधान उत्पादन केन्द्र

+

*513. **श्री प्रकाश चन्द्र** :

श्री सीताराम जे० गावली : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की मदद से एक मिश्रित उत्पादन केन्द्र स्थापित करने का विस्तार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) सरकार का उन्नत मिश्रित संघटकों के निर्माण के लिए एक मिश्रित उत्पादन केन्द्र स्थापित करने का विचार है। इस प्रौद्योगिकी को रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने विकसित किया है। मिश्रित उत्पादन केन्द्र में इस प्रौद्योगिकी का उत्पादन करने के लिए एक संयुक्त उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के उद्यमियों और निजी फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने मिश्रित उत्पादन केन्द्र के लिए मूल आधारभूत सुविधाएं स्थापित की हैं। मिश्रित उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज भी उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश चन्द्र : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के जवाब में एक संयुक्त उद्योग स्थापित करने की बात कही गयी है। में मन्त्री से जानना चाहता था कि यह जो संयुक्त उद्योग स्थापित होगा उसमें कितने रक्षा के पार्टस और पुर्जे बनाए जाएंगे और उसमें क्या संभावित लागत आने वाली हैं? क्या इसे बिहार में स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : यह हैदराबाद में बनने की बात है। यह रिसर्च यूनिट हैदराबाद में आता है। इसका टेक्नोलोजी डवलपमेंट सेंटर भी बनेगा। यही प्रोडक्शनाईज करने की बात है और अभी चूंकि इस पर निर्णय होने है, कोई निश्चित बात मैंने पहले के उत्तर में कही है।

सरकारी विभागों में समयोपरि भत्ता

[अनुवाद]

+

***514. डा० सुधीर राय :**

श्री मानिक सान्याल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की सरकारी विभागों में समयोपरि भत्ते सम्बन्धी नीति क्या है;

(ख) इन विभागों द्वारा इस नीति का कहां तक क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकारी विभागों ने समय पर कार्य पूरा करने के लिए कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देने की व्यवस्था समाप्त कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो पिछले वर्ष समयोपरि भत्ते के भुगतान पर विभागवार कितनी धनराशि व्यय की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) से (ग) सरकार ने चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट की इस आशय की सिफारिशों को स्वीकार किया है कि समयोपरि भत्ता बन्द कर दिया जाना चाहिए। निर्णय को क्रियान्वित करने की विधियों पर विचार किया जा रहा है । इस पर निर्णय लिए जाने तक, मन्त्रालयों/विभागों को सलाह दी गई है कि वे कार्यालयों में अपने कार्य को इस प्रकार से व्यवस्थित करे कि उसे सामान्य कार्यालय-समय के दौरान पूरा किया जा सके तथा एक नई कार्य संस्कृति विकसित की जाए। उन्हें संशोधन पूर्व वेतनमानों में कर्मचारियों को स्वीकार्य काल्पनिक वेतन के आधार पर मौजूदा आदेशों के अधीन निर्धारित कार्य घंटों के बाद अपरिहार्य अतिरिक्त कार्य की प्रतिपूर्ति समयोपरि भत्ते के भुगतान के माध्यम से करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है ।

(घ) वर्ष 1985-86 के लिए समयोपरि भत्ते के सम्बन्ध में विभाग वार व्यय की गई राशि की जो उपलब्ध अद्यतन सूचना हैं वह वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा प्रकाशित "वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 की केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वेतन तथा भत्तों सम्बन्धी विवरणिका" में दी गई है जिसकी प्रतियां संदर्भ के लिए संसद पुस्तकालय में रखी गयी है।

श्री सुधीर राय : उत्तर देने की बजाय मंत्री ने मुझे शोध के लिए संसद के पुस्तकालय में जाने की सलाह दी है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। कुछ भी हो मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकारी उद्यम कार्यालय के अनुसार समयोपरि भत्ता बन्द कर दिया जाना चाहिए। परन्तु ताप विद्युत घरों कोयला खानों, रेल परिवहन विभाग में प्रति वर्ष करोड़ो रुपये समयोपरि भत्ते के रूप में दिये जाते है। सरकारी उद्यम कार्यालय के अनुसार पिछले वर्ष समयोपरि भत्ते के भुगतान के लिए 13 3 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे। भर्ती पर प्रतिबन्ध के कारण मृत्यु या सेवा निवृति से रिक्त हुये हजारों पद नहीं भरे जा रहे हैं। यदि आप वास्तव में समयोपरि भत्ते को बन्द करना चाहते हैं तो आप नये लोगों के भर्ती क्यों नहीं करते हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : चौथे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की है कि समयोपरि भत्ते को बन्द कर दिया जाना चाहिए। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। क्रिया विधि तैयार की जा रही है। क्रिया-विधि तैयार करने में विलम्ब होने पर विभागों को संशोधन पूर्व वेतन मानों पर ग्राह्य पुरानी दरों पर आधारित समयोपरि भत्ता देने की अनुमति दे दी गई है। हमने कर्मचारियों के साथ भी बातचीत की है। उन्होंने कुछ मुद्दे उठाये हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। इसे सीधी भर्ती के साथ नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि कुछ कार्यों में कार्य की निरन्तरता के कारण हमें समयोपरि भत्ता देना पड़ता है दूसरे लोगों की अनुपस्थिति के कारण नहीं। विशेषतौर पर प्रभावोउत्पादक कार्यों में कार्य निष्पादन की निरन्तरता के कारण हमें समयोपरि भत्ता देना पड़ता है। दूसरे यह कहना ठीक नहीं है कि भर्त्ती पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया हुआ है।

डा० सुधीर राय : मैं इस बात से सहमत हूं कि कार्य को निरन्तरता के कारण समयोपरि भत्ता देना पड़ता है। परन्तु यह सच है कि चूंकि भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है इसलिए समयोपरि भत्ता देना पड़ता है। पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या पहले ही तीन करोड़ पर पहुंच चुकी है। यदि ऐसा है तो सरकार अपनी नीति में संशोधन करके नई भर्ती पर से प्रतिबन्ध क्यों नहीं हटा लेती ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा था भर्ती पर पूर्ण रूप से बिल्कुल भी प्रतिबन्ध नहीं हैं। स्वीकृत पदों पर ही लोगों की भर्ती की जा सकती है। प्रतिबन्ध तो केवल नये पदों के स्तजन पर है। यहां तक कि कई मामलों में इसमें भी छूट दी गई है। इसके अलावा मेरा नम्र निवेदन है कि सरकारी नौकरियां बेरोजगारी की समस्या से निपटने का एक मात्र रास्ता नहीं हैं, इसका समाधन तो उद्योगों का विकास और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाकर करना चाहिए। मैं एक बार फिर कहता हूं कि भार्ती पर पूर्ण रूप से बिल्कुल भी प्रतिबन्ध नहीं है।

डा० सुधीर राय : महोदय, प्रतिबन्ध है।

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने कहा था पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय का सरकारी कर्मचारियों से जिस प्रभाशीलता काम की मात्रा और गुणवत्ता की आशा की जाती है उसकी जांच करने का समय नहीं आ गया है। सरकार को एक सप्ताह में छह कार्य-दिवस की बजाय केवल पांच कार्य दिवस जारी रखने की उपयोगिता की अवश्य जांच करनी चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ राज्य सरकारों ने छह कार्य दिवस वाली पुरानी पद्धति को फिर से अपना लिया है। क्या सरकार सप्ताह में एक पिन के नुकसान की इस नई पद्धति की उपयोगिता का अब मूल्यांकन आरंभ करेगी और तत्पश्चात सरकार या तो सभी सरकारी कर्मचारियों को या कर्मचारियों में कतिपय वर्ग को समयोपरि भत्ता देने पर सहमत होगी ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, हमारे पांच दिवसीय कार्य सप्ताह अपनाने के बाद भी प्रति सप्ताह कार्य घन्टों की कुल संख्या नहीं है। पांच दिवसीय सप्तांह, सरकार के पास मौजूद विकल्पों पर ध्यान पूर्वक गौर करने और इस बात का मूल्यांकन करने के बाद शुरू किया गया था कि एक नई कार्य संस्कृतिक कैसे शुरू की जाये। मैं समझता हूं कि यह कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि पांच दिवसीय सप्ताह असफल रहा है या इससे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके विपरीत हमने अपने बहुत तेजी से किए गए मूल्यांकन से पाया है कि वास्तव में पांच दिवसीय सप्ताह ने कर्मचारियों में कुछ कार्य कुशलता बढ़ाई है।

जहां तक समयोपरि भत्ते का संबंध है, मैं नहीं समझता कि यह पांच दिवसीय सप्ताह या छह

दिवसीय सप्ताह से सीधे संबंधित है। यहां तक कि जब हमारे यहां छह दिवसीय सप्ताह था तो भी काफी अधिक धन राशि का भुगतान समयोपरि भत्ते के रूप में किया जाता था।

पूआन कुट्टी परियोजना के लिए वित्तीय आवंटन

*519 **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य को पुआनकुटटी परियोजना के लिए वित्तीय आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किये गए आवटन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय से परियोजना की मन्जूरी प्राप्त करने के बाद आवंटन किया गया था ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन ऐंगती) (क) से (ग) : यह परियोजना राज्य योजना के अन्तर्गत आती है। सातवीं योजना में राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना सहित सभी नई शुरू की गई परियोजनाओं के लिए कुल 72 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया था। वार्षिक योजना 1986-87 और 1987-88 में राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए क्रमशः 50 लाख रु० तथा 250 लाख रु० का प्रावधान रखा।

पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणिक दृष्टिकोण से मंजूरी प्राप्त करने के बाद आवंटन किए गए थे।

श्री मुल्लापल्ली राम चन्द्रन : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मन्त्री से यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि 750 मेगावाट की पूयानकुट्टी परियोजना, जिस पर 1000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, को पर्यावरण और वन मन्त्रालय मंजूर कर चुका है। हमारे माननीय प्रधानमन्त्री ने साफ-साफ यह स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्र इस परियोजना को मंजूर नहीं करेगा। मुझे याद है कि उन्होंने यह नवम्बर 1987 में सेन्ट्रल फारेस्ट्री बोर्ड की बैठक में केरल की प्रख्यात कवियत्री सुगाता कुमारी द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में कहा था। यह उनका केरला में इदद्की जिले में शेष साफन वलविन को बचाने के प्रयास का एक भाग है। 8-3-1988 को इसी सभा में माननीय ऊर्जा मन्त्री श्रीमती सुशीला रोहतगी ने कहा था कि योजना आयोग ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है और पर्यावरण मन्त्रालय द्वारा अभी इसे मंजूरी प्रदान की जाती है।" मैं नहीं जानता कि कौन सा उत्तर ठीक है— योजना मन्त्री द्वारा दिया गया उत्तर या ऊर्जा मन्त्री द्वारा दिया गया उत्तर। यदि माननीय योजना मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर सही है तो क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि केरल में बहुत बड़ी मात्रा में वनों और पर्यावरण के विनाश को देखते हुए क्या योजना आयोग पुयानकुट्टी परियोजना को दी गई मंजूरी को वापस ले लेगा ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : महोदय, इस पुयान कुट्टी पन बिजली परियोजना चरण एक, जिसके लिए मंजूरी मांगी गई है की 120 मेगावाट की दो इकाइयां हैं। यह प्रथम चरण है। अब माननीय सदस्य ने ऊर्जा मंत्री द्वारा और हमारे द्वारा कही गई बात में विरोधा भास के बारे में प्रश्न किया है। मैं स्पस्ट करना चाहूंगा कि स्थिति यह है कि जब हमें पर्यावरण और बन मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त हुई तो जहां तक योजना आयोग का सम्बन्ध है हमने उसके आधार पर मंजूरी दी। बाद में यह पाया गया कि जबकि इसे पर्यावरण मन्त्रालय मंजूरी दे चुका था तो वन मन्त्रालय की इस पर अपनी आपत्तियां थी और इस परियोजना से कुल 30008.36 हेक्टेयर

वन क्षेत्र प्रभावित होगा और इससे 95 आदिवासी परिवारों पर असर पड़ेगा। राज्य ने इस मामले को 18 मार्च 1987 को केन्द्र सरकार को पेश किया था और जैसा कि माननीय मन्त्री ने ठीक ही कहा है 1100 हेक्टेयर गैर वन क्षेत्र और 1800 हेक्टेयर कटा हुआ वन क्षेत्र, प्रतिपूरक वन रोपण हेतु निर्धारित किया गया है। अब स्थिति यह है कि 19 जनवरी 1988 तक वन विभाग ने कतिपय जानकारी मांगी है ताकि वन सम्बन्धी दृष्टिकोण को देखते हुए इसे मंजूर किया जा सके योजना आयोग को यह पता चलने के बाद कि वन विभाग ने इसे मंजूर नहीं किया है हमने मूल पत्र का यह कहते हुए एक शुद्धि-पत्र जारी किया कि इसकी मंजूरी, वन मन्त्रालय की मंजूरी पर निर्भर है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि केरल में बिजली की अत्यधिक कमी है। मेरा यह भी निवेदन है कि इस विद्युत संकट पर पन बिजली—परियोजना को स्थापित करके काबू नहीं पाया जा सकता है जोकि निश्चित रूप से हमारी वन सम्पदा के काफी बड़े क्षेत्र को नष्ट कर देगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि क्या वह आठवीं योजना में केरल राज्य में पुयानकुट्टी परियोजना की तरह पन बिजली परियोजना के लिए विकल्प के रूप में तापीय या परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर विचार करेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : महोदय ये वे मामले हैं, जिन्हें विधिवत् रूप से प्रस्तुत करने पर उन पर उपयुक्त प्राधिकारियों विचार किया जा सकता है। वास्तव में जहां तक राज्य सरकार का संबंध है राज्य सरकार का श्रीकरीपुर तापीय विद्युत केन्द्र के लिए प्रस्ताव है जिसकी 210 मेगावाट की दो इकाईयां होगी। यह वह प्रस्ताव है जिस पर तक अभी तक कार्य नहीं हुआ है और इस मामले को अभी तक कोई रूप नहीं दिया गया है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : मैं अपने विद्वान मित्र श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन से असहमत हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य में विद्युत की अत्यधिक कमी है हमारे यहां पिछले दो या तीन साल से सूखा भी पड़ रहा है और पिछले डेढ़ वर्ष से अधिक समय से बिजली में कटौति भी हो रही है इसलिए भले ही तापीय संयंत्र को मंजुरी दे दी जाये, मैं समझता हूं कि इस संयंत्र को लगाने में लगभग 10 वर्ष लगेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्यों में अधिकांश कारखाने बन्द हैं और लोग अप्रत्यक्ष रूप से बिजली की कमी से पीड़ित हैं, क्या सरकार वन विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के लिए तुरन्त कदम उठायेगी और इस पन बिजली परियोजना अर्थात पुयानकुट्टी परियोजना को स्वीकृत करेगी ?

श्री पी० शिव शंकर : महोदय योजना आयोग ने पहले ही पर्यावरण और वन विभाग से बात की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निस्संदेह, मैं माननीत सदस्यों के साथ मुझे भी इस बात का स्वंता है कि केरल में विद्युत की कमी है। वस्तुतः केन्द्रीय विद्युत संयंत्र भी केरल की आवश्यकता की पूर्ति करते है और जब रामागुडंम, नयीबेली, कल्पकम नयी बेली चरण दो माइन कट, कैणा आदि पूरी हो जायेंगी तो केरल को केन्द्र के हिस्से से भी काफी विद्युत मिलेगी। इसके अलावा जहां तक स्वयं केरल राज्य का सम्बन्ध है 7वीं योजना के प्रारंभ में इसकी उत्पादन क्षमता 1011.5 मेगावाट थी। यह आशा की जाती थी कि 7वीं योजना में वे इसमें 530 मेगावाट क्षमता और जोड़ेंगे, जिसमें से 465 मेगावाट पहले ही प्राप्त होने लगी है। धीरे-धीरे यह कठिनाई भी दूर कर दी जायेगी। यह केवल केरल की ही बात नहीं हैं बल्कि कई राज्यों की यही स्थिति है। परन्तु मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यकुशलता के लिए राज्य सरकारों से इस पर बात करें।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : योजना मन्त्री ने कहा है कि सदस्यों को विद्युत उत्पादन पर राज्य सरकारों से बात करनी चाहिए जोकि में समझता हूं काफी ठीक है। सिद्धांत रूप में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वनों के विनाश और वन काटने से पर्यावरण को हुए कुछ नुकसान को देखते हुए क्या योजना आयोग इस बात पर विचार करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उन बड़ी परियोजनाओं के बजाय, जिनसे नुकसान होता है और पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है तथा जिससे स्वाभाविक रूप से भारत की अगली पीढ़ियों को नुकसान होगा, योजना आयोग विद्युत उत्पादन के लिए लघु और माइक्रो पन बिजली परियोजनाओं पर धन लगायेगा ?

श्री पी० शिव शंकर : शायद योजना आयोग चुनिन्दा मामलों में इस पर विचार कर सकता है। परन्तु एक स्पष्ट सिद्धांत के रूप में यह बात कि सभी माइक्रो संयंत्रों को योजना आयोग द्वारा लिया जाना चाहिए, मुश्किल सा लगता है क्योंकि यहां राज्य क्षेत्र की बात है तथा इसे भी अवश्य कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : महोदय मैंने पूछा था कि क्या योजना आयोग मिनी और माइक्रो पन बिजली परियोजनाओं पर धन लगाने को प्राथमिकता देगा क्योंकि समस्त देश में इस क्षेत्र में उन शुद्ध योजना से भी कहीं अधिक क्षमता है जिन पर अब तक योजना आयोग धन लगा रहा है।

श्री पी० शिव शंकर : यह राज्य को किये गये आबंटनों के अधीन है और हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

सी० डाट्स मैक्स परियोजना

+

*522. **श्री सैफुद्दीन चौधरी**

श्री रेणु पद दास : : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साफ्टवेयर की समस्या के कारण सी०-डाट्स मैक्स परियोजना में विलम्ब हो रहा है, जैसाकि 28 दिसम्बर, 1987 के 'इकोनामिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशिक हुआ है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के समक्ष जो समस्याएं हैं उनका ब्यौरा क्या है और इसके निर्धारित समय से कितना पीछे चलने का अनुमान है; और

(ग) वाणिज्यिक उत्पादन कब तक प्रारम्भ होने लगेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और आन्तरिक विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन के लिए एक नई स्विचन फैक्टरी की स्थापना करने के उद्देश्य से टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी डॉट) के मुख्य स्वचालित एक्सचेंज (एम ए एक्स) की परियोजना के समूचे उद्देश्य को हासिल करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। मूल परियोजना को कार्यान्वित करने के कार्यक्रम में बड़े मुख्य स्वचालित एक्सचेंज (एम ए एक्स) 16000 पोर्ट संस्करण) का डिजाइन करने तथा उसका विकास करने और इसे 36 महीनों में

क्षेत्रीय परीक्षण के लिए तैयार करने की अभिकल्पना की गई थी। क्षेत्रीय परीक्षण प्राप्त से जानकारी का प्रयोग टेलीफोन लाइनों की वास्तविक व्यस्तता की परिस्थितियों के आधार पर साफ्टवेयर का स्थिरीकरण करने, विभिन्न किस्म के एक्सचेंजों के साथ कार्य करने फलस्वरूप उठ खड़ी होने वाली समस्याओं का समाधान करने, स्वदेशी संघटक-पुर्जों की विश्वसनीयता का सुनिश्चय करने तथा नई फैक्टरी की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने से पहले गुणवत्ता तथा पर्यावरण संबंधी विशिष्टियों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली उत्पादन प्रक्रियाओं में किया जाना था। प्रणाली के दौरान, 128 पोर्ट के सामान्य बिल्डिंग ब्लाक का प्रयोग करते हुए 128 पोर्ट से लेकर 16000 पोर्ट तक के सभी आकारों के एक्सचेंजों के एक परिवार की संकल्पना की गई है। इसके फलस्वरूप, 128 पोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज (ई पी ए बी एक्स) तथा ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज (आर ए एक्स) के रूप में टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र के मुख्य स्वचालित एक्सचेंज के सामान्य बिल्डिग ब्लाक से प्राप्त जानकारी अग्रिम रूप से प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन अग्रिम कार्रवाइयों से न केवल बड़े स्वचालित एक्सचेंज की क्षेत्रीय परीक्षण का समय कम किया जा सकेगा अपितु प्रयोगशाला से लेकर वाणिज्यिक उत्पादन करने तक प्रौद्योगिकी अन्तरण के लगने वाले समय में भी कमी की जा सकेगी, यद्यपि बड़े मुख्य स्वचालित एक्सचेंज का वास्तविक क्षेत्रीय परीक्षण पहले सोचे गए समय के बाद ही किया जा सकेगा।

(ग) टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन नीचे दिए अनुसार आरम्भ होने की संभावना है :

512 पोर्ट के मुख्य स्वचालित एक्सचेंज	—	1988 के अन्त तक
16000 पोर्ट के मुख्य स्वचालित एक्सचेंज	—	1989 के अन्त तक

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि 36 महीनों में 10,000 लाख वाले मुख्य स्वचालित एक्सचेंज का विकास करने के उद्देश्य से 1984 में टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) परियोजना प्रारम्भ की गयी थी तथा इसे पूरा करने का नियत समय 24 अगस्त, 1987 को समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय हमें यह बताएंगे कि लक्ष्यों को पूरा करने तथा वांछित परिणाम प्राप्त करने में क्या समस्यायें हैं ?

श्री के० आर० नारायणन : जैसा कि मैंने प्रश्न के मुख्य उत्तर में कहा है, यह सच है कि क्षेत्रीय परीक्षण के लिए समय नियत किया गया था। लेकिन इस प्रौद्योगिकी का विकास करते समय यह पाया गया कि इन एम० ए० एक्स० 16000 (मुख्य स्वचालित एक्सचेंज) को विकसित करने तथा जोड़ने की बजाय यह अच्छा होगा इसे प्राप्त कर लिया जाए और फिर क्षेत्रीय परीक्षण किए जायें, उन्होंने मॉडयूलर किस्म के एक्सचेंज विकसित किए। उन्होंने 128 लाइनों का एक्सचेंज विकसित किया जिसे आप ई० पी० ए० बी० एक्स० (इलेक्ट्रानिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज तथा 128 आर० ए० एक्स० (ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज) कहते हैं तथा यह पाया गया कि 128 आर० ए० एक्स० (ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज) जिसे आप सामान्य बिल्डिंग ब्लाक कहते हैं, आप बड़े मुख्य एक्सचेंज तैयार कर सकते हैं। इसलिये उन्होंने अपनी विकास की पद्धति, अपनी नीति बदल दी। एकदम अन्त में अर्थात् अगस्त 1987 के नियत समय पर क्षेत्रीय परीक्षण प्रारम्भ करने की बजाय वे आर० ए० एक्स०

(ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज) तथा ई० पी० ए० एक्स० 128 (इलेक्ट्रानिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज) जैसी प्रौद्योगिकी की अन्य निम्न किस्मों का विकास, परीक्षण तथा क्षेत्रीय परीक्षण भी कर रहे थे। अन्तिम उद्देश्य यह था कि सातवीं योजना अवधि के दौरान ही हम मुख्य एक्सचेंज (एम० ए० एक्स०) का वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग करने लगेंगे तथा समय की सीमा रखी जायेगी। लेकिन निम्न स्तर की किस्मों अर्थात आर ए एक्स 128 तथा 128 ई० पी० ए० बी० एक्स० का हमने काफी परीक्षण किया है। इससे अन्ततः मुख्य एक्सचेंज को विकसित करने तथा वाणिज्यीकरण के लिये आवश्यक समय में कमी हो सकेगी क्योंकि हम पहले से हो आधारभूत बिल्डिंग ब्लाक का परीक्षण कर रहे हैं, इसी से मुख्य योजना का विकास होगा। इस प्रकार अपनी योजना को थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां अन्तिम मुख्य एक्सचेंज में प्रयुक्त किये जाने वाले 60 प्रतिशत पुर्जों का पहले ही परीक्षण किया जा चुका है तथा आर० ए० एक्स० निर्णाणाधीन है और ई० पी० ए० बी० एक्स० भी निर्माणाधीन है।

अध्यक्ष महोदय : बेहतर होगा कि आप श्री सैफुद्दीन चौधरी को अपने कक्ष में बुलाकर यह सब बताएं। यह एक शिक्षण-कक्षा की तरह है!

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमारे मन में तो यही चिन्ता है कि क्या सी-डॉट परियोजना (टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र परियोजना) के लिए सभी कुछ स्वदेशी इस्तेमाल करने संबंधी आश्वासन और वायदे पूरे किये जाएंगे। अब यह रिपोर्ट आ रही है कि हम साफ्टवेयर की समस्या का सामना कर रहे हैं। यह रिपोर्ट भी है कि हमारी देशीय क्षमता अपेक्षित आवश्यकता के अनुकूल नहीं है तथा विदेशी गुटों से भी दबाव पड़ रहा हैं, इससे हमें चिन्ता हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन दो कारणों के आधार पर विलम्ब तर्कसंगत है और क्या सम्पूर्ण परियोजना के स्वदेशीकरण को समाप्त करने के लिये कोई दबाव पड़ रहा है!

श्री के० आर० नारायणन : सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्ततः होने उत्पाद तथा वाणिज्यीकरण के मामले में कोई देरी नहीं है। यह बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यद्यपि क्षेत्रीय परीक्षण के चालू होने में नौ महीने की देरी हुई है लेकिन इसे विकसित करके तथा आधारभूत बिल्डिंग ब्लाक का ही परीक्षण करके इस देरी को पूरा कर लिया गया है। जहां तक स्वदेशीकरण का संबंध है साफ्टवेयर लगभग पूर्ण मात्रा में भारत में ही बनता है। जहां तक मैं जानता हूं स्वदेशीकरण की प्रक्रिया पर किसी प्रकार का दबाब नहीं डाला जा रहा है और वास्तव में इस पर कार्य काफी अच्छा चल रहा है और जैसा कि मैंने कहा है आर ए एक्स 128 ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज का कल से रोजाना एक एक्सचेंज के हिसाब से निर्माण होने लगेगा तथा इसका दो स्थानों—कर्नाटक में कित्तूर तथा मध्य प्रदेश में चुरहट, में बड़ी सफलतापूर्वक क्षेत्रीय परीक्षण हो चुका है और इसका उत्पादन होने जा रहा है तथा दूसरा 128 ई० पी० ए० बी० एक्स० का भी उत्पादन हो रहा है और इस प्रकार कोई भी दबाव नहीं डाल रहा है तथा विकास में देरी नहीं कर रहा है! हम इस पर कार्यवाहीं कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अन्तिम एक्सचेंज को इस प्रकार के विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता न पड़े।

[हिन्दी]

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि : अध्यक्ष महोदय, सी-डॉट योजना का दूसरा चरण कब पूरा होगा और उस पर कितना खर्च होगा? आई एस डी एन की क्षमता क्या सैद्धांतिक स्तर पर प्राप्त की जाएगी?

[अनुवाद]

श्री के० आर० नारायणन : क्या आपका अभिप्राय सी-डाट के दूसरे चरण से है ?

[हिंदी]

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि : दूसरे चरण में कितना खर्च होगा ?

[अनुवाद]

श्री के० आर० नारायणन : 32 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह।

श्री हन्नान मोल्लाह : प्रश्न संख्या 524···(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्ता : महोदय, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये कोई नहीं है। मन्त्रालय को क्या हो रहा है?···(**व्यवधान**)। कोई भी नहीं सुन रहा है। क्या बात है ? (**व्यवधान**)

श्री अजित कुमार साहा : प्रधान मन्त्री महोदय यहां हैं। वह उत्तरदायी हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रधान मन्त्री महोदय अपने मन्त्रियों से कक्ष में क्यों नहीं मिलते ? (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्ता : महोदय, यह अविचारणीय है (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह अपने कक्ष में उन्हें मिलने का समय दे सकते हैं।(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : फिर, आप भी इस अवसर का लाभ उठाएंगे···

(**व्यवधान**)

श्री के० आर० नारायणन : महोदय, इसके लिये मुझे खेद है। मैंने यह नहीं सोचा था कि बीच में यह प्रश्न भी है। (**व्यवधान**)

प्रौद्योगिकी के आयात के संबंध में इलेक्ट्रोनिकी आयोग का मत

+

*524. **श्री हन्नान मोल्लाह** :

श्री अनिल बसु : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौद्योगिकी के आयात के सम्बन्ध में इलेक्ट्रोनिकी आयोग का मत क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने इलेक्ट्रोनिजी आयोग के मत पर विचार किया है और यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) अन्य बातों के साथ-साथ इस मुद्दे से सम्बन्धित प्रारूप पर इलेक्ट्रोनिकी आयोग में चर्चा की जा रही है।

(ख) इस समय यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, सरकार की इलेक्ट्रोनिकी नीति देशीय उद्यमियों को विदेशी

सहयोग प्राप्त करने के लिये उत्साहित करने की है। लेकिन वर्तमान स्थिति में यदि हम बड़े स्तर पर इलेक्ट्रोनिकी उद्योग विकसित नहीं करते हैं तथा उच्च प्रौद्योगिकी का आयात करते हैं तथा उच्च प्रौद्योगिकी का आयात करते हैं तथा उच्च प्रौद्योगिकी के कुछ केन्द्र स्थापित करते हैं तो इससे इस युग के सबसे महत्वपूर्ण इस उद्योग को मदद नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखकर मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोनिक्स में भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देने की अपनी नीति पर क्या सरकार पुनर्विचार करेगी तथा क्या वह इस क्षेत्र में प्रोत्साहन देने तथा देशीय क्षमता को विकसित करने के लिए अतिरिक्त उपाय करेंगे। यदि हां, तो मैं जानना चाहूंगा कि इस सन्दर्भ में सरकार ने क्या उपाय किए हैं।

श्री के० आर० नारायणन : महोदय, सरकार की नीति का मुख्य ध्येय इलेक्ट्रोनिकी उद्योग में अधिकतम स्वदेशीकरण प्राप्त करना है। इस उद्देश्य से बहुत ही उदार नीति का अनुसरण करते हुए हमने विदेशी कम्पनियों से न सिर्फ साज सामान तथा मशीनें ही आयात करने के लिये सहयोग किया है बल्कि हमने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भी सहयोग किया है तथा पूरी नीति इस बात को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। माननीय सदस्य भी इससे अवगत होंगे कि इस नीति में हमने यह संभव कर दिया है तथा हमारी शर्तें यही हैं कि कोई भी प्रौद्योगिकी जो भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं है, कोई भी प्रौद्योगिकी जो बहुत उच्च स्तर की है तथा अत्यन्त गुप्त है, उसके लिये बहुत ही आकर्षक शर्तों पर विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग करने के लिये भारतीय कम्पनियों को अनुमति दे दी जाए। लेकिन हम यह शर्त भी लगाते हैं कि बार-बार आयात की प्रक्रिया में अपने को व्यस्त रखने की बजाय उन्हें अनुसंधान तथा विकास के कार्य में भी सहयोग करना चाहिए ताकि बार बार आयात करने के बजाय इस प्रौद्योगिकी को ग्रहण किया जा सके।

श्री अनिल बसु : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह नीति पत्र का प्रारूप सरकार को किस तिथि को भेजा गया था तथा इस नीति के प्रारूप को अन्तिम रूप देने तथा स्वीकृति देने में सरकार कितना समय लेगी।

श्री के० आर० नारायणन : नीति पत्र अभी तक सरकार को नहीं भेजा गया है। यह इलेक्ट्रोनिकी पर एक पत्र है जिस पर इलेक्ट्रोनिकी आयोग समीक्षा तथा चर्चा कर रहा है। जब यह अन्तिम सिफारिशों के रूप में सामने आएगा तब इसे सरकार को भेजा जायेगा तथा उस समय सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री अनिल बसु : मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोनिकी उद्योग के उन सभी क्षेत्रों, जिन्होंने देशीय प्रौद्योगिकी प्राप्त कर ली है, इसके लिये लाइसेंस की शर्त समाप्त करने पर क्या सरकार विचार कर रही है।

श्री के० आर नारायणन : पहले ही यह नीति है कि जहां हमारे पास स्वदेशी क्षमता है तथा जहां देशीय उद्योगों तथा प्रौद्योगिकी द्वारा कोई चीज प्राप्त हो सकती है तब हम आतात की अनुमति नहीं देते हैं। सिर्फ वही प्रौद्योगिकी जो देशीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है तथा जो बहुत ही सामरिक महत्व की अथवा उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी है, उसी को हम आयात के लिए अनुमति देते हैं।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बम विस्फोट

[अनुवाद]

*515. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में विभिन्न भागों में पिछले कुछ महीनों के दौरान धार्मिक उत्सवों के अवसरों पर विशेषकर जन्माष्टमी के दौरान वकानेर में, नवरात्रि के दौरान मोरवी में और महाशिवरात्रि के दौरान जूनागढ़ में हुए बम विस्फोटों की जानकारी है:

(ख) क्या राज्य सरकार और अन्य धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं ने केन्द्रीय सरकार से धार्मिक उत्सवों के अवसरों पर हुए इन विस्फोटों का रहस्योद्घाटन करने और अपराधियों को तुरन्त दण्ड देने के उद्देश्य से इन घटनायों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराए जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटासिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) सांसदों और अन्य व्यक्तियों से इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कुछ अभ्या-वेदन प्राप्त हुए है लेकिन राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ। इन मामलों की राज्य के सी० आई० डी० विभाग द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है।

संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन तथा सदस्यों के वेतन में संशोधन

*516. **श्री चरणजीत सिंह वालिया** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन तथा सदस्यों के वेतन में संशोधन सम्बन्धी मामला चौथे वेतन आयोग को भेजा गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन तथा सदस्यों के वेतन में संशोधन करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार आयोग के सदस्यों के पेंशन तथा अन्य लाभों में वृद्धि करने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) सम्वैधानिक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का प्रश्न केन्द्रीय वेतन आयोग के विचार के लिए नहीं भेजा जाता।

(ग) से (ङ) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन को संशोधित करने वाले आदेश जारी करने की कार्यवाई की जा रही है। आयोग के सदस्यों की पेंशन तथा अन्य प्रसुविधाओं की पुनरीक्षा पृथक रूप से की जाएगी।

भारतीय शान्ति सेना के जख्मी सैनिकों के बच्चों को रियायतें देना

*517. श्री एच० ए० डोरा : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का श्रीलंका में मारे गए अथवा जख्मी हुए भारतीय शान्ति सेना के सैनिकों के बच्चों को अनेक रियाशतें देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) सरकार ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के वीरगति प्राप्त सैनिकों या घायल हुए सैनिकों के परिवारों के लिए पेंशन के उन उदारीकृत पंचाटों और अन्य लाभों को देने की पहले ही घोषणा की हुई है जो युद्ध में हताहत हुए सैनिकों को स्वीकार्य है । ऐसे कार्मिकों के बच्चों को शैक्षणिक रियायतें मंजूर की गई हैं । इन रियायतों में ये भी शामिल हैं—शिक्षण और अन्य शुल्कों से पूरी छूट, स्कूल-बस प्रभार, छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए होस्टल प्रभार और पुस्तकों एवं लेखन-सामग्री का पूरा खर्च तथा जहां वर्दी अनिवार्य है वहां वर्दी की की पूरी कीमत ।

सैन्य सेवा में वीरगति को प्राप्त या सैन्य सेवा के कारण 50 प्रतिशत से अधिक निशक्तता से निशक्त रक्षा कार्मिकों के प्रत्येक परिवार के दो सदस्यों तक को, समूह '-ग" और समूह "घ" के पदों के लिए, रोजगार कार्यालयों के जरिए रोजगार देने में प्राथमिकता-2 क दी जाती है ।

सेवा में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त रक्षा सेना कार्मिकों के पुत्र/पुत्री/निकटतम सम्बन्धी, रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण कराए बिना, रिकार्ड कार्यालय/रेजीमेंटल सेंटर/मूल कोर या यूनिट/सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्य रक्षा स्थापनाओं में उपलब्ध उचित समूह "ग" या समूह "घ" की सिविल नियुक्तियों में लगाए जाने के हकदार होते हैं बशर्ते वे इन पदों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक मानदण्डों को पूरा करते हों ।

विदेशों से राजनयिक संबंध

*518. श्रीमती एन० पी० झांसीलक्ष्मी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों के साथ भारत का राजनयिक सम्बन्ध नहीं है; और

(ख) क्या भारतीय पासपोर्ट धारकों को इन देशों का दौरा करने की अनुमति है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) डोमिनिकन गणराज्य, हाइती, होंडुरास, इजरायल, मोरक्को और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध नहीं है ।

(ख) पासपोर्ट नियमों के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट "दक्षिण अफ्रीका गणराज्य को छोड़कर सभी देशों" की यात्रा के लिए वैध है । दक्षिण अफ्रीका के मामले में अगर किसी व्यक्ति का कोई निकट सम्बन्धी वहां अत्यन्त गम्भीर रूप से बीमार हो जाए या किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु हो जाए तो ऐसे मामलों में उद्देश्य विशेष के लिए विशेष पृष्ठांकन निर्धारित मार्ग निर्देशों के अनुरूप दे दिया जाता है ।

विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोग

[हिन्दी]

*520. श्री राम प्यारे सुमन : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितनी धन-राशि का प्रावधान किया गया तथा प्रत्येक राज्य को कितनी धन-राशि आवंटित की गई और वर्ष के अन्त में कितनी धन-राशि दी गई;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित की गई तथा दी गई धन-राशि में से कितनी धन-राशि राज्यों द्वारा खर्च की गई और कितनी धन-राशि, राज्य-वार, अप्रयुक्त पड़ी रही;

(ग) सम्पूर्ण धन-राशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का निर्धारित समय के भीतर समुचित ढंग से सम्पूर्ण आवंटित धन-राशि का उपयोग करने तथा उसके लिए उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने का विचार है; और यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन को कब तक सुनिश्चित किया जाएगा ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष कम्पोनेंट प्लान पर राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेश वार परिव्यय तथा व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

सम्पूर्ण देश में, विशेष कम्पोनेंट योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई धनराशि की उपयोगिता लगभग 95 प्रतिशत रही है। फिर भी, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, सिक्किम और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों के मामले में कुछ कमियां रही है।

व्यय में कमियों के कुछ कारण क्षेत्र में एजेंसियों की गतिशीलता में विलम्ब, लाभ-प्राप्त-कर्ताओं का अनुचित चयन, परियोजनाओं को बनाने व क्रियान्वित करने में कमियों, बीमा प्रबोधन आदि हैं।

(घ) राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा वर्ष के दौरान विशेष कम्पोनेंट योजना के सम्पूर्ण परि-व्यय का उपयोग करने के लिए पहले से ही दिशानिर्देश विद्यमान हैं। राज्य सरकारों की विशेष कम्पोनेंट योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर, अगले वर्ष की विशेष कम्पोनेंट योजना को अन्तिम रूप देने के लिए कल्याण मन्त्रालय में आयोजित बैठकों में राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक वर्ष विचार विमर्श किया जाता है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन करते समय विशेष कम्पोनेंट योजना का आकार तथा इसके अन्तर्गत प्रदान की गई धनराशि का उपयोग दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है और जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश अच्छा कार्य करते हैं उनके आवंटन में वृद्धि की जाती है।

विवरण

(रु० करोड़ों में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1984-85 विशेष कम्पोनेंट योजना	1984-85 व्यय परिव्यय	1985-86 विशेष कम्पोनेंट योजना	1985-86 व्यय परिव्यय	1986 87 विशेष कम्पोनेंट योजना	1986 87 व्यय परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	127·51	102·47	120·64	169·43	154·	135·00
2.	असम	7·72	7·75	10·44	10·91	13·95	15·03
3.	बिहार	76·77	45·94	67·27	54·28	103·59	76·01
4.	गुजरात	26·90	26·90	25·87	24:93	29·83	28·96
5.	हरियाणा	31·07	22·18	30·34	26·16	32·33	35·30
6.	हिमाचल प्रदेश	15·75	15·75	19·49	16·42	22·56	22·56
7.	जम्मू और कश्मीर	9·50	9·25	9·56	9·56	10.90	10·90
8.	कर्नाटक	70·29	70·07	76·22	67·17	104·13	87·69
9.	केरल	28·74	20·74	29·58	29-58	35·81	35·01
10.	मध्य प्रदेश	59·10	60·04	63·52	64·85	76·66	74·65
11.	महाराष्ट्र	43·91	43·91	42·87	63·55	57·38	71·04
12.	मणिपुर	8·12	1·00	1·42	0·87	1·08	1·08
13.	उड़ीसा	31·81	31·58	36·51	36·01	48·07	44·92

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	पंजाब	23·33	23·33	21·87	18·24	24·76	28·59
15.	राजस्थान	53·62	48·54	52·00	43·05	69·28	37·60
16.	सिक्किम	0·74	0·05	0·39	0·19	0·41	0·16
17.	त्रिपुरा	8·04	8·11	7·55	6·36	10·71	1045
18.	तमिलनाडु	123·01	99·25	126·16	115·73	128·04	140·07
19.	उत्तर प्रदेश	135·90	162·99	172·67	175·82	199·44	196·40
20.	पश्चिम बंगाल	57·00	57·06	65·41	61·38	71·91	71·14
21.	दिल्ली	21·35	21·35	13·09	18·02	18·50	20·90
22.	चंडीगढ़ प्रशासन	1·54	1·55	2·35	1·57	1·83	1·88
23.	पंडिचेरी	4·62	4·04	5·20	4·76	6·24	5·58
24.	गोवा, दमन और दीव	7·67	8·43	0·01	0·63	0·62	0·71
	कुल :	974·12	884·28	1001·03	959·17	1201·62	1151·63

ट्रैवल एजेंटों का जाली पासपोर्ट जारी करने में शामिल होना

[अनुवाद]

* 512. **श्रीमती वैजयन्ती माला बाली** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 से 1987 तक की अवधि के दौरान जनता को जाली पासपोर्ट जारी करने की अवैध गतिविधियों में ट्रैवल एजेंटों सहित कितने व्यक्ति शामिल पाये गये;

(ख) 1985-87 के दौरान इन गतिविधियों में शामिल होने के कारण कितने ट्रैवल एजेंटों के लाइसेंस रद्द अथवा निलम्बित किये गये;

(ग) क्या कुछ ट्रैवल एजेंट श्रीलंका में आतंकवादियों के साथ सम्पर्क रखने वाले राष्ट्र-विरोधी तत्वों के लिए पासपोर्ट की व्यवस्था करने में शामिल पाये गये; और

(घ) यदि हां, तो इन एजेंटों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : 1985 से 1987 तक की अवधि के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों के साथ कार्य करने के लिए मान्यता प्राप्त चौदह ट्रैवल एजेंसियों को अपात्र व्यक्तियों के लिए जाली और झूठे पासपोर्ट प्राप्त करने की कार्यवाही करने या उन्हें प्राप्त करने की कोशिश में पकड़ा गया था । ऐसी गतिविधियों में उनकी अन्तर्ग्रस्तता को मद्देनजर रखते हुए लाइसेंस बिलंबित अथवा रद्दकर दिए गए थे ।

इन गलत गतिविधियों में ग्रस्त-ऐसी यात्रा एजेंसियों/व्यक्तियों की संख्या मालूम नहीं जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है ।

(ग) और (घ) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया जिसमें मान्यता प्राप्त कोई यात्रा ऐजेंसी ग्रस्त हो ।

भारत-पाकिस्तान सीमा से हथियारों की तस्करी

*523. **श्री के० मोहन दास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सीमा से आधुनिक हथियारों की तस्करी अभी भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों में प्रत्येक महीने के दौरान कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ग) इसे पूर्णतया रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सूचना का विवरण संलग्न है।

(ग) सीमा सुरक्षा बल सीमा पर सर्वदा सावधान रहता है। चौकसी बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने भारत-पाकिस्तान सीमा के लिए वर्ष 1986-87 से आरम्भ होने वाली पांच वर्षों की अवधि में सीमा सुरक्षा बल की 25 अतिरिक्त बटालियनें गठित की जाने की स्वीकृति दी है ।

विवरण

सीमा सुरक्षा बल द्वारा 1-9-1987 से 29-2-1988 तक की अवधि के दौरान स्थानीय पुलिस के पास दर्ज किये गये मामलों की संख्या

माह और वर्ष	दर्ज मामलों की संख्या
सितम्बर, 1987	1
अक्तूबर, 1987	—
नवम्बर, 1987	1
दिसम्बर, 1987	—
जनवरी, 1988	2
फरवरी, 1988	7

जनजाति उप योजना और विशेष संघटक योजना हेतु केन्द्रीय सहायता

[हिन्दी]

*525. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को जनजाति उप-योजना और विशेष संघटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि दिये जाने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार के विचार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्येक परिवार को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता देने के मानदंड के अन्तर्गत, जैसाकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए गठित किये गये कार्यकारी दल ने सिफारिश की है, मध्य प्रदेश को दी गई धनराशि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के लिये 756 करोड़ रु० तथा विशेष कम्पोनेंट योजना के लिए 930 करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया है। सातवीं योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता के लिये राज्य-वार आवंटन नहीं दिये गये हैं और इनका निर्णय वर्ष प्रति वर्ष आधार पर किया जाता है।

(ख) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए राज्य योजना संस्थागत वित्त तथा अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं से अन्यथा उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि करने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है और वर्ष प्रति वर्ष आर्थिक सहायता के लिये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली गई है।

गरीबी की रेखा

[अनुवाद]

*526. **श्रीमती किशोरी सिंह** :

श्री भद्रेश्वर तांती : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आय के किस स्तर को गरीबी की रेखा माना है;

(ख) क्या इस स्तर के निर्धारण में वास्तविक आय पर वार्षिक मुद्रास्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है;

(ग) क्या लाखों व्यक्ति अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उसमें ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) गरीबी की रेखा की परिभाषा वर्ष 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रु० और शहरी क्षेत्रों में 56.44 रु० प्रति व्यक्ति मासिक आय के रूप में की गई थी। वास्तविक आय पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, गरीबी की रेखा को समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता है। वर्ष 1983-84 की कीमतों पर अद्यतन गरीबी की रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 101.8 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिमास और शहरी क्षेत्रों में 117.5 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिमास है।

(ग) और (घ) घरेलू खपत व्यय के बारे में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 38वें चक्र पर आधारित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1983-84 में देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या 271 मिलियन थी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे लोगों की संख्या 221.5 मिलियन थी, जो ग्रामीण जनसंख्या का 40.4 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में यह 49.5 मिलियन थी जो शहरी जनसंख्या का 28.1% बैठती थी।

नए रक्षा उत्पादन एककों संबंधी प्रस्ताव

*528. **श्री के कुन्जम्बु** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1988-89 में नए रक्षा उत्पादन एकक स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार के केरल में रक्षा उत्पादन एकक स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी, हां। आयुध निर्माणी की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) केरल सरकार का अनुरोध, इनर लाइनरों और कंटेनरों तथा आउटर केसिंगों सहित पैकेजों के निर्माण के लिए, राज्य में एक आयुध निर्माणी की स्थापना के लिए है। इस समय सरकार ऐसी किसी आयुध निर्माणी की स्थापना करने पर विचार नहीं कर रही है।

सेवा नियमों और विनियमों की समीक्षा

*529. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सेवा सम्बन्धी मामलों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा राजनीतिक अथवा अन्य प्रभाव डाले जाने के बारे में केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 20 के उपबन्धों की समीक्षा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में विद्यमान सभी नियमों तथा विनियमों और अनुदेशों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है ताकि बदलते हुए वातावरण को देखते हुए उनमें सुधार किया जा सके और उन्हें समय के अनुकूल बनाया जा सके ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री, तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है।

(ग) विभिन्न सेवा नियमों, विनियमों तथा सेवा सम्बन्धी मामलों पर अनुदेशों की समीक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्रशासन में सुधार लाना है।

घृणा और सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

*530. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985, 1986 और 1987 के दौरान देश में विभिन्न समुदायों के बीच घृणा फैलाने वाले भाषण देने, लेखादि लिखने तथा घृणा का प्रचार करने के आरोप में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने लोग गिरफ्तार किये गये; और

(ख) इन वर्षों के दौरान कितने लोगों को दंड दिया गया ?

गृह मंत्री (सरदार बूटासिंह) : (क) और (ख) उत्तेजक लेख लिखने और सांप्रदायिक घृणा का प्रचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के पास भा० दं० संहिता की धारा 153-क, 153-ख, 295-क और 505 के अन्तर्गत पर्याप्त शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकाशित सामग्री को जो भिन्न-भिन्न समुदायों के बीच सांप्रदायिक असामजस्यता या दुश्मनी घृणा और द्वेष की भावना को बढ़ावा देता हो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अन्तर्गत अभिनिषिद्ध किया जा सकता है इन उपबन्धों का सख्ती से लागू करने के लिए केन्द्र सरकार के समय-समय पर राज्यों और केन्द्र सरकारों को निर्देश जारी किए हैं और प्रेस में आपत्तिजनक, उत्तेजनात्मक और अश्लील लेखों की संवीक्षा करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए गए प्रबन्धों की पुनरीक्षा की है। "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है अतः उपरोक्त अपराधों के अन्तर्गत गिरफ्तार और दोष सिद्ध व्यक्तियों के बारे में केन्द्र सरकार आंकड़े नहीं रखती है क्योंकि उपरोक्त अपराधों के अन्तर्गत कार्रवाई राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्राधिकारियों द्वारा आरम्भ की जाती है।

असम समझौते को लागू करने के लिए आल असम स्टूडेंट्स यूनियन का आन्दोलन

[अनुवाद]

5367. **डा० बी० एल० शैलेश** :

श्री नारायण चौबे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने असम समझौते को शीघ्रता से लागू किए जाने के लिए अपने आंदोलन के हिस्से के रूप में 27 फरवरी, 1988 से 3 दिन तक कच्चे तेल और अन्य उत्पादों की आवाजाही को रोकने का निर्णय किया था;

(ख) क्या तेल की आवाजाही को रोकने से, असम में तेल शोधन कारखानों के नाम पर तथा भारत के उत्तर-पूर्व के अन्य स्थानों में तेल के परिवहन और समग्र रूप से इसकी अर्थव्यवस्था पर, प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या आल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने अन्य अवसरों पर भी ऐसे बन्द का सहारा लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का तेल शोधन कारखानों के काम में बाधा न आने देने तथा असम में और असम से बाहर तेल की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) आल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने 27-2-1988 को 5.00 बजे से 29-2-88 को 17.00 बजे तक 60 घंटे तेल की आवाजाही को रोका।

(ख) हालांकि डिगबोई और बरोनी तेल शोधक कारखानों में उपलब्ध भण्डार के साथ कार्य चालू रहा, लेकिन गुवाहाटी रिफाईनरी की कच्चा तेल शोधन इकाई को, कच्चे तेल की अनुपलब्धता के कारण 27-2-88 को 10.00 बन्द करना पड़ा।

(ग) इसके अतिरिक्त आल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने चालू वित्त वर्ष के दौरान बन्द के 6 आन्दोलनात्मक कार्यक्रम किए जिससे असम में ओ०एन०जी०सी० के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ा।

(घ) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे आल असम स्टूडेंट्स यूनियन को आंदोलन की नीति छोड़ने के लिए राजी करें, जो न तो राज्य के हित में है और न ही राष्ट्रहित में है और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि तेल के महत्वपूर्ण क्षेत्र में कोई व्यवधान पैदा न हो।

विभिन्न रक्षा कल्याण कोषों में एकत्रित की गई धनराशि

5368. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रक्षा कल्याण कोषों में अप्रैल, 1987 से दिसम्बर, 1987 की अवधि के दौरान कितनी धनराशि एकत्रित की गई; और

(ख) इस अवधि के दौरान इन कोषों से कितनी सहायता राशि दी गई ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) धनराशि केवल सशस्त्र सेना झंडा दिवस के लिए एकत्रित की जाती है। यह हर समय 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अप्रैल 1987 से दिसम्बर 1987 की अवधि के दौरान कुल 24,41,498.89 रुपए की राशि एकत्रित की गई। इस राशि में दिसम्बर, 1986 में एकत्रित और 7 दिसंबर, 1987 को एकत्रित आंशिक धनराशि के रूप में राज्य सैनिक बोर्डों द्वारा प्रेषित झंडा दिवस के लिए केन्द्रीय हिस्सा भी शामिल हैं।

(ख) निधियों के संग्रह के निवेश पर ब्याज से होने वाली आय में से विभिन्न कल्याण निधियों से अनुदान दिए जाते हैं। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नौ कल्याण निधियां चलाता है। अप्रैल

1987 से दिसम्बर, 1987 के दौरान इन निधियों से दिए गए विभिन्न अनुदानों के बारे में स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

विवरण

क्रम सं०	निधि का नाम	1-4-87 से 31-12-87 के दौरान दी गयी राशि (रुपयों में)
1.	युद्ध संतप्त और भूतपूर्व सैनिक विशेष राहत निधि	38,18,622.41
2.	झंडा दिवस निधि	22,32,620.00
3.	भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि	2,97,300.00
4.	सशस्त्र सेना पुनर्निर्माण निधि	15,00,000.00
5.	सशस्त्र सेना हितैषी निधि	4,51,440.000
6.	सैन्य कल्याण निधि	3,63,000.00
7.	भारतीय सैनिक नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड निधि	28,723.30
8.	भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए विशेष निधि	34,99,714.10
9.	सेंट डयुनस्टांस (इंडिया) फण्ड	1,50,000.00

मद्रास के निकट सड़क दुर्घटना में हताहत सैनिक

5369. **श्री एन० डेनिस** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 फरवरी, 1988 को ग्रांड ट्रंक रोड पर मद्रास के निकट एक सड़क दुर्घटना में अनेक सैनिक हताहत हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और मृत सैनिकों के परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और जख्मी हुए सैनिकों की क्या सहायता की गई ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) और (ख) 7 फरवरी, 1988 को मद्रास के निकट पल्लवन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की एक बस के एक सैन्य ट्रक से टकरा जाने के कारण थलसेना के 3 कार्मिकों की मृत्यु हो गई और 5 कार्मिकों को चोटें आई। उक्त मृत व्यक्तियों के परिवारों को मिलने वाले सैन्य लाभों के अलावा, अन्य मुआवजे/पुनर्व्यवस्थापन का निर्णय, तत्सम्बन्धी जांच अदालत की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। जांच अदालत की कार्यवाई चल रही है।

दिल्ली पुलिस के वायरलैस आपरेटरों को प्रशिक्षण देना

[हिन्दी]

5370. श्री आर० एम० भोये : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों द्वारा वायरलैस सैटों पर अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के बारे में 4 जनवरी, 1988 के हिन्दुस्तान में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वस्तुस्थिति क्या है; और

(ग) दिल्ली पुलिस के इन वायरलैस आपरेटरों में अनुशासन लाने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) और (ग) संचार यूनिट के वायरलैस आपरेटर पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं। नए भर्ती किए गए सहायक वायरलैस आपरेटरों को ड्यूटी पर तैनात करने से पहले व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है। अनुशासनहीनता की कोई समस्या नहीं है और अश्लील भाषा प्रयोग करने के आरोप के बारे में दिल्ली पुलिस ने इन्कार किया है।

उच्च तकनीकी पदों पर नियुक्ति

[अनुवाद]

5371. श्री परसराम भारद्वाज : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस आशय का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि केन्द्रीय मंत्रालय में अनेक पदों पर, जिनके लिए तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसके कारण तकनीकी कर्मचारियों में असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई ऐसा निर्णय किया गया है कि ऐसे पदों पर केवल तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जायेगी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी;

(ग) क्या सरकार का राज्य सरकारों को भी ऐसा ही करने की सलाह देने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के एककों में भी उच्च तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी अपनी नीति की समीक्षा करने का विचार है ?

शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं। सरकार को कार्मिक मंत्रालय में ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

आन्ध्र प्रदेश, केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल हेतु वर्ष 1987-88 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

5372. **श्री आनन्द पाठक :**

श्री सुरेश कुरूप :

श्री अजय विश्वास :

डा० सुधीर राय : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश, केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल हेतु वर्ष 1987-88 में प्रत्येक क्षेत्र के लिए राज्यवार कितना योजना परिव्यय निर्धारित किया गया;

(ख) यह पिछले वर्ष की तुलना में किस प्रकार भिन्न है;

(ग) उपर्युक्त योजना में कृषि और औद्योगिक उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) विकास की दर कितनी रही ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) और (ख) विवरण-1 संलग्न है।

(ग) और (घ) विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

वार्षिक योजना 1986-87 और 1987-88 में क्षेत्रवार परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

विकास शीर्ष	आंध्र प्रदेश		केरल		त्रिपुरा		पश्चिम बंगाल	
	1986-87 परिव्यय	1987-88 परिव्यय	1986-87 परिव्यय	1987-88 परिव्यय	1986-87 परिव्यय	1987-88 परिव्यय	1986-87 परिव्यय	1987-88 परिव्यय
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	57.30	53.94	52.00	58.33	18.80	21.33	59.24	60.38
ग्रामीण विकास	58.61	89.29	20.45	19.87	6.70	7.33	48.78	54.15
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	1.00	1.00	—	11.75	12.59	14.74
सिंचाई एवं बाढ़	257.82	293.12	65.50	68.00	9.90	10.85	89.83	97.47
नियन्त्रण							10.08	*10.00
ऊर्जा	180.25	206.88	77.09	89.10	10.40	13.69	205.76	240.55
उद्योग एवं खनिज	55.85	61.66	33.70	41.35	3.77	6.49	63.16	86.74
परिवहन	69.28	62.34	45.30	52.00	11.59	11.81	49.00	58.20
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1.55	2.01	5.50	6.20	0.55	8.71	1.04	1.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामान्य आर्थिक सेवाएं	2.09	2.87	3.50	4.60	0.62	0.62	25.85	26.76
सामाजिक सेवायें	315.80	390.54	77.96	91.15	41.55	39.23	208.76	210.76
सामान्य सेवायें	6.45	8.15	8.00	8.40	1.12	1.19	11.99	12.00
जोड़ :	1000.00	1200.00	390.00	440.00	105.00	125.00	776.00	862.00
							*	*
							+10.00	+10.00

टिप्पणी : *टेस्ता बराज योजना के लिए अग्रिम योजना सहायता के रूप में 10 करोड़ रु० ।

विवरण-2

राज्य सरकारों द्वारा अपने योजना दस्तावेजों में यथा आश्रित कृषि तथा उद्योगों के अन्तर्गत कुछ मदों के सम्बन्ध में वर्ष 1986-87 में उपलब्धि तथा 1987-88 के लिए लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण

मद	इकाई	आंध्र प्रदेश		केरल		त्रिपुरा		पश्चिमी बंगाल	
		1986-87 उपलब्धि	1987-88 लक्ष्य	1986-87 उपलब्धि	1987-88 लक्ष्य	1986-87 उपलब्धि	1987-88 लक्ष्य	1986-87 उपलब्धि	1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. कृषि									
(1) खाद्यान्न	हु० टन	9148	12801	1066	1470	390	446	9622	10045
(II) तिलहन	हु० टन	1434	2048	9.46	17.50	4.15	6.25	270	305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(III) कपास	हु० बेल्स	650	900	9.00	11.20	1.60	2.15	दर्शाया नहीं गया	
(v) पटसन तथा मेस्ता	—वही—	535	600	—	—	84.65	106.00	4930	5000
(v) गन्ना	हु० टन	8830	12000	400.57	490.00	69·43	100·00	757	1100
(vI) नारियल	मि० गांठे	दर्शाया नहीं गया		3068	3300	2.75	2.99	दर्शाया नहीं गया	
2. उद्योग									
1. ग्राम तथा लघु उद्योग उत्पादन	लाख रु०	23016	24386	141178	144809	820	950	204000	216000
2. नारियल जटा उद्योग यार्न तथा अन्य मदों का उत्पादन	लाख टन	0.48	0.57	10.53	17.00	—	—	0.40	8.52
3. हथकरघा उद्योग	मि० मीटर	172	220	50*	70*	2.42	2.47	3.83	397
4. कच्चे रेशम का उत्पादन	हु० कि० ग्रा०	1250	1660	—	—	0.007	0.015	788	896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. दस्तकारी उत्पादन	लाख रु०	1300	1500	3000	3000	350	360	4680	4700
6. खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर उत्पादन	—वही—	8004	9232	4401	6012	5200	5800	2852**	2852**

टिप्पणी * केवल सहकारिता क्षेत्रक

**खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर

स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना

5373. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलैंडर वर्ष 1987 की अन्तिम तिमाही के दौरान स्वतन्त्रता सेनानी/पेंशन योजना के अन्तर्गत किन्हीं मामलों में पेंशन मंजूर की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन तीन महीनों में राज्यवार किन-किन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : जी हां, श्रीमान, कलैंडर वर्ष 1987 की अन्तिम तिमाही के दौरान 553 व्यक्तियों को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन स्वीकृति की गई थी।

(ख) उन तीन महीनों के दौरान जिन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दी गई, उनकी राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में देखी जा सकती है।

विवरण

क्रम सं०	नाम
1	2
	बिहार
1.	श्री अशोक कुमार सिंह
2.	श्री धन्ना लाल
3.	श्री नानू सिंह
4.	श्री विश्वनाथ प्रसाद
5.	श्री बगीचा मिश्र
6.	श्री बेनी प्रसाद
7.	बेश लाल सिंह
8.	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह
9.	केदार नाथ मुखिया
10.	बलदेव शर्मा
11.	शिवाजी शर्मा
12.	रामअवतार प्रसाद वर्मा
13.	श्री जगदीश प्रसाद सिंह
14.	श्री सुरेन्द्र झा
15.	शत्रुघ्न साहू
16.	श्री फाहिम खान

1	2
17.	मो० मुस्तफा कमाल
18	लीला चौधरी
19.	दीप नरायण सिंह
20.	राम नारायण राय
21.	राम बिलास राय
22.	दिनेश दत्त मिश्र
23.	जगन्नाथ प्रसाद सिंह
23.	अम्बिका सिंह
24.	लक्ष्मी नारायण दास
25.	श्रीमती तेतरी देवी
26.	श्री निताई चन्द्र बोस
27.	अवध सिंह
28.	सूर्यपाल ओझा
29.	मुन्नी लाल सिंह
30.	श्रीमती नौलेश देवी
31.	बीबी खादिजा
32.	केशो साओ
33.	धर्मावती देवी
34.	कमला सिंह
35.	बसगीत सिंह
36.	जगतनारायण सिंह
37.	मथुरा सिंह
38.	महेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव
39.	भगवत सिंह
40.	तपेश्वर सिंह
41.	रामानन्द सिंह
42.	नवल किशोर प्रसाद वर्मा
43.	राम सुजान सिंह
44.	राम नाथ
45.	श्री महाबीर साह

1	2
47.	संझा देवी
48.	राधाश्याम माटो
49.	मुनेश्वर शर्मा
50.	गंगा साओ
51.	कमल नाथाय महतो
52.	प्रयाग शर्मा
53.	श्रीमती सुनीता देवी
54.	शशी सिंह
55.	गजाधर सिंह
56.	सरयू प्रसाद वर्मा
57.	राम नारायण प्रसाद
58.	चंका लाल गंज
59.	देवसुन्दरी देवी
60.	राजेन्द्र शर्मा
61.	महावीर प्रसाद महतो
62.	मो० सुभान अख्तर
63.	केदार सिंह
64.	लक्ष्मी नारायण सिंह
65.	मो० इस्लाम खान
66.	राम नारायण प्रसाद
67.	गोपाल राम
68.	राम स्वरूप प्रसाद गुप्ता
69.	रामजी प्रसाद सिंह
70.	राम चरित्र राम
71.	भाग्य नारायण ठाकुर
72.	अशर्फी ठाकुर
73.	भगवत प्रसाद साहु
74.	राम पुकार सिंह
75.	साधुसिंह
76.	राम रक्षा सिंह
77.	जगदीश प्रसाद

1	2
78.	देव सहाय
79.	यमुना प्रसाद ठाकुर
80.	सरजू सिंह
81.	सय्यद मो० हाशिम
82.	शिव शंकर सिंह
83.	भगवत सिंह
84.	बंशी राय
85.	ज्वाला यादव
86.	गंगा प्रसाद
87.	राम सुन्दई प्रसाद सिंह
88.	जुदगी राम
89.	राज नारायण राय
90.	राम देव महतो
91.	लक्ष्मी यादव
92.	सिद्धनाथ पांडेय
93.	देव नारायण राय
94.	बलदेव सिन्हा
95.	गनोरी राय
96.	रामुना प्रसाद
97.	दिगम्बर झा
98.	कृष्ण कान्त चौधरी
99.	महादेव खान
100.	भगवान सिंह
101.	जगदीश सिंह
102.	केदार सिंह
103.	ताराहनाथकार
104.	सिदगेश्वर प्रसाद सिंह
105.	आइक लाल यादव
106.	अमृत यादव
107.	नथुनी राम
108.	राधेश्याम सिंह

1	2
109.	सुधा श्रीवास्तव
110.	धरेभाराम देवी
111.	राम देव सिंह
112.	श्रीमती रेवा मिश्रा
113.	अमृत सिंह
114.	भगवत सिंह
115.	श्रीमती देवनी देवी
116.	श्री चन्द्रिका सिंह
117.	चामारी महतो
118.	विद्याशरण शर्मा
119.	श्रीमती श्याम कुंवर
120.	मसोफिर सिंह
121.	दिनेश प्रसाद मिश्र
122.	श्रीमती प्रतीभा सिंह
123.	वसुदानन्द सिंह
124.	धनेश सिंह
125.	हरिवंश झा
126.	दामोदर मिश्र।
127.	बृज नन्दन सिंह
128.	काशीलाल
129.	श्रीमती सुदामा देवी
130.	श्री कमलेश्वरी प्रसाद सिंह
131.	श्री ठाकुर बीर बहादुर सिंह
	मध्य प्रदेश
132.	श्री प्रेमचन्द वेद
133.	श्रीमती लक्ष्मी बाई जलखेरे
134.	श्री रघुनाथ साहू
	पश्चिम बंगाल
135.	सर्व/श्री नन्दा दुलाल मित्र
136.	सत्येन्द्र मोहन चटर्जी

1	2
137.	श्रीमती प्रोतिमा घोष
138.	चन्द्र प्रसाद मिश्रा
139.	निपेन्द्र भूषण राय
140.	प्रबोध च० सामान्ता
141.	श्यामपदा दास
142.	श्रीमती विजया शी
143.	द्विजेन्द्र लाल च० सिन्हा
144.	मदन चौधरी
145.	नारायण दास महन्ता
146.	सुधिन्द्रा कु० बसु
147.	श्री गुरुराव रंगराव इराम्दरा
148.	श्री उपेन्द्र नारायण बाजपेयी
149.	श्री मोहन लाल आहूजा
150.	श्री एच० एन० मुमोंग
151.	श्रीमती ललिता शास्त्री
152.	श्रीमती इन्द्ररानी देवी
153.	श्री भगवत दयाल
154.	श्री ज्ञानी जैलसिंह
155.	श्री आनन्द टी० हिंगोरानी
156.	श्रीमती शकुन्तला डोगरा
157.	श्रीमती गायत्री देवी
	चण्डीगढ़
158.	श्री शंकरलाल
	उड़ीसा
159.	श्री पवित्र मोहन प्रधान
160.	श्री मंगता प्रधान
161.	श्री बरेन्द्र परीजा
162.	सच्चीन्द्रा रेम्स राय
163.	श्री ध्रुवा चरन कोहिन्ता
	असम
164.	श्री लागेशन गोथिया
165.	श्री दिगम्बर वरचुतिया

1	2
	कर्नाटक
166.	श्री पनडप्पा
167.	श्री एस० निजलिंगप्पा
168.	श्री पी० आर० नागराज सेट्टी
169.	श्रीमती संगवा
170.	श्री बी० बसप्पा
171.	श्री सनगनागोंदा बसनागेंदा पाटिल
172.	श्रीमती डोकवा
173.	कोप्परेशराव
174.	राजाराम सखाराम
175.	नरसिंगराव
176.	संगप्पा
177.	सांगय्या सी० हीरमठ
178.	रूद्ररईय्या
179.	कालानागोंडा
180.	नामा राव
181.	गुल्लप्पा एस० हुगर
182.	शिवलिंगप्पा
183.	धर्मप्पा बी० जबेली
184.	आण्डप्पा बी० पट्टा नोशेट्टी
185.	जगन्नाथ राव बी० देसाई
186.	नारायणराव एन० इयाबीब
187.	वीराबारप्पा एल० सज्जानार
188.	वीरूपानारय्या एस० हीरमठ
189.	वीरभद्र गौंडा बी० पाटिल
190.	गंगाधरय्या एम० हीरमठ
	महाराष्ट्र
191.	श्री अमिल कुमार बसु
192.	श्री किशन सिंह महावीर सिंह पदावंशी
193.	श्री के० आनन्द राय
194.	श्रीमती सुलोचना मधुकर बारेदकर

1	2
195.	श्री अनन्तराव विठ्ठलराव पाटिल
196.	श्री सूर्यकांत गोपाल सुलेखी
197.	श्री गनेश भास्कर पंडित
198.	श्रीमती कुसुम गजानन शिर्के
199.	श्री मूलशंकर गंगारक मेहता
200.	श्री अगस्तस अल्वारस
201.	श्रीमती सविता उमाशंकर पाड्या
202.	श्री रमनलाल मणिलाल पट्टानी
203.	श्री राजा राम गोपाल
204.	श्री फ्रैडिक माईकल पिन्टो
205.	श्री मोतबानी सुमनचन्द रेलूमल
206.	श्री मोतीराम हुसम चुग
207.	श्री गोबिन्दराम सचानन्द थवानी
208.	कोमारप्पा
209.	वेंकटराव एच० बिरादर
210.	एवं डी० पर्गे
211.	श्री कृष्णा आर० देशपांडे
212.	गिर्जबा सर्जबा (कोट्टे)
213.	नारायण के० यादव
214.	अदीनाथ एस० बोपालकर
215.	निवारत्ती एम० काबरखे
216.	जगन्नाथ बाबाराव
217.	श्रीमती हाराबाई के० दोईफोडे
218.	बालाचार्य ए० जोशी
219.	गोबिन्द सिंह बी० राजपूत
220.	नूरण्डप्पा आर० सलगारे
221.	दिगम्बर जी पुरी
222.	भीमराव जे० सुतार
223.	तुलसीराम के० कामद
224.	दास अम्बादासराव बंगाले
225.	जीवाराज बी० देशमाने

1	2
226.	बालमापा एम० बजूरे
227.	गुलाब सिंह के० चन्देले
228.	रीरा सिंह यू बयास
229.	नरसिंह राव बी० देशमुख
230.	श्रीमती तानीबाई डी० शिन्दे
231.	नामदेव के० विराजदार
232.	नामदी बी० खाडे
233.	नामदेव एस० खांसे
234.	नरहरी एस० वेलूरगिकार
235.	वामन एन० वाल्के
236.	श्रीमती केराबाई जी० यादव
237.	श्रीमती काशीबाई के० पोकाले
238.	जंगालप्पा डी० कासपाटे
239.	श्रीमती आनन्दी बाई सी० पेशवे
240.	श्री शारदा बाई यू० पाटिल
241.	श्री रंग डी कटेहार
242.	श्रीमती द्रोपदी बाई
243.	श्रीमती पाटने सकरेवा
244.	नारायण डी० चौधरी
245.	श्रीमती गोदावरी बाई
246.	साहेबा एम० लांगरे
247.	श्रीमती गोजराबाई जी० मानकार
248.	श्री एकनाथ एम० कुलकर्णी
249.	कोंडिबा जे० टेंकाले
	गुजरात
250.	श्री हीतेन्द्र देसाई
251.	श्रीमती धोलीबेन
252.	श्री चेलाराम मायाराम मोतियानी
	उत्तर प्रदेश
253.	श्रीमती सनिचारी देवी
254.	श्री किशोर चन्द्र

1	2
255.	श्रीमती सुमित्रा देवी
256.	श्रीमती सुभद्रा
257.	श्रीमती द्रोपदी देवी उपाध्याय
258.	श्री अभय राज सिंह
259.	श्रीं चन्द्र केतू
260.	श्री गणपति बडालनकर
261.	श्री प्यारेलाल
262.	बलराम कामकार
263.	मुसाफिर शर्मा
264.	श्री कमला प्रसाद पांडे
265.	श्री परमेश्वरी दास
266.	श्री सतीश चन्द्र गुप्ता
267.	श्रीमती दिलराजी देवी
268.	श्री रघुबीर
	पंजाब
269.	श्री करमसिंह
270.	श्री हरिकृष्णन
271.	श्री गुरपाल सिंह
272.	श्री गुरबख्श सिंह
273.	श्री बदरी नाथ
274.	श्रीमती विद्या देवी
275.	श्री सरदार लाल चोपड़ा
	जम्मू और कश्मीर
276.	श्री दुर्गा दास
	राजस्थान
277.	श्री रामचन्द्र आचार्य
278.	श्रीमती राम पियारी
	हरियाणा
279.	श्री नोहरिया राम
280.	श्री भूदेव शास्त्री
281.	श्रीमती मंत कौर

1	2
282.	श्री संतोख सिंह
283.	श्री रघुबीर सरन
	गुजरात
284.	श्रीमती नीलम सी० पारेख
	केरल
285.	श्री एन० गोपाल कृष्णन नायर
286.	श्रीमती जौली मैथ्यू
287.	श्री के० सदानन्दन
	उड़ीसा
288.	श्री देबराज बलियार सिंह
	मद्रास
289.	श्री एन० सुब्रह्मणयम
	पश्चिम बंगाल
290.	श्रीमती प्रतमा घोष
	महाराष्ट्र
291.	श्री सिरपत गेम चौधरी
	आन्ध्र प्रदेश
292.	कोन्दापोल लक्ष्मीनरासिम्हा
293.	पी० लक्ष्मी नरसिम्हा रेड्डी
294.	डी० मोहन रेड्डी
295.	पी० लक्ष्मी नारायण राव
296.	के० बुच्ची रेड्डी
297.	चो० मुकन्दम
298.	एल० राजेश्वर राव
299	श्रीमती पुपेन्द्रा
300.	बी० नरसिम्हा
301.	पी० वेल्लया
302.	ए० मोर्थी उन्जया
303.	रंगास्वामी
304.	मंगा पल्लया
305.	के० पिटचहिया

1	2
306.	के० सीतारामचन्द्र राव
307.	एन० रामलिंगाम
308.	सी० भीमराव
309.	एन० यादगिरी
310.	कोन्दा नारायण
311.	श्रीमती मोथल्या विटालक्ष्मी
312.	पी० सुब्बारेड्डी
313.	पी० चिन्ना रेड्डी
314.	एन० लक्ष्मीनरसिम्हाराव
315.	बी० वेलामन्दा
316.	कोमती येल्लपा
317.	ए० वकुन्तम
318.	एन० मनिकयाम
319.	जी० लक्ष्मी
320.	एदम पेड्डापुरम
321.	शीला वेंकीया
322.	टी० रामानुज्जया
323.	जी० राघवय्या
324.	बन्तु चन्दरिया
325.	श्रीमती सिंगीरेड्डी चन्द्रकान्तम
326.	जिन्ना मदरिया
327.	चो० कोट्टया
328.	नारायण लिगारेड्डी
329.	के० वेंकट रम्मया
330.	सत्यनारायण सिंह
331.	चारा संघरिया
332.	शेरव बिक्कम
333.	मुददरिया स्याना
334.	मादी गंगा रेड्डी
335.	वेंतला साथैया
336.	सीलम गोपैया

1	2
337.	पी० वेंकट रेड्डी
338.	मिरयाला अमरनाथ
339.	जालेदी चलमैया
340.	के० वेंकट रेड्डी
241.	कोथा नारैय्या
342.	श्रीमती च० सीतारामन्ना
343.	पी० वैंकटरमैया
344.	लिंगाला सोमैया
345.	पामू वेंकटैया
346.	दोरेनामा बचैया
347.	गोददाम राघव रेड्डी
348.	इन्जापुरी येलैया
349.	केट्वारपू बासवैया
350.	पोट्टा रमैया
351.	वसन्त श्री निवास गाडिकर
352.	श्रीमती के० वेंकट लक्ष्मी
353.	गोपारेबोइना वेंकटचलम
254.	पादसनाबोइना यचैया
355.	थोटा सैदैया
356.	गोलापाली गोबिन्द राव
357.	मारथी मुर्थिलिंगम
358.	पी० चिन्ना रामुलु
359.	एस० नारायण राव
360.	बी० नारायण
361.	कुडिकला मालैया
362.	वेणिचेटटी चन्द्रामूली
363.	एम० रामैया
364.	वी० रामास्वामी
365.	बालारपु कृष्णैया
366.	काचारपु वेंकटराव

1	2
367.	यादा गुरूनाथम
368.	इन्टी मुथैया
369.	चाकीलाम श्रीपति राव
370.	पालरेड्डी नारायण रेड्डी
371.	टी० पिची रेड्डी
372.	डामकुन्तला राजवीर
373.	पी० चिन्नासिनुरैया
374.	टी० बलैया
375.	बी० रामिरेड्डीज
376.	आर० मोंडेया
377.	पी० तिरूपाथैया
378.	बुग्गामारप्पु पुल्लेया
379.	श्रीमती पी० लक्ष्मी तुलासम्मा
380.	बी० अब्बू रामुला
381.	के० उगारैया
382.	बी० नदैया
383.	एस० सोमालिंगम
384.	एम० राजैया
385.	पी० लक्ष्मीनरसिंह राव
386.	जी० लकमैया
387.	एस० पिची रेड्डी
388.	बी० सत्यम राजू
389.	एम० लक्ष्मीनरसिंह
390.	एस० सूर्यनारायण राव
391.	पी० परसिंह रमैया
392.	च० चिन्ना अप्पैया
393.	चितरालु सीतारमैया
394.	एम० वीरैया
395.	शेख एम० मोह०
396.	जी० वासुदेवा रेड्डी

1	2
397.	गान्टी वेंकट रतनम
389.	येराम सुदर्शन
499.	टी० शंकर सिंह
400.	पेडरी बाकैया
401.	के० वेंकट रेड्डी
402.	कु० मदाम अंलामा
403.	मुषावारपू लक्ष्मैया
404.	श्रीमती एम० पोषाम्मा
405.	सिषराम लक्ष्मैया
406.	ए० पपैया
407.	वासा लिंगैया
408.	मोदिरेड्डी नारायण रेड्डी
409.	बंरेड्डी नारायण रेड्डी
410.	कोनका जोजैया
411.	श्रीमती रूमादी उत्तरामा
412.	श्रीमती वेंगल सवियरामा
413.	समाला नारायण
414.	श्रीमती डी० साई लक्ष्मण
415.	पेड्डाबोड्ना वालैया
416.	जे० जंगैया
417.	श्रीमती सी० रूकमबाई
418.	थाउडोजू दक्षिण मूर्ति
419.	मोह० हुसैन
420.	श्रीमती सलिम नरसामा
421.	पोट्टापोई जागम मोहन राव
422.	पोदीशेट्टी सतमैया
423.	बंगावेटी रामुलु
424.	मंडाला लिगैया
425.	बी० एष० नागा मुषणम राव
426.	बदिरे वेंकट रमैया रेड्डी
427.	पुद्दा मोहन रेड्डी

1	2
428.	अनान थुला वेंकट राजैया
429.	नरोज वीरैया
430.	अरू आपाली बांगैया
431.	वेमपाटी कृष्णामूर्ति
432.	इन्डिया रामास्वामी
433.	पुड्डामारी मौडिया
434.	एम० पी० मोल्लैया
435.	चिल्लामाचोरिया बोहुनाथम
436.	मनचुकोन्डा रामुलु
437.	वासुदेबुला राम रेड्डी।
438.	पदमाला नारायण
439.	गुगुइला रंगैया
440.	बंगला मालैया
441.	मेकाला लटटा भी
442.	पोलिजाला वेंकटेश्वर राव
443.	एम० वेंकैया
444.	जमालापुरी मल्लाजी
445.	सांकोमेनी सत्यानारायण राव
446.	ओडला बंकैया
447.	धामारापु लालैया
448.	विन्थाला बीरैवा
449.	गुदुरो राजैरा
450.	एम० नरसिंह रेड्डी
451.	सी० नारायण
452.	ये गोपैया
453.	जी० पछैया
454.	आई लाछैया
455.	सी० लछैया
456.	सी० पी० आर० रेड्डी
457.	जी० पयेलैया

1	2
458.	श्रीमती वेड्डी राजम्मा
459.	प्रोफसर एच० के० मजूमदार
460.	बी० वी० राव
461.	एन० जी० रेड्डी
462.	एस० रामैया
463.	थोटा वैंकटाप्पैया
464.	डी० पापैया
465.	यू० सेयुलु
466.	एम० सत्यनारायण
467.	के० वी० नारायण
468.	पी० चन्द्रैया
469.	क० राजामलैया
470.	वी० रामुलु
471.	एम० मुरलीधर
372.	सी० संजीवा रेड्डी
473.	श्रीमती पी० कोमरम्मा
474.	श्रीमती एन० सक्तिराम्मा
475.	एम० मुथैया
476.	एम० रामुलु
477.	श्रीमती यू० जयदम्बा
478.	जी० मल्लैया
479.	बी० सी० राव
480.	श्रीमती जी बरम्मा
481.	श्रीमती टी० साविथरम्मा
482.	के० पुलैया
483.	श्री के० सूर्यनारायण
484.	जे० रामुल्लु
485.	के० मल्लाहिया
486.	टी० कांकईयाह
487.	आर० सी० वी० रेड्डी

1	2
488.	ए० अंगईयाह
489.	एम० पिच्छाईयाह
490.	बी० थीरोपथाईयाह
491.	श्रीमती सुशीला बाई
492.	सरदार कडक सिंह
493.	डी० हनुमन्थो
494.	मेरिगा पुल्लईयाह
495.	जे० एम० लक्ष्मनराव
496.	बी० वीरईयाह
497.	बी० अप्पोहा
498.	बी० वेंकटारामालु
599.	श्रीमती श्यामालाम्मा
500.	डी० हनुमन्थ रेड्डी
501.	गानाजी थीरूपटटईयाह
502.	कोनीपोआओ कोईगा
503.	श्रीमती सोमू
504.	श्रीमती गाडे कनाकम्मा
505.	यालावारीहि सेथारामा स्वामी
506.	लिंगाला जन्थाईयाह
507.	टुडुम छीना रामाईयाह
508.	टुडुम पुल्लीगा
509.	टुडुम पेडा रामुलु
510.	श्रीमती मन्दाडी
511.	श्रीमती सान्लेपु राज्यलक्ष्मी
512.	काड़ीगल्लु सैल
513.	श्रीमती के० राजम्मा
514.	श्रीमती वीराम्मानी
515.	सी० रामुलु
516.	श्रीमती जी० सुशीला
517.	जे० बी० मुथ्याल राव

1	2
518.	मकंला नारायण रेड्डी
519.	श्रीमती सापती पुल्लम्मा
520.	के० नरसिंगराव
521.	एम० जमलापुरी मल्लाजी
522.	श्रीमती भावामेना लिंगम्मा
523.	श्रीमती पापक्का
524.	श्रीमती मिन्कूरी रूकम्मा
525.	श्रीमती रामकूका एय्यापू
526.	श्रीमती कोना कनका दुर्गा देवी
527.	श्रीमती बोईनी गटम्मा
528.	श्रीमती नागिडी वेंकटा लछम्मा
529.	चरला, पी० येल्ला रेड्डी
530.	मुब्बईयाह
531.	श्रीमती के० थारम्मा
532.	श्रीमती वी० सुशीला
533.	श्रीमती छन्दवाओ कमलाम्मा
534.	श्रीमती मन्थुला मुल्लम्मा
535.	श्रीमती एम० एमुनाबाई
536.	गज्जला रोसीगा
537.	कटला राजाराम
538.	श्रीमती काक्कीरेडडी लक्ष्मी देवराम्मा
539.	एस० राजमल्ला रेड्डी
540.	शिवा प्रसाद मौर्या
541.	एलीगेटी सुन्दरईयाह
542.	श्रीमती चिन्ताला किस्तव्वा
543.	एस० एस० चौदरी

केरल

544.	श्रीमती वी० करिश्यानिअम्मा
545.	श्रीमती पाल्लाट्टुथोडिल इथीरूम्मा
546.	श्रीमती वायान्कप्पा पथुम्मा
547.	श्रीमती अन्नाप्पा थीयाथायाक्टी

1	2
548.	श्रीमती मडीला बीटल्काडीसुम्मा
549.	श्रीमती कोडापल्ली पटकम्मा
	तमिलनाडु
550.	जी० नागईयाह
551.	टी० वी० नामदेव
552.	के० काईअम्मल
553.	श्रीमती अमरावथी

पेइंग गैस्ट के लंबित मामले

5374. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि कोई भी पेइंग गैस्ट उस व्यक्ति के फ्लैट में, जिसके पास वह पेइंग गैस्ट के रूप में रह रहा है, उप-किरायेदार अथवा किरायेदार होने का दावा नहीं कर सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का न्यायालयों में कार्यभार कम करने के लिए इस पेइंग गैस्ट के सभी लम्बित मामले निपटाने के आदेश जारी करने का विचार है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में ऐसा कोई निर्णय किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवहन और संचार प्रणाली के विकास के लिये आवंटित धनराशि

5375. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान परिवहन और संचार प्रणाली के विकास के लिये प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को प्रति वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में परिवहन तथा संचार के विकास के लिए मूल रूप से योजना परिव्यय

(लाख रु०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86 परिव्यय	1986-87 परिव्यय	1987-88 परिव्यय
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	6118	6928	8234
अरुणाचल प्रदेश	2373	2907	3772
असम	2841	3620	4073

1	2	3	4
बिहार	7305	9150	11405
गोआ	1210	1120	1225
गुजरात	4728	6400	7616
हरियाणा	2827	2689	2936
हिमाचल प्रदेश	3035	3097	3790
जम्मू व कश्मीर	3284	3236	3709
कर्नाटक	4567	4698	5101
केरल	4044	4530	5200
मध्य प्रदेश	5800	5636	6694
महाराष्ट्र	12549	14075	15124
मणिपुर	1030	1215	1487
मेघालय	1250	1310	1752
मिजोरम	1037	1180	1300
नागालैंड	1270	1560	1750
उड़ीसा	3869	3995	4759
पंजाब	2520	2596	2961
राजस्थान	2000	2029	2315
सिक्किम	756	989	1141
तमिलनाडु	4823	5775	7354
त्रिपुरा	995	1159	1181
उत्तर प्रदेश	17369	19740	22494
पश्चिम बंगाल	3870	4900	6820
जोड़—राज्य	101470	114534	133193
संघ राज्य क्षेत्र			
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1431·94	5270·00	2096·00
चंडीगढ़	312·00	225·00	231·00
दादरा व नगर हवेली	148·50	157·00	176·58
दिल्ली	5000·00	7140·00	8172·00
दमन और दीप	*	*	*
लक्षद्वीप	152·00	169·00	343·40
पांडिचेरी	396·10	675·85	771·00
जोड़ (सं० रा० क्षे०)	7440·54	13636·85	11789·98
जोड़ (राज्य और सं० रा० क्षेत्र)	108910·54	128170·85	144982·98

*गोआ के अन्तर्गत शामिल है।

इलैक्ट्रोनिकी संबंधी नीति के लिये नौ-सूत्री लक्ष्य

5376. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलैक्ट्रोनिकी संबंधी नीति के लिए नौ-सूत्री लक्ष्य का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस नई नीति के बारे में ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायण) : (क) इस समय इलैक्ट्रोनिकी आयोग में राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिकी नीति 1988 पर चर्चा की जा रही है।

(ख) इस समय यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अगली जनगणना में अनधिसूचित खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश समुदायों को शामिल करना

5377. **श्री कमल नाथ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनधिसूचित, खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश समुदायों जैसे उपेक्षित समूहों को अगली जनगणना में शामिल करने पर विचार करेगी ताकि इन समूहों की वास्तविक विकास योजनाओं के लिये धन दिया जाये; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्ष 1981 की जनगणना की पूर्व संध्या पर केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति न कि अन्य जातियों तथा जनजातियों के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिए एक नीति निर्णय लिया गया था। अत: विमुक्त खाना-बदोश तथा अर्ध-खाना-बदोश समुदायों, जो कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है, के बारे में जनगणना में आंकड़े एकत्र करना संभव नहीं था ऐसी परिस्थितियों में उपेक्षित समूहों, जैसे विमुक्त, खानाबदोस तथा अर्ध-खानाबदोश समुदायों को अगली 1991 में होने वाली जनगणना में फिलहाल शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत-बंगलादेश सीमा पर कांटेदार बाड़ लगाना

5378. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-बंगला देश सीमा पर कांटेदार बाड़ लगाने के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा होगा तथा इस पर कितना व्यय होगा;

(ग) क्या बहुत से बंगलादेश के नागरिक सीमा पार करके भारतीय क्षेत्र में बस गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन लोगों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उन्हें स्वदेश वापस भेजने के लिए तथा कांटेदार बाड़ का कार्य पूरा होने तक इन लोगों की घुसपैठ पर निगरानी रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) असम और मेघालय की क्रमश: 153 किलोमीटर और 83 किलोमीटर लम्बी कांटेदार तार की बाड़ लगाने के कार्य का सर्वेक्षण फरवरी, 1988 तक पूरा किया जा चुका हैं। बाड़ लगाने का काम क्षेत्रवार सड़क निर्माण के बाद हाथ में लिया जाएगा और काम के शुरू होने से लगभग 3 वर्षों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। मेघालय और असम में बाड़ लगाने की लागत लगभग 48 करोड़ रुपये होगी।

(ग) से (ङ) घुसपैठ को रोकने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बावजूद सीमा पार से कुछ बंगलादेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ और भीतरी राज्यों में प्रवास करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। राज्य सरकारों और सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को ऐसे स्थायी अनुदेश दिए गए हैं कि घुसपैठियों का जैसे ही सीमा पर पता लगता है कि उनको खदेड़ वापिस भेज दिया जाए। घुसपैठ को कारगर ढंग से रोकने के लिए सीमा पर सतर्कता को और सुदृढ़ किया जा रहा है। भूमि और नदीय सीमा दोनों पर सीमा गश्त कड़ी कर दी गई है। निगरानी को सीमा सुरक्षा बल को बढ़ाकर, अतिरिक्त सीमा बाह्य चौकियों को स्थापित करके, और निगरानी चौकी बुर्जों का निर्माण करके, सीमा गश्त के माध्यम से गतिशीलता को बढ़ाकर और उन्हें अति आधुनिक घुसपैठ निषेध उपकरणों से लैस करके, सशक्त करने के लिए 1986-87 से शुरू हुए पंचवर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है।

आइसोटोप्स का उत्पादन

5379. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने आइसोटोप्स कार्यक्रम के लिए एक बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो अस्पतालों और औद्योगिक क्षेत्रों में आइसोटोप्स के उत्पादन का क्या उपयोग किया जाएगा; और

(ग) क्या उनको हैण्डल करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग से बाहर अपेक्षित कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है अथवा दिया जा रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में तैयार किए गए रेडियो आइसोटोपों का उपयोग चिकित्सा और उद्योगों में पहले से ही व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। अस्पतालों में आइसोटोपों का उपयोग न्यूक्लियर औषधों की सहायता से विभिन्न बीमारियों का निदान करने तथा कैंसर की चिकित्सा विकिरण की सहायता से करने के लिए किया जाता है। उद्योगों में रेडियो आइसोटोपों का उपयोग ढलाई करके बनी सामग्री, वैल्ड किए गए पाइपों और औद्योगिक संघटकों की अविनाशी जांच के लिए किया जाता है। विकिरण प्रौद्योगिकी का उपयोग डाक्टरी कामकाज में आने वाली सामग्री को विसंक्रमित बनाने और औद्योगिक उत्पादन करने की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है।

(ग) अस्पतालों और उद्योगों के कर्मचारियों को रेडियो आइसोटोपों का हस्तन सुरक्षापूर्वक करने का प्रशिक्षण देने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रम निरन्तर चलते रहते हैं।

पोर्टेबल रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिए प्रस्ताव

5380. **श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोर्टेबल रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 36 से० मी० आकार की स्वदेशी रंगीन पिक्चर ट्यूबें (सी पी टी) उपलब्ध होने पर, सुवाह्य रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। स्वदेशी रंगीन फिक्चर ट्यूब के विनिर्माताओं से 36 से० मी० आकार की रंगीन पिक्चर ट्यूबों (सी पी टी) का उत्पादन आरम्भ करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। उत्पादन के वर्ष 1988 के अन्त तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है।

नेशनल फेडरेशन आफ डिफेंस वर्कर्स की मांगें

5381. **श्री संयद शाहबुद्दीन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फेडरेशन आफ डिफेंस वर्कर्स ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उन पर प्रतिक्रिया क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) महासंघ की मांगों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) इन मांगों को सम्बन्धित रक्षा संगठनों/सेवा मुख्यालयों को विचारार्थ भेज दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय रक्षा कर्मचारी महासंघ की मांगों की सूची

1. (क) राष्ट्रीय रक्षा कर्मचारी महासंघ को मान्यता देना।

(ख) सी० ओ० डी०, छियोकी, इलाहाबाद में संयुक्त परामर्शदात्री समिति के चतुर्थ स्तर पर छियोकी डिपो लेबर यूनियन के प्रतिनिधियों की सहभागिता।

2. (क) प्रारूपकारों (ड्राफ्ट्समैनों), पैकरों, स्टोरकीपिंग स्टाफ, एम टी ड्राइवरों के मामले में विवाचक (आर्बीट्रेशन) निर्णयों को कार्यान्वित करना और आवड़ी तथा जबलपुर के केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण द्वारा अन्तरिम सहायता के मामलों में, ई. सी. सी. (विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति) की रिपोर्ट एवं प्रारूपकारों ट्रेसरों के मामले में दिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करना।

(ख) 6-4-19b3 को उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझावात्मक निर्देशों के अनुसार सीमा सड़क संगठन के 50,000 सिविलियन कर्मचारियों को सीमा सड़क संगठन में कार्यरत रक्षा कार्मिकों के समान सुविधाएं प्रदान करना या उन्हें एसोसिएशन के अधिकार देना।

3. (क) ए० ओ० सी० में नियुक्त मजदूरों को दिहाड़ी दरों पर अदायगी करने की बजाय उनका वेतन मासिक दरों पर निर्धारित करना।

(ख) रक्षा स्थापनाओं में नियुक्त अकुशल मजदूरों की समयबद्ध पदोन्नति।

4. आयुध निर्माणियों के ग्रेड-1 कुशल कर्मकारों को पर्यवेक्षक-"ख", ग्रेड "ख" (तकनीकी) समान वेतन देना।

5. चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार आयुध निर्माणी में दिहाड़ी मजदूरों के वेतन की दरों में संशोधन करना।

6. विभिन्न श्रेणियों में रक्षा कर्मचारी के विभिन्न वेतनमानों में असंगतियों को दूर करने के लिए एक समिति की नियुक्ति।

7. रक्षा मन्त्रालय और श्रम मन्त्रालय के आदर्श (माडल) स्थायी आदेशों के अनुसार रक्षा स्थापनाओं तथा मिलिटरी इंजीनियरी सेवा में दिहाड़ी मजदूरों और साथ ही सीमा सड़क संगठन में कार्यरत लगभग एक लाख दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करना।

8. अधीनस्थ इंजीनियरों, प्रारूपकारों, स्टोर कीपरों अपहोलस्टरों आदि के मामले में मिलिटरी इंजीनियरी सेवा में काडर समीक्षा करना।

9. निजी एजेंसियों/ठेकेदारों को काम देना बन्द करना और फलत: आयुध निर्माणियों में मजदूरों की कमाई में होने वाली हानि को दूर करना।

10. रक्षा कर्मचारियों के लड़कों/लड़कियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रक्षा स्थापनाओं में रोजगार पर लगी रोक को हटाना।

11. रक्षा कर्मचारियों को रेलवे विभाग के कर्मचारियों के समान बोनस देना और 2500 रु० की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 4000 रु० करना।

12. (क) रक्षा/सीमा सड़क संगठन की स्थापनाओं में ट्रेड यूनियनों/एशोशिएशनों के कार्यकर्ताओं पर बदले की भावना से कारंवाई बन्द करना।

(ख) 1979 के दौरान एसोशिएशन सम्बन्धी कार्यों के लिए सड़क सीमा संगठन के निकाले गए 55 सिविलियम कर्मचारियों को फिर से बहाल करना।

13. निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में अनावश्यक तौर पर कर्मचारियों को फालतू घोषित करने की प्रक्रिया को बन्द करना।

14. मिलिटरी इंजीनियरी सेवा के अतिकुशल ग्रेड I, II औद्योगिक ट्रेड्समैनों के मामले में अनुपात 35% से बढ़ाकर 100% करना।

15. आयुध निर्माणियों और ई० एम० ई० में कार्यरत टेंट मरम्मतकारों और दर्जियों के बढ़े हुए वेतनमान, थलसेना आयुध निर्माणी कोरों के अन्तर्गत आयुध डिपुओं में उनके समकक्षों और शेष कामगारों पर भी लागू करना।

16. आयकर के लिए मकान किराया भत्ता को शामिल नहीं किया जाए या सभी कर्मचारियों को मकान दिया जाए।

17. जब भी रिक्तियां हों पहले दैनिक कर्मचारियों को नियमित किया जाए।

अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम

5382. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के बारे में कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं और सांप्रदायिक दंगों में पीड़ित व्यक्तियों को अनुग्रह अनुदान राहत और मुआवजा देने के सम्बन्ध में कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो मार्ग निर्देशों और मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने इन मार्गनिर्देशों तथा मानदंडों को अपनाया है और यदि नहीं, तो (एक) किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उनमें परिवर्तन किए हैं और उन परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और (दो) किन-किन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने मार्गनिर्देश स्वीकार नहीं किए हैं और पृथक मानदंड निर्धारित करने की जरूरत बताई हैं;

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन मार्गनिर्देशों और मानदंडों का पालन करने हेतु राजी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वास्तव से अनुग्रह अनुदान आदि उपलब्ध कराकर इन मानदंडों को कार्यान्वित किया है और उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जो ऐसा करने में विफल रहे हैं?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब और तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्य सुझाव दिए गए दिशा निर्देशों तथा मानदंडों को अपनाने के लिए सहमत हो गए हैं। मेघालय सरकार किसी दिशानिर्देश को अपनाने की आवश्यकता नहीं समझती क्योंकि इस राज्य में ऐसी कोई समस्या नहीं है। आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब तथा तमिलनाडु ने कुछ अलग-अलग मानदंड निर्धारित किए हैं जो कि संलग्न विवरण 2 में दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार निश्चित मानदंड/दिशानिर्देश

अपनाने के बजाए प्रत्येक घटना के पश्चात् विभिन्न सम्बन्धित कारणों को ध्यान में रखते हुए, सहायता की योजनाएं बनाने पर विचार करेगी।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दिसम्बर, 1987 को समाप्त तिमाही के दौरान किसी राज्य ने साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को अनुग्रह-अनुदान देने की सूचना नहीं दी है।

विवरण-1

साम्प्रदायिक दंगों में पीड़ित व्यक्तियों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान की अदायगी और पुनर्वास सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत।

1.	मृत्यु (परिवार का आय अर्जित सदस्य या गैर आय अर्जित सदस्य)	20,000 रु०
2.	स्थायी असमर्थता (परिवार का आय अर्जित सदस्य या गैर-आय अर्जित सदस्य)	5,000 रु०
3.	अस्थायी असमर्थता	1,000 रु०
4.	गम्भीर चोट जिससे असमर्थता न हुई हो	5,00 रु०
5.	सचल सम्पत्ति की हानि	2,000 रु०
6.	मकान की हानि	5,000 रु० 15,000 रु०
7.	वाहन, नाव या बैलगाड़ी जैसी आय की परिसम्पत्ति की हानि	2,000 रु०

विवरण-2

	आन्ध्र प्रदेश	उड़ीसा	पंजाब	तमिलनाडु
1. मृत्यु	10,000 रु०	20,000 रु०	20,000 रु०	2,000 रु० (आय अर्जित सदस्य के लिए और 1000 रु० गैर आय अर्जित सदस्य के लिए)
2. स्थायी असमर्थता	10,000 रु०	10,000 रु०	5,000 रु० तक	500 रु० तक (आय अर्जित सदस्य के लिए और 250 रु० गैर आय अर्जित सदस्य के लिए)

3. अस्थायी असमर्थता	2,000 रु०	साम्प्रदायिक दंगों की प्रबलता और आयाम के पता लगाने के बाद प्रत्येक मामले की वास्तविक घटना में मात्रा के बारे में निर्णय लिया जाएगा	—तदैव—	— —
4. गम्भीर चोट जिससे असमर्थता न हुई हो	1,000 रु०	—वही—	2,000 रु०	— —
5. सचल सम्पत्ति की हानि	—	—वही—	50,000 रु० तक	250 रु० तक
6. मकान की हानि	15,000 रु० तक	—वही—	50,000 रु० तक (दुकान के लिए और 10000 रु०) (मकान के लिए)	500 रु० तक
7. आय परि. सम्पत्ति की हानि	2000 रु०	—वही—	10,000 रु०	—

भारत और हंगरी के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता

5383. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और हंगरी के बीच मार्च, 1988 के प्रारंभ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के बारे में कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां ।

(ख) भारत और हंगरी के बीच वर्ष 1988-90 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए निम्नलिखित क्षेत्र अभिनिर्धारित किये गये हैं :—

1. इलैक्ट्रोनिक घटक
2. लेजर प्रकाश विज्ञान का औद्योगिकी अनुप्रयोग
3. जैव-प्रौद्योगिकी, विण्वन प्रौद्योगिकी
4. सिरेमिक घटक
5. खनन

6. एलुमीनियम औद्योगिक अनुसंधान

7. तंत्रिका विज्ञान

8. उत्प्रेरण

9. मशीनों के औजार

10. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

11. ध्वनि विज्ञान

12. परिवहन

13. सूचना

सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत, एक दूसरे के देश के दौरे किये जायेंगे और दोनों देशों के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जायेगा ।

आदिवासी लोगों का उत्थान

5384. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सिमिलिपाल क्षेत्र में आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए कुछ परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की सहभागिता कितनी-कितनी है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

5385. **श्रीसुरेश कुरुप** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिन्द फौज के कुछ सैनिकों को स्वतंत्रता सैनानी पेंशन इस आधार पर नामंजूर कर दी गई है कि वे कारावास में नहीं रहे थे :

(ख) क्या पेंशन देने के संबंध में रानी झांसी रेजीमेंट के भूतपूर्व सदस्यों के मामले में कारावास संबंधी शर्त से छूट दी गई थी : और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आजाद हिन्द फौज के उन सैनिकों के पेंशन के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी' जिन्हें कारावास नहीं दिया गया था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) स्वतंत्रता सैनानी पेंशन योजना के अधीन वे व्यक्ति जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सबध में न्यूनतम छः महीने की अवधि के लिये कारावास (जेल/नजरबंदी/भूमिगत होने/कैद होने/निष्कासन) की यातना सहन की थी, केन्द्रीय पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं । महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में कारावास की

न्यूनतम अवधि को कम करके 1-8-1980 से तीन महीने कर दिया गया है। जिन व्यक्तियों ने न्यूनतम निर्धारित अवधि की यातना नहीं भोगी है वे केन्द्रीय पेंशन के पात्र नहीं है।

(ख) रानी झांसी रेजीमेंट की महिला स्वतंत्रता सैनानियों जिन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में शस्त्र उठाए और अपने कामरे डईन-अर्मस के साथ लड़ाई लड़ी थी, द्वारा भोगी गयी भारी कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय किया गया कि विभिन्न स्वतंत्रता सैनानियों के लिए निर्धारित तीन महीने की न्यूनतम यातना में रियायत देते हुए उनके 161 जीवित सदस्यों की निम्नलिखित शर्तों के साथ पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र समझा जाय :—

(i) प्रत्येक मामले में, डा० (श्रीमती) लक्ष्मी सहगल जो रेजीमेंट की प्रभारी थी, द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र।

(ii) रानी झांसी रेजीमेंट के सदस्य से जो न्यूतन 3 माह के कारावास की सजा भोगने के कारण पहले ही स्वतंत्रता सैनानी पेंशन प्राप्त कर रही हो, उससे दावे की वास्तविकता के संबंध में एक प्रमाण-पत्र।

(ग) रानी झांसी रेजीमेंट के भूतपूर्व सदस्यों का मामला विशेष प्रकृति का है। सरकार इस बात को आवश्यक नहीं समझती है कि उनके मामले में अपनाई गई विशेष प्रक्रिया को भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों के अन्य मामलों में भी अपनाया जाय जिनपर सामान्य मानदंड लागू हैं।

दिल्ली नगर निगम में वित्तीय संकट

5386. **श्री राम समुझावन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम की वित्तीय स्थिति इतनी खराब/गंभीर हो गयी है, कि 2-3 महीनों के बाद इसके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पायेगा जैसा कि 12 मार्च, 1988 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है :

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की स्थिति के क्या कारण है :

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान कितना कर एकत्रित हुआ है और गत तीन वर्षों के दौरान एकत्रित कर की तुलना में इसकी क्या स्थिति है; और

(घ) क्षेत्र-वार कितना गृह-कर बकाया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आर० ई० 87-88 सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान एकत्र किए गए राजस्व की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) क्षेत्रवार बकाया राशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिर भी, 1-4-87 को सम्पत्ति कर की कुल बकाया राशि 27.59 करोड़ रुपये थी।

विवरण

	वास्तविक आंकड़े 1984-85	वास्तविक आंकड़े 1985-86	वास्तविक आंकड़े 1986-87	आर० ई० 1987-88
				(लाखों रुपयों में)
1. सरकार से अनुदान	1817·18	1717·38	2103·35	2200·00
2. सरकार से निर्धारित करों का हिस्सा	4083·02	3772·42	4205·56	4160·23
3. नगर कर और उपकर	5138·85	6285·78	10827·47	11602·01
4. किराये, शुल्क और जुर्माने	429·63	489·98	559·19	1412·82
5. अन्य	2393·54	1848·15	1255·14	2866·14
जोड़	13862·22	14113·71	18950·57	22241·20

पंजाब और हरियाणा में केन्द्रीय पूंजी निवेश

5387. श्री कमल चौधरी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब और हरियाणा में केन्द्रीय पूंजी निवेश की राज्यवार और वर्ष-वार कितनी सहभागिता रही ;

(ख) क्या इन राज्यों में सहभागिता में कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ग) योजना आयोग में राज्यवार केन्द्रीय निवेश के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि केन्द्र द्वारा योजनागत निवेश में अवसंरचनात्मक और समाज कल्याण सेवाओं, दोनों का काफी बड़ा क्षेत्र शामिल है। हालांकि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के लिए केन्द्रीय योजना के राज्यवार व्यय का आकलन निकाला है। क्योंकि केन्द्रीय योजनागत निवेश न तो नियोजित है और न ही इसका लेखा राज्यवार रखा जाता है, इस प्रकार के ब्यौरे जुटाने के लिये कुछ पूर्वानुमान लगाये गए हैं। अत: इस कार्य के लिये किये गये विभिन्न पूर्वानुमानों और स्रोतों की बहुलता को देखते हुए आंकड़ों का संकलन इस प्रकार किया गया है कि वे स्थिति का केवल विमीय मूल्यांकन अच्छे रूप में देते हैं। इन राज्यवार आंकड़ों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान राज्यों में केन्द्रीय निवेश के सन्दर्भ में

योजना आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से पहले ही केन्द्रीय योजनागत व्यय के राज्यवार आंकड़े देने का अनुरोध किया है। योजना आयोग द्वारा अब तक प्राप्त सूचना का संविक्षण और समेकन किया जा रहा है। हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लिखित अनुबंध में दर्शाया गया है, केन्द्रीय योजनागत व्यय के राज्यवार आवंटन में कतिपय समस्याओं के कारण, मामले को विचार-विमर्शों के जरिए हल किया जा रहा है और हल जो कतिपय पूर्वानुमानों पर आधारित हैं, को विकसित किया जा रहा है।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान केन्द्रीय योजना व्यय का राज्यवार वितरण

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		राशि	प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	5404·57	9·37
2.	असम	2190·07	3·80
3.	बिहार	4162·40	7·22
4.	गुजरात	3130·33	5·43
5.	हरियाणा	618·63	1·07
6.	हिमाचल प्रदेश	368·46	0·64
7.	जम्मू व कश्मीर	501·58	0·87
8.	कर्नाटक	1999·47	3·47
9.	केरल	1346·22	2·33
10.	मध्यप्रदेश	4710 56	8·17
11.	महाराष्ट्र	4901·16	8·50
12.	मणिपुर	125·20	0·22
13.	मेघालय	71·01	0·12
14.	नागालैंड	87·92	0·15
15.	उड़ीसा	2855·08	4·95
16.	पंजाब	656·67	1·14
17.	राजस्थान	1675·35	2·91
18.	सिक्किम	34·47	0·06
19.	तमिलनाडु	3167·09	5·49
20.	त्रिपुरा	135·93	0·23
21.	उत्तर प्रदेश	4302·20	7·46
22.	पश्चिम बंगाल	3480·04	6·04
23.	योग—राज्य	45924·41	79·64

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि	प्रतिशत
1.	अण्डमान और निकोबार	30·21	0·05
2.	अरुणाचल प्रदेश	50·69	0·09
3.	चंडीगढ़	52·86	0·09
4.	दादरा व नगर हवेली	3·65	0·01
5.	दिल्ली	1170·95	2·03
6.	गोवा, दमन और दीव	162·04	0·28
7.	लक्षद्वीप	4·04	0·01
8.	मिजोरम	30·13	0·05
9.	पांडिचेरी	30·63	0·05
	जोड़ : संघ राज्य क्षेत्र	**1535·20**	**2·66**
	अनावंटित	10204·26	17·70
	जोड़ —राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**57663·87**	**100·00**

टिप्पणि :

1. अनावंटित राशि (10204 करोड़ रु०) में पेट्रोलियम क्षेत्रक में 5500 करोड़ रु० के अपतटीय और अन्य निवेश शामिल है।
2. छठी योजना के दौरान कुल केन्द्रीय योजना व्यय 57800 करोड़ रु० का था। विवरण में उपलब्ध ब्यौरा (अनावंटित भाग सहित) 57664 करोड़ रु० के बारे में है।
3. आंकड़े अनेक स्रोतों से अल्पावधि में संकलित करने पड़े हैं। अधिक सुनिश्चित तथा विस्तृत योजनावार संकलन का काम मन्त्रालयों से परामर्श करके हाथ में लिया गया है, जिसमें काफी समय लगेगा।
4. चूंकि केन्द्रीय योजना निवेश का राज्यवार आयोजन का हिसाब नहीं रखा जाता, इसलिए, इन ब्यौरों को तैयार करने के लिए कुछ संकल्पनाएं की गई हैं। हालांकि इस प्रकार के प्रयत्न के आधार के लिए ये यथासंभव सर्वोत्तम संकल्पनाएं प्रतीत होती हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता निश्चय ही सीमित प्रकार की है। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :

   (क) नई लाइनों, गेज परिवर्तन तथा विद्युतीकरण पर रेलवे का निवेश का राज्यवार ब्यौरा, प्रत्येक राज्य में पूरी की गई सकुल लम्बाई पर आधारित है।

   (ख) रेलवे की योजना का शेष 80 प्रतिशत भाग प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले रूट कि० मी० के आधार पर विभिन्न राज्यों को आवंटित किया गया है।

(ग) प्रत्येक राज्य में, लैंडिंग (हवाई पत्तनों) की संख्या के आधार पर वायुयानों (नागर उड्डयन योजना) के क्रय पर होने वाले व्यय का आवंटन किया गया है।

(घ) चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों द्वारा संभाले जाने वाल यातायात के आधार पर, इन हवाई अड्डों को वायुयानों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में एयर इंडिया का व्यय आवंटित कर दिया गया है।

(ङ) नौवहन के सम्बन्ध में, प्रत्येक समुद्रवर्ती राज्य में प्रमुख पत्तनों द्वारा अर्जित यातायात आय के आधार पर राज्यवार आवंटन किया गया है।

5. चूंकि परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश अधिकांशत: उन क्षेत्रों में किया गया है, जहां आवश्यक आर्थिक संघटक इष्टतम मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए ऐसे मामलों में क्षेत्रीय संतुलन का उद्देश्य ही केवल सीमित प्रासंगिकता है।

6. आवास तथा शहरी विकास में केवल छ: स्कीमों के लिए ही प्रावधान है। हुडको के लिए 50 करोड़ रु० का कुल योजना परिव्यय था। वास्तविक रूप से रिलीज की गई धन-राशि 675·87 करोड़ रु० थी। ऐसा हुडको द्वारा बाजार ऋण लिए जाने के कारण हुआ। इसके अलावा, लेखन-सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति

5388. **श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की प्रवृत्ति प्रचालन में आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह, इस बारे में सरकार की घोषित नीति के अनुरूप हैं; यदि नहीं, तो इस प्रवृत्ति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने हाल ही में कई इन्टरव्यू बोर्डों का आयोजन किया था और इन पदों के लिए, समायोजन सम्बन्धी नियमों में ढील देकर कुछ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन किया था;

(घ) क्या कुछ मामलों में ये साक्षात्कार बिना विज्ञापन के किये गये थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है और चयन की इस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले छह महीनों के दौरान सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा ऐसा केवल एक ही साक्षात्कार आयोजित किया गया था जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सिफारिश की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

मेघालय में मतदान केन्द्र स्थापित करने की अनुमति न देना

5389. **श्री पी० एम० सईद** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग को हाल ही में मेघालय चुनावों से पहले असम राज्य सरकार से मतदान केन्द्र स्थापित करने की अनुमति देने से इन्कार करने के बारे में एक सन्देश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) असम सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ दावा किया था कि मेघायल सरकार द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित 11—जिरांग (अ. जन.) निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले पिल्लांगकटाग्राम में दो मतदान केन्द्र और 34-नोंगस्टोइन (अ. जन.) निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले तीन ग्रामों, अर्थात कम्फाडुली हकुमारी-और लुम्फी (लेंगपीड) में पांच मतदान केन्द्र असम राज्य के क्षेत्रों में स्थापित दिये गये थे।

(ग) और (घ) विवादास्पद क्षेत्रों में मतदान बूथों के स्थापित किए जाने के मामले में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए यह तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि (i) इस सुविधा के अभाव में, उक्त क्षेत्रों में मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे, और (ii) पूर्ववर्ती निर्वाचनों में किस प्रथा का अनुसरण किया गया था। असम और मेघालय राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे पारस्परिक विचार-विमर्श करके लम्बित सीमा विवादों को सुलझाएं।

दोनों राज्य सरकारों के बीच ऐसे विचार-विमर्श और समायोजन के परिणामस्वरूप II-जीरांग (अ० जन०) निर्वाचन क्षेत्र में के दो मतदान केन्द्रों के बारे में और 54-नोंगस्टोइन (अ० जन.) निर्वाचन क्षेत्र के पांच मतदान केन्द्रों में से दो मतदान केन्द्रों के बारे में भी मामला सुलझा दिया गया था 34-नोंगस्टोइन निर्वाचन क्षेत्र में शेष तीन मतदान केन्द्रों के बारे में विवाद अभी भी तय नहीं हुआ है।

राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना

5390. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि राज्यों को द्वितीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने राज्य इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(ग) कितने राज्य पहले ही द्वितीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कर चुके है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी चौथी वार्षिक रिपोर्ट में सिफारिश की थी। कि अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की विशिष्ठ शिकायतों की जांच करने के लिए प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक आयोग अथवा पैनल का गठन किया जाए। द्वितीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करने के लिए कोई सुझाव अथवा सिफारिश नहीं की गई थी।

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग/बोर्ड हैं।

दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत सुरक्षा बल

5391. डा० कृपासिंधु भोई :

श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या गृह मंत्री यह बतानें को कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में दार्जिलिंग के क्षेत्रों में गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा द्वारा हिंसा की कार्यवाही किये जाने से सुरक्षा बलों के कितने सैनिक मारे गये हैं; और

(ख) दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दार्जिलिंग क्षेत्र में सितम्बर, 1987 से 17 मार्च, 1988 तक सुरक्षा बलों के 8 कार्मिक मारे गये। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि इस क्षेत्र में हिंसा को रोकने के कड़े प्रशासनिक उपाय किये गये हैं।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर द्वारा सातवीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन '

5392. श्री के० राममूर्ति : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र नई दिल्ली के आर्थिक कार्य दल द्वारा सातवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना आयोग द्वारा रक्षा पर खर्च तथा राज सहायता को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जो कि सातवीं योजना के लिए संसाधन बढ़ाने में सहायक होंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर नई दिल्ली के आर्थिक कार्यदल ने एक संगोष्ठी में डा० मेल्कम एस० आदिशेषैया द्वारा प्रस्तुत लेख "मिड यीअर रिव्यू आफ इकोनोमी 0907-00 एंड एसेसमेंट आफ सेवेंथ प्लान" पर विचार-विमर्श किया।

(ख) इस संगोष्ठी में संसाधनों की स्थिति, कृषि तथा उद्योग के बीच के सम्बन्धों, ऊर्जा की स्थिति और समाज कल्याण सम्बन्धी उपायों और बजट के घाटे आदि पर विचार किया गया था।

(ग) रक्षा व्यय और आर्थिक सहायता (सब्सिडी) योजना भिन्न व्यय की मदें हैं। सातवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में इस बात पर बल दिया गया है कि योजना भिन्न व्यय को बढ़ाने से रोकने की आवश्यकता है; इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है कि गैर-राजस्व उपार्जक क्रिया कलापों के लिए उधार लिये गये संसाधनों का इस्तेमाल न करके भावी समस्याओं को कम किया जा सकता है।

दिल्ली में यातायात समस्या

5393. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :**

डा० जी० विजयरामा राव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यातायात की दृष्टि से दिल्ली शहर की स्थिति सबसे खराब है;

(ख) यदि हां तो शहर में भीड़-भाड़ कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(ग) क्या यातायात व्यवस्था करने और इस समस्या के व्यावहारिक हल ढूंढने में नागरिकों को शामिल करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : यह कहना सही नहीं है कि यातायात की दृष्टि से दिल्ली शहर की स्थिति सबसे खराब है।

(ख) यातायात के प्रवाह को सुचारू बनाने के लिये उठाये गये कदम नीचे दिये गये हैं :

(i) सड़कों को चौड़ा करना।

(ii) यातायात संकेतों को लगाना और साइकिल मार्गों और सेवा सड़कों का निर्माण करना।

(iii) पैदल चलने वालों के लिए उपरिपुलों और भूतल पुलों का निर्माण।

(iv) भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में भारी परिवहन वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध।

(v) पुराने शहर में इकतरफा यातायात करना।

(ग) यातायात नियोजन और इसके कार्यान्वयन के लिए सड़क सुरक्षा, यातायात और परिवहन इन्जिनीयरिंग समिति नाम से ज्ञात एक समिति जिसमें पुलिस, नागरिक प्राधिकरणों, रेलवे, टेलीफोन, विद्युत, लोक निर्माण विभाग इत्यादि के प्रतिनिधि शामिल हैं, पहले से ही विद्यमान है।

मद्यनिषेध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग सम्बन्धी केन्द्रीय समिति की बैठक में दिए गए सुझाव

5394. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री जी० एस० बसवराजू : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्यनिषेध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग सम्बन्धी केन्द्रीय समिति के सदस्यों ने देश में शराब तथा नशीले पदार्थों की बढ़ती उपलब्धता तथा खपत पर अत्यधिक चिंता व्यय की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बैठक में भाग ले रहे कई स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने सरकार के विचार के लिए अनेक सुझाव दिए;

(ग) यदि हां, तो दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनमें से सरकार द्वारा कितने सुझाव स्वीकार किये गये हैं और अब तक कार्यान्वित किये गये हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मद्य निषेध और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से सम्बद्ध केन्द्रीय समिति की 3 फरवरी, 1988 को हुई बैठक में की गई सिफारिशें विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों तथा सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को उचित कारंवाई के लिए भेज दी गई है। सरकार, मंत्रालय में एक सैल की स्थापना करने तथा राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान को सुदृढ़ करने पर कारंवाई कर रही है। सरकार ने नशीली दवाओं के व्यसनियों के उपचार और व्यसन की रोकथाम के लिए अन्त: अनुशासनिक दृष्टिकोण अपनाया है।

विवरण

मद्यनिषेध और औषध दुरुपयोग पर केन्द्रीय समिति की 3 फरवरी, 1988 को नई दिल्ली में हुई बैठक में की गई सिफारिशें :—

(1) समस्या के बदलते रूपों तथा प्रवृतियों, निवारक, थेरापयुटिक, एवं पुनर्वासात्मक सेवाओं के नियोजन एवं विकास और इस क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय का निरन्तर मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रभावी प्रक्रिया अपनाई जाए। छात्रों एवं गैर छात्र युवकों में प्रचलित पद्धति पर ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि शुरू से समस्या का निदान हो सके। इसके अतिरिक्त. नशीली दवाओं के सेवन पर औद्योगिकरण, शहरी करण ग्रामीण-बाहरी प्रवृति, व्यापार, परिवहन, संचार इत्यादि के प्रभाव की भी वैज्ञानिक रूप से जाँच की जानी चाहिए।

(2) नशीली दवाओं की रोकथाम तथा नियन्त्रण के उपायों पर नियोजन, समन्वय तथा विकास में सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय में एक सैल स्थापित किया जाये। प्रस्तावित सैल द्वारा मद्यनिषेध कार्य, जन शिक्षा एवं निर्व्यसन सेवाओं में कार्यरत स्वयंसेवी संगठन के कार्यकलापों तथा कार्यक्रमों पर भी प्रबोधन किया जाये। समस्या से संबंधित सरकारी एजेंसियों के बीच ज्ञान व अनुभव के आदान-प्रदान करने हेतु और इस प्रकार इस क्षेत्र में अन्तर अनुशासनिक तथा समेकित दृष्टिकोण के लिये एक प्रभावी साधन के रूप में इसे एक मंच प्रदान किया जाए।

(3) मदिरापान तथा नशीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध निवारक शिक्षा की कार्यप्रणाली को लक्ष्य समूह के सामाजिक-सांस्कृति विशेषताओं के अनुसार तैयार किया जाये। युवकों के लिये संदेश हेतु ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाये जिससे कि कोई अनुचित जिज्ञासा उत्पन्न न हो। ग्रामीण, औद्योगिक और आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यों को जीवन स्तर में सुधार करने के लिए कल्याण प्रयासों को अभिन्न अंग बनाया जाये। मदिरापान तथा नशीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध वातावरण तैयार करने के लिये अध्यापकों तथा सामुदायिक नेताओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जाये। उपयुक्त संदेश प्रसारित करने के लिये लोक प्रचार सहित दूर-संचार के सभी साधनों का प्रयोग किया जाये।

(4) नशीली दवाओं के व्यसनियों की देखभाल, उपचार और पुनर्वास में स्वैच्छिक कल्याण संगठनों का सक्रिय रूप से सहयोग लिया जाये जैसा कि स्वापक औषध मनोविकार पदार्थ अधिनियम, 1988 में व्यवस्था की गई है। संदर्भ सेवाओं, निर्व्यसन, परामर्श एवं मार्गदर्शन और परिवार एवं समुदाय के भीतर मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु उन्हें पर्याप्त वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जाये। इस क्षेत्र में प्रशिक्षण के एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश में स्वयंसेवी कार्यकर्त्ताओं का एक संवर्ग तैयार किया जाये।

(5) भारत के संविधान के प्रासंगिक उपबंधों की भावना के अनुसार नशीले पेय और नसीली दवाओं के प्रयोग पर निषेध, चिकित्सा प्रयोजन के अलावा, का देश में जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की नीति के एक अनिवार्य पहलू के रूप में अनुसरण किया जाए। फिर भी, बदलती सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों को देखते हुए सामाजिक जागरूकता तथा चेतना निर्माण और सामाजिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी एजेंसियों एवं समुदाय-आधारित कल्याण एजेंसियों को पूरी तरह से शामिल करते हुए नशीली दवाओं के सेवन की लत से लोगों को छुड़ाने के लिए अधिक महत्व दिया जाये।

(6) भारतीय समाज के परम्परागत स्वरूप तथा परिवार की जन्मजात अन्त: शक्ति को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक और सामाजिक संस्थाओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए ताकि उन स्थितियों की भविष्यवाणी की जा सके जिससे व्यक्ति विशेष नशीली दवाओं के सेवन का आदि बनता है। इस सम्बन्ध में परिवार कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, ग्रामीण विकास, जन संचार और समाज कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत स्वयंसेवी को कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता प्रदान की जाए।

(7) औषध दुरूपयोग से संबद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में कार्यक्रम पर विचार और प्रसार किया जाए तथा समाज कल्याण के

संपूर्ण कार्य में उनका समावेश किया जाए। कल्याण मंत्रालय में नशीली दवाओं के व्यसन की रोक-थाम और उपचार के लिए अन्तर प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चूंकि नशीली दवाओं की मांग और सप्लाई एक दूसरे पर निर्भर है इसलिए नशीली दवाओं के दुरूपयोग के विरुद्ध कानून लागू करने, नशीली दवाओं के व्यसनियों की देखभाल, उपचार और पुनर्वास तथा चेतना निर्माण एवं सार्वजनिक शिक्षा की गतिविधियों का समन्वय कल्याण मन्त्रालय के अन्तर्गत किया जाए। इस प्रयोजन के लिए देश के भीतर मानव और भौतिक संसाधनों को काम में लगाने के अतिरिक्त नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र फंड को भी जहां तक उचित समझा जाए, लाभ उठाया जाए।

(8) कल्याण मन्त्रालय, विभिन्न जनसंख्या समूहों में, उनके विशिष्ट, सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक मान्यताओं के ध्यान में रखते हुए नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सूचना एवं शैक्षिक सामग्री की योजना, उत्पादन एवं प्रसार के लिए अवसंरचना का विकास करें। स्वयं सेवी एजेंसियों, अनुसंधान संस्थाओं तथा शैक्षिक संगठनों के निकट सहयोग से राज्य स्तर पर इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएं। इन कार्यक्रमों के आयोजन में औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाए। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए ब्यूरो की स्थापना शीघ्र की जाए।

(9) नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरूद्ध चेतना निर्माण एवं शिक्षा के लिए एक अन्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जाए जिसका संबंध सामान्य जनसंख्या के विभिन्न स्तरों और खण्डों से हो। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरूद्ध सावधानी पूर्वक संदेश तैयार किये जाएं ताकि वास्तविक स्थिति का कोई बढ़ा-चढ़ाकर प्रदर्शन न हो और न ही किसी प्रकार की अनुचित जिज्ञासा उत्पन्न हो। निवारक शिक्षा के लिए संचार माध्यम की भाषा, विषय-सूची और विकल्प, लक्ष्य समूहों के विभिन्न प्रकार के जीवन को ध्यान रखते हुए सावधानी पूर्वक चुना जाए। एक ही संदेश के साथ एक ही चिह्न रखा जाए जिसका प्रभाव सदा बना रहेगा।

(10) संबंधित सूचना देने के लिए यह ध्यान रखते हुए उपयुक्त साहित्य तैयार किया जाए कि श्रोता और उसका परिवार भी व्यसनी न हो क्योंकि इस स्थिति में पीड़ित तथा प्रभावित दोनों को यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति व्यसन का शिकार हो रहा है।

(11) विवाह जैसे अवसरों पर शराब देने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि इस आदत से युवा पीढ़ी की सामाजिक मान्यताएं गलत हो जाती हैं।

(12) किसी भी शैक्षिक संस्थाओं तथा पूजा स्थल से एक किलोमीटर के घेरे के भीतर शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

(13) यदि गांव या शहर के 75% लोग अपने अड़ोस-पड़ोस में शराब की दुकान नहीं चाहते हैं तो ऐसी दुकान खोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए तथा यदि किसी ने दुकान खोल दी है तो उसे बन्द कर देनी चाहिए।

(14) स्वापक औषध और मनोविकारी पदार्थ अधिनियम, 1985 इस तरीके से संशोधित किया जाए कि नशीली दवाओं का अनैतिक व्यापार करने वाले किसी भी व्यक्ति की जमानत की स्वीकृति को पूरी तरह से समाप्त किया जाए और इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे मामलों की जांच करने के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की जाए।

(15) नशीले पदार्थ के कानून की प्रवर्तन एजेंसियों को स्थानीय समुदाय के नेताओं के साथ कार्य करना चाहिए। पुलिस को नशीले पदार्थ की पहचान तथा व्यसनियों से निपटना चाहिए। माता-पिता तथा अध्यापकों को भी युवा लोगों की सहायता करने के लिए संपर्क रखना चाहिए ताकि उन लोगों को सहायता प्रदान की जा सके जो इस समस्या से अन्तग्रस्त रहते हैं और उनमें आवश्यक आंतरिक शक्ति और इच्छा शक्ति का वातावरण तैयार किया जा सके कि वे नशीली दवाओं के दुरूपयोग में शामिल न हों।

(16) इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक संस्था, अस्पताल, प्राइवेट क्लीनिक, निर्व्यसन क्लीनिक तथा व्यसनियों के उपचार में कार्यरत ऐसे सभी संस्थान एक प्रोफार्मा रखें, जिससे प्रतिपादित कार्यक्रमों के लिए सूचना एकत्र करने के लिए आंकड़ों का आधार हो सके और जिसका उद्देश्य व्यसनियों के पुनर्वास और इस लत से रोकना है। यह प्रोफार्मा राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा तैयार किया जाए और सभी अधीनस्थों को परिचालित किया जाए।

(17) नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में मानव शक्ति विकास और प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम राज्य सरकारों, शैक्षिक संस्थाओं और स्वयंसेवी एजेंसियों के निकट सहयोग से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान की गतिविधियों के एक अभिन्न अंग के रूप में तैयार किया जाए। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभागों में तथा स्वैच्छिक क्षेत्र में समाज विकास से संबंधित सभी कर्मचारियों के गहन प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया जाए ताकि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ रोकथाम एवं नियंत्रण नीति अपनाई जा सके। सरकारी कार्यकर्त्ताओं में उनके लिए प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाए जो कानून प्रवर्तन, न्यायिक कार्यों तथा सुधारात्मक कार्य में लगे हुए हैं।

लखनऊ के निकट भारतीय वायुसेना के एक विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

5395. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 फरवरी, 1988 को लखनऊ के निकट भारतीय वायुसेना के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच-पड़ताल की गई है; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) और (ख) बक्शी-का-तालाब हवाई अड्डे (लखनऊ) से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय वायुसेना का एक विमान 10-2-1988 को 13·00 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान चालक सफलता पूर्वक बाहर निकल आया और उसे कोई चोट नहीं आई। विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया। दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए एक जांच अदालत के आदेश दिए जा चुके हैं। लेकिन इसके निष्कर्ष और सिफारिशें वर्गीकृत होंगी और उन्हें लोकहित में प्रकट नहीं किया जा सकेगा।

चलती रेलगाड़ियों में लूटपाट और चोरी

5396. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि चलती रेलगाड़ियों में लूटपाट और चोरी की घटनाएं दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या हाल ही में दिल्ली आने वाली ग्रान्ड ट्रन्क एक्सप्रेस को अंगोला तथा विजयबाड़ा स्टेशनों के बीच लूट लिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो लूटपाट का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भविष्य में रेलगाड़ियों में ऐसी घटकाओं के दुबारा न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

कार्मिक, लोक शिकायय तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) रेलवे में अपराध के मामलों की सूचना सरकारी रेलवे पुलिस सहित जो राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करती है, राज्य सरकार की एजेन्सियों को दी जाती है, उनके द्वारा ये मामले दर्ज किए जाते हैं और उनकी जांच पड़ताल की जाती है। चलती हुई गाड़ियों में लूटपाट और चोरी के आंकड़े केन्द्रीय एजेंसियों के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हज यात्रियों के लिए नौवहन सेवा

5397. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज यात्रियों को ले जाने वाले एकमात्र जहाज को हज यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित व्यवस्था किए बिना हाल ही में किन्हीं अन्य प्रयोजनों पर लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे हज यात्रियों को अपनी व्यवस्था से यात्रा करने पर विवश होना पड़ा है और इसके कारण कई यात्री यात्रा नहीं कर पाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो यह देखने के लिए कि इस प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो, अन्य जहाज उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (घ) 1984 से जिस जहाज का हज यात्रा के लिए उपयोग किया जाता रहा है उसका 1988 में भी इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। यह जहाज हज यात्रियों को उतनी ही संख्या में ले जाएगा जितने 1985 से प्रतिवर्ष ले जाता रहा है।

बाल शिक्षा सुविधा सम्बन्धी वेतन प्रतिबन्ध

[हिंदी]

5398. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों के बाल शिक्षा सुविधा सम्बन्धी उपबन्ध में वेतन सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इससे कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे और यह सुविधा किस दर से दी जाएगी; और

(ग) कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) सन्तान शिक्षण सहायता, योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन निम्नलिखित रियायतें अनुज्ञेय है;

क्रम सं०	रियायत	दरें	लाभग्राहियों की अनुमानित संख्या (लाखों में)
(i)	सन्तान शिक्षण भत्ता	प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्तर माध्यमिक कक्षाओं के लिए 50 रु० प्रति मास बच्चे की दर से।	0.60
(ii)	ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	दसवीं तथा उमसे नीचे की कक्षाओं के लिए 20 रुपये प्रति मास प्रति बच्चे की दर से। तथा बारहवीं-ग्यारहवीं कक्षाओं के लिए 25 रुपये प्रति मास, प्रति बच्चे की दर से। शारीरिक रूप से विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के लिए 50 रुपये प्रति मास, प्रति बच्चे की दर से।	1.01
(iii)	छात्रावास सहायता	150 रुपये प्रति मास प्रति बच्चे की दर से।	.005

1-12-87 से उपर्युक्त रियायतें बिना किसी वेतन सीमा के, सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय हैं।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा मिराज विमानों का निर्माण

[अनुवाद]

5399. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कारखाने में 150 मिराज विमानों के निर्माण का लाइसेंस देने हेतु फ्रांस की पेशकश स्वीकार नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत ने हाल ही में फ्रांस से कुछ और मिराज लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं; और

(घ) क्या भारतीय वायुसेना ने और अधिक मिराज-2000 विमानों की मांग की है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे स्वीकृति दे दी है?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) तकनीकी आर्थिक पहलुओं को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह मिराज-2000 विमान का लाइसेंस के अन्तर्गत उत्पादन नहीं करेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) देश की सुरक्षा को होने वाले सम्भावित खतरों को ध्यान में रखते हुए वायुसेना की आवश्यकताओं की लगातार समीक्षा की जाती है। इस सम्बन्ध में और ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

गरीबों को कानूनी सहायता

5400. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :**

श्री वी० बी० रमैया : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "गरीबों को कानूनी सहायता" के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष 1987-88 में कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है;

(ख) प्रत्येक राज्य में वर्ष के पहले 6 महीनों में कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरतमंद गरीब वादियों को समय पर सहायता मिले तथा व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों का, जो गरीबों को कानूनी सहायता और सलाह देता है वित्त पोषण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति, विशिष्ट सहायता कार्यक्रमों के जैसे विधिक साक्षरता, लोक अदालतों का आयोजन आदि के कार्यान्वयन के लिए राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड तथा सामाजिक कार्य समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 1987-88 के दौरान विभिन्न राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों को विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जहां तक कि विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति से सहायता का सम्बन्ध है, विभिन्न राज्य विधिक सहायता बोर्डों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान को शासित करने वाले निबन्धनों और शर्तों के अनुसार बोर्डों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपगत व्यय का लेखा परीक्षित विवरण सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन मास के पश्चात प्रस्तुत करें। इन परिस्थितियों में, वर्ष के प्रथम छह मास में बोर्डों द्वारा व्यय की गयी रकम की जानकारी सरकार को उपलब्ध नहीं की गयी है।

(ग) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों ने विधिक सहायता समितियों का गठन किया है और निम्नतम न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मुकदमा लड़ने वाले गरीब व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1987-88 के दौरान वि० स० स्की० का० स० द्वारा विभिन्न राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों को मंजूर किए गए सहायता अनुदान

क्र० सं०	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का नाम	मंजूर किए गए अनुदान की राशि	सक्षेप में वह प्रयोजन जिसके लिए सहायता अनुदान मंजूर किया गया
1.	असम राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	1,00,000 रु०	असम राज्य में लोक अदालतों के आयोजन के लिए
2.	हरियाणा राज्य स्तरीय विधिक सेवा और सलाह समिति	3,000 रु०	परा विधिक साक्षरता शिविरों की यात्राओं और प्रशिक्षण सामग्री का व्यय पूरा करने के लिए
3.	—यथोक्त—	35,000 रु०	लोक अदालतों के आयोजन के लिए
4.	कर्नाटक राज्य विधिक सहायता बोर्ड	1,00,000 रु०	लोक अदालतों के आयोजन के लिए
5.	महाराष्ट्र राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	45,000 रु०	महाराष्ट्र राज्य के 9 महाविद्यालयों की विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण पर होने वाले 50 प्रतिशत की पूर्ति करने के लिए
6.	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	1,00,000 रु०	लोक अदालतों के आयोजन के लिए
7.	पांडिचेरी सरकार का विधि और श्रम विभाग	50,000 रु०	विशिष्ट विधिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए
8.	उड़ीसा राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	1,00,000	लोक अदालतों के आयोजन और परा-विधिक शिविर में प्रशिक्षण तथा विधिक साक्षरता कार्यक्रम को अग्रसर करने के लिए
9.	आंध्र प्रदेश राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	1,50,000 रु०	लोक अदालतों के आयोजन के लिए

1	2	3	4
10.	तमिलनाडु राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	2,00,000 रु०	लोक अदालतों के आयोजन करने और सुलह सेल चलाने के लिए
11.	पंजाब सरकार का गृह और न्याय विभाग।	50,000 रु०	महिलाओं के लिए परामर्श केन्द्र खोलने और चलाने तथा परा-विधिक प्रशिक्षण के लिए।
	योग :	9,33,000 रु०	

कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रयोग

5401. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में विकास हेतु जैव-प्रौद्योगिकी प्रयोग करने का कोई प्रयास किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री जे० आर० नारायणन) : (क) से (ग) कृषि क्षेत्र में बायोटेक्नालोजी के अनुप्रयोग में वर्तमान क्रियाकलापों में ये शामिल हैं :

(I) पराग संवर्धन के माध्यम से चावल की समयुग्मजी और उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का उत्पादन।

(II) आनुवंशिकी इंजीनियरी विधियों के माध्यम से अनाजों और दालों में प्रोटीन मात्रा में सुधार करना।

(III) नाइट्रोजन किफायत, विशेषकर चावल और दालों में, का सुधार करने के लिए विशिष्ट नीली हरी शैवाल और रिजोवियल विभेदों का संवर्धन।

(IV) सोमा क्लोनल वेरिएशन (विविधीकरण) में माध्यम से सरसों की सूखापन और लवणशीलता सहनशील किस्मों का विकास।

(V) रोग विमुक्त गन्ना, अदरक, इलायची आदि को ऊतक संवर्धन द्वारा उपजाना।

उपर्युक्त क्षेत्रों में प्रगत कार्य, आई० सी० ए० आर०, सी० एस० आई० आर०, डी० एस० टी०, डी० ए० ई० और विश्वविद्यालयों के तत्वावधान में प्रयोगशालाओं द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है।

त्रिवेन्द्रम में अन्तरिक्ष केन्द्र का विकास

5402. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में अन्तरिक्ष केन्द्र का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वि० सा० अं० के०), त्रिवेन्द्रम अनेक सक्रिय कार्यक्रमों सहित, एक सुविकसित केन्द्र है। पिछले दो दशकों से अधिक समय से यह केन्द्र अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी रहा है। इस दशाब्द के अन्तरिक्ष प्रोफाइल में क्रान्तिक तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों के साथ साथ हमारे भावी प्रमोचक राकेट कार्यक्रमों को निरूपित करने में विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका को जारी रखने की परिकल्पना की गयी है।

केन्द्रीय सड़क और अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान परियोजनाओं की उपलब्धियां

5403. **श्री के० एस० राव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परामर्श परियोजनाओं के अतिरिक्त वर्ष 1983 के बाद केन्द्रीय सड़क और अनुसंधान संस्थान द्वारा आरम्भ की गयी अनुसंधान परियोजनाओं की नई वैज्ञानिक उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) क्या उनमें से किसी को मान्यता या लोकप्रियता मिली है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धा ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) इस अवधि में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी० आर० आर० आई०) ने सड़क और यातायात अभियांत्रिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास हेतु अनेक उल्लेखनीय योगदान दिए हैं:

उपयोगकर्ताओं/प्रायोजकों द्वारा स्वीकार्य कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्षेत्र इस प्रकार हैं :—

1. सड़कों व धावक सड़क पटरियों का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव।

   प्रमुख मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए रखरखाव आधारित आरोही गुणता नमूनों का विकास, राजमार्ग डिजाइन/सड़क निवेश को सुगम करने हेतु खडंजा निम्नकोटिकरण नमूने।

2. सड़क निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का सज्जीकरण

   विशिष्ट जलवायवी परिस्थितियों के अन्तर्गत सड़क निर्माण के लिए उपयुक्त उचित श्रेणी डामर का अध्ययन।

   अर्धसघन और सघन डामर रोड़ी के डिजायन के परिणामस्वरूप आई० आर० सी० विशिष्टताओं का प्रकाशन हुआ है।

3. परिवहन योजना

शहरी सड़कों की यातायात वाहक क्षमता के अध्ययन से प्राप्त परिणामों से सड़क डिजाइन के लिए और अधिक संगत आधार तैयार होते हैं ।

4. यातायात अभियांत्रिकी

अतः शहरी सड़कों पर मिश्रित यातायात के यातायात प्रवाह और इंधन खपत हेतु विकसित नमूने ।

5. पुलों और आर० सी० सी० इमारतों तथा भूस्खलन नियंत्रण के लिए मरम्मत/दृढ़ीकरण हेतु उन्नत तकनीकें ।

बाह्य पूर्ति प्रविबलन द्वारा आर० सी० सी० पुलों को मजबूत बनाने वाली तकनीकों ने संरचनात्मक आचरण व पुलों की भार वहन क्षमता को आशातीत तरीके से उन्नत बनाया है ।

लम्बे विस्तार वाले पुलों के लिए विस्तार जोड़ों की उन्नत डिजाइनों को आई० टी० ओ० बराज पुल दिल्ली में अपनाया गया है ।

वनस्पतियों के माध्यम से ढलानों पर क्षरण नियन्त्रण के लिए नारियल जाली लगाकर ऐस्फाल्ट मल्च तकनीकों को नारियल बोर्ड द्वारा प्रसारित किया जा रहा हैं ।

भू ग्रिडों का उपयोग करके चट्टानों के गिरने को नियन्त्रित करने की तकनीक को नैनीताल की पहाड़ी ढलानों पर सफलतापूर्वक अपनाया गया है ।

उन्नत स्थामित्व हेतु संहत चूना मिट्टी स्तंभ तकनीक को जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर प्रभावी ढंग से अपनाया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में बसे भारतीय वैज्ञानिकों को आमन्त्रित करने की "टाक-टेन" योजना

[हिन्दी]

5404. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विदेशों में बसे भारतीय वैज्ञानिकों से परामर्श प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए भारत आमन्त्रित करने हेतु "टाक टेन" नामक विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने वैज्ञानिक भारत आए हैं; और

(घ) सरकार इस योजना को भविष्य में और आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए अन्य क्या प्रयास कर रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इस कार्य के लिए यू० एन० डी० पी० की एक परियोजना "टाक टेन" नाम से चल रही है ।

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय नई पद्धति व राष्ट्रीय वरीयता वाले क्षेत्रों की संगत प्रौद्योगिकी में जानकारी/तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण हेतु उन क्षेत्रों से सम्बन्धित विशिष्ट भारतीय प्रवासी वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को स्वैच्छिक आधार पर लघु अवधि के नियत कार्य हाथ में लेने के लिए आमन्त्रित किया जाता है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 185 भारतीय प्रवासी वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद भारत आये हैं।

(घ) योजना का कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है और इससे वांछित (आपेक्षित) लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस योजना के कार्य संचालन में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है।

अनुसूचित जाति विकास निगम

5405. **श्री अशंकरण संखवार** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अनुसूचित जाति विकास निगम स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किस राज्यों में ये निगम कार्य कर रहे हैं और अनुसूचित जातियों के विकास में उनके द्वारा क्या भूमिका निभायी जा रही है;

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी इस तरह के निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां। 18 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों ने अनुसूचित जाति विकास निगमों की स्थापना की है।

(ख) उन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम जहां अनुसूचित जाति विकास निगम कार्य कर रहे हैं :—

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक केरल, मध्य प्रदेश, महारास्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी।

ये निगम अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक कार्यान्वियन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उत्साहवर्धक भूमिका में, विशेष सर्वेक्षणों के माध्यम से अनुसूचित जाति लाभ प्राप्तकर्ता समूहों का पता लगाना, पात्र लाभ प्राप्तकर्ताओं का पता लगाना और अभिप्रेरण, उनकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन, विभिन्न व्यावसायिक समूहों के लिए उपयुक्त आर्थिक विकास योजनाओं को तैयार करना, उनकी वित्तीय और अन्य आवश्यकताओं का पता लगाना और लक्ष्य समूहों को वित्तीय संस्थानों और सरकारी विकास एजेंसियों के संपर्क में लाना शामिल है। कम ब्याज दर पर सीमान्त राशि ऋण प्रदान करके और व्यवहारिक अन्तर दूर करके, अन्य एजेंसियों को भी सहायता लेकर, ये निगम, अनुसूचित जाति के लाभप्राप्तकर्त्ताओं को पर्याप्त विस्तार पैमाने पर ऋण प्रदान करने के लिए, व्यावसायिक बैंकों को प्रोत्साहन करने में सहायक सिद्ध हुए हैं।

(ग) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में चुनाव सम्बन्धी विवादों के लंबित मामले

[अनुवाद]

5406. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 से लोक सभा के चुनाव से संबंधित विवादों के कितने मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े हैं;

(ख) इसके विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने चुनाव विवाद के मामले में न्यायालयों की कार्यवाही शीघ्र पूरा करने के लिए कोई योजना बनाई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, 1985 से विभिन्न उच्च न्यायालयों में, लोक सभा के निर्वाचनों से सम्बन्धित, लंबित निर्वाचन अर्जियों की संख्या 20 है; इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय में लंबित अपीलों की संख्या 6 है।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86 की उपधारा (6) के अनुसार, निर्वाचन अर्जी का विचारण, जहां तक कि वह विचारण के बारे में न्याय के हितों से संगत रहते हुए साध्य हो, उसकी समाप्ति तक दिन प्रतिदिन चालू रहेगा जब तक उच्च न्यायालय उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे यह निष्कर्ष न निकाले कि विचारण को आगामी दिन से परे स्थगित करना आवश्यक है । उसी धारा की उपधारा (7) में यह उपबन्ध है कि हर निर्वाचन अर्जी यथासंभव शीघ्रता से विचारित की जाएगी और उस तारीख से, जिसको निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय को विचारण के लिए उप स्थापित की गयी है, छह मास के भीतर विचारण को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा। उक्त अधिनियम में, उच्चतम न्यायालय में अपीलों की बाबत ऐसी किसी प्रक्रियात्मक अपेक्षा या समय सीमा का उल्लेख नहीं है । इसीलिए निर्वाचन अर्जियों को निपटाते में विलंब होने की संभावना बनी रहती है ।

(ग) उच्च न्यायालयों में अधिक न्यायाधीशों को नियुक्त किए जाने से, कुछ सीमा तक, निर्वाचन याचिकाओं को शीघ्रता से निपटाया जा सकेगा । तदनुसार, सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों से इस बाबत प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है । कुछ उच्च न्यायालयों में नए पद सृजित किए जाने से संबंधित प्रस्तावों पर भी सहमति हो गई है। सरकार उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों की विद्यमान रिक्तियों को भरने के और निर्वाचन याचिकाओं के शीघ्रता से निपटाने को सुकर बनाने के लिए नए पदों पर नियुक्तियां करने के सभी संभव प्रयास कर रही है ।

कर्नाटक के लिए प्रति व्यक्ति योजना आबंटन

5407. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान कर्नाटक को योजना सहायता के रूप में प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) क्या जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशेष केन्द्रीय सहायता राशि आबंटित की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) कर्नाटक को सातवीं योजना के लिए केन्द्रीय सहायता का प्रति व्यक्ति आबंटन 308 रु० है जो छठी योजना के 199 रु० के तदनुरूप प्रति व्यक्ति आबंटन की अपेक्षा 54.8 प्रतिशत अधिक है।

(ख) जी, हां।

कर्नाटक के आदिवासी गांवों में सुविधाएं

5408. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य के आदिवासी गांवों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए राज्य को धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अन्य राज्यों में आदिवासी गांवों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए वर्ष 1986-87 और 1987-88 में कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) आदिवासी प्रशासन के उन्नयन के लिए आठवें वित्त आयोग एवार्ड में, अन्य बातों के साथ-साथ, चुने हुए आदिवासी गांवों में अवसंरचना सुविधाएं शामिल हैं। इस एवार्ड में कर्नाटक राज्य शामिल नहीं है, क्योंकि यह एक राजस्व बचत राज्य है और केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता के बिना जिससे इन आवश्यकताओं को पूरा करने की आशा की जाती है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(रु० लाखों में)

राज्य	1986-87 गांवों के लिए अवसंरचना	1987-88 गांवों के लिए अवसंरचना
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	44.85	125.62
2. असम	—	64.75
3. बिहार	—	274.75
4. हिमाचल प्रदेश	—	8.75
5. जम्मू और कश्मीर	—	—

1	2	3	4
6.	केरल	—	7.25
7.	मध्य प्रदेश	—	374.50
8.	मणिपुर	—	22.75
9.	मेघालय	—	—
10.	नागालैंड	—	—
11.	उड़ीसा	—	322.00
12.	पंजाब	—	—
13.	राजस्थान	—	73.50
14.	सिक्किम	—	2.13
15.	त्रिपुरा	—	8.75
16.	उत्तर प्रदेश	—	1.75
17.	पश्चिम बंगाल	—	73.50
	कुल :	44.85	1360.00

सिक्किम सरकार से अतिरिक्त चेक पोस्ट बनाने हेतु प्रस्ताव

5409. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सरकार से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अतिरिक्त चैक पोस्ट बनाने हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

आरक्षित पदों को भरना

[हिन्दी]

5410. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा अभी तक पूरा भर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस समय विभिन्न श्रेणियों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं;

(ग) क्या उनके लिए आरक्षित कोटा भरने के लिए कोई प्रबन्ध किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों जो इस समय गृह मंत्रालयों के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर कार्य कर रहे हैं, की प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

	अनुसूचित जाति कर्मचारियों की प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की प्रतिशतता
ग्रुप "क"	11.88	2.97
ग्रुप "ख"	13.43	1.23
ग्रुप "ग"	13.47	2.82
ग्रुप "घ"	26.35	4.06

2. गृह मंत्रालय में ग्रुप "क" के अधिकांश पद अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। संयुक्त सचिव, निदेशक उपसचिव और अवर सचिव जैसे कुछ ग्रेडों को प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति दोनों के भरा जाता है। अवर सचिव (ग्रुप "क" में निम्नतम) स्तर पर पदोन्नति के 15 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए है। तथापि, इस ग्रेड में पदोन्नति समस्त मन्त्रालय के आधार पर की जाती है और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा पदोन्नति के लिए सामान्य चयन सूची बनाते समय अनुसूचित जातियों और अनुचित जनजातियों के उचित प्रतिनिधित्व पर ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके लिए आरक्षित कोटा भरने के लिए जब कभी आवश्यक होता है तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीमित विशेष परीक्षाएं आयोजित करके विशेष कदम भी उठाए जाते हैं।

3. ग्रुप "ख" और "ग" में अनुभाग अधिकारी सहायक, स्टेनोग्राफर ग्रेड "क", "ख", "ग" और "घ" उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक जैसे पदों को आंशिक रूप से संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और आंशिक रूप से विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरा जाता है या केन्द्रीय आधार पर वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के अनुसार पदोन्नति की जाती है। निर्धारित कोटे के अनुसार इन पदों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए अलग रोस्टर रखते हैं और इस प्रकार से प्राप्त हुई आरक्षित रिक्तियों को समस्त मन्त्रालय आधार पर संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती करते समय या समस्त मन्त्रालय आधार पर पदोन्नति के लिए जोन निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाता है। मन्त्रालय में ग्रुप "घ" के लिए सीधी रोजगार कार्यालय के माध्यम की जाती है।

ग्रुप "घ" के पदों सम्बन्ध में अनुसूचित जाति वर्ग में कोई आरक्षित रिक्ति भरने के लिये बकाया नहीं है। बल्कि उनका कुल प्रतिनिधित्व आरक्षित कोटे से अधिक। तथापि ग्रुप "घ" के पदों में

अनुसूचित जनजाति वर्ग के सम्बन्ध में रिक्तियां भरने के लिए बकाया हैं जो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण हैं। किन्तु 1987 में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की ग्रुप "ख" के पदों में भर्ती 11.4 प्रतिशत थी।

यदि आरक्षित पदों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे पदों को अगले तीन भर्ती वर्षों तक आगे ले जाया जाता हैं और को ऐसे आगे ले जाने के तीसरे वर्ष अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों से बदला जा सकता है।

अन्तरिक्ष कार्यक्रम

5411. **श्री रामभगत पासवान** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990 तक किन-किन अन्तरिक्ष कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और आन्तरिक विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : 1990 का वर्ष, 1980-90 दशाब्द के लिए अन्तरिक्ष प्रोफाइल का अन्तिम वर्ष है। 1980-90 की अवधि के लिए परियोजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

—प्रथम प्रचालनात्मक सुदूर संवेदन उपग्रह, आई० आर० एस० 1 का डिजाइन, संविरचन और प्रमोचन।

—वैज्ञानिक नीतभारों सहित विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला (श्रोस) उपग्रहों का डिजाइन, संविरचन और प्रमोचन।

—श्रोस उपग्रहों को छोड़ने में समक्ष संवर्धित उपग्रह प्रमोचक रोकेट (ए० एस० एल० वी०) का डिजाइन, विकास और संविरचन।

—आई० आर० एस० श्रेणी के उपग्रहों को छोड़ने में समक्ष ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०) का डिजाइन, विकास और संविरचन।

—दूरदर्शन और रेडियो संचारजाल, सीधे प्रसारण, दूरसंचार और मौसमविज्ञान के लिए राष्ट्रीय सेवाओं को बनाए रखने के लिए विदेश से प्राप्त उपग्रहों का प्रयोग करते हुए इन्सैट-I बी० और इन्सैट-I सी० अन्तरिक्षयानों सहित, दो उपग्रहों वाली इन्सैट-I प्रणाली का प्रचालनाकरण।

—उपग्रहों की द्वितीय पीढ़ी की इन्सैट-II श्रृंखला के प्रथम दो जांच अन्तरिक्षयानों का डिजाइन, विकास और संविरचन शुरू करना, जो 1990 दशाब्द के दौरान इन्सैट-I उपग्रहों को प्रतिस्थापित करेंगे।

—इन्सैट श्रेणी के उपग्रहों को भू-स्थाली कक्षा में प्रमोचन में समक्ष भू-स्थायी प्रमोचक राकेट का विकास प्रारम्भ करना; जी० एस० एल० वी० कार्यक्रम के भाग के रूप में निम्नतापी इंजिन और खण्ड का विकास कार्य शुरू किया जायेगा।

—देश के प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबन्ध के लिए सुदूर संवेदन आंकड़ा उत्पादों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली की स्थापना करना।

1990-2000 के अन्तरिक्ष प्रोफाइल के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और रेडियो प्रसारण तथा संचार सहित संचार, संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबन्ध, मौसम विज्ञान के क्षेत्रों में देश को अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के पूरे लाभों को प्राप्त करने लिए सतत आधार पर अन्तरिक्ष सेवाओं के प्रचालनीकरण पर और खोज एवं बचाव कार्यों, मोबाइल संचार, सूखा मानीटरन इत्यादि जैसी विशिष्ट सेवाओं को प्रारंभ करने पर सशक्त जोर देते हैं। परिकल्पत प्रगति में राकेट और उपग्रह दोनों प्रौद्योगिकियों का विकास तथा औद्योगिक अन्तरापृष्ठ का निर्माण कार्य शामिल है। 2000 ई० सन् के बाद देश की जरूरतों एवं विश्व परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कुछ उन्नत अनुसंधान और विकास अवयवों की भी परिकल्पना की गई है।

अखिल भारतीय सेवाओं के लिए राज्यों का पदोन्नति कोटा

[अनुवाद]

5412. **श्री शांताराम नायक : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति के लिए राज्य सरकारों का राज्य-वार कितने प्रतिशत कोटा है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य के कोटे का प्रतिशत अन्य राज्यों से अधिक है और यदि हां, तो कितना अधिक है;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष ध्यान रखने की जो अवधि निर्धारित की गई थी वह समाप्त हो चुकी है;

(घ) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य के लिए बढ़े हुए प्रतिशत को कुछ और वर्षों तक लागू रखने के लिए अनुरोध किया है ;और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) नागालैंड (जिसका गठन हाल ही में हुआ है) में भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर जहां पदोन्नति कोटा राज्य सरकार तथा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आरक्षण के अधीन वरिष्ठ पदों का 50 प्रतिशत है, अन्य सभी राज्यों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए पदोन्नति कोटा राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आरक्षण के अधीन वरिष्ठ पदों का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया।

सरकारी कार्यालयों में "धूम्रपान रहित दिवस"

5413. **श्री एच० बी० पाटिल : क्या प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में महीने में कम-से-कम एक दिन "धूम्रपान रहित दिवस" के रूप में मनाने तथा सरकारी बैठकों एवं समारोहों धूम्रपान पर रोक लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश को जनजाति कल्याण कार्यक्रमों के लिए धनराशि

[हिन्दी]

5414. **श्री हरीश रावत** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जनजाति कल्याण कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की उप योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के लिए राज्य सरकार द्वारा केवल जनजातीय विकास के लिए कुल 1937.82 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। निर्धारित धनराशि का क्षेत्रकवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

विकास शीर्ष	लाख रु०
1. कृषि तथा सम्बद्ध कार्य	278.59
2. ग्रामीण विकास	37.00
3. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	260.15
4. ऊर्जा	240.00
5. उद्योग तथा खनिज	23.38
6. परिवहन	380.00
7. सामान्य आर्थिक सेवाएं	30.80
8. सामाजिक सेवाएं	666.40
1. शिक्षा	199.00
2. चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	71.90
3. जलपूर्ति तथा सफाई	210.00
4. आवास	12.50
5. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	173.00
9. श्रम तथा रोजगार	15.00
10. पोषाहार तथा सामाजिक कल्याण	6.50
जोड़	1937.82

हंगरी के विदेश मंत्री का दौरा

[अनुवाद]

5415. श्री शरद दिघे : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के विदेश मंत्री हाल ही में भारत के दौरे पर आए थे;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुए बातचीत के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) हंगरी के विदेश मन्त्री ने 27 फरवरी से 2 मार्च, 1988 तक सरकारी तौर पर भारत की यात्रा की।

(ख) दोनों पक्षों ने, द्वितीय सम्बन्धों को और अधिक मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर सहयोग बढ़ाने से सम्बद्ध मामलों की समीक्षा की।

(ग) और (घ) विदेश राज्य मन्त्री (विज्ञान एवं प्रौद्योगिक) द्वारा 1988-90 के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग के एक नए कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं पैदा होंगी :

1. इलैक्ट्रोनिक पुर्जे
2. लेसर आप्टिक्स का औद्योगिक प्रयोग
3. जैव प्रौद्योगिकी एवं फरमेंटेशन प्रौद्योगिकी
4. सेरमिक पुर्जे
5. खनन
6. अल्यूमीनियम औद्योगिक अनुसंधान
7. तन्त्रिका विज्ञान
8. उत्प्रेरण
9. मशीनों के पुर्जे
10. ध्वनि विज्ञान
11. परिवहन
12. सूचना
13. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

आत्महत्या का प्रयास करने के लिए सजा देना

[हिन्दी]

5416. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और दिल्ली उच्च न्यायालयों ने आत्महत्या का प्रयास करने के लिए सजा देने सम्बन्धी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको ध्यान में रखते हुए सरकार का भारतीय दण्ड संहिता से इस धारा को हटाने अथवा आत्महत्या के प्रयास की विभिन्न परिस्थितियों को परिभाषित करते हुए और इसके लिये सजा देने के लिए संशोधित धारा जोड़ने हेतु एक विधेयक लाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों को ध्यान में रखते हुये दण्ड संहिता से मृत्युदण्ड के प्रावधान को समाप्त करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने का भी विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आत्म हत्या का प्रयास करने से सम्बन्धित भा० द० सं० की धारा 309 के जारी रहने को कालदोष बताया और इस धारा के अधीन लम्बित सभी अभियोजनों को समाप्त कर दिया। बम्बई उच्च न्यायालय ने भा० दं० सं० की धारा 309 को संविधान के नियमों के विरुद्ध ठहराया क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लघंन होता है और इसको समाप्त कर दिया। फिर भी, इस धारा की संवैधानिक वैधता का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जायेगा जहां एक रिट याचिका लम्बित है।

(ख) विधि आयोग ने अपने 42वें प्रतिवेदन में भा० दं० सं० की धारा 309 को निरस्त करने की सिफारिश की है। जब सरकार भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करने की कार्यवाही करेगी तो इस सिफारिश को ध्यान में रखा जायेगा।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

मूक बधिर विद्यालयों को सहायता

[अनुवाद]

5417. **श्री जी० देवराय नायक** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में मूक-बधिर विद्यालयों को अधिक सहायता देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कर्नाटक सरकार से कितने प्रस्ताव हुए हैं और उनमें से अब तक कितने स्वीकृत किये गये हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता योजना के अन्तर्गत यह मन्त्रालय उन स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान दे रहा है जो देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल चलाने में कार्यरत होते हैं और जिसमें मूक और बधिर स्कूल भी शामिल है। पिछले दो वर्षों के दौरान, मूक बधिर स्कूलों सहित, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण में कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों को 283·92 लाख रुपये और 321·17 लाख रु० की धनराशि स्वीकृति की गई थी। 1987-88 के दौरान अभी तक 340·30 लाख रुपये दिये गए हैं। वर्ष 1988-89 के दौरान मूक और बधिर स्कूलों सहित संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की संभावना है।

(ग) 1987-88 के दौरान, कर्नाटक में मूक और बधिर स्कूल चलाने वाले स्वयंसेवी संगठनों से 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से तीन को सहायक अनुदान स्वीकृत किए गए हैं।

संयुक्त राज्य अमरीकी एजेन्सी द्वारा सुपर कंडक्टिविटी में भारतीय कार्य का सर्वेक्षण

5418. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल साइंस फाउंडेशन ने सुपर कंडक्टिविटी में भारतीय कार्य का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे सर्वेक्षण के लिए अनुमति दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय पर दोनों देशों के बीच संभावित सहयोग के सम्बन्ध में इसके निष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायण) : (क) और (ख) यू० एस० नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के बारे में संयुक्त राज्य की एक तकनीकी पत्रिका में तथा भारतीय समाचार पत्रों में हाल ही में रिपोर्ट छपी हैं। बहरहाल, सर्वेक्षण करने के लिए नेशनल साइंस फाउंडेशन ने कोई अनुमति नहीं मांगी और न ही भारत सरकार ने इसके लिए कोई अनुमति दी है। ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट कुछ प्रमुख पत्रिकाओं में भारतीय अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा छापे गए कुछ तकनीकी प्रकाशनों के विश्लेषण पर आधारित थीं।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम

[हिन्दी]

5419. **श्री राजकुमार राय :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को प्रत्येक निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले कितने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई; और

(ग) इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) इस समय तीन प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में इन कार्यक्रमों के लिए पिछले दो वर्षों (1985-87) के दौरान आबंटन की गई राशि लगभग 608·97 करोड़ रु० में बैठती है।

(ख) जबकि पिछले दो वर्षों (1985-87) के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 12·47 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की गई, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 96·7 मिलियन श्रमदिवसों के बराबर रोजगार सृजित किया गया और ग्रामीण भूमिहीन

रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 99·6 मिलियन श्रमदिवसों के बराबर रोजगार सृजित किया गया।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अगले पंचवर्षीय सर्वेक्षण के नतीजे प्राप्त होने के बाद ही यह पता चलेगा कि कितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है।

डाकघरों के माध्यम से पासपोर्ट आवेदन पत्रों को जारी करना

[अनुवाद]

5421. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पासपोर्ट आवेद-पत्रों तथा पासपोर्ट जारी करने की वर्तमान पद्धति क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोगों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन-पत्रों को प्राप्त करने के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार का पासपोर्ट आवेदन-पत्रों को डाकघरों को माध्यम से जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) पासपोर्ट फार्म. पासपोर्ट कार्यालय के काउंटर पर या डाक द्वारा तथा मान्यता प्राप्त यात्रा एजेन्टों के माध्यम से उपलब्ध हैं।

सम्बद्ध पुलिस प्राधिकारियों द्वारा पहचान, राष्ट्रीयता, पूर्ववृत्त आदि के सत्यापन के बाद ही पासपोर्ट जारी किए जाते हैं।

(ख) सरकारी मुद्रणालयों से फार्मों की पूर्ति न होने के परिणामस्वरूप कुछ समय के लिए आवेदन-पत्रों की कमी हो गई थी। लेकिन अब पासपोर्ट फार्म उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) डाकखानों के माध्यम से पासपोर्ट फार्मों की बिक्री दोबारा शुरू करने के लिए डाक विभाग के साथ मिलकर जांच-पड़ताल की जा रही है।

आई० एन० एस० विक्रांत का आधुनिकीकरण

5422. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना डाकयार्ड, बम्बई में आई० एन० एस० विक्रांत का आधुनिकीकरण और मरम्मत कार्य किया जा रहा है;

(ख) इस सम्बन्ध में अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ग) इस कार्य के पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों के लिए इन ब्योरों को प्रकट करना सम्भव नहीं है।

नागपुर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलना

5423. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नागपुर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं। महाराष्ट्र राज्य के आवेदकों की सेवा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई द्वारा की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आर्थिक व्यापार तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पोलैंड के साथ सहयोग

[हिन्दी]

5424. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आर्थिक व्यापार तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए पोलैंड के विदेश मन्त्री से बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भावी सम्भावनाएं क्या है;

(ग) क्या कोयला खनन के क्षेत्र में विशेष तकनीकी सहायता देने का भी आश्वासन दिया गया है; और

(घ) पोलैंड को मुख्यत: कौन सी वस्तुएं निर्यात की जानी हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोयला खदान सहित सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर बातचीत हुई।

(घ) भारत से पोलैंड को निर्यात की जाने वाली मुख्य मदें हैं—चाय, खली, काली मिर्च, चमड़े का सामान और सूती कपड़ा। इन परम्परागत मदों में फोटो कापी और टैक्सटाइल मशीनरी, इलेक्ट्रोनिक पुर्जे और मशीनी औजार जैसी नई मदें भी शामिल कर ली गई हैं।

क्षेत्रीय असन्तुलन

[अनुवाद]

5425. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य चालू सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय असन्तुलन के बारे में शिकायत कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये राज्य कौन कौन से हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) और (ख) मुख्यतः बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश ही राज्य सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के मामले में अन्तर्राज्यीय असन्तुलन की समस्या का उल्लेख करते रहे हैं ।

सियाचिन ग्लेशियर में सैनिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था

5426. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सैनिक अधिक ऊंचाई से सम्बन्धित समस्याओं का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें प्रतिकूल जलवायु सम्बन्धी स्थितियों का सामना करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने सियाचिन क्षेत्र में तैनात सैनिकों को आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के लिये उचित उपाय किये हैं । इन उपायों में बर्फ से बचाव के लिये विशेष प्रकार के वस्त्रों की व्यवस्था करना, पर्वतारोहण और स्की उपकरण, विशेष आर्कटिक टेंट, स्नो मोबाइल और फाइबर ग्लास शेल्टर उपलब्ध कराना, समुचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना और समय-समय पर सैन्य टुकड़ियों की बदली करना शामिल हैं ।

कटक में मालवाही विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच

5427. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 मार्च, 1988 को कटक में एन-12 मालवाही विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच के आदेश दे दिए थे; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) और (ख) दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए जांच अदालत के आदेश दे दिए गए हैं, इसका कार्य चल रहा है। लेकिन इसके निष्कर्ष और सिफारिशें वर्गीकृत होंगी और उन्हें लोकहित में प्रकट नहीं किया जा सकेगा ।

510 सेना बेस कार्यशाला, मेरठ छावनी में चुने गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति

हिन्दी]

542९. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 510 सेना बेस कार्यशाला, मेरठ छावनी के कमांडिंग आफिसर ने कुछ अभ्यर्थियों

को उक्त कार्यशाला में श्रमिकों के रूप में भर्ती करने हेतु परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाया था और उन अभ्यार्थियों के पिता कार्यशाला में पहले कार्य कर चुके थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सफल अभ्यार्थियों की नियुक्ति कर दी गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन अभ्यार्थियों ने उन्हें नियुक्त करने के लिए अभ्यावेदन भेजा है; और

(ङ) क्या सरकार का इन अभ्यार्थियों को उक्त कार्यशाला में रोजगार देने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) उन सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति कर ली गई है जो पात्रता की अपेक्षित शर्तें पूरी करते थे और जिन्होंने ट्रेड-परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी ।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

उड़ीसा बोलनगीर जिले में संतला परियोजना में हुई प्रगति

[अनुवाद]

5429. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बोलनगीर जिले में संतला में रक्षा उत्पादन एकक को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस एकक में कब तक उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है;

(ग) उस रक्षा उत्पादन एक में कितनी स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा; और

(घ) इनमें से कितने व्यक्ति परियोजना के कार्यान्वियन के पश्चात विस्थापित हुए व्यक्तियों में से हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) बोलनगीर में आयुध निर्माणी के लिए अक्तूबर, 1984 में "काम शुरू करने" की स्वीकृति दी गयी थी । ऐसी कुछ प्रारम्भिक सुविधाओं की स्थापना का काम शुरू किया गया जिन्हें पूरा करने में काफी समय लगता है और इस सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई है ।

(ख) अन्तिम स्वीकृति जारी होने के पश्चात परियोजना की 4 वर्षों की अवधि में स्थापित होने और आरम्भ होने की संभावना है ।

(ग) सत्तर ।

(घ) सोलह ।

सिंचाई क्षमता संबंधी अध्ययन दल

5430. **श्री आर० एम० भोए** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सृजित की गई तथा उपयोग की जा रही सिंचाई क्षमता के भारी अन्तर के कारणों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जल प्रबन्ध तथा सिंचाई सम्बन्धी कार्य योजना के कार्यान्वयन के अध्ययन तथा मार्ग दर्शन के लिए सितम्बर, 1986 में एक आयोग की स्थापना की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी इसकी सिफारिशें/सुझावों का ब्यौरा क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) जी, हां।

(ख) उपयोग में कमी के मुख्य कारण ये हैं : अपर्याप्त लघु वितरण व्यवस्था और खेतों पर विकास कार्यों का अभाव तथा इसके अलावा कृषकों द्वारा परम्परागत बारानी खेती को छोड़कर सिंचित कृषि अपनाने में लगने वाला समय।

(ग) और (घ) जल प्रबन्ध और सिंचाई उपयोग सम्बन्धी कार्य-योजना के अध्ययन और क्रियान्वयन हेतु योजना आयोग में सितम्बर, 1986 में एक सलाहकार दल का गठन किया गया था; इस दल ने अभी तक अपनी सिफारिशें/सुझाव प्रस्तुत नहीं किये हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में भू-धृति प्रणाली

5431. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मन्त्री आदिवासियों की भूमि सम्बन्धी समस्याओं के बारे में 13 अगस्त, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4018 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० बी० के० राय बर्मन की अध्यक्षता में गठित आदिवासी क्षेत्रों में भू-धृति प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) सरकार द्वारा स्वीकार की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) मुख्य सिफारिशों में ये शामिल हैं—(1) जनजातीय क्षेत्रों में भूमि के सामूहिक स्वामित्व तथा प्रबन्ध तथा वन संसाधनों सहित भूमि आधारित संसाधनों के प्रश्न की जांच, (2) जनजातीयों के व्यक्तियों को उनकी भूमि के स्वामित्व से वंचित करने को रोकने के लिए कदम उठाना, (3) जनजातीय भूमि हस्तांतरण कानून लागू करना; (4) परियोजनाओं के कारण विस्थापित जनजातीय व्यक्तियों का पुनर्वास।

(ख) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के सम्बद्ध विभागों को रिपोर्ट भेज दी गयी है। जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत मौजूदा नीति सम्बन्धी उपाय, महत्वपूर्ण सिफारिशों के स्थूल पहलुओं के कार्यान्वयन के साधन हैं। ये सिफारिशें ऐसी हैं कि उनकी निरन्तर समीक्षा तथा कार्यान्वयन की आवश्यकता है। विभिन्न विकास उपायों के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर नीति सम्बन्धी

कार्यपद्धति को परिशोधित/परिशुद्ध कर लिया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग ने जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से 13 राज्यों में जनजातीय भूमि हस्तांतरण की सीमा, वैधानिक प्रावधानों की पर्याप्तता तथा सम्बद्ध सुरक्षात्मक कानूनों के कार्यान्वयन के प्रशासनिक तन्त्र की कमियों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण प्रायोजित किया है। कल्याण मंत्रालय ने परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय व्यक्तियों के पुनर्वास की निरन्तर समीक्षा करने के लिए एक स्थायी समिति की स्थापना की है।

मंडल आयोग की सिफारिशें

5432. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो गए हैं तथा केन्द्रीय सरकार ने इनका विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो इन विचारों को देखते हुए इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किया जाएगा तथा इन्हें कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) किन राज्यों ने अब तक अपना उत्तर नहीं भेजा है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (घ) सरकार का यह विचार रहा है कि अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण आदि के मामले पर तब तक यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिए जब तक कि राष्ट्रीय जनमत तैयार नहीं हो जाता। ऐसा करते हुए सरकार ने राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखा है।

संस्थाओं द्वारा विदेशों से प्राप्त वित्तीय सहायता

5433. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 81 और कोई इसके बाद के वर्षों में विभिन्न संस्थानों द्वारा विदेशों से प्राप्त की गयी वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री, तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत विभिन्न संगठनों द्वारा सूचित विदेशी अभिदाय राशि निम्नलिखित है :

1981	230.46 करोड़ रुपये
1982	233.78 ,,
1983	264.72 ,,
1984	253.98 ,,
1985 } 1986 }	संगणकीकरण किया जा रहा है।
1987	सूचना अभी तक प्राप्त की जा रही है।

केन्द्रीय परियोजनाओं के पूरा होने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य-तिथि

5434. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री केन्द्रीय परियोजनाओं पर निगरानी के बारे में 5 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 231 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित परियोजनाओं का निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस बीच इन्हें पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथियां निश्चित की गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और लक्ष्य तिथियां कब निश्चित की जाएंगी और उनकी निरन्तर निगरानी सुनिश्चित की जाएगी ताकि उन्हें शीघ्र पूरा किया जा सके ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (घ) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किए गये उपाय चालू होने की प्रत्याशित तारीख तथा अन्य विवरण, अन्य बातों के साथ-साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

रेलवे योजना में निधि के अभाव के कारण रेलवे मंत्रालय द्वारा छः रेलवे परियोजनाओं में से 3 परियोजनाओं के चालू होने की निश्चित तारीख निर्धारित नहीं की गयी है और इसलिए उनके पूरा होने की तारीखें भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं।

विवरण

परियोजना का नाम	31-12-87 की स्थिति के अनुसार, चालू होने की प्रत्याशित तारीख	प्रगति आदि (31-12-87 को यथास्थिति)
रेलवे परियोजना		
1. सिल्चर-जिरीबम एम० जी० लाइन	दिसम्बर, 89	परियोजना की समग्र प्रगति 59%
2. लालाबाजार-भैराबी नई लाइन	मार्च 90	समग्र प्रगति 60%
3. ब्रह्मपुत्र पर रेल एवं सड़क पुल और जोगी घोपा से गोहाटी तक बी० जी० लाइन	निर्धारित नहीं	दिसम्बर, 1987 तक 1.2% पूरा हो गया। संसाधनों के अभाव के कारण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।
4. धर्म नगर कुमार घाट एम० जी० लाइन	दिसम्बर 89	दिसम्बर, 1987 तक 77 प्रतिशत काम पूरा हो गया। धर्म नगर और पेंचारथल के बीच 22 कि० मी० की लाइन चालू की गई और यात्री वाहनों के लिए खोली गई।

5. नांगल बांध-तलवाड़ा बी० जी० लाइन	निर्धारित नहीं	दिसम्बर, 1987 तक 9.3 प्रतिशत प्रगति 17 कि० मी० पूरी हो गयी। अगले 11 कि० मी० पर कार्य हो रहा है। निधि के अभाव के कारण पूरा होने की तारीख निश्चित नहीं की गई।
6. जम्मू तवी उधमपुर नई लाईन	निर्धारित नहीं	दिसम्बर, 1987 तक समग्र 8 प्रगति। पहले 23 कि० मी० पर कार्य हो रहा है। निधि के अभाव के कारण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।
पन-बिजली विद्युत परियोजनाएं		
7. कोपिली पन-बिजली परियोजना (निपको)	मार्च, 88	खनडांग विद्युत घर अभी दुबारा चालू किया गया है और कोपिली पन बिजली परियोजना की पहली यूनिट फरवरी, 88 में दुबारा चालू की गई है और दूसरी यूनिट शीघ्र चालू होने वाली है।
8. दोयांग पन-बिजली परियोजना (निगको)	जून, 93	परियोजना पैरामीटरों में संशोधन किया गया। नागालैण्ड सरकार ने, परियोजना के लिए भूमि अभी देनी है।
9. चमेरा पन-बिजली परियोजना (एन० एच० पी० सी०)	मई, 91	सभी उत्पादन के और अन्य बिजली के तथा यांत्रिक उपस्करों के लिए आदेश दे दिया परियोजना स्थल पर कार्य की स्थिति के अनुसार माल पहुंचाया जाता है।
10. सलाल पन-बिजली परियोजना (एन० एच० पी० सी०)	नवम्बर, 1987 में चालू की गयी	परियोजना पूरी हो गई।
15. दुलहस्ती पन-बिजली परियोजना (एन० एच० पी० सी०)	दिसम्बर, 1992	एन० एच० पी० सी० ने लगभग 142 हैक्ट० भूमि ले ली है शेष 198 हैक्ट० भूमि अभिग्रहण कार्य चल रहा है। आधारी संरचना सुविधाओं का विकास हो रहा है। फ्रांसीसी संघ के साथ टर्न की संविदा समझौते को अन्तिम रूप दिया जाना है।

वीरेन्द्र प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय

5435. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वीरेन्द्र प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 3 जून, 1986 को यह निर्णय दिया था कि प्रत्येक कार्य को तब तक "कदाचार" नहीं माना जा सकता जब तक कि इस प्रकार के अन्य कार्य अथवा कार्यों से प्रकट रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसके उद्देश्य का पता न लगता हो; और

(ख) यदि हां, तो सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इससे सहमत कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्बन्ध ऐसे मामले से है, जहां अनुशासनिक कार्यवाहियां केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 (1) के कथित उल्लंघन के आधार पर की गई थी। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ साथ निर्णय में यह टिप्पणी की है कि "केवल निर्णय की गलती अथवा किसी मामले पर लापरवाह ढंग से कारंवाई करने को ही कदाचार नहीं कहा जा सकता। इसके साथ अन्य ऐसे कार्य अथवा कार्यों का जुड़ा होना जरूरी है जिनसे उद्देश्य का पता चलता हो।"

(ख) सभी मन्त्रालयों तथा विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि आचरण नियमावली के नियम 3(1) के उल्लंघन के सम्बन्ध में कारंवाई करते समय प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि मामूली प्रकृति के मामलों को छोड़ दिया जाता है तथा ऐसे कारणों पर कार्यवाही शुरू नहीं की जाती जो कि न्यायोचित नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में कोई और अनुदेश जारी करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

एक आयुध कारखाने के महाप्रबन्धक के विरुद्ध जांच

5436. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में एक आयुध कारखाने के महाप्रबन्धक के विरुद्ध कदाचार और अनियमितताओं के बार-बार आरोप लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नवम्बर, 1987 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उनके निवास पर छापा मारा था;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके पास काफी मात्रा में नकदी और सोना पकड़ा गया था, जिसका कोई लेखा-जोखा नहीं था; और

(घ) क्या सम्बन्धित अधिकारी को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया है ताकि उनके सहयोगी निर्भय और निष्पक्ष होकर गवाही दे सकें ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) जी, हां। कथित महाप्रबन्धक के खिलाफ कुछ आरोप हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है और उनकी पूरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। फिर भी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि उक्त अधिकारी के पास लगभग 10 लाख रुपये की सम्पत्ति पाई गई थी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो यह पता लगा रहा है कि क्या यह सम्पत्ति उक्त अधिकारी के पद और आय के हिसाब से अधिक है या नहीं।

(घ) उक्त अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्हें निलम्बित नहीं किया गया है। आवश्यकता एवं नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है।

आधुनिक बूचड़खाने स्थापित करने का प्रस्ताव

5337. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के चमड़ा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिये सरकार का आधुनिक बूचड़खाने और चमड़ा शोधन केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में इण्डियन लेदर प्रोड्यूसरज एसोसियेशन से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इन सुझावों पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार का आधुनिक बूचड़खाने स्थापित्त करने और मौजूदा बूचड़खानों को, जहां कहीं व्यवहार्य हो आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है। तथापि, चमड़ा प्रोसेसिंग केन्द्रों के विषय में इंडियन लैदर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन नामक किसी एसोसिएशन से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

निजी गुप्तचर तथा सुरक्षा एजेंसियां

5438. डा० बी० एल० शैलेश : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी तथा अन्य स्थानों में निजी गुप्तचर एजेंसियों की तेजी से वृद्धि होने की जानकारी है;

(ख) क्या ये निजी फर्में भोले भाले ग्राहकों को यह बहका कर गुमराह और ब्लैक-मेल करते हैं कि उनमें और केन्द्रीय जांच ब्यूरो में अथवा आसूचना ब्यूरो में कोई अन्तर नहीं है;

(ग) क्या इन निजी गुप्तचर तथा सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारी भी पुलिस अथवा सेना की तरह की वर्दी पहनते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन निजी गुप्तचर तथा सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियों तथा उनके पुलिस अथवा सेना की तरह की वर्दी पहनने को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) दिल्ली में अनेक निजी सुरक्षा एजन्सियां कार्य कर रही है।

(ख) ऐसी कोई शिकायत पुलिस को नहीं की गई है।

(ग) और (घ) इन एजेंसियों के कर्मचारी भी वर्दी पहनते है। पुलिस कार्मिकों की तरह की वर्दी पहनने और पदचिन्ह धारण किए हुए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए अनुदेश जारी किये गये हैं।

दिल्ली में दमकल केन्द्र

5439. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दमकल केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इन दमकल केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार दिल्ली में बेहतर अग्नि शमनकारी उपकरणों वाले और अधिक दमकल केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा ये दमकल केन्द्र किन क्षेत्रों में और कब तक स्थापित किये जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) मोती नगर में प्रशिक्षण केन्द्र तथा कनाट लेन, नई दिल्ली में मुख्यालय सहित 19।

(ख) उपलब्ध कराये गए उपकरणों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, नेहरू प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस, कीर्तिनगर औद्योगिक क्षेत्र प्रसाद नगर, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में छह और दमकल केन्द्र निर्माणाधीन है तथा 1988 के अन्त तक उनके पूरा हो जाने की सम्भावना है।

विवरण

क्रम सं०	उपकरण का नाम	मात्रा
1.	वाटर टेंडर	76
2.	मोटर पम्पस्	16
3.	ट्रेलर पम्पस् (छोटे)	4
4.	हाई प्रेशर पम्पस्	5
5.	ट्रेलर पम्पस् (बड़े)	15
6.	सी० ओ०-2 फोम क्रैश टेंडर	3
7.	इमरजेन्सी टेंडर	2
8.	होस टेंडर	2
9.	रेसक्यू टेंडर	1
10.	वाटर वाउजरस्	8
11.	ब्रेक डाउन वैन्स	3
12.	टर्न टेबल लैडरस	3

1	2	3
13.	कान्ट्रोल वेन	1
14.	जीपस्	21
15.	मोटर साइकल्स	20
16.	यूटिली टि वैन	3
17.	वैन	2
18.	टी० डब्ल्यू०	1
19.	कार	2
20.	बोट्स	20
21.	बैंड बस	1
22.	साईमन स्नोरकल	2
23.	ब्रोन्टो स्काईलिफ्ट	1
24.	स्मोक एक्सहास्टर	1
25.	जेनेरेटर	6
26.	सा काटर	3
27.	हाई प्रेशर कम्प्रेशर फोर बी० ए० सेट्स	2
28.	टैंकरस	3
29.	हाइड्रलिक कटिंग टूल्स सेट	4
30.	बी० एस० सेटस्	200
31.	जिप्सीस्	2

विदेशों में दूतावासों में कर्मचारी संख्या और व्यय में कटौती

5440. **श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मितव्ययिता के उपाय के रूप में विदेशों में भारतीय दूतावासों तथा अन्य कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या तथा व्यय में कटौती करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) विगत वर्षों से अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की भूमिका तीव्र गति से बढ़ती रही है इस दायित्व को पूरा करने से संबद्ध कार्यात्मक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, विदेश स्थित मिशनों की कर्मचारी संख्या और व्यय की बराबर समीक्षा की जाती रहती है।

पत्रकारों पर हमले

5441. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस द्वारा पत्रकारों पर लगातार हमलों को देखते हुए, पत्रकारों पर पुलिस द्वारा की जाने वाली ज्यादतियों की जांच करने के लिए एक स्थायीतन्त्र बनाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार को हाल में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ मालूम नहीं होता है। किन्तु, फरवरी, 1986 के आरम्भ में, भारतीय लघु तथा मझौले समाचार पत्र परिसंघ से सरकार को इस अनुरोध के साथ एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि कानून और व्यवस्था को लागू करने वालों तथा प्रेस के बीच बेहतर समझबूझ उत्पन्न करने के लिए प्रेस के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक सलाहकार समिति गठित की जाए। अभ्यावेदन को इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ अप्रैल, 1986 में सभी राज्य सरकारों को भेजा गया था।

उड़ीसा में आदिवासियों की भूख से मृत्यु

5442. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान कोरापुट जिले के कितने आदिवासी लोगों की भूख से मृत्यु होने का समाचार है;

(ख) क्या प्रधान मन्त्री की कोरापुट जिले में काशीपुर की यात्रा के परिणामस्वरूप बेहतर पासाहार की सप्लाई करने और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई आश्वासन किया गया था; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि जरूरत मन्द लोगों को खाद्य पदार्थों की सप्लाई हो और उन्हें चिकित्सा सुविधा मिले, क्या उपाय किए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) 1987-88 में सूचित किए गए कोरापुट जिले में आदिवासियों की भूख के कारण हुई मृत्यु के कुछ कथित मामलों की जांच की गई थी और यह पाया गया कि ये मौतें बीमारियों के कारण हुई थी, न कि भूख के कारण।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार से अनुरोध किया गया है कि लोगों की न्यूनतम पोषाहार आवश्यकताओं को पूरा करने, इन क्षेत्रों के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने और उचित चिकित्सा सर्वेक्षणों के पश्चात उपयुक्त प्रतिरोधक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए धन-राशि और संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाए।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रम

5443. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का कार्यकरण/पाठ्यक्रम क्या है;

(ख) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा वर्ष 1986-87 के दौरान कौन-कौन से कार्यक्रम/पाठ्यक्रम चलाए गए;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1987-88 के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुरक्षण अनुदान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के उद्देश्य, उनके संगम-ज्ञापन तथा नियमावली में बताये अनुसार, संलग्न विवरण 1 में दिए गए हैं।

(ख) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा वर्ष 1986-87 के दौरान चलाए गए कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1987-88 के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को 65,44,669/-रुपये का अनुरक्षण अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें से 55,11,000/-रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं। 10,33,669/-रुपये का बकाया अनुदान दिया जाने वाला है।

विवरण 1

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के उद्देश्य

समिति (भारतीय लोक प्रशासन संस्थान) को गठित करने के उद्देश्य नीचे दिये जाते हैं :—

(i) लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए तथा लोक प्रशासन के विशेष संदर्भ में आर्थिक और राजनीति शास्त्र तथा सरकारी तंत्र और उससे सम्बन्धित शैक्षिक उद्देश्यों को प्रोत्साहन देना तथा व्यवस्था करना।

(ii) लोक प्रशासन तथा सरकारी तन्त्र से संबंधित मामलों में अध्ययन पाठ्यक्रम सम्मेलन तथा व्याख्यान तथा अनुसंधान आरम्भ करना, आयोजित करना तथा सुसाध्य बनाना।

(iii) लोक प्रशासन के अध्ययन को प्रोत्साहित करने तथा लोक प्रशासन में प्रशिक्षण देने के लिए किसी पत्रिका (जर्नल) और अनुसंधान विनिबंध तथा पुस्तकों के प्रकाशन का उत्तरदायित्व लेना तथा उसके लिए व्यवस्था करना।

(iv) लोक प्रशासन के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने तथा उसके सम्बन्ध में जानकारी प्रसारित करने के लिए पुस्तकालयों तथा सूचना सेवाओं को स्थापित करना तथा उन्हें बनाए रखना।

(v) समिति के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में सुविधाजनक केन्द्रों में में क्षेत्रीय शाखाओं को गठित करना अथवा गठित करने की प्रेरणा देना।

(vi) लोक प्रशासन के कार्यों में मदद करने के उद्देश्यों के लिए मान्यताप्राप्त संस्थानों तथा निकायों को सहयोग देना।

(vii) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन तथा कोषों के लिए अपीलें और प्रार्थना पत्र जारी करना तथा उपहार, दान और नकद चन्दा तथा चल अथवा अचल किसी भी प्रकार की सम्पत्ति की प्रत्याभूति स्वीकार करना।

(viii) समिति की सम्पत्ति तथा निधियों के मामलों को निपटाना तथा पूंजी लगाना;

(ix) समिति को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली अथवा दिल्ली अथवा दिल्ली के बाहर के राज्यों में, आवश्यक या सुविधाजन किसी भी चल या अचल सम्पत्ति को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से अथवा अन्य किसी प्रकार के अधिग्रहण करना खरीदना या अन्यथा उसका स्वामित्व ग्रहण करना अथवा उसे पट्टे अथवा किराए पर प्राप्त करना।

(X) समिति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए समिति की चल या अचल सम्पत्ति को पूर्णत: अथवा अंशत: बेचना, बन्धक रखना, पट्टे पर देना विनिमय करना और अन्य किसी ढंग से हस्तांतरित करना या निपटाना।

(xi) समिति के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अथवा सुविधाजनक किसी भवन या निर्माण कार्य का निर्माण, रख रखाव, हेर फेर, करना, सुधारना या विकसित करना।

(xii) किसी स्थायी निधि या न्यास निधि अथवा दान का प्रबन्ध कार्य प्रारम्भ करना तथा स्वीकार करना।

(xiii) समिति के कर्मचारियों की सुविधा के लिए भविष्य निधि स्थापित करना।

(xiv) समिति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार देना तथा छात्रवृत्तियां तथा वजीफे मंजूर करना।

(xv) इस प्रकार के सभी अन्य विधि सम्मत कार्य करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक अथवा प्रासंगिक हो।

विवरण 2

क्रम० संख्या	पाठ्यक्रम का नाम
1	2

प्रबन्ध विकास कार्यक्रम-1

(भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा प्रायोजित)

1. लोक प्रशासन में 12वां उन्नत कार्यक्रम

क. प्रबन्धोन्मुखी कार्यक्रम :

1. ग्रामीण विकास पर द्वितीय पाठ्यक्रम
(प्रशासनिक पहलुओं पर बल देते हुए)

1	2
2.	सामान सूची प्रबन्ध तथा नियन्त्रण पर छठा पाठ्यक्रम
3.	सरकार में कम्प्यूटों पर दसवां पाठ्यक्रम
4.	जीरो बेस बजटिंग पर प्रथम पाठ्यक्रम
5.	प्रबन्धकीय वित्त पर तीसरा पाठ्यक्रम
6.	प्रशासनिक विधि पर पांचवा पाठ्यक्रम
7.	प्रबन्ध सूचना प्रणाली पर दसवां पाठ्यक्रम
8.	कार्मिक प्रबन्ध पर दसवां पाठ्यक्रम
9.	प्रशासनिक नेतृत्व तथा व्यवहार पर तीसवां पाठ्यक्रम
10.	बहुस्तरीय योजना निर्माण पर तृतीय पाठ्यक्रम (जिला योजना पर विशेष बल देते हुए)
11.	आपराधिक न्याय प्रशासन पर पांचवां पाठ्यक्रम
12.	बजटिंग तथा वित्तीय नियन्त्रण पर पच्चीसवां पाठ्यक्रम
13.	सरकार में कम्प्यूटों पर ग्यारहवां पाठ्यक्रम
14.	लक्ष्यपरक प्रबन्ध पर सातवां पाठ्यक्रम
ख.	विशेष कार्यक्रम
1.	नीति योजना और विश्लेषण—ऊर्जा नीति पर सातवां विशेष कार्यक्रम
2.	लोक संगठनों में प्रशासनिक क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने सम्बन्धी प्रथम पाठ्यक्रम
3.	नीति योजना तथा विश्लेषण—खाद्य नीति पर आठवां विशेष कार्यक्रम।
4.	भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के एकीकृत वित्त प्रभागों के अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रबन्ध पर सातवां प्रशिक्षण कार्यक्रम
5.	नीति योजना तथा विश्लेषण—नगरीकरण तथा नगर नीति पर नौवां विशेष कार्यक्रम
6.	समूह "क" अधिकारियों (11-16 वर्ष) के लिए पांचवा प्रबन्ध विकास कार्यक्रम
7.	नीति योजना तथा विश्लेषण—पर्यावरणीय नीति पर दसवां विशेष कार्यक्रम
8.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पैनल में शामिल उप सचिवों के लिए ग्यारहवां प्रबन्ध विकास कार्यक्रम
9.	नीति विश्लेषण—लोक परिवहन नीति, कार्मिक नीति राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग नीति, और रक्षा नीति पर चौथा विशेष कार्यक्रम

1	2
10.	नीति योजना और विश्लेषण—नगर विकास नीति पर ग्यारहवां विशेष कार्यक्रम
11.	नीति विश्लेषण—कानून तथा व्यवस्था नीति शिक्षा नीति, आदिवासी विकास नीति और समाज कल्याण नीति पर पांचवा विशेष कार्यक्रम
12.	सरकारी कार्यालयों के प्रबन्ध पर प्रथम पाठ्यक्रम
13.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पैनल में शामिल किए गए उप सचिवों के लिए बारहवां प्रबन्ध विकास कार्यक्रम।
14.	नीति विश्लेषण—मानवसंसाधन विकास नीति, सरकारी क्षेत्र नीति और स्वास्थ्य पर छठा विशेष कार्यक्रम।
15.	ग्रामीण विकास के लिए योजना निर्माण पर पांचवा पाठ्यक्रम
16.	नीति योजना और विश्लेषण—वित्तीय नीति पर बारहवां विशेष कार्यक्रम
17.	नीति योजना तथा विश्लेषण—शिक्षा नीति पर तेरहवां विशेष कार्यक्रम
18.	नीति योजना तथा विश्लेषण—गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर चौदहवां विशेष कार्यक्रम।
19.	नीति योजना तथा विश्लेषण—औद्योगिक नीति पर पन्द्रहवां विशेष कार्यक्रम।
20.	परियोजना सूत्रीकरण तथा कार्यान्वयन जबलपुर में मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ तथा मध्य स्तरीय कार्यकारी अधिकारियों के लिए अधिकार पर विशेष गहन व्यापारिक पाठ्यक्रम
21.	नीति योजना तथा विश्लेषण—गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर सोलहवां विशेष कार्यक्रम।
22.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा में शामिल किए गए उप सचिवों के लिए तेरहवां प्रबन्ध विकास कार्यक्रम।

प्रबन्ध विकास कार्यक्रम-II

क. शुल्क पर आधारित कार्यक्रम

1. शून्य पर आधारित बजट के सम्बन्ध में प्रयास पर हमला पाठ्यक्रम
2. प्रबन्ध लेखा के सम्बन्ध में आठवां पाठ्यक्रम।
3. शहरी परियोजना मूल्यांकन के सम्बन्ध में सातवा पाठ्यक्रम
4. अभिप्रेरणा के लिए प्रबन्ध प्रशिक्षण पर तीसरा पाठ्यक्रम
5. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आठवां पाठ्यक्रम

1	2
ख.	प्रायोजित कार्यक्रम (अन्य संगठनों के अनुरोध पर आयोजित)
1.	कृषि विकास प्रशासकों के प्रशिक्षण पर खाद्य तथा कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय कार्यशाला
2.	ग्रामीण विकास के प्रबन्ध पर दूसरा पाठ्यक्रम (भारत सरकार के प्रशिक्षण प्रभाग ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)
3.	भारतीय दूरसंचार सेवा के परिवीक्षाधीनों के लिए चतुर्थ सामान्य प्रबन्ध पाठ्यक्रम (एडवांसड लेवल टेलीकम्यूनिकेशन ट्रेनिंग सेंटर, गाजियाबाद द्वारा प्रायोजित)
4.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में पहला पाठ्यक्रम (भारत सरकार, कार्मिक विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित तथा कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित)
5.	बम्बई में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० के लिए नेटवर्क तकनीकों (पी० ई० आर० टी/सी० पी० एम०) के माध्यम से परियोजना प्रबन्ध के सम्बन्ध में, दूसरा विशेष गहन व्यावहारिक (पाठ्यक्रम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० बम्बई द्वारा प्रायोजित)
6.	अहमदाबाद में गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए शून्य पर आधारित बजट तैयार करने सम्बन्धित विशेष पाठ्यक्रम (सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान गुजरात सरकार द्वारा प्रायोजित)
7.	सहभागिता के माध्यम से विकास पर पांचवां पाठ्यक्रम (भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित)
8.	वरिष्ठ, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए कानून तथा व्यवस्था के प्रबन्ध पर पहला प्रशिक्षण सेमीनार (भारत सरकार, पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरों, गृह मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित)
	शहरी अध्ययनों के लिए केन्द्र
1.	शहरी प्राधिकरणों में सतर्कता के सम्बन्ध में दूसरा पाठ्यक्रम
2.	सालिड वेस्ट मैनेजमेंट तथा पर्यावरणीय स्वच्छता पर तीसरा पाठ्यक्रम
3.	शहरी विकास के प्रबन्ध पर दूसरा पाठ्यक्रम
4.	छोटे तथा मध्य स्तर के कस्बों के एकीकृत विकास के वित्तपोषण पर तीसरा पाठ्यक्रम

1	2
5.	नगर पालिका बजट तैयार करने तथा वित्त नियन्त्रण पर चतुर्थ पाठ्यक्रम
6.	सम्पदा शुल्कों के मूल्यांकन तथा निर्धारण पर तेरहवां पाठ्यक्रम
7.	शहरी योजना प्रशासन पर नौवां पाठ्यक्रम
8.	नगर पालिका कार्मिकों के प्रबन्ध पर चौदहवां पाठ्यक्रम
9.	छोटे तथा मध्य स्तर के कस्बों के एकीकृत विकास के प्रबन्ध पर सातवां पाठ्यक्रम
10.	शहरी गरीबों के लिए आवास पर पांचवां पाठ्यक्रम ।

हज यात्रियों के लिए समुद्री मार्ग से यात्रा की सुविधा का समाप्त किया जाना

5444. **श्री पी० एम० सईद** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष से हज यात्रियों के लिए समुद्री मार्ग से यात्रा की सुविधा समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस निर्णय के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

परमाणु जानकारी का निर्यात

5445. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी देश ने भारत सरकार से परमाणु जानकारी का निर्यात करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विदेशों को परमाणु जानकारी का निर्यात रोकने का विचार है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) न्यूक्लियर ऊर्जा के शांतिमय उपयोगों के बारे में अनेक देशों ने भारत के साथ द्विपक्षीय करार किए हुए हैं । इन करारों के अन्तर्गत संयुक्त सहकार से चलाए जाने वाले कार्यक्रम हाथ में लिए जाते हैं। न्यूक्लियर ऊर्जा संबंधी जानकारी का निर्यात करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

कम्प्यूटर प्रिंटरों और इलेक्ट्रोनिक टेलीफोनों के लिए विदेशी सहयोग

5446. **श्री आनन्द पाठक** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर प्रिंटरों और इलेक्ट्रोनिक टेलीफोनों के सम्बन्ध में हमारे देश ने अन्य देशों के साथ सहयोग करने का कोई समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रत्येक सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) लाइन मुद्रकों के विदेशी-सहयोग के छः प्रस्तावों को तथा डांट पेट्रिक्स मुद्रकों के लिए विदेशी सहयोग के पन्द्रह प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इलेक्ट्रोनिक टेलीफोनों के विनिर्माण के लिए सरकार द्वारा चुने गए तीन विदेशी-सहयोगकर्त्ताओं के नाम तथा जिन पार्टियों को इनके साथ विदेशी-सहयोग करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, उनकी संख्या नीचे दिए अनुसार है :

(i) मेसर्स सीमेंस ए० जी०	14
(ii) मेसर्स एरिक्सन इन्फार्मेशन सिस्टम	11
(iii) मेसर्स 'फेस' स्टैंडर्ड	6

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधी भारतीय अनुसंधान परिषद् द्वारा योजना लक्ष्यों का मूल्यांकन

5447. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधी भारतीय अनुसंधान परिषद् ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि जब तक फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार समाप्त करके वित्तीय ईमानदारी पुन: कायम नहीं की जाती, बेहतर है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा विकास प्रक्रिया निरर्थक हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन में यह भी बताया गया है कि इससे विकास प्रक्रिया को भारी धक्का लगेगा;

(ग) क्या इस अध्ययन में योजना लक्ष्यों तथा कार्यान्वियन प्रक्रियाओं का समीक्षात्मक मूल्यांकन करने के लिए भी कहा गया है;

(घ) अध्ययन दल ने अन्य क्या सुझाव दिए हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ङ) माननीय सदस्य सम्भवत: वित्त तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में अनुसंधान की भारतीय परिषद् के वित्त और परामर्शदाता, श्री एन० ए० शर्मा के "विश्व अर्थव्यवस्था और भारत चुनौतियां तथा अवसर (ग्लोबल इकानामी एण्ड इण्डिया : चैलेंज एण्ड अपरच्यूनिटीज)" प्रकाशन का उल्लेख कर रहे हैं । ये विचार श्री शर्मा के हैं और यह जरुरी नहीं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में अनुसंधान की भारतीय परिषद् के विचारों के द्योतक हों ।

सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि सातवीं योजना और विकास की प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी ।

राष्ट्रीय आय

5448. श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) वर्ष 1970-71 में राष्ट्रीय आय में कृषि और उद्योग का कितना अंश था;

(ख) वर्ष 1985-86 में इन क्षेत्रों का कितना अंश था; और

(ग) इस समय कितना अंश है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए गए नवीनतम सरकारी अनुमान वर्ष 1986-87 से सम्बंधित हैं। वर्ष 1970-71, 1985-86 और 1986-87 में राष्ट्रीय आय में कृषि तथा विनिर्माण क्षेत्रों का अंश निम्नलिखित हैं।

	राष्ट्रीय आय में प्रतिशत अंश		
क्षेत्र	1970-71	1985-86	1986-87
कृषि	47.8	32.4	31.0
विनिर्माण	13.5	18.3	18.4

वर्ष 1985-86 और 1986-87 से सम्बन्धित उपर्युक्त आंकड़े नई श्रृंखला के हैं जिनका आधार वर्ष 1980-81 है, जबकि 1970-71 के आंकड़े आधार के रूप में उक्त वर्ष सहित पुरानी श्रृंखला के हैं।

रंगीन/सादा टेलीविजन सेट निर्माता

5449. श्री एम० डेनिस : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रंगीन और सादा टेलीविजन सेटों के राज्य वार कुल कितने निर्माता हैं;

(ख) उनमें से विदेशों के साथ सहयोग समझौता करने वालों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनमें से प्रत्येक द्वारा केन्द्रीय और राज्य वित्त निगमों से लिए गए ऋण का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायन) : (क) देश में श्याम तथा श्वेत और रंगीन दूरदर्शन सेटों के 230 विनिर्माता है। इन इकाइयों का राज्य वार वितरण संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) देश में दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के सम्बन्ध में, किसी विदेशी तकनीकी सहयोग के लिए अनुमति नहीं प्रदान की गई है। किन्तु, 40 प्रतिशत तक की विदेशी साम्या पूंजी की कम्पनियों को दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है। सूची संलग्न विवरण 2 में दी गई हैं।

(ग) वित्तीय संस्थाओं द्वारा औद्योगिक इकाइयों को सीधे ऋण प्रदान किए जाते हैं।

विवरण

श्याम तथा श्वेत और रंगीन दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों का राज्यवार वितरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाइयों की संख्या
1.	चंडीगढ़	1
2.	दिल्ली	49
3.	हरियाणा	7
4.	हिमाचल प्रदेश	1
5.	जम्मू और कश्मीर	2
6.	पंजाब	8
7.	राजस्थान	2
8.	उत्तर प्रदेश	33
9.	गोवा, दमन तथा दीव	1
10.	गुजरात	15
11.	मध्य प्रदेश	10
12.	महाराष्ट्र	26
13.	आसाम	1
14.	उड़ीसा	4
15.	पश्चिम बंगाल	21
16.	आंध्र प्रदेश	10
17.	कर्नाटक	9
18.	केरल	11
19.	पांडिचेरी	1
20.	तमिलनाडु	16
21.	बिहार	2

विवरण-2

रंगीन दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण करने के लिए, 40 प्रतिशत तक की विदेशी साम्यापूंजी वाली कम्पनियां जिन्हें आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

क्रम सं०	इकाई/पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	अनुमोदित उत्पादन-क्षमता
1.	मेसर्स नेशनल रेडियो एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी, बम्बई	अन्धेरी पूर्व	औद्योगिक लाइसेंस 2 लाख
2.	मेसर्स डेल्टा हैम्लिन लि०, नई दिल्ली	चंडीगढ़	औद्योगिक लाइसेंस 50.000
3.	मेसर्स पीको इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि०, बम्बई	कलकत्ता	औद्योगिक लाइसेंस 50.00
4.	मेसर्स ऐल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज लि० त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	आशय पत्र 50.000
5.	मेसर्स अपट्रॉन इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइसेस लि०, साहिबाबाद	गाजियाबाद	आशय पत्र 50.000
6.	मेसर्स कल्याणी शार्प इंडिया लि० पुणे	पुणे	औद्योगिक लाइसेंस 50.00
7.	मेसर्स इंडो नेशनल लि०, मद्रास	औरंगाबाद	आशय पत्र 50.000

अमरीका से उच्च तकनीक का अन्तरण

5450. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने वर्ष 1987-88 के दौरान भारत को उच्च तकनीक अन्तरण लाइसेंस देने की मंजूरी दे दी थी; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने लाइसेंसों को मंजूरी दी गई है और मदवार उनका कुल मूल्य कितना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार अमरीकी सरकार ने भारत के लिए 1987 में नियन्त्रित मदों के निर्यात के लिए 4690 लाइसेंस स्वीकृत किए थे जिनकी कीमत 826.1 मिलियन अमरीकी डालर थी।

तट रक्षक की उपलब्धियां

5451. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तट रक्षक की अगस्त, 1978 में एक सशस्त्र सेना के रूप में स्थापना की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशी नागरिकों द्वारा घुसपैठ और तस्करी को रोकने के साथ-साथ शांति बनाए रखने के कार्यों में इसकी क्या उपलब्धि रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान तट रक्षक संगठन ने हमारे अनन्य आर्थिक समुद्री क्षेत्र में अवैध रूप से घुसने और मछली पकड़ने के लिए 1662 मछुआरों सहित मछली पकड़ने वाली 148 विदेशी नौकाओं को पकड़ा । इससे 13.00 करोड़ रुपये का माल जब्त किया जा सका । जुलाई, 1987 से पूर्वी क्षेत्र में भारतीय नौसेना के संक्रियात्मक नियन्त्रण के अधीन तैनात तट रक्षक पोत श्रीलंका में शांति बनाए रखने सम्बन्धी कार्रवाई में सक्रिय रूप से सहायता दे रहा है ।

प्रति व्यक्ति आय

5452. **श्री के० मोहन दास** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के पश्चात प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसका योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछली सभी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान केरल का प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय क्या था तथा इसका योजनावार ब्यौरा क्या है;

(घ) अन्य राज्यों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है; और

(ङ) क्या केरल की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) और (ख) उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में देखे जा सकते हैं ।

(ग) और (घ) अनुमोदित योजना परिव्ययों/व्यय और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में पहली योजना से सातवीं योजना तक प्रति व्यक्ति योजना परिव्ययों/व्यय के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई हैं, जिनमें अन्य राज्यों की तुलना में केरल के प्रति व्यक्ति व्यय की तुलनात्मक स्थिति दी गई है ।

(ङ) 1970-71 की स्थिर कीमतों पर, केरल की प्रतिव्यक्ति आय जो 1978-79 में 593 रु० थी, बढ़कर 1984-85 में 625 रु० हो गई ।

विवरण-1

प्रत्येक योजना अवधि के अन्त में देश में प्रति व्यक्ति आय

प्रति व्यक्ति आय (रुपये)

योजना	योजना का अंतिम वर्ष	चालू कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर (1970-71)
पहली योजना	1955-56	236	508
दूसरी योजना	1960-61	306	559

तीसरी योजना	1965-66	426	559
चौथी योजना	1973-74	870	621
पांचवी योजना	1978-79	1253	717
छठी योजना	1984-85*	2355	775

स्रोत : राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 1970-71 —1984-85 जनवरी, 1987 (परिशिष्ट ए)।

* नई श्रृंखला के अनुसार, 1984-85 में चालू तथा स्थिर (1980-81) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय का अनुमान क्रमशः 2477 रु० तथा 1791 रु० है (राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई श्रृंखला, 1980-81 से 1985-86 तक, फरवरी 1988 के अनुसार, जिसका आधार वर्ष 1980-81 है)।

विवरण-2

अनुमोदित योजना परिव्यय/व्यय और प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय/व्यय पहली योजना (1951-56) से सातवीं योजना (1985-90) तक-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पहली योजना (1951-56)		द्वितीय योजना (1956-61)		तृतीय योजना (1961-66)		वार्षिक योजना (1966-69)	
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	114.14	107.00	219.19	180.64	305.00	344.78	221.03	235.62
		(36)	(33)	(64)	(53)	(82)	(92)	(55)	(59)
2.	असम	21.67	28.00	57.94	63.15	120.00	132.24	89.25	87.12
		(26)	(34)	(61)	(66)	(104)	(115)	(69)	(67)
3.	बिहार	68.67	102.00	194.22	176.87	337.04	331.74	216.59	217.37
		(17)	(25)	(44)	(40)	(70)	(69)	(42)	(42)
4.	गुजरात	30.49	99.00	55.59	146.83	235.00	237.68	204.56	287.89
		(18)	(58)	(29)	(77)	(108)	(110)	(85)	(86)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	हरियाणा	*	*	*	*	*	*	50.36	84.62
								(56)	(94)
6.	हिमाचल प्रदेश	5.70	4.99	14.72	16.97	27.93	33.85	40.22	39.88
		(23)	(20)	(55)	(64)	(96)	(116)	(127)	(126)
7.	जम्मू और कश्मीर	12.74	13.00	33.92	26.82	75.00	61.24	60.99	59.28
		(39)	(39)	(99)	(78)	(202)	(165)	(148)	(141)
8.	कर्नाटक	50.92	94.00	84.37	138.72	250.06	250.69	164.16	192.15
		(25)	(47)	(38)	(62)	(102)	(102)	(62)	(72)
9.	केरल	31.28	44.00	71.95	79.00	176.00	181.59	128.70	144.74
		(22)	(31)	(45)	(50)	(96)	(102)	(66)	(74)
10.	मध्य प्रदेश	83.68	94.00	230.19	145.50	300.00	288.36	171.17	166.82
		(31)	(35)	(76)	(48)	(88)	(85)	(46)	(44)
11.	महाराष्ट्र	159.86	125.00	266.25	214.03	390.00	433.60	384.47	388.83
		(48)	(37)	(72)	(53)	(94)	(105)	(84)	(85)
12.	मणिपुर	1.55	1.08	6.25	6.22	12.88	12.82	10.14	7.20
		(25)	(18)	(89)	(88)	(155)	(154)	(107)	(76)
13.	मेघालय	*	*	*	*	*	*	*	*
14.	नागालैंड	*	*	*	*	7.15	10.79	17.36	15.98
						(180)	(271)	(382)	(352)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	उड़ीसा	21.23	85.00	99.97	89.36	160.00	224.06	127.60	122.75
		(14)	(56)	(61)	(54)	(87)	(122)	(64)	(61)
16.	पंजाब	44.62	163.00	162.68	151.43	231.39	254.23	131.58	121.85
		(44)	(173)	(157)	(146)	(220)	(200)	(105)	(97)
17.	राजस्थान	27.28	66.00	105.27	99.86	236.00	210.69	136.21	136.60
		(16)	(40)	(56)	(53)	(112)	(100)	(59)	(59)
18.	सिक्किम	*	*	*	*	*	*	*	*
19.	तमिलनाडु	90.20	85.00	173.06	186.19	290.88	342.33	236.53	265.99
		(29)	(28)	(53)	(57)	(83)	(98)	(62)	(70)
20.	त्रिपुरा	2.29	1.62	8.47	9.41	16.32	15.51	14.00	11.44
		(32)	(23)	(88)	(98)	(132)	(126)	(100)	(82)
21.	उत्तर प्रदेश	129.83	166.00	253.10	288.32	497.00	560.25	450.52	451.40
		(20)	(25)	(36)	(32)	(65)	(73)	(55)	(55)
22.	पश्चिम बंगाल	76.45	154.00	153.66	154.84	250.00	300.49	179.87	161.47
		(28)	(56)	(48)	(49)	(68)	(82)	(44)	(40)
	जोड़—	972.60	1432.69	2190.80	2115.16	3911.59	4226.93	3036.18	3118.91
		(26)	(39)	(54)	(52)	(86)	(93)	(61)	(63)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	संघ राज्य क्षेत्र								
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3.83 (1094)	0.83 (237)	5.92 (1184)	3.62 (724)	9.79 (1360)	6.17 (857)	7.05 (766)	5.29 (575)
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.21 (139)	2.31 (76)	9.51 (293)	3.74 (114)	7.15 (199)	7.32 (203)	8.57 (209)	7.79 (190)
3.	चण्डीगढ़	*	*	*	*	1/	9.56 (655)	3.60 (180)	2.72 (136)
4.	दादरा व नगर हवेली	*	*	*	*	1/	0.25 (41)	1.29 (193)	0.71 (106)
5.	दिल्ली	6.79 (35)	5.85 (30)	16.97 (72)	11.42 (48)	81.75 (283)	93.09 (322)	75.25 (220)	63.88 (187)
6.	गोवा, दमन व दीप.	*	*	*	*	23.04 (349)	15.27 (231)	24.02 (321)	19.82 (265)
7.	लक्षद्वीप	*	*		0.42 (183)	0.97 (388)	0.99 (396)	1.62 (579)	0.95 (339)
8.	मिजोरम	*	*	*	*	*	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. पांडिचेरी		0.73	0.50	4.76	3.66	6.93	6.01	6.50	5.26
		(23)	(15)	(137)	(105)	(180)	(156)	(153)	(124)
	जोड़	15.56	9.49	37.16	22.86	129.63	138.66	127.90	106.42
		(45)	(27)	(91)	(56)	(266)	(284)	(225)	(187)
	जोड़ : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	988.16	1442.18	2227.96	2139.02	4041.22	4365.59	3164 08	3225.33
		(26)	(38)	(54)	(52)	(88)	(95)	(63)	(64)
	जनसंख्या के प्रयुक्त अनुमान	1953	1953	1958	1958	1963	1963	1967	1967

(करोड़ रु०)

क्रम० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चौथी योजना (1969-74) परिव्यय	चौथी योजना (1969-74) व्यय	पांचवी योजना (1974-79) परिव्यय	पांचवी योजना (1974-79) व्यय	छठी योजना (1980-85) परिव्यय	छठी योजना (1980-85) व्यय	सातवीं योजना (1985-90) परिव्यय
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	420.50	425.51	1333.58	1469.18	3100.00	3221.29	5200.00
		(97)	(98)	(277)	(305)	(557)	(578)	(868)
2.	असम	223.75	198.41	473.84	428.63	1115.00	1279.79	2100.00
		(153)	(136)	(279)	(252)	(533)	(612)	(919)
3.	बिहार	531.28	479.21	1296.06	1187.17	3225.00	2948.71	5100.00
		(94)	(85)	(207)	(190)	(442)	(404)	(642)
4.	गुजरात	455.00	545.02	1185.76	1379.35	3880.00	3880.45	6000.00
		(170)	(204)	(392)	(456)	(1034)	(1091)	(1563)
5.	हरियाणा	225.00	358.26	601.34	677.18	1800.00	1569.47	2900.00
		(224)	(357)	(527)	(593)	(1318)	(1149)	(1911)
6.	हिमाचल प्रदेश	101.40	113.43	238.95	235.10	560.00	668.83	1050.00
		(293)	(328)	(621)	(611)	(1258)	(1502)	(2194)

1	2	11	12	13	14	15	16	17
7.	जम्मू और कश्मीर	158.40 (343)	162.22 (351)	362.64 (685)	376.65 (710)	900.00 (1440)	919.37 (1471)	1400.00 (2045)
8.	कर्नाटक	350.00 (119)	374.14 (128)	997.67 (394)	1079.83 (329)	2265.00 (583)	2665.47 (683)	3500.00 (830)
9.	केरल	258.40 (121)	333.35 (156)	568.96 (242)	667.71 (284)	1550.00 (588)	1645.39 (624)	2100.00 (741)
10.	मध्य प्रदेश	383.00 (92)	475.51 (114)	1379.71 (294)	1437.39 (307)	3800.00 (697)	3864.74 (709)	7000.00 (1178)
11.	महाराष्ट्र	898.12 (178)	1004.51 (199)	2347.11 (415)	2659.11 (471)	6175.00 (942)	6520.68 (994)	1050.00 (1480)
12.	मणिपुर	30.25 (287)	31.15 (291)	92.86 (747)	98.90 (796)	240.00 (1604)	243.32 (1628)	430.00 (2608)
13.	मेघालय	38.00 (376)	36.24 (359)	89.53 (770)	99.07 (852)	235.00 (1662)	259.96 (1838)	440.00 (2794)
14.	नागालैंड	40.00 (769)	38.52 (741)	83.63 (1360)	96.25 (1565)	210.00 (2488)	292.79 (2723)	400.00 (4055)
15.	उड़ीसा	222.60 (101)	249.34 (114)	585.02 (241)	638.00 (263)	1500.00 (549)	1562.20 (572)	2700.00 (919)
16.	पंजाब	293.56 (217)	428.47 (316)	1013.49 (675)	940.16 (626)	1957.00 (1117)	1891.50 (1080)	3285.00 (1746)
17.	राजस्थान	302.00 (117)	308.81 (120)	709.24 (241)	867.94 (295)	2025.00 (559)	2134.64 (589)	3000.00 (746)

1	2	11	12	13	14	15	16	17
18.	सिक्किम	*	*	39.64	40.10	122.00	147.80	230.00
				(1573)	(1591)	(3567)	(4322)	(5838)
19.	तमिलनाडु	519.36	551.69	1122.32	1149.62	3150.00	3583.50	5750.00
		(126)	(134)	(248)	(254)	(630)	(717)	(1077)
20.	त्रिपुरा	34.66	34.66	69.68	75.96	245.00	292.71	440.00
		(222)	(222)	(395)	(430)	(1131)	(1151)	(1850)
21.	उत्तर प्रदेश	965.00	1162.58	2445.86	2909.48	5850.00	6519.20	10447.00
		(109)	(132)	(249)	(505)	(505)	(563)	(832)
22.	पश्चिम बंगाल	322.50	363.55	1246.83	1253.23	3500.00	2433.27	4125.00
		(73)	(82)	(253)	(255)	(616)	(428)	(672)
	जोड़ :	6772.78	7674.58	18284.22	19765.41	47204.00	48481.90	78097.00
		(125)	(142)	(302)	(327)	(670)	(688)	(1022)
	संघ राज्य क्षेत्र							
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14.00	14.70	33.72	28.40	96.60	99.60	285.00
		(1273)	(1336)	(2278)	(1919)	(4644)	(4803)	(11400)
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.99	21.12	63.30	64.83	212.00	223.01	400.00
		(383)	(449)	(1161)	(1190)	(3169)	(3333)	(5355)
3.	चण्डीगढ़	7.75	17.36	39.76	37.30	100.75	111.72	203.10
		(298)	(668)	(1190)	(1117)	(1995)	(2212)	(3265)
4.	दादरा व नगर हवेली	2.30	2.33	9.41	8.87	23.09	30.02	46.29
		(329)	(333)	(1094)	(1031)	(2099)	(2729)	(3826)

1	2	11	12	13	14	15	16	17
5.	दिल्ली	162.65	155.10	316.01	341.06	800.00	1042.09	2000.00
		(400)	(381)	(630)	(680)	(1183)	(1542)	(2520)
6.	गोवा, दमन और द्वीव	39.50	41.93	85.00	87.38	192.00	224.42	360.00
		(459)	(488)	(855)	(879)	(1687)	(1972)	(2871)
7.	लक्षद्वीप	2.00	1.90	6.23	5.14	20.25	28.25	43.90
		(667)	(633)	(1731)	(1428)	(4845)	(6726)	(9977)
8.	मिजोरम	2/	9.30	46.59	48.73	130.00	150.09	260.00
			(282)	(1195)	(1249)	(2421)	(2795)	(4180)
9.	पांडिचेरी	12.50	14.37	34.04	34.56	71.54	98.96	170.00
		(266)	(306)	(635)	(645)	(1128)	(1561)	(2457)
	जोड़ :	258.69	278.12	636.60	656.27	1646.33	2008.46	3768.29
		(388)	(417)	(735)	(812)	(1553)	(1894)	(3067)
	जोड़ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	7031.47	7952.70	18918.28	20421.68	48850.33	50490.36	81865.29
		(128)	(145)	(309)	(333)	(683)	(706)	(1054)
	जनसंख्या के प्रयुक्त अनुमान	1971	1971	1976	1976	1983	1983	1987

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाये गए आंकड़े प्रति व्यक्ति परिव्यय/व्यय रु० में हैं।

* : तब राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नहीं था।

1/ : 1965-66 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र अस्तित्व में आया।

2/ : असम के अधीन शामिल।

केरल में आदिवासी कल्याण

5453. **श्री के० कुञ्जम्बु** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में आदिवासी कल्याण के लिए वर्ष 1987-88 के दौरान कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा समुचित निगरानी रखी जा रही है, और

(ग) इस सम्बन्ध में शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और उनसे आदिवासियों को क्या लाभ हुए हैं ;

कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) केरल राज्य को 1987-88 के लिए आदिवासी उप-योजना हेतु आवंटित विशेष केन्द्रीय सहायता की सम्पूर्ण धनराशि 83.74 लाख रुपये है। केरल सरकार ने विशेष केन्द्रीय सहायता में से 31-12-1987 तक 16.612 लाख रु० व्यय किए जाने की सूचना दी है।

(ख) लाभोन्मुखी योजनाओं का प्रबोधन कल्याण मंत्रालय के माध्यम से तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से भी किया जाता है।

(ग) आदिवासी कार्यक्रमों में आदिवासी विकास से सम्बन्धित सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं और इनमें पेयजल की व्यवस्था, शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं पोषक सुविधाएं, ऋण और विपणन, भूमि संरक्षण उपाय और भूमि सुधार, कुटीर और लघु उद्योग धंधे, बागवानी, डेयरी विकास तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत तथा एन० आर० ई० पी० एवं आर० एल० ई० जी० पी० जैसे रोज़गार प्रदान करने के कार्यक्रमों के अधीन अन्य योजनाओं के लिए कार्यक्रम शामिल हैं। 1987-88 के दौरान गरीबी रेखा को पार करने के लिए 4380 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लक्ष्य की तुलना में फरवरी, 1988 तक 4806 परिवार को सहायता दी गई।

ओ० पी० गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

5454. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने ओ० पी० गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में 3 सितम्बर, 1987 को दिए अपने निर्णय के पैरा 23 में यह कहा है कि केन्द्रीय सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि विभागीय कार्यवाही से संबंधित मामलों को उचित कर्तव्य परायण से निपटाया जाए और इनके निपटाने में अनावश्यक रूप से अधिक समय न लगाया जाये क्योंकि जन-हित में सेवा में कुशलता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि सिविल कर्मचारी से अनुचित व्यवहार न किया जाए और उनके लिए विभिन्न प्रकार की परेशानियां पैदा न की जाएं तथा उनका अपमान न किया जाए और न्यायालय ने बकाया वेतन तथा पेंशन पर 12 प्रतिशत ब्याज के भुगतान का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विभागीय मामलों को तुरन्त निपटाने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने वाले अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए निर्देश देने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां श्री गुप्ता के मामले की विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में दी गई थीं। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रारम्भ किए गए सभी अनुशासनिक मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता पर बल देने वाले व्यापक अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं। सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों के लिए आवश्यक है कि वे इन अनुदेशों का पालन करें। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में आगे कोई अन्य अनुदेश जारी करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

जहां तक श्री गुप्ता के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन का संबंध है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने श्री गुप्ता को वेतन तथा भत्तों और पेंशन के सम्बन्ध में देय बकाया का भुगतान पहले ही कर दिया है।

नानक चन्द्र बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का फैसला

5455. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ ने 14 जनवरी, 1987 को नानक चन्द बनाम रजिस्ट्रार दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अन्यों के मामले में यह फैसला दिया था कि अनुशासनात्मक कार्यवाहियां न्यायिकल्प नहीं हैं और उन कार्यवाहियों में कोई अन्य प्राधिकारी भाग नहीं ले सकता है अथवा उन पर राय व्यक्त नहीं कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त फैसले को ध्यान में रखते हुए क्या निर्देश जारी किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 अथवा अन्य तदनुरूपी सांविधिक नियमों के अधीन प्रारम्भ की गई अनुशासनिक कार्यवाहियां अर्द्ध न्यायिक स्वरूप की होती है। इन नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग स्वयं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया जाना होता है तथा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेशों की प्रकृति न्यायिक आदेश की तरह होनी चाहिए। इस स्थिति को समय-समय पर जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से प्रशासनिक प्राधिकारियों की जानकारी में ला दिया गया है। इसलिए यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि नानक चन्द बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले में, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में, आगे कोई और अनुदेश जारी किए जायें।

लोक अदालतों में लम्बित मामले

5456. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय लोक अदालतों में राज्य-वार कितने मामले लम्बित पड़े हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : लोक अदालतें नियमित रूप से गठित न्यायालय नहीं हैं। ये स्वैच्छिक अभिकरण हैं, और देश के विभिन्न भागों में, समय-समय

पर, आयोजित की जाती हैं। सामान्यतया लोक अदालतों द्वारा ग्रहण किए गए मामले उसी दिन निपटा दिए जाते हैं। ऐसे मामले, जो लोक अदालतों में तय नहीं हो पाते हैं, निपटारे के लिए संबंधित न्यायालयों को, जहां से वे मंगाए गए थे, लौटा दिए जाते हैं। यदि विवाद मुकदमेबाजी प्रारंभ होने से पूर्व ही लोक अदालत में आ जाते हैं तो साधारणतया वे लोक अदालतों द्वारा निपटा दिए जाते हैं। यदा-कदा यदि कोई मामला रह जाता है तो वह उसी क्षेत्र में आयोजित अगली लोक अदालत द्वारा निपटा दिया जाता है। यह नियम न होकर मात्र अपवाद है। इसलिए, लोक अदालतों में कोई भी मामला लंबित नहीं रहता है।

सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को पहचान-पत्र जारी करना

5457. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को पहचान-पत्र जारी करने का कार्य शुरू कर दिया गया है और यह कार्य समाप्त होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन सीमावर्ती क्षेत्रों में पहचान-पत्र जारी किए गए हैं;

(ग) ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर एक भी पहचान-पत्र जारी नहीं किया गया है,

(घ) क्या किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है; और

(ङ) पहचान-पत्र जारी करने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) सरकार ने राजस्थान के चार सीमावर्ती जिलों की चार चुनिंदा तहसीलों तथा गुजरात के एक सीमावर्ती जिले के एक तालुका में पहचान-पत्र जारी करने की प्रायोगिक योजना का अनुमोदन कर दिया है। पंजाब सरकार भी सीमावर्ती क्षेत्रों में पहचान-पत्र जारी करने की योजनायें तैयार कर रही है।

(ख) से (घ) प्रायोगिक योजना राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर तथा बाड़मेर जिलों की क्रमश: पूगंल, नचना, करनपुर तथा चोहाटन तहसीलों तथा गुजरात के भुज तालुका में आरम्भ की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान में अभी तक 1.50 लाख से अधिक तथा गुजरात में लगभग 10,000 पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं।

(ङ) उपरोक्त प्रायोगिक योजनाओं को चालू कलेण्डर वर्ष के दौरान पूरा करने के प्रयास किये जाएंगे।

अनुसंधान संबन्ध प्राथमिकता क्षेत्रों का पता लगाना

5458. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु भारत-फ्रांस केन्द्र की वैज्ञानिक परिषद ने दीर्घकालिक संयुक्त परियोजना के रूप में अनुसंधान के 13 प्राथमिकता क्षेत्रों का पता लगाना है,

(ख) यदि हां, तो चुनी गई मुख्य परियोजनाओं के कम नाम है,

(ग) क्या परियोजना प्रस्तावों को भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है. और

(घ) यदि हां, तो उन्हें कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। उच्च अनुसंधान के संवर्धन के लिए भारत-फ्रांस केन्द्र की वैज्ञानिक परिषद ने वर्ष 1988-90 तक की अवधि के लिए केन्द्र द्वारा सहायता हेतु निम्मलिखित 13 प्रस्ट क्षेत्र अभिनिर्धारिय किये हैं :—

— शुद और अनुप्रयुक्त गणित

— सैद्धांतिक कम्प्यूटर विज्ञान

— कोषिकीय और आणवि जैविकी/आनुवंशिकी, आनुवंशिक इंजीनियरी जैव-प्रौद्योगिकी-औषधि और सस्य विज्ञान में अनुप्रयोग

— आयुर्विज्ञान, महामारी विज्ञान, रोग नैदानिकी, विषाणुविज्ञान, नये टीकों और नये भेषजों का विकास, जैव चिकित्सा इंजीनियरी (उदाहरणार्थ कृत्रिम सहायक यंत्रों का अभिकल्प) आदि

— जैविक रूप से सक्रिय सम्मिश्रों के विशेष संदर्भ में प्राकृतिक उत्पादों का रसायन विज्ञान, कृषि-रसायन

— उत्प्रेरण-विज्ञान और इंजोनियरी

— तरल अन्तरापृष्ठ विज्ञान

— सामग्री विज्ञान और इंजीनियरी-उच्च सिरेमिक्स, सम्मिश्र, पोलिमर आदि

— दुर्लभ मृदा

— ताराःभौतिकी और रेडियो खगोल विज्ञान

— भूकम्पीय आंकड़ा संसाधन

— दूर संवेदन अनुप्रयोग
(भूमि जल पूर्वेक्षण, वानिकी, आदि)

— जल उपचार तथा वितरण

(ख) परियोजनाएं अभी अभिनिर्धारित नहीं की गयी हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलैक्ट्रानिक मतदान यंत्र

5459. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :

श्री जी० भूपति : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आगामी आम चुनावों में इलैक्ट्रानिक मतदान यन्त्र का प्रयोग करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वदेशी इलैक्ट्रानिक यन्त्र प्रयोग करने का विचार है अथवा इनका आयात किया जायेगा; और

(ग) यदि इनका आयात किया जायेगा, तो सरकार का ये यन्त्र किन देशों से आयात करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) सरकार इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली का प्रयोग प्रारम्भ करने के लिए प्रारम्भिक विनिश्चय कर चुकी है। तथापि अभी, आगामी साधारण निर्वाचन में इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली का उपयोग प्रारम्भ करने की बाबत अंतिम विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) मशीनों का विनिर्माण देश में ही किया जाना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में विकास बोर्ड

5460. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या गृह मंत्री महाराष्ट्र में विकास बोर्ड के बारे में 11 नवम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 671 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 371 (2) के अन्तर्गत महाराष्ट्र में विकास बोर्डों की स्थापना के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) अगस्त, 1984 में महाराष्ट्र सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 371 (2) के उपलन्धों के अन्तर्गत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए अलग-अलग विकास बोर्डों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। इन विकास बोर्डों की स्थापना करने हेतु राज्य सरकार से प्राप्त मसौदा योजना को संवैधानिक उपबन्धों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं पाया गया इसलिए मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया है। इस कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि अनुच्छेद 371 (2) के उपबन्धों को लागू करने की किसी योजना में राज्य के राज्यपाल द्वारा अपने विवेक से विशेष उत्तरदायित्व का निर्वहन अपरिहार्य रूप से करना होगा और इस प्रकार यह प्रजातन्त्रीय ढांचे के लिए प्रतिकूल होगा इसलिए राज्य सरकार समस्त मामले पर पुनः विचार कर रही है। इस स्थिति में उक्त संवैधानिक उपबन्ध के अन्तर्गत इस समय कोई राष्ट्रपति आदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

भ्रष्टाचार और कदाचारों के बारे में शिकायतों की जांच

5461. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा भ्रष्टाचार और कदा-

चार की शिकायतों, जो उनको भेजी गई थीं, की जांच करने में उनके द्वारा विलम्ब करने पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) क्या सरकार ने, भ्रष्टाचार के मामलों की शीघ्रता से जांच करने और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस बारे में रिपोर्ट देने के बारे में विभागों और संगठनों को कोई सख्त निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) क्या राज्य सरकारों/संघ राज्य राज्य क्षेत्रों को भी ये निर्देश जारी किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) जी, नहीं।

रक्षा मन्त्री और सोवियत सेनाध्यक्ष की बैठक

54.62. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत सेनाध्यक्ष और रक्षा मन्त्री के बीच रक्षा संबंधी नए उपकरणों की खरीद और चालू ठेकों के क्रियान्वयन के बारे में बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) रक्षा मन्त्री ने फरवरी, 1988 में थलसेना जनरल बेजोव के आमंत्रण पर सोवियत संघ का दौरा किया था। सोवियत संघ में अपनी ठहरने की अवधि के दौरान रक्षा मंत्री ने जनरल बेजोव के साथ विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श मुख्यत: भारत-सोवियत रक्षा सहयोग से संबंधित था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये मामले शामिल थे— रक्षा उपस्करों की खरीद, पहले से उपयोग में लाए जा रहे उपस्करों के लिए उत्पादन में सहयोग, रक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और रक्षा संबंधी उद्योगों में प्रौद्योगिकियों का अन्तरण। इस संबंध में ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रहित में नहीं होगा।

इंडो-यू० एस० वेक्सीन एक्शन प्रोग्राम

5463. **डा० बी० एल० शैलेश** :

श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : क्या प्रधान मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डो-यू० एस० वेक्सीन एक्सन प्रोग्राम संबंधी भारत संयुक्त राज्य अमरीका का संयुक्त कार्य दल 3 मार्च, 1988 को भारत में पाई जाने वाली कुछ बीमारियों के लिए टीके तैयार करने तथा उनमें सुधार करने हेतु दोनों देशों के वैज्ञानिकों के प्रयासों में सहयोग करने को सहमत हो गया था;

(ख) यदि हां, तो भारत में किन-किन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कुछ प्रमुख बीमारियों के उपचार के लिए सुरक्षित और प्रभावी तथा प्रतिरोधात्मक-उपचारात्मक वैक्सीन का विकास करने के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा; और

(ग) गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों के किन-किन अनुसंधान संस्थानों में वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम प्रारम्भ किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) सहकारी अनुसंधान तथा विकास के लिए भारत यू० एस० वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के संयुक्त कार्यकारी समूह की पहली बैठक में शिनाख्त किए गए प्राथमिक रोग निम्नलिखित हैं :—

वाइरल हेपेटाइटस (विषाणु यकृत शोथ)

रोटा वायरल डायेरिया (दस्त की बीमारी)

हैजा।

शिगेलासिज।

ई० कोली डायेरिया।

टाइफायड।

पर्टुसिस।

न्यूमोकोकाल रोग।

एच० इन्फ्लुएंजा।

रेस्पिरेटरी सिन्सीशियल वायरस (श्वसन बहुकेन्द्रकी विषाणु)

केनीन रेबीज और

पोलियो माइलिटिस (पोलिपेशरज्जुशोथ)

(ग) भारत यू० एस० वेक्सीन एक्शन प्रोग्राम के अन्तर्गता, वैज्ञानिकों और संस्थानों को प्राथमिक क्षेत्रों में संयुक्त सहकारी अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। संस्थानों/वैज्ञानिकों का चयन केवल तभी संभव होगा जब समकक्ष वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हैं, इन पर विचार किया जाता है और इनकी समीक्षा की जाती है और जब भारत सरकार के अंतर्गत अन्य निमुंक्तियां/अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं।

जम्मू और कश्मीर में संगठनों और व्यक्तियों को प्राप्त विदेशी धन

5464. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जम्मू और कश्मीर में किन-किन संस्थाओं और व्यक्तियों को गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी धन प्राप्त हुआ है;

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित में से किन-किन ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराया हुआ है; और

(ग) क्या उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी को "प्रतिबंधित सूची" में अथवा 'पूर्व अनुमति लेने वालों को श्रेणी" में रखा गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) संलग्न सूची में दी गई सभी संस्थाएं विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन पंजीकृत की जाती है ।

(ग) सूची में उल्लिखित संस्थाओं में से किसी को भी प्रतिबन्धित सूची अथवा पूर्व अनुमति लेने वालों की श्रेणी में नहीं रखा गया है ।

विवरण

संस्थाओं के नाम

1. प्रीफैक्चर एपॅस्टोलिक आफ जे एण्ड के, श्रीनगर ।
2. फ्रंसिस्कन सिस्टर्स आफ मेरी आफ० जे० एण्ड के०, बारामुल्ला ।
3. दार-उल-फजल चिल्ड्रन्स होम, श्रीनगर ।
4. कारगिल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट, कारगिल ।
5. इकबाल मैमोरियल ट्रस्ट, श्रीनगर ।
6. एमानुअल मिशन होस्टल, रामनगर, उधमपुर ।
7. कश्मीर इवांगोलिकल फैलोशिप, उधमपुर ।
8. मदर्सा-ए-तालीमुल कुरान, श्रीनगर ।
9. तिबेतन मुसलिम रिफ्यूजी वेलफेयर एसोसिएशन, श्रीनगर ।
10. लायन्स क्लब आफ लेह, लद्दाख ।
11. लद्दाख इकोलोजिकल डेवलपमेंट ग्रुप, लेह ।
12. एस० ओ० एस० तिबेतन चिल्ड्रन्स विल्लेज, लद्दाख ।
13. एलेक्जेण्डर मेमोरियल हाई स्कूल प्रोजेक्ट, जम्मू-तवी ।
14. लद्दाख कमेटी फार तिबेतन बाइबल रिवीजन, लद्दाख ।
15. मोराविियन मिशन स्कूल, लद्दाख ।
16. कश्मीर रूरल अपलिफ्ट, उधमपुर ।
17. सेव द चिल्ड्रन फण्ड, लेह ।
18. इण्डियन पेण्टेकोस्टल चर्च आफ गाड, उधमपुर ।
19. कैथोलिक सोशल सर्विस सोसायटी, श्रीनगर ।

20. बाखा मुलबैल वेलफेयर प्रोजेक्ट, कारगिल।

21. नार्थ इंडिया पेण्टेकोस्टल फैलोशिप, जम्मू।

22. सल्फिया मुसलिम एजूकेशनल रिसर्च ट्रस्ट, श्रीनगर।

23. जोइन बिशप मैमोरियल हास्पिटल, अनन्तनाग, कश्मीर।

24. जे० एण्ड के समाज कल्याण केन्द्र, जम्मू-तवी।

25. कश्मीर दस्तकार अंजुमन, श्रीनगर।

26. कर्मा दुपग्युड छोयलिंग, लेह।

तट-रक्षक जलपोतों का निर्माण

5465. **श्री पी० एम० सईद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तट-रक्षकों को सुरक्षा प्रयोजनों के लिए कितने मील भारतीय तट की रक्षा करनी पड़ती है;

(ख) क्या जहां तक जलपोत निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है, इन तट-रक्षक पोतों का निर्माण देश में ही किया जाता है अथवा इसमें कुछ अन्य देशों का सहयोग लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत का समुद्री क्षेत्र तट के साथ-साथ 4697·9 मील तक फैला हुआ है।

(ख) और (ग) तट रक्षक संगठन की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेश से केवल कुछ ही जलपोत प्राप्त किए गए है। शेष जलपोत देश में ही निर्मित किए जा रहे/गए हैं। आवश्यकता होने पर प्रौद्योगिकी एवं सामग्री अन्य देशों से भी प्राप्त की जाती है।

रेल लाइन पर बम जैसी वस्तु का पाया जाना

5466. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली के आजादपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक रेल लाइन पर बम जैसी वस्तु पाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : रेल लाइन के निकट लगभग 50 गज पर पी० वी० सी० पाईप० पदार्थ से बनी एक गोलाकार गेंद पाई गई थी, जिसमें एक छिद्र तथा एक धागा था। बम्ब को बेअसर

करने वाले दस्ते को बुलाया गया। गेंद को आटा गया तथा उसमें एक गत्ते का बेलनाकार खोल पाया गया। किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री नहीं गई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पहाड़ी क्षेत्रों को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा देना

[हिंदी]

5467. **श्री हरीश रावत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का देश के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा देने का विचार है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को एक अलग राज्य का दर्जा देने अथवा इसे संघ राज्य क्षेत्र के रूप में घोषित करने की मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तमणि पाणिग्रही) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को मिलाकर एक पृथक पर्वतीय राज्य बनाने की मांग की गई है।

(ग) पृथक राज्य जैसी मांगें आर्थिक असन्तुलन के कारण उत्पन्न होती है। भारत सरकार का विचार है कि किसी राज्य अथवा क्षेत्र विशेष में ऐसे असंतुलनों को योजनाबद्ध तरीके से दूर किया जाना चाहिए और पृथक राज्य की स्थापना समस्या का कोई हल नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्रों में नदी घाटी विकास और भू-संरक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव

5468. **श्री हरीश रावत :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू योजना के शेष वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में नदी घाटी विकास और भू-संरक्षण कार्यक्रम को विस्तृत आकार देने के लिए कोई विशेष योजना बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन क्षेत्रों में पानी जमाव सम्बन्धी कुछ और योजनाओं का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) . (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए एक पृथक उप-योजना है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सामान्य क्रियाकलापों के रूप में किये जा रहे प्रयासों और निम्नलिखित तीन केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (1) नदी घाटी परियोजना-राम गंगा के जल ग्रहण क्षेत्र में भू-संरक्षण की केन्द्र प्रायोजित स्कीम; (2) बाढ़ प्रवण नदियों—अपर गंगा तथा अपर यमुना के जलग्रहण क्षेत्रों में भू संरक्षण की केन्द्र प्रायोजित स्कीम; तथा (3) उत्तर प्रदेश में हिमालयाई वाटरशेड प्रबंध

से संबन्ध से विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अलावा, राज्य सरकार कुछ परियोजनाओं पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, ये परियोजनाएं हैं :

1. अगलर नदी घाटी परियोजना
2. भीमताल परियोजना;
3. बेनलगढ़ परियोजना;
4. वन पंचायत वन रोपण परियोजना;
5. रामगढ़ परियोजना;
6. अमलावा सेलोगढ़ परियोजना;
7. कूचगढ़ परियोजना; तथा
8. कामेलगढ़, रिकनरगढ़ तथा खटनोगढ़ परियोजना।

इलेक्ट्रानिक उद्योग के लिए सामग्री का विकास

[अनुवाद]

5469. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रानिक उद्योग के लिए सामग्री का विकास करने हेतु कोई केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने अनुसंधान तथा विकास कार्य करने तथा बाद में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की महत्वपूर्ण सामग्रियों का प्रायोगिक/प्रदर्शनी-संयंत्र स्तर पर उत्पादन करने के लिए केन्द्रों की स्थापना की है। जो वस्तुएं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, निर्यात की जिनमें संभावना है तथा जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है और इसलिए उद्योग इनका उत्पादन करने में संकोच करते हैं; उनका विकास इन केन्द्रों द्वारा किया जाएगा।

इस समय इन केन्द्रों को इलेक्ट्रॉनिक सामग्री विकास अभिकरण के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जाएगा। प्रत्येक केन्द्र के संबंध में और ब्यौरे तैयार करने के लिये एक समिति की स्थापना की गई है।

इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, बेरीलियम ताम्बा के उत्पादन के लिए एक प्रायोगिकी संयंत्र चालू किया गया है, इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 टन से अधिक होगी और अंतरिक्ष विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ऐसे संयुक्त रूप से धनराशि उपलब्ध कराएंगे। इस सामग्री का अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टरों, रिले, स्विचों तथा अन्य वैद्युत-यांत्रिकीय संघटन-पुर्जों और अन्तरिक्ष तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी है।

अखिल भारतीय सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवार

5470. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या अखिल भारतीय सेवाओं में चयन किए जाने वाले उम्मीदवारों में ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों के उम्मीदवारों की तुलना में बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : जी, नहीं। संघ लोक सेवा आयोग को उम्मीदवारों द्वारा दी गई सूचना के एक विश्लेषण से पता चलता है कि 1982 और 1983 में ली गई सिविल सेवा परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों के लगभग 50 प्रतिशत उम्मीदवारों को, यदि जन्म स्थान को मानदण्ड मान लिया जाए तो, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि जीवन के प्रथम 15 वर्षों के लिए किसी गांव में निवास होने का मानदण्ड मान लिया जाए तो इन वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से उम्मीदवारों का प्रतिशत लगभग $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत बैठता है। यदि माता-पिता/अभिभावक के पिछले 15 वर्षों के निवास स्थान को मानदण्ड के रूप में माना जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों से उम्मीदवारों का प्रतिशत 37·7 प्रतिशत बैठता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सातवीं योजना के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की उपलब्धियां

5471. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या परिषद् की किसी प्रयोगशाला ने कोई आविष्कार किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सी० एस० आई० आर० की बहुत उपलब्धियां हैं। इनमें से कुछ इन क्षेत्रों में हैं :—

पेंट्रोलियम/पेट्रोरिफाइनिंग :

जाइलीनों, इथाइल बेनजीन नेफ्था के पुनः संभावन के उत्पादन में उपयोग हेतु नवीन अ-उत्कृष्ट धातु उत्प्रेरक का विकास, सल्फालीन उत्पादन के लिए प्रक्रम।

खनन :

खनन लोकोमोटिवों (इंजनों) के लिए विशेष थाइरिस्टर नियंत्रित चालन का विकास; आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर के पास हीरों के लिए नवीन किमबरलाइट स्रोत की खोज।

वैमानिकी :

पूरी तरह से मिश्रित सामग्री से निर्मित वायु ढांचे वाले एक लाइट केनार्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट का उड़ान परीक्षण किया गया।

सामग्री विकास :

आरंभिक संयंत्रों (पाईलट प्लांट) में उत्पादित गैलियम धातु; अपक्षरणशेषित (एवलेटिव) पॉलीमर और अनेक अतिचालक (सुपर कंडक्टिंग) योगिकों को उच्च टीसी पर विकसित किया गया।

पश्च-फसल प्रौद्योगिकी :

चावल भूसी के स्थायीकरण के लिए कम ऊर्जा और सस्ते प्रक्रम।

औषध और भेषज :

एकदम तीन नई औषधियों व दो नैदानिक किटों का विकास।

इलेक्ट्रानिकी व उपकरणन :

कागज निर्माण में गुणता नियंत्रण के लिए उपकरणों, चीनी (खांड) उद्योग के लिए माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रित उपकरणों, अंकीय कैसेट और समरूप भूकम्पलेखी उपकरणों का विकास।

सिविल इंजीनियरी :

रेतीले भूभाग में सड़क बनाने के लिए विकसित नवीन तकनीकें।

मौलिक अनुसंधान :

इंडियन मिडिल एटमोसफेयर में 20 से 40 किलोमीटर के लिए विकसित ओजोन प्रोफाईल; आंखों में मोतियाबिंद बनने की क्रियाविधि का अध्ययन, सैल विभाजन को नियमित करने और दुर्दम रूपांतरण (ट्रांसफोरमेशन) के लिए एक व्यापक नमूना विकसित किया गया।

(ग) और (घ) इस अवधि में सी० एस० आइ० आर० ने उपयोगकर्ताओं को 100 से अधिक प्रौद्योगिकी अन्वेषण उपलब्ध कराये हैं। कुछ महत्वपूर्ण अन्वेषण इस प्रकार हैं :—

1. कांच प्रबलित जिप्सम सम्मिश्रण
2. औद्योगिक सिलाई मशीन
3. कपड़ा काटने की स्वचालित मशीन
4. डायलैसिस मशीन
5. साईकिल एम्बुलेन्स
6. क्रोम लिगनाईट
7. एलक्रोटन और केसप्रोल टी (चमड़े की सहायक वस्तुएं)
8. कॉरोजिन रेट मॉनीटर
9. स्वचालित दृष्टि परास निर्धारक
10. अमीबता किट (सामान)

आदिवासियों की स्वीय विधि को संहितावद्ध करना

[हिन्दी]

5472. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में आदिवासियों की स्वीय विधि को संहितावद्ध किया गया है;

(ख) क्या अधिकांश राज्यों में आदिवासियों के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में स्वीय विधि न होने के कारण कई भूमि विवाद उत्पन्न हो गये हैं और वे अभी भी न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का आदि वासियों के हित में सभी राज्यों में इस प्रकार के कानूनों को संहितावद्ध करने के अनुदेश जारी करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह राज्य सरकारों से एकत्रित करके सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) अभी तक ऐसी कोई जानकारी सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वायुसेना की दक्षिणी कमान के मुख्यालय के लिए भूमि का अर्जन

[अनुवाद]

5473. प्रो० के० वी० थामस : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वायुसेना की दक्षिण कमान का मुख्यालय त्रिवेन्द्रम से मद्रास ले जाने का विचार है;

(ख) क्या केरल में वायुसेना की दक्षिणी कमान के लिए आवश्यक भूमि तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कर दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) त्रिवेन्द्रम स्थित मुख्यालय दक्षिणी वायु कमान के विस्तार के लिए अपेक्षित भूमि का बड़ा भाग अधिग्रहीत कर लिया गया हैं। शेष भूमि भी अधिग्रहीत की जा रही है।

मुद्रास्फीति की दर

5474. श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना अनुमानों को स्थिर मूल्यों के आधार पर तैयार किया जाता है और सभी अनुमान मूलभूत रूप से मुद्रास्फीति दर को शून्य मानकर तैयार किए जाते हैं;

(ख) क्या योजना में 5.0 के उत्पादन अनुपात में कम पूंजी रखी गई थी जबकि वर्तमान अनुपात 5.5 था जिसके कारण पूंजी आवश्यकता को कम आंका गया है;

(ग) क्या योजना में बचत अनुपात 24.5 प्रतिशत तक पहुंचने की आशा व्यक्त की गई थी जबकि इसमें गिरावट आ रही है; और

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) पंचवर्षीय योजना के पूर्वानुमान योजना के आधार वर्ष में विद्यमान कीमतों के स्तर पर तैयार किए जाते हैं। योजना के विभिन्न वर्षों में वित्तीय परिमाणों की तुलनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाता है। योजना में मुद्रास्फीति की शून्य दर की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ख) सातवीं योजना में यह आशा की गई है कि वृद्धिगत पूंजी उत्पादन अनुमान (आई० सी० ओ० आर०) 5 के आस पास रहेगा। यही छठी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त आई० सी० ओ० आर० से कुछ अधिक है, किंतु 5.5 के प्रवृति मूल्य से कम है। अपेक्षाकृत कम मूल्य के प्राप्त होने की सम्भावना का कारण यह है कि कार्यकुशलता पर अधिक बल दिया गया है, जो कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति का महत्वपूर्ण भाग है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना के पूर्वानुमानों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में घरेलू बचतों की प्रशिशतत, जो 1984-85 में 23.3 प्रतिशत थी, बढ़कर 1989-90 में 24.5 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है। इससे बचत दर में 1.2 प्रतिशतांक की वृद्धि का पता चलता है।

लेकिन राष्ट्रीय लेखाओं की सबसे हाल की संशोधित शृंखला के अनुसार, 1980-81 से सभी वर्षों के सकल घरेलू उत्पाद के स्तर में वृद्धि हुई है, लेकिन बचतों और पंजी-निर्माण के स्तरों में तदनुरूप वृद्धि नहीं हुई है, जिसके परिणामस्वरूप बचतों और पूंजी निर्माण की दरें अपेक्षाकृत कम रही हैं। इस प्रकार, संशोधित पूर्व शृंखलाओं में 1984-85 की लिए बचतों की दर 22.9 थीं, जबकि संशोधित शृंखलाओं में यह दर 19.5 बैठती है। 1986-87 में बचतों की प्राप्त दर 21.7 प्रतिशत थी, जिससे पता चलता है कि योजना के पहले दो वर्षों की तुलना में इसमें 2.2 प्रतिशतांकों की वृद्धि हुई है।

संसाधनों का ईष्टतम उपयोग

5475. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, मानव, वस्तुओं और वित्तीय संसाधनों के ईष्टतम उपयोग के लिए योजना प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करने हेतु कोई उपाय तैयार किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में आयोजन प्रक्रिया के प्रथम चरण में जिलों तक और अन्ततोगत्वा खंडों (ब्लॉकों) तक के विकेन्द्रीकरण किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में राज्यों को सहायता देने के लिए, जिला आयोजन से संबंधित कार्यकारी दल की रिपोर्ट, जो मार्गदर्शी सिद्धांतों के स्वरूप की प्रतियां है, राज्यों को और उनके जरिए जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे शिक्षा संस्थानों की सहायता से प्रायोगिक आधार पर कुछ चुनिंदा जिलों के लिए जिला योजनाएं बनाने का काम हाथ में लें, जिस पर आने वाली लागत, एक लाख रु० तक की उच्चतम सीमा के अध्यधीन, केन्द्र और राज्यों द्वारा बराबर-बराबर

वहन की जाएगी। इसके अलावा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 5 प्रतिनिधि राज्यों में से प्रत्येक में एक-एक जिले के लिए जिला योजना तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद को सौंपा गया है। ये योजनाएं माडल के रूप में काम देंगी और देश के अन्य जिलों में भी ऐसी योजनाएं तैयार की जाएंगी। राज्यों को जिला स्तर पर आयोजन तंत्र स्थापित करने/मजबूत करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है। जिलों के आयोजन स्टाफ को प्रशिक्षण देने के वास्ते सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है।

पाकिस्तान के साथ गुप्त जानकारी का आदान प्रदान करने का अमेरिका का कथित निर्णय

5476. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका के इस कथित निर्णय की जानकारी है कि सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने का निर्णय किए जाने के बावजूद अमरीकी प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ गुप्त जानकारी का आदान-प्रदान करने के अपने प्रस्ताव पर अमल करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अमरीका ने पाकिस्तान के साथ गुप्त जानकारी का आदान-प्रदान करने के प्रबन्ध को अमल में लाने का निर्णय लिया है। यद्यपि ऐसे प्रबन्ध की संभावना के बारे से हाल ही में समाचार-पत्रों में रिपोर्ट छपी है।

सरकार उन सभी गतिविधियों पर बराबर नजर रखती है जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और पूर्ण रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उचित उपाय करती है।

रक्षा मन्त्रालय में आशुलिपिकों के पद

5477. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के अनुदेशों के अनुसार उन अधिकारियों, जो आशुलिपिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं, के पदों का सृजन/स्वीकृति करते समय क्रमशः आशुलिपिकों के पद भी सृजित/स्वीकृत किए जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने अधिकारियों के पद सृजित किए गए/दर्जा बढ़ाया गया जो आशुलिपिक सहायता प्राप्त करने के हकदार थे; और

(ग) इस समय श्रेणीवार आशुलिपिकों की स्वीकृत संख्या कितनी है और इनमें कितने पद रिक्त हैं और इसके क्या कारण है और उन्हें भरने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सचिवालय में अधिकारियों के विभिन्न ग्रेडों के लिए आशुलिपिक सहायता का मानदण्ड निर्धारित है और यदि आंतरिक व्यवस्था से आवश्यकता पूरी नहीं होती तो अधिकारियों के साथ साथ आशुलिपिकों के पदों का भी सृजन किया जाता है।

(ख) रक्षा मन्त्रालय सचिवालय में 1-4-1985 के पश्चात् आशुलिपिक सहायता प्राप्त करने के हकदार - धिकारियों के 19 पदों का सृजन किया गया/दर्जा बढ़ाया गया।

(ग) आज की तारीख तक, आशुलिपिकों की श्रेणीवार स्वीकृत संख्या और रिक्तियां इस प्रकार हैं:—

	स्वीकृत संख्या	रिक्तियां
निजी सचिव	4	शून्य
ग्रेड "क" और "ख" (विलयित)	42	2
ग्रेड "ग"	96	5
ग्रेड "घ"	156	19

इन रिक्तियों के मौजूदा रहने के कारण और इन्हें भरने के लिए की गई कार्रवाई इस प्रकार है:—

(I) अधिकारी के पद का सृजन हाल ही में किया गया लेकिन इसे अभी तक भरा नहीं गया;

(II) आशुलिपिकों का सेवानिवृत्त होना, त्याग पत्र देना या स्थानांतरण होना;

(III) रिक्तियां अभी हाल ही में हुई हैं; और

(Iv) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से आशुलिपिकों के कामांकन की प्रतीक्षा है।

"क्रे—एक्स० एम० पी०—14" सुपर कंप्यूटर लगाया जाना

5478. **श्रीमती उषा चौधरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में "क्रे—एक्स० एम० पी०—14" सुपर कम्प्यूटर लगा दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वाणिज्यिक ठेके के सम्बन्ध में आपूर्तिकर्ता के साथ बातचीत चल रही है।

कंप्यूटर विज्ञान का विकास

5479. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कम्प्यूटर विज्ञान के विकास के लिए कोई दीर्घकालीन योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटरों का प्रयोग बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतिरक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटरों के कार्मिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से सरकार कम्प्यूटरों के लिए जनशक्ति तैयार करने के कार्यक्रम पर अमल कर रही है भारत में वर्ष 1990 तक के लिए योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा कम्प्यूटर जनशक्ति विकास के क्षेत्र में जो योजनाएं शुरू की गई हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—एक वर्षीय तथा डेढ़ वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डेढ़ वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (हिन्दी माध्यम) प्रौद्योगिकी स्नातक, प्रौद्योगिकी निष्णात, कम्प्यूटर-अनुप्रयोक निष्णात, कम्प्यूटर इंजीनियरी में डिप्लोमा डी० सी० ए० (कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा) तथा एम० सी० ए० (कम्प्यूटर अनुप्रयोग में निष्णात) के लिए अध्यापक पुनश्चर्या कार्यक्रम, कम्प्यूटर साधित अनुदेशात्मक सामग्री-विकास आदि।

(ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने सरकार, रेलवे, इस्पात, तेल आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने तथा आन लाइन नियंत्रण के विभिन्न अनुप्रयोगों में कम्प्यूटरों के प्रयोग का विस्तार करने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं। उर्वरक, इस्पात' चीनी तथा सीमेंट, जैसे विभिन्न प्रक्रिया उद्योगों, सड़क अनुसंधान, रेलवे पटरी निगरानी, सिंचाई तथा जल उपचार आदि जैसे सेवा उद्योगों के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करने के कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में कम्प्यूटर साधित इन्जीनियरी तथा प्रबन्ध संस्कृति का विस्तार करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट

5480. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में नियुक्त अल्पसंख्यकों सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति की रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रस्तुत उन वार्षिक रिपोर्टों की वर्तमान स्थिति क्या है जिन्हें अभी संसद में सभा पटल पर नहीं रखा गया है; और

(ग) क्या अल्पसंख्यकों के कल्याण के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री के 15 सूत्री निदेशों पर कार्यान्वयन रिपोर्ट तैयार की जा रही है और यदि हां, तो इसे संसद के सभा-पटल पर कब रखा जाएगा ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) इस मामले की जांच की जा रही है।

(ग) प्रधान मन्त्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में जानकारी मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की जाती है जो प्रति वर्ष संसद के पटल पर रखी जाती है।

मंडल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

5481. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्गों सम्बन्धी मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या पिछड़े वर्गों में शामिल की गई जातियों की सूची में विसंगतियों को दूर कर दिया गया है तथा प्रत्येक राज्य के लिए सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) जैसा कि मंडल आयोग की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट है, सरकार का यह विचार रहा है कि अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण आदि के प्रश्न पर तब तक यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिए जब तक कि राष्ट्रीय जनमत तैयार नहीं हो जाता ।

प्रति व्यक्ति आय

5482. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वर्तमान मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में अब तक कितनी वृद्धि होने का अनुमान है,

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में गत पांच वर्षों के दौरान स्थिर मूल्यों पर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय मेंकमी हुई, है और

(ग) वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में इस निरन्तर कमी के क्या कारण है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए गए नवीनतम सरकारी अनुमान वर्ष 1986-87 से सम्बन्धित हैं । प्रचलित तथा स्थिर (1980-81) मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1986-87 में प्रतिशतता वृद्धि के रूप में परिकलित प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि क्रमश: 9.3 और 1.8 थी ।

(ख) और (ग) शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (शु० रा०घ० उ०) के सरकारी अनुमान अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा सकलित तथा जारी किए जाते है । वर्ष 1982-83 और इससे आगे के वर्षों के लिए नवीनतम उपलब्ध सम्बद्ध अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि किसी भी राज्य और संघ शासित क्षेत्र में वास्तविक शब्दों में प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर कमी नहीं आई है ।

विवरण

प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, 1982-83 से 1986-87
स्थिर (1970-71) मूल्यों पर

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1982-83	1983-84 (अनन्तिम)	1984-85 (अनन्तिम)	1985-86 (त्व०)	1986-87 (त्व०)
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	712	746	705	743	उ०न०
2. अरुणाचल प्रदेश	716	745	821	921	उ०न०
3. असम	569	586	584	604	605
4. बिहार	426	458	476	477	482

1	2	3	4	5	6
5. गोआ (दमन तथा दीव शामिल)	1437	1522	1600	1754	उ०न०
6. गुजरात	927	921	943	832	860
7. हरियाणा	1124	1087	1111	1229	1233
8. हिमाचल प्रदेश	735	768	716	788	उ०न०
9. जम्मू तथा कश्मीर	633	663	664	673	684
10. कर्नाटक	700	731	772	756	799
11. केरल	616	608	625	646	639
12. मध्य प्रदेश	536	614	577	615	583
13. महाराष्ट्र	1001	1026	1010	1045	1039
14. मणिपुर	543	565	574	597	596
15. उड़ीसा	450	549	484	551	535
16. पंजाब	1493	1487	1586	1656	1652
17. राजस्थान	652	716	673	652	646
18. सिक्किम	1689*	1692*	1844*	उ०न०	उ०न०
19. तमिलनाडु	652	671	745	779	उ०न०
20. त्रिपुरा	617	619	उ०न०	उ०न०	उ०न०
21. उत्तर प्रदेश	556	579	585	598	607
22. पश्चिम बंगाल	716	822	825	839	845
23. दिल्ली	1579	1601	1629	1745	1842
24. पांडिचेरी	1342	1290	1262	1255	1297

त्व० : त्वरित अनुमान

अन० : अनन्तिम

* 1980-81 मूल्यों पर

उ०न० : सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।

टिप्पणी :—मिजोरम राज्य और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा तथा नागर हवेली और लक्षद्वीप के संघ शासित क्षेत्र इन अनुमानों को तैयार नहीं करते हैं, जबकि मेघालय और नागालैंड के राज्य इन अनुमानों को केवल प्रचलित मूल्य पर संकलित करते है।

स्रोत :—अलग-अलग राज्य सरकारों के अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय।

क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय नई दिल्ली में पासपोर्ट फार्मों की बिक्री

5483. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली में शास्त्री भवन में पासपोर्ट सेल्स काउंटर पर पासपोर्ट आवेदन फार्म खरीदने के लिए लोगों की लम्बी कतारों की जानकारी है;

(ख) क्या फार्म केवल उसी व्यक्ति को दिया है जिसने स्वयं पासपोर्ट हेतु आवेदन करना है और उसके अधिकृत सम्बन्धी अथवा प्रतिनिधि को फार्म नहीं दिया जाता है;

(ग) क्या सरकार का इस कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से पासपोर्ट फार्मों की बिक्री के लिए और अधिक काउंटर खोलने तथा पहले की भांति इन फार्मों को कुछ महत्वपूर्ण डाकघरों में भी उपलब्ध कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) कुछ समय से पासपोर्ट कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में पासपोर्ट फार्मों के लिए काफी भीड़ रही है।

(ख) से (घ) अब काउंटर पर तथा डाक द्वारा फार्म आसानी से उपलब्ध हैं । डाकखानों के माध्यम से पासपोर्ट फार्मों की बिक्री दोबारा शुरू करने के लिए डाक विभाग के साथ मिलकर जांच पड़ताल की जा रही है।

बंगलादेश द्वारा भारतीय मछुआरों की नावों का पकड़ा जाना

5484. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 मार्च, 1988 को बंगलादेश नौसेना द्वारा चार भारतीय मछुआरों की नावों तथा उनके 48 कर्मचारियों को पकड़ लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। ढाका में भारत के हाई कमीशन को जैसे ही यह रिपोर्ट मिली कि 8 मार्च, 1988 को बंगलादेश की नौसेना ने भारत की चार मछली पकड़ने वाली नौकाएं उनमें सवार नाविकों सहित पकड़ ली हैं, उनसे भारतीय मछुआरों और उनकी नावों को रिहा करने के लिए बंगलादेश की सरकार से सम्पर्क किया वह अभी भी इस मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के एकक की उड़ीसा में स्थापना

5485. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा राज्य में भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड के एकक की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की नई यूनिट खोलने की कोई योजना नहीं है।

विदेशी गुप्तचर एजेंसियों की गतिविधियां

[हिंदी]

5486 **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी गुप्तचर एजेंसियों ने पिछले कुछ, महीनों के दौरान दिल्ली में अपनी जासूसी की गतिविधियां तेज कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछने छह महनों के दौरान ऐसे कितने मामले पकड़े गये हैं; और

(ग) इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सुरक्षा ऐजेन्सियों द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा जासूसी करने के प्रयोग पता लगाने, सुराग लगाने और उसे निष्प्रभावित करने के लिए निरन्तर सतर्कता बरती जा रही है।

पुलिस के लिए सम्मान प्रशिक्षण संहिता

[अनुवाद]

5487. **श्री एन० डेनिस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को अपने रंगरुटों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्यों में अपनी निजी पुलिस अकादमियों का संचालन करने की अनुमति है;

(ख) इस सम्बन्ध में सभी राज्यों के लिए समान प्रशिक्षण संहिता बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन में इन राज्यों की सहायता कर रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) पुलिस राज्य का विषय है और राज्य सरकार अपने रंगरुटों को प्रशिक्षित करने के लिए अपने राज्यों में पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिये सक्षम है। तथापि भारत सरकार ने भर्ती किए गये कान्स्टेबलों और उप निरीक्षकों के लिए प्राथमिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कान्स्टेबलों से लेकर पुलिस उप अधीक्षक के स्तर तक के अधिकारियों के लिए पुनःश्चर्या पाठ्य-

क्रम तैयार किए हैं। इन्हें राज्य पुलिस प्राधिकारियों के लिये भेजा गया है।

(ग) केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रशिक्षण संस्थान, राज्य पुलिस बलों के लाभ के लिए हथियार और रणनीति, मूलभूत ड्राईविंग और रखरखाव, विस्फोटकों की पहचान और उनका संचालन, निशस्त्र लड़ाई, जूडो, शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक, कराटे, पहाड़ों पर चढ़ना, प्राथमिक पर्वतारोहण और विकसित पर्वतारोहण पाठ्यक्रम जैसे पाठ्यक्रम चला रहा है। अधिकारियों को प्रशिक्षक बनाने के लिये उन्हें इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे बाद में सम्बन्धित राज्य पुलिस बलों में अपने कार्मिकों को प्रशिक्षित कर सकें।

न्यायालय की इमारतों की मरम्मतों के लिए पंजाब को वित्तीय अनुदान

5488. **श्री कमल चौधरी** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंजाब में न्यायालयों की इमारतों के निर्माण और/अथवा मरम्मतों के लिये पंजाब सरकार को वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए पिछले तीन सालों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) पंजाब में न्यायालय भवनों के सन्निर्माण/मरम्मत के प्रयोजन के लिए तारीख 31, दिसम्बर, 1987 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान पंजाब सरकार को कोई रकम मंजूर नहीं की गई है।

अवर-सचिव/उप/निदेशक के रिक्त पद

5489. **श्री जुझार सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में अवर सचिव/उप-सचिव/निदेशक स्तर के अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ये पद कितने समय से रिक्त पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से रिक्त पदों को भरे जाने की कार्रवाई प्रगति पर है।

विवरण

क्रम सं०	पद का पदनाम	कब से रिक्त है	अभ्युक्तियां
1.	अवर सचिव	01-04-87	अधिकारी का चयन पहले ही कर लिया गया है।
2.	विशेष कार्य अधिकारी (अवर सचिव स्तर का)	01-03-87	इस पद को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के क्षेत्राधिकार के अधीन लाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

2.	वरिष्ठ विश्लेषक (अवर सचिव स्तर का	01-08-87	
4.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अवर सचिव स्तर का)	17-7-87	अनुसंधान संवर्ग के पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है।
5.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अवर सचिव स्तर का)	25-09-87	
6.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अवर सचिव स्तर का)	09-02-88	
7.	संयुक्त निदेशक (उप सचिव स्तर का)	01-02-88	
8.	उप सचिव	25-01-88	चयन किया जा रहा है।
9.	निदेशक	01-01-88	अधिकारी का चयन पहले ही कर लिया गया है।

अवर सचिव के एक पद को आस्थगित रखा गया है।

पंजाब में जासूसी की गतिविधियां

5490. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में पाकिस्तान की जासूसी की गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा जासूसी के किसी प्रयास को खोजने, पता लगाने और निष्फल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्कता बरत रही हैं।

दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर विभाग द्वारा छापे मारना

5491. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर विभाग द्वारा वर्ष 1987 के दौरान मारे गए विभिन्न छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन छापों के परिणामस्वरूप कर अपवन्चकों से कितनी धनराशि वसूल की गई; और

(ग) राजस्व की हानि को रोकने और खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) वर्ष के दौरान कुल 18,288 सर्वेक्षण किये गये जिनके दौरान 395 मामलों मे अभिशापी दस्तावेज बरामद किए गये या सुपुर्द किये गये। अभिशापी दस्तावेजों की प्राथमिक जांच से पता चलता है कि 71.34 करोड़ रुपये के व्यवसाय को छिपाया गया।

(ग) राजस्व की हानि को रोकने और सम्भावित खामियों को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। बड़ी संख्या में कई प्रकार की वस्तुओं पर कर अन्तिम बिन्दु से हटाकर प्रथम बिन्दु पर लगाया गया है। संदिग्ध मामलों में डीलर से डीलर द्वारा किये गये सौदों की जांच की जा रही है। कर की चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए डीलरों के सर्वेक्षण को गहन किया गया है। अधिक कड़े पवर्तन उपाय भी किये गये है।

स्वतन्त्रता की दौड़ में शामिल होने वाले बच्चों के गुम होने से सम्बन्धित समाचार

5492. डा० डी० एन० रेड्डी :

श्री चिन्तामणि जेना : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 फरवरी, 1988 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "150 चिल्ड्रेन लास्ट इन फ्रीडम रन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) स्वतन्त्रता की दोड़ के दौरान गुम होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या गुम होने वाले सभी बच्चों का पता लगा लिया गया है तथा उन्हें उनके माता-पिता के पास पहुंचा दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे कितने बच्चों का अभी पता लगाया जाना है तथा उनके माता-पिता को सौंपा जाना है तथा उनका शीघ्र पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री, तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) स्वतन्त्रता की दौड़ के दिन के अन्त में बड़ी संख्या में बच्चों के गुम होने के समाचार मिले थे। पुलिस द्वारा जांच करने पर पता चला कि लगभग सभी बच्चे अपने घरों में पहुंच गये थे अथवा पहुंचा दिये गये थे। 2 बच्चों के बारे में पुलिस स्टेशन चाणक्यपुरी में औपचारिक रूप से गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उन दोनों को भी शीघ्र ही तलाश कर लिया गया था। पुलिस ने गुम हुए बच्चों को उनके घरों/माता पिता के पास पहुंचाने में पूरी सावधानी बरती।

संयुक्त राज्य अमरीका की सीनेट की विदेश संबंध समिति के परमाणु मसले के बारे में विचार

5493. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका की सीनेट की विदेश सम्बन्ध उप समिति ने परमाणु मसले पर भारत और पाकिस्तान को बराबर माना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, विदेश कार्यवाही से संबद्ध सीनेट विनियोग उप समिति द्वारा दिसम्बर, 1987 में इस आशय के प्रस्ताव किये गये थे।

(ख) इस उप समिति ने यह प्रस्ताव किया था कि दक्षिण एशिया का अगर कोई देश ऐसी सुविधाओं में समृद्ध किस्म का शस्त्र निर्माण योग्य यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम तैयार करे जो सुरक्षा के उपायों की परिधि से बाहर हो तो उसके खिलाफ दण्ड स्वरूप क्या उपाय किए जाने चाहिए। ऐसे किसी देश को दण्ड के ऐसे उपायों से उस स्थिति में मुक्त किया जा सकता है, यदि इस क्षेत्र का कोई अन्य देश रक्षोपायों को स्वीकार करने से इन्कार कर दे। सरकार ने ऐसे किसी भी प्रयास को मानने से साफ साफ इन्कार किया है जिसमें भारत के शांतिपूर्ण नाभिकीय कार्यक्रम को पाकिस्तान के कार्यक्रम के समकक्ष रखा गया हो जिसके स्पष्ट तौर पर गैर शांतिपूर्ण आयाम हैं।

सैनिकों की भर्ती

[हिन्दी]

5494. **श्री राजकुमार राय** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न भागों में 1988 के दौरान कितने जवान भर्ती करने का विचार है; और

(ख) भर्ती किन-किन स्थानों पर और कब की जाएगी ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) इस सूचना को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) थलसेना/नौसेना में सैनिकों की भर्ती, 71 भर्ती कार्यालयों द्वारा कार्यक्रमानुसार की जाती है। इसके लिए पहले से पर्याप्त प्रचार किया जाता है। ऐसे भर्ती कार्यालयों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

वायु सैनिकों की भर्ती हर तिमाही में दिल्ली, कानपुर, बम्बई, बंगलौर, अम्बाला, भुवनेश्वर, कोचीन, जोधपुर, बैरकपुर, और पटना में की जाती है।

विवरण

क्रम सं०	भर्ती कार्यालय
1.	अजमेर
2.	जोधपुर
3.	अलवर
4.	कोटा

1	2
5.	झुंझुनू
6.	अम्बाला
7.	रोहतक
8.	हिसार
9.	चरखी दादरी
10.	पालमपुर
11.	हमीरपुर
12	शिमला
13.	मंडी
14.	आई० आर० ओ० दिल्ली छावनी
15.	बंगलौर
16.	मंगलौर
17.	बेलगांम
18.	त्रिवेन्द्रम
19.	कालीकट
20.	कलकत्ता
21.	सिलीगुड़ी
22.	बेहरामपुर (पं० ब०)
23.	कटक
24.	संबलपुर
25.	बेहरामपुर (उड़ीसा)
26.	कटिहार
27.	दानापुर
28.	मुजफ्फरपुर
29.	रांची
30.	गया
31.	जबलपुर
32.	रायपुर
33.	ग्वालियर
34.	महू
35.	भोपाल
36.	जालंधर

1	2
37.	अमृतसर
38.	फिरोजपुर
39.	पटियाला
40.	लुधियाना
41.	जम्मू
42.	श्रीनगर
43.	लखनऊ
44.	लैन्सडाऊन
45.	अल्मोड़ा
46.	मेरठ
47.	बरेली
48.	आगरा
49.	वाराणसी
50.	अमेठी
51.	पिथौरागढ़
52.	मद्रास
53.	तिरुचिरापल्ली
54.	कोयम्बटूर
55.	सिकन्दराबाद
56.	गुटूंर
57.	विशाखापत्तनम
58.	पुणे
59.	बम्बई
60.	नागपुर
61.	कोल्हापुर
62.	औरंगाबाद
63.	अहमदाबाद
64.	जामनगर
65.	शिलांग
66.	नारंगी
67.	जोरहाट
68.	सिल्चर
69.	कोहिमा
70.	कुमराघाट
71.	चूम

भारत में शरणार्थियों के लिए श्री लंका की सरकार से वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

5495. **श्री जी० भूपति** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय श्री लंका के कितने शरणार्थी भारत में शरण लिए हुए हैं;

(ख) क्या भारत में रह रहे इन शरणार्थियों के लिए श्रीलंका की सरकार ने वित्तीय सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता दी है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) 24 मार्च, 1988 के अनुसार भारत में श्रीलंका के 1,07,336 शरणार्थी हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के लिए होस्टल

5496. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के लिए कितने होस्टल हैं और वर्ष 1987-88 के दौरान उनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि की सहायता दी गई;

(ख) यह सहायता देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है और क्या उनको इसके अनुसार सहायता मिल रही है और इस पर नजर रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) बालिकाओं के लिए नए होस्टल खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और ये होस्टल कब तक खोले जाएंगे ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात में 71 होस्टल हैं। अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए होस्टल की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केवल होस्टल निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और उनके रख रखाव के लिए नहीं जिसका वहन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपनी निधि द्वारा किया जाता है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्रति संवासी, भवन निर्माण की लागत सीमा की दरों के आधार पर निर्धारित की जाती है जो मैदानी क्षेत्रों में प्रति संवासी 9235/- रु० पहाड़ी क्षेत्रों में बिना सहायक सुविधाओं के 12,380 रु० प्रति संवासी है। यदि होस्टल भवनों का निर्माण भोजन-कक्ष, रसोईघर, सेनेटरी ब्लाक और सामान्य कमरे जैसी सहायक सुविधाओं के साथ किया जाता है, तो मैदानी क्षेत्रों में सीमा दर 12,775 रु०/- और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति संवासी होगी। इस प्रयोजन के लिए केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रबोधन सैलों की स्थापना की गई है।

(ग) 1987-88 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत नए होस्टलों के निर्माण के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

औद्योगिक परियोजनाओं को पोलैण्ड की सहायता

5497. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक छः सदस्यी य प्रतिनिधिमंडल हाल ही में भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस प्रतिनिधिमंडल ने औद्योगिक परियोजनाओं को सरकारी ऋण की सहायता देने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राज्य अमरीका की सीनेट की विदेश सम्बन्ध समिति के एक वरिष्ठ अधिकारी सदस्य की यात्रा

5498. **श्री शरद दिघे** :

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1988 के प्रथम सप्ताह में संयुक्त राज्य अमरीका की सीनेट की विदेश सम्बन्ध समिति के एक वरिष्ठ अधिकारी सदस्य ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हथियारों की होड़ के बढ़ते हुए खतरे को समाप्त करने के लिए किसी फार्मूले का प्रस्ताव रखा था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) (क) : जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रधान मंत्री के साथ शिष्टाचार के नाते अपनी मुलाकात में सीनेट की विदेश सम्बन्ध समिति के एक अधिकारी ने यह विचार प्रस्तुत किया कि नाभिकीय अस्त्र प्रसार के खतरे के प्रश्न पर उप क्षेत्रीय या द्विपक्षीय सन्दर्भ में विचार किया जाना चाहिए जिसमें भारत और पाकिस्तान में नाभिकीय सुविधाओं का निरीक्षण शामिल हो। सरकार ने निरन्तर दृढ़तापूर्वक यह कहा है कि भारत की नाभिकीय नीतियों में, जिनमें नाभिकीय अस्त्र प्रसार निरोधक संधि और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों के बारे में हमारा सैद्धान्तिक रवैया शामिल है, न कोई परिवर्तन है और न कोई परिवर्तन होगा। हमारी नीति सार्वभौम विचारों पर आधारित है न कि क्षेत्रीय और द्विपक्षीय विचारों से।

भारत द्वारा वर्ष 1987 में हस्ताक्षर किये गये नयाचार

5499. **श्री शांताराम नायक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा वर्ष 1987 के दौरान कितने नयाचारों पर हस्ताक्षर किये गये;

(ख) किन-किन देशों के साथ इन पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) प्रत्येक नयाचार का स्वरूप क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) :.(क) से (ग) 1987 में भारत ने 12 प्रोतोकोलों पर हस्ताक्षर किए जिनमें से दो बहुपक्षीय और दस द्विपक्षीय हैं। जिन देशों के साथ प्रोतोकोलों पर हस्ताक्षर किये गये हैं, उनके बारे में तथा उनके स्वरूप में सूचना इस उत्तर के संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1987 में भारत द्वारा हस्ताक्षरित प्रोतोकोल

क्रम सं०	देश का नाम	प्रोतोकोल का शीर्षक
1	2	3
	बहुपक्षीय	
1.	अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री उपग्रह संगठन	अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री उपग्रह संगठन के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति प्रोतोकोल
2.	अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार उपग्रह संगठन	अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार उपग्रह के विशेषाधिकार, रियायतें एवं उन्मुक्ति प्रोतोकोल
	द्विपक्षीय	
3.	अफगानिस्तान	भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक, तकनीकी एवं व्यापार सहयोग सम्बन्धी प्रोतोकोल
4.	अंगोला गणराज्य	अंगोला लोक गणराज्य में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये भारतीय विशेषज्ञों से सम्बन्ध प्रोतोकोल
5.	अंगोला गणराज्य	संचार के क्षेत्र में भारत गणराज्य की सरकार और अंगोला लोक गणराज्य की सरकार के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग सम्बन्धी करार का अतिरिक्त प्रोतोकोल
6.	बंगला देश	भारत और बंगलादेश के बीच अन्तर्देशी जल मार्ग और व्यापार सम्बन्धी प्रोतोकोल
7.	चीन लोक गणराज्य	1 जनवरी, 1987 से 31 मार्च, 1988 तक की अवधि के लिए भारत और चीन के बीच व्यापार प्रोतोकोल
8.	सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ	आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रोतोकोल सम्बन्धी भारत-सोवियत अन्तर-सरकारी आयोग के ग्यारहवें अधिवेशन से सम्बद्ध प्रोतोकोल

1	2	3
9.	सोविय समाजवादी गणतंत्र संघ	भारत गणराज्य के संचार मंत्रालय और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के डाक एवं दूर संचार मंत्रालय के बीच प्रोतोकोल
10.	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	1987-88 के लिए छात्रों एवं उच्च अर्हता प्राप्त विशेषज्ञों की उच्चतर शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग के बारे में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के उच्चतर एवं माध्यमिक विशिष्ट शिक्षा मंत्रालय के बीच प्रोतोकोल।
11.	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	भारत गणराज्य और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक एवं वैज्ञानिक संगठनों तथा संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण-पत्रों, उपाधियों और डिप्लोमों की समकक्षता के बारे में भारत गणराज्य की सरकार और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार के बीच प्रोतोकोल।
12.	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत गणराज्य की सरकार और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सरकार के बीच प्रोतोकोल।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिवों/उपसचिवों को विशेष वेतन

5500. **श्री वी० एस० विजय राघवन** :

श्री नटवर सिंह सोलंकी : क्या प्रधान मंत्री केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिवों के विशेष वेतन के बारे में 19 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3651 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिवों/उपसचिवों को उनकी नियुक्ति की तारीख से विशेष वेतन देने जैसा कि ग्रुप-ए केन्द्रीय सेवा में उनके समकक्ष पदों पर नियुक्त अधिकारियों को देय है, के सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसमें बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यह मामला अभी विचाराधीन है।

औषधों का नशे के लिए उपयोग रोकने हेतु तीन आयामी नीति

5501. **श्री मुरलीधर माने** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में औषधों को नशे के लिए उपयोग किए जाने की बढ़ती हुई समस्या का सामना करने के लिए हाल ही में एक तीन आयामी नीति अपनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस नीति का पालन करने के निदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है और इस नीति को अपनाये जाने के परिणाम स्वरूप देश में औषधों को नशे के लिए उपयोग से उत्पन्न खतरा किस सीमा तक समाप्त होने की सम्भावना है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या को रोकने के लिए एक बहु-आयामी नीति अपनाई है जिसमें अनैतिक व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए उपाय, प्रेरणा, परामर्श, उपचार एवं पुनर्वास तथा चेतना शिक्षा के माध्यम से व्यसनियों का उपचार करने के लिए और बढ़ती हुई मांग पर नियंत्रण करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ राज्य सरकारों ने सहायक अनुमान के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के आवेदन पत्रों की सिफारिश की है जो मद्य-निषेध शिक्षा कार्य, मद्य सेवियों, औषध

व्यसनियों तथा सामाजिक बुराइयों से पीड़ित अन्य व्यक्तियों के परामर्श तथा पुनर्वास कार्य के लिए स्वयं सेवी संगठनों को सहायता की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण कार्यक्रम में कार्यरत हैं। नशीली दवाओं के प्रभाव की गम्भीरता पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों और गैर-सरकारी निकायों के सहयोग से सभी सम्भव उपाय करने की आवश्यकता है और इसकी सफलता सभी सम्बन्धित संगठनों द्वारा किये गये प्रयासों पर निर्भर करेगी।

महिलाओं के प्रति अपराध करने के लिए दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी

5502. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने "सुधा गोयल की दहेज के कारण मौत के मामले" में पति और सास को दोषी करार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों को तीन वर्ष के बाद ही गिरफ्तार किया गया जिस दौरान पति, श्री अशोक गोयल ने दूसरी शादी कर ली थी;

(ग) यदि हां, तो गिरफ्तारी में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसे अन्य मामलों की संख्या कितनी है जिसमें महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी में विलम्ब हुआ है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) पति और सास को गिरफ्तार करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा जारी किए गए गैर-जमानतीय वारन्ट 16 जनवरी, 1988 को प्राप्त हुए। सास को 23 जनवरी, 1988 को न्यायालय में पेश किया गया और दूसरे अभियुक्त ने उसी दिन न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। उन्हें न्यायालय द्वारा 23 जनवरी, 1988 को जेल भेज दिया गया।

अभियुक्त लक्ष्मण कुमार के दूसरे विवाह के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) ऐसी अन्य कोई घटना दिल्ली पुलिस की नजर में नहीं आयी है।

महिलाओं को कानूनी सहायता

5503. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं को कानूनी सहायता दे रही है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का महिलाओं को कानूनी सहायता देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) जी, हां।

विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति की प्रेरणा पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा अपनाए गए विधिक सहायता कार्यक्रम के अनुसार महिलाएं, चाहे उनकी जितनी भी आय हो, देश के सभी न्यायालयों में निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह की पात्र हैं।

अखिल भारती न्यायिक सेवा का गठन

[हिन्दी]

*5504. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के विरोध को देखते हुए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने का विचार त्याग दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सेवा का कब तक गठन किया जायेगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित किए जाने का निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र को कोचीन से गोवा ले जाना

[अनुवाद]

5505. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संथान के कोचीन स्थिति क्षेत्रीय केन्द्र को गोवा ले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के नियम

5506. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी नहीं। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का स्थानान्तरण, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ परामर्श करके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार, किया जाता है।

राष्ट्रीय लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण

5507. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं का अब तक माने जा रहे आधार वर्ष 1970-71 के स्थान पर वर्ष 1980-81 को आधार वर्ष मानकर कम्प्यूटरीकरण करने हेतु एक नई श्रृंखला आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऍंगती) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सम्बन्धी नई श्रृंखला को दोनों आंकड़ा आधारों और विभिन्न समाहारों के प्राक्कलन में प्रयोग की गई रीतिविधान की व्यापक समीक्षा के पश्चात् लागू किया गया है। सिक्किम राज्य को शामिल करने के लिए श्रृंखला की व्याप्ति को भी बढ़ाया गया है। किए गए प्रमुख सुधारों में से एक स्थायी पूंजी की खपत के प्राक्कलन की पद्धति से सम्बन्धित है। नयी श्रृंखला में स्थायी पूंजी की खपत की गणना वर्ष के दौरान स्टाक मूल्य, स्थायी पूंजी निर्माण तथा प्रत्येक किस्म की परिसम्पत्ति के जीवन से सम्बद्ध करते हुए की गई है। एक विवरणिका जिसमें नयी श्रृंखला में किये गये विभिन्न परिवर्तनों/सुधारों का उल्लेख किया गया है जारी की गई है तथा इसकी प्रतियां लोक सभा के पुस्तकालय में रखी गई हैं।

12.00 **मध्याह्न**

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री अथवा रक्षा मंत्री को लगाए गए अत्यत गम्भीर अरोप के बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए मैं इसमें शामिल नहीं हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है

प्रो० मधु दण्डवते : स्वीडन की संविधान संम्बन्धी संसदीय समिति के उप सभापति ने एक आरोप लगाया है हमें यह पसन्द नहीं है। उन्होंने यह आरोप लगाया है--कि......(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है

.........(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किसी भी व्यक्ति को बोलने की अनुमति नहीं है।

.........(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कोई अधिकारिता नहीं है। कुछ नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को बोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

.........(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो मैं नहीं जानता कि आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं। मैंने किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दी है।

दूसरे आप इन बातों को इस प्रकार हल्के तौर पर नहीं ले सकते।

.........(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किसी बात को रिकार्ड नहीं किया जाएगा आपने मेरी अनुमति नहीं ली है।

.........(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब आप गलत बात क्यों करते हैं ?

.........(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं आप लोग मैंने किसी को एलाऊ नहीं किया है ना आपको एलाऊ किया है ना उनको एलाऊ किया है।

.........(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने न उनको अनुमति दी है और न ही मैं आपको अनुमति दे रहा हूं

[हिन्दी]

कोई फायदा नहीं है।

.........(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप सुन नहीं सकते तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

[अनुवाद]

मैंने किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दी है। किसी व्यक्ति को मेरी अनुमतिनहीं है।

.........(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही से क्यों निकाला जाये ? किसी भी बात को रिकार्ड नहीं किया

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जायेगा। यह क्या है ?

.........(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। कुछ नहीं मैंने किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

आप क्यों शोर कर रहे हैं ?

.........(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी है

....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना आप कुछ नहीं कह सकते। आपको पहले मेरी अनुमति लेनी है। किसी व्यक्ति को मेरी अनुमति नहीं है।

.... (व्यवधान)**

12 04 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष 1988-1991 के लिए आयात और निर्यात नीति (भाग एक और दो) वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं वर्ष 1988-1991 की आयात और निर्यात नीति (खंड 1 और 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 58/29 88]

नगर विमानन मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नगर विमानन मंत्री (श्री मोती लाल वोरा) : मैं नगर विमानन मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5830/88]

वित्त अधिनियम 1979 और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अंन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 347 (अ) 16 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 15 से 17 मार्च 1988 तक भारत के दौरे पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री महामहिम श्री ली कूआन यू, श्रीमती ली तथा शिष्टमंडल के अन्य 18 सदस्यों को, उनके

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दौरे की समाप्ति पर भारत के बाहर किसी स्थान की उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के संबंध में विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5831/88]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) सा० का० नि० 339 (अ), जो 14 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। तथा जिनके द्वारा 26 1983 नवम्बर की अधिसूचना संख्या 315/83 सी० शु० तथा 16 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या 343/86 सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि इलैक्ट्रोनिकी विभाग के अधिकारी के अतिरिक्त तकनीकी विकास महानिदेशालय के एक अधिकरी को आवश्यकता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 348 (अ), जो 16 मार्च 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22सितम्बर 1981 की अधिसूचना संख्या 208/81 सी० शु० कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि एक मद के विवरण में संशोधन किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मकज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5832/88]

राजसभा संबंधी संसदीय समिति का प्रतिवेदन (भाग 2)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : मैं राजसभा अधिनियम, 1963 की धारा 4 उपधारा (3) के अन्तर्गत राजसभा संबंधी संसदीय समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय रखी में गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5833/88]

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय, आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले के बारे में आज एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया है। दुर्भाग्य से उसमें मेरा नाम नहीं है। कृपया उसे नियम 193 के अन्तर्गत एक चर्चा में बदल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं बेबस हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए, क्योंकि वे इस मुददे को उठाने वाले पहले व्यक्ति थे। हम उनका समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लीजिए। प्रोफेसर साहब आपको क्या हो जाता? आप तो सयाने आदमी हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसे नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में बदला जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर सारा हाउस कहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। यह बैठे हैं और आप भी बैठे हैं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 193 के अन्तर्गत इस पर डिसकशन करा लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी ओर से ऐसा नहीं कर सकता।

श्री अजय मुशरान : महोदय मैं उस स्थान पर रहा हूं। मैंने एक वर्ष तक उस स्थान पर कार्य किया है—

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कर्नल साहब मैंने सारी बात आपको बता दी है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय कर्नल साहब भी इसी स्टेट से आते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बात सुनते नहीं हैं। मैं रूल से बंधा हुआ हूं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : नियमों के अन्तर्गत मैं एक अपील करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब आपको क्या हो जाता है? आप तो सयाने आदमी है। आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय आपको अधिकार है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या होता जा रहा है? मैं रूल में ही यह कह रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं कुछ उन बातों की ही व्याख्या कर रहा हूं जिन्हें आप सभी लोग समझते हैं। मैं जो कुछ करता हूं वह यह है कि मैं कुछ प्रस्तावों की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

फिर अगर हाउस सारा राजी होकर कहे कि ऐसा करना है—

[अनुवाद]

मैं सदन के निर्णय से सहमत हूं।

[हिन्दी]

मैंने आपको बता दिया है। आप अपने साथियों से बात कर लीजिए अगर सारा हाउस कहता

है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

मुझे जो करना चाहिए था वह मैंने कर दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : हम सब उसका समर्थन करते हैं। इस बारे में सदन एकमत है कि उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी मिनिस्टर बैठी हुई हैं। मैं क्या कर सकता हूं।

..........(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है और मैंने सुन ली है। आप क्यों अपना गला खराब करते हैं। आप सयाने आदमी है आप क्या कर रहे हैं ?

..........(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, आतंक वादियों ने 17 व्यक्तियों को मार दिया है और हत्यायें जारी हैं। मैंने नियम 193 के अन्तर्गत नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने जा रहा था।

[हिन्दी]

अगर आप विदड्रा नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

मैंने आपको अनुमति दे दी होती।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम चाहते हैं कि इस बारे में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की जाए। आप कृपया नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति दीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : *नियम 193 के अन्तर्गत इस बारे में चर्चा की जानी चाहिए।*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : *वह बी० ए० सी० देखेगी। मैंने एक बात कह दी है।*

[अनुवाद]

मैं आपके स्थगन प्रस्ताव को अनुमति देने जा रहा था।

[हिन्दी]

अगर आपने विदड्रा कर लिया है तो बी० ए० सी० करेगी मैं क्या करूं ?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हमने नियम 193 के अन्तर्गत एक चर्चा की मांग की है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह तो महाराज बी० ए० सी० करेगी। उसने फैसला करना है। मैंने

आपको कब रोका है।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : तोड़-फोड़ के बहुत से मामले हुए हैं। तोड़-फोड़ के बहुत से मामले हमारे नोटिस में आ चुके हैं। तोड़-फोड़ के मामलों की कड़ी में नवीनतम मामला जबलपुर में हुआ है। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। अतः इसे नियम 193 के अन्तर्गत एक चर्चा में बदला जाना चाहिए। महोदय, आपको इस बारे में सहमत होना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको एक बात बता दी है। आप अपना फैसला कर लीजिए। आप मेरा वक्त खराब कर रहे हैं ?

.........(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कह दिया है। कर्नल साहब, यह तो हाऊस करेगा। मैंने आपके हाथ में दे दिया है। आप मेरे से क्यों लड़ाई करते हैं। आप हाऊस से बात करिए।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : महोदय मैं आपके बैलट का शिकार हुआ हूं। मैं अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में भी नहीं बोल सकता।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कर्नल साहब, मेरे से जिद्, करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको कह दिया है और करवा भी दिया है। अब हाऊस जाने के क्या करना है ?

अगर वह करना चाहे तो कर ले।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : जिन-जिन सदस्यों के नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हैं, उनमें से किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता। मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों नाराज होते हैं। मैंने आपको कह ही दिया है। मेरे हाथ में जो था वह मैंने कर दिया और जो आपके हाथ में हो वह आप कर लीजिए। मेरे से जिद् करने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

यह पहला अथवा दूसरा अवसर नहीं है, ऐसे पूर्वोदाहरण रहे हैं, यह प्रक्रिया है और मैं ऐसा ही करने जा रहा हूं। यह एक अति सरल बात है

.........(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरे से अगर कोई नाराज होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर

कोई लड्डू लेकर आये तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री महोदया को अपनी बात कहने दीजिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : सदस्यगण आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के अन्तर्गत एक चर्चा में बदलना चाहेंगे। क्या मेरी बात ठीक है ? मैंने सम्बन्धित मंत्रियों से इस बारे में बातचीत की है। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हमें केवल समय की कमी की बात को ध्यान में रखना है। हमें इस मामले को कार्य मंत्रालय समिति के पास ले जाना पड़ेगा। जो भी समय निर्धारित किया जाता है और दिया जाता है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई एतराज नहीं है। आप कर लीजिए।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के स्थान पर ही इस बारे में चर्चा क्यों न की जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब यह आपकी मर्जी है। मैं नहीं कर सकता।

.........(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप सलाह कर लीजिए आप जो कहेंगे, मैं कर दूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया इस बीच ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्थगित कर दीजिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो हाऊस कहेगा मैं कर दूंगा।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं......

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब कहेंगे, मैं कर दूंगा। कर्नल साहब, आप राय कर लीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : यदि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ होती है तो उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलेगा आप कम से कम अपने अधिकार के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्थगित कर दीजिए ताकि उन्हें इसे नियम 193 के अन्तर्गत एक चर्चा में परिवर्तित करने का अवसर मिल

सके।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह कर दे, मुझे तो कोई एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

यदि सदन ऐसा चाहता है तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्थगित कर सकता हूं।

इस बारे में कोई समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

मेरे लिए कोई प्राब्लाम नहीं है।

[अनुवाद]

यह सदन के लिए एक समस्या है।

श्री अजय मुशरान : एक बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ होने पर मेरे बोलने का अवसर खो जायेगा·····

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब हाऊस में सभी ने कह दिया जब सब ने कह दिया, सस्पैण्ड कर दो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं सस्पैण्ड कर दूंगा।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में सहमत हो गया है, इसे स्थगित कर दीजिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हो गया, यह तो आपकी अपनी बात होती है, करने की, मेरे से झगड़ा करने की बात नहीं होती है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, एक गलत बात को रिकार्ड कर दिया जायेगा। आप उन्हें निलम्बित मत कीजिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्थगित कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले आपको निलम्बित करना चाहूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं राहत अनुभव करूंगा

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : परिवर्तन के तौर पर प्रोफेसर साहब को निलम्बित कर दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे कुछ आराम मिलेगा।

———

12.10 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

—[जारी]

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 और सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 के अधीन अधिसूचनाएं

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय बचत योजना (संशोधन) नियम, 1988, जो 18 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 352 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाकघर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 1988, जो 18 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 353 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय बचत योजना (दूसरा संशोधन) नियम, 1988, जो 22 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 364 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए (संख्या एल० टी० 5834/88]

(2) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय बचत पत्र (छठा निर्गम) संशोधन नियम, 1988, जो 18 मार्च 1988, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 354 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत पत्र (सातवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 1988, जो 18 मार्च 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 355 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) किसान विकास पत्र नियम, 1988, जो 23 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 370 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5835/88]

(पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधीन अधिसूचना

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : मैं परिपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत परिपत्र (संशोधन) नियम, 1988, जो 11 फरवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 84 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5836/88]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1957 में अधीन अधिसूचना

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) संशोधन नियम, 1988, जो 12 मार्च 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 145 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5837/88]

12.11 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे तमिलनाडु विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1988 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 28 मार्च, 1988 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा गया था वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचलन नियमों के नियम 186 के उप नियम(6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे तमिलनाडु विनियोग विधेयक 1988 के, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 28 मार्च 1988 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियमों 111 उपबन्धों के के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 29मार्च 1988 को हुई अपनी बैठक में पारित तमिलनाडु राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक 1988 की एक प्रति संलग्न करना का निदेश हुआ है।"

(चार) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 29 मार्च 1988 को हुई अपनी बैठक में पारित तमिलनाडु कृषि सेवा सहकारी समिति (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) संशोधन विधेयक, 1988 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(पांच) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमो के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 29मार्च 1988 को हुई अपनी बैठक में पारित तमिनाडु सहकारी समिति (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) संशोधन विधेयक, 1988 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ हैं।"

राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

महासचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1988

(2) तमिलनाडु कृषि सेवा सहकारी समिति (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) संशोधन विधेयक, 1988

(तीन) तमिलनाडु सहकारी समिति (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) संशोधन विधेयक, 1988

12.11 म० प०

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति 39 वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वक्कम पुरुषोत्तम (अलप्पी) : महोदय में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड-सेलम इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 30 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 39वां प्रतिवेदेन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।"

कार्य मन्त्रालय समिति 51 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय मैं कार्यमंत्रालय समिति का इक्यावन वां प्रनिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।

12.2 म० प०

श्री शरद दिए पीठासीन हुए

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 के कतिपय उपबन्धों के 1 अप्रैल 1990 से लागू करने के सरकार के निर्णय के बारे में वक्तव्य

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि 1988-89 के लिए केन्द्रीय सरकार का बजट पेश करते समय अपने भाषण (भाग ख) के पेरा 93 में मैंने प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) विधेयक 87 का उल्लेख किया था जो संसद के पिछले सत्र के दौरान पारित कर दिया गया था, और सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों के आधार पर सरकार के विचारार्थ उत्पन्न हुए मुख्य मुद्दों का हवाला दिया था । इस पैरे में उल्लिखित पहला मुद्दा, साझेदारी वाली फर्मों के कर निर्धारण से सम्बन्धित नए कानून के बारे में है। अन्य तीन मामले 30 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने, धमार्थ न्यासों/स्वैच्छिक एजेंसियों आदि से सम्बन्धित उपबन्धों और कर-निर्धारण पुनः खोलने से सम्बन्धित है ।

सरकार द्वारा प्राप्त किए गए अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है। तथापि, चूंकि कुछेक साझेदारों वाली फर्मों के लिए लेखा-वर्ष पहले ही शुरू हो गए हैं और उनमें से कुछ के सम्बन्ध में नया कानून लागू हो गया है या 1 अप्रैल, 1988 से सभी के मामलों में लागू होगा और जैसा कि इस बारे में कुछ परिवर्तन करने की अपेक्षा की गई है, इसलिए यही ठीक है कि कर-दाताओं से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे पुरानी प्रणाली को बदलकर नई प्रणाली को अपनाएं और तब फिर उस योजना के अनुरूप आगे और परिवर्तन करें जिसे सरकार के विचारार्थ उठाए गए विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखने के बाद तैयार किया जाए। इसलिए यथोचित सरकारी संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे साझेदारी वाली फर्मों के कर निर्धारण से सम्बन्धित नई योजना 1 अप्रैल, 1990 से अर्थात् कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से लागू हो जाएगी। उस तारीख तक विद्यमान उपबन्ध लागू रहेंगे, जब तक कि उनको प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा संशोधित नहीं कर दिया जाता। जिन अन्य मामलों के सम्बन्ध में लागू होने की तारीख 1-4-1989 है उनके बारे में कोइ स्थान आवश्यक नहीं समझा जाता है क्योंकि आयकर अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) को संशोधित करने वाले नए विधेयक का प्रस्ताव इस सदन के समक्ष शीघ्र ही रखे जाने की आशा है।

वित्त विधेयक में किए गए इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में, आलोचना की गई है कि धनकर अधिनियम की धारा 5 (1) (vi ङ) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पब्लिक सेक्टर बांड, एक मकान अथवा मकान का भाग जैसी अन्य सम्पत्तियों के साथ केवल 5 लाख रु० की सीमा तक कर मुक्त होंगे जबकि पहले यह वचन दिया गया था कि ऐसे बाण्डों पर धनकर से छूट प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं होगी। सरकार का यह इरादा नहीं है कि कर-दाता पहले से प्राप्त किए गए लाभ को वापिस लिया जाए। सरकार के संशोधन द्वारा, केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा दिनांक 1-6-1988 को अथवा इसके बाद बेचे गए सभी बंध-पत्र 5 लाख रु० की सीमा में लाए जाएंगे। इससे परिणामस्वरूप, सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा 1-6-1988 से पहले बेचे गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सभी बंध-पत्र, जो कि असीमित सीमा तक छूट प्राप्त हैं, पर यह लाभ मिलता ही रहेगा।

———

12.15 प० प०

खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) पर के अधीन बसों और ट्रकों के टायरों के आयात के बारे में वक्तव्य

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : बस और ट्रक टायरों के आयात के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए निर्णय पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

पिछले तीन वर्षों में ट्रक और बस टायरों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हुए है। बस और ट्रक टायरों के उत्पादन में हुई वृद्धि के बावजूद टायरों के बाजार मूल्य में वृद्धि देखने में आई है।

बस और ट्रक टायरों के मूल्यों में हो रही वृद्धि अनेक संसद प्रश्नों की विषय वस्तु रही है

और सदस्यों ने इस पर चिन्ता व्यक्त की है सरकार ने यह भी कहा है कि आवश्यकता होने पर ही टायरों के आयात पर विचार किया जाएगा।

स्थिति की ध्यानपूर्वक समीक्षा करने के पश्चात् सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :—

(1) निम्नलिखित वर्गों के उपभोक्ताओं को खुले सामान्य लाइसेन्स के अधीन बस और ट्रक टायरों के आयात की अनुमति दी जाएगी :—

(क) मूल उपकरण निर्माता (जैसे कि आज विद्यमान हैं)

(ख) राज्य सड़क परिवहन उपक्रम।

(ग) राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ

(घ) औद्योगिक विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय बस और ट्रक चालकों की एसोसिएशनें।

(ङ) औद्योगिक विकास द्वारा स्वीकृत राज्य सरकार के अभिकरण

(2) जिन बस और ट्रक टायरों के आयात की खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन अनुमति दी जाएगी वे निम्नलिखित वर्गों के होंगे :—

1000×20—16 पी० आर०

1000×20—14 पी० आर०

900×20—16 पी० आर०

900×20—12 पी० आर०

900×20—12 पी० आर०

रिब्बड, लग और सेमि-लग किस्म के नायलान टायर।

(3) ऐसे टायरों पर कुल आयात शुल्क 100% होगा (5% सूखा अधिभार को छोड़कर इसके अतिरिक्त गया प्रभावी प्रतिरोधी (काउंटरवेलिंग) शुल्क भी होगा।

इसके साथ-साथ सरकार, टायर उत्पादकों द्वारा अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित करेगी। आशा है कि इन उपायों से बाजार में प्रतियोगिता बढ़ेगी और उससे उपभोक्ता व उद्योग दोनों को ही लाभ होगा।

———

12.17 म० प०

सातवीं योजनावधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन को अधिकतम करने सम्बन्धी योजना के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं सातवीं योजना अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन को अधिकतम करने से सम्बन्धित एक योजना शुरू किए जाने के लिए सरकार के निर्णय पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

2. औद्योगिक एककों को अपना उत्पादन अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समय-समय पर उन्हें क्षमता के उपयोग या उनके द्वारा उपलब्ध किये गये आधुनिकीकरण के आधार पर अनुज्ञप्त क्षमताओं का पुनः पृष्ठांकन करती रही है। इस प्रकार की नवीनतम पुनःपृष्ठांकन योजनाएं जनवरी, 1986 के प्रेस नोट 1 तथा 2 में दी गई हैं। यद्यपि इन योजनाओं में पिछले समय में किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा किए गए उत्पादन पर ध्यान दिया गया है तथापि एक ऐसी योजना शुरू किया जाना आवश्यक समझा गया है जो कि औद्योगिक उपक्रमों की अग्रिम सूचना देगी और भविष्य में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम उत्पादन को मान्यता देगी।

3. तदनुसार सरकार ने 1 अप्रैल, 1988 से एक नयी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संयंत्र मशीनों व उपकरणों की विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता द्वारा औद्योगिक उत्पादन को अधिकतम करना है ताकि पहले ही से अधिष्ठापित परिसम्पत्तियों का अधिकतम इस्तेमाल किया जा सके। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

1. तकनीकी प्राधिकरणों के औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण, औद्योगिक उपक्रमों द्वारा 1 अप्रैल 1988 तथा 31 मार्च, 1990 के मध्य के किसी भी वित्तीय वर्ष में किए गये वास्तविक अधिकतम उत्पादन के अनुसार स्वतः ही पुनः पृष्ठांकित कर दिए जाएंगे।

2. निम्नलिखित को छोड़कर क्षमता के ऐसे पुनः पृष्ठांकन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा :—

1. सम्बन्धित वस्तु के लिए उपक्रम के पास वैध औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण होना चाहिए।

2. वह वस्तु लघु उद्योग के लिए आरक्षित नहीं होनी चाहिए और ना ही वह वस्तु समय-समय पर यथा संशोधित आई० डी० आर० अधिनियम के अधीन जारी तारीख 16 फरवरी, 1973 की छूट सम्बन्धी अधिसूचना की सूची IV और V का एक भाग होनी चाहिए।

संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर के रूप में अतिरिक्त निविष्टि, यदि कोई हो, तो वह उस निर्माण वस्तु से सम्बद्ध संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर में हुए निवेश के विद्यमान पुस्तक मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

4. यह स्कीम एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियों सहित सभी औद्योगिक उपक्रमों तथा उन सभी वस्तुओं पर लागू होगी तो जो आई० डी० आर० अधिनियम की प्रथम सूची में चाहे सम्मिलित हों या न हों। इस स्कीम पर स्थापना-स्थल सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी लागू नहीं होंगे। एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियों के मामले में यह स्कीम परिशिष्ट 1 तथा गैर परिशिष्ट-1 दोनों वस्तुओं के लिए होगी।

5. यह एक अतिरिक्त योजना है और यह सुविधाएं किसी विद्यमान स्कीम के तहत पहले से प्राप्त सुविधाओं के बदले में नहीं दी जा रही हैं।

6. इस योजना के बारे में तथा इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली पद्धतियों से सम्बन्धित एक विस्तृत प्रेस नोट औद्योगिक विकास विभाग जारी किया जायेगा।

7. सरकार को आशा है कि इस योजना से संयंत्रों, मशीनों व उपकरणों में विद्यमान निवेश का सर्वोत्तम उपयोग होगा जिससे 7 वीं योजना अवधि में उत्पादन अधिकतम होगा।

———

सभापति महोदय : अगली मद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्थगित किया जाता है।

———

12.20 म० प०

समितियों के लिये निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

[अनुवाद]

श्री शांता राम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1988 से आरम्भ होने तथा 30 अप्रैल 1989 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए, प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से तीन सदस्य निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 311 उप नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई. 1988 से आरम्भ होने तथा 30 अप्रैल, 1989 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये, प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(दो) लोक लेखा समिति

(क) लोक सभा से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करने के लिए प्रस्ताव

श्री अमल दत्ता (डाइमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1988 से आरम्भ होने तथा 30 अप्रैल 1989 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए, लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1988 से आरम्भ होने तथा 30 अप्रैल, 1989 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए, लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ख) राज्य सभा से सात सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने की सिफारिश करने के लिए प्रस्ताव

श्री अमल दत्ता (डाइमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि 1 मई, 1988 से आरम्भ होने तथा 30 अप्रैल, 1989 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति में सहयोजन हेतु राज्य सभा अपने में से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा ऐसे नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

',कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि 1 मई, 1988 से आरम्भ होने तथा 30 अप्रैल, 1989 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की लोक लेखा समिति में सहयोजन हेतु राज्य सभा अपने में से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करनेके लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(क) लोक सभा से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करने के लिए प्रस्ताव

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 312 (ख) के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1988 से आरम्भ होने तथा 30 अप्रैल, 1989 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 312 (ख) के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1988 से आरम्भ होने तथा 30 अप्रैल, 1989 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें :"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ख) राज्य सभा से सात सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने की सिफारिश करने के लिए प्रस्ताव

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि 1 मई, 1988 से आरम्भ होने

तथा 30 अप्रैल, 1989 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में सहयोजन हेतु राज्य सभा अपने में से सात सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि 1 मई, 1988 से आरम्भ होने तथा 30 अप्रैल, 1989 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में सहयोजन हेतु राज्य सभा अपने में से सात सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(क) लोक सभा से बीस सदस्य निर्वाचित करने के लिए प्रस्ताव

श्री राम रतन राम (हाजीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331 ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1988 से आरम्भ होने तथा 30 अप्रैल, 1989 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी सीमित के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331 ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1988 से आरम्भ होने तथा 30 अप्रैल, 1989 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी सीमित के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ख) राज्य सभा से दस सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने की सिफारिश करने के लिए प्रस्ताव

श्री राम रतन राम (हाजीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि 1 मई; 1988 से आरम्भ होने तथा 30 अप्रैल, 1988 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में सहयोजन हेतु राज्य

सभा अपने में से दस सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्यो के नाम इस सभा को सूचित करे।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि 1 मई, 1988 से आरम्भ होने तथा 30 अप्रैल 1989 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में सहयोजन हेतु राज्य सभा अपने में से दस सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.25 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश के कुछ नगरों में पेय जल की कमी दूर करने के लिए कदम उठाया

[अनुवाद]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : सभापति महोदय, विदिशा संसदीय चुनाव क्षेत्र के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में पेय जल की भारी कमी है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को रायसेन और सिहोर जिलों के समस्याग्रस्त ग्रामों में नए हैंड पम्प तथा नलकूप लगाने के प्रस्ताव विदिशा, भेजे हैं। सी० एस० पी० योजना के अंतर्गत लगभग 700 ग्राम लिए गए है। बीस-सूत्री कार्यक्रम संबंधी समितियों और जिला सूखा सतर्कता समितियों ने भी विदिशा, गंज बालोदा, सिरोंज, रायसेन, साँची, बेगमगंज, मांडोद्वीप आदि महत्वपूर्ण कस्बों में पेयजल की चिन्ताजनक स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले में अविलम्ब कार्यवाही करें।

(दो) मध्य प्रदेश के दतिया जिले में हाल की ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना

[हिन्दी]

श्री कृष्ण सिंह (भिण्ड) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में हाल में हुई भयंकर ओलावृष्टि से पकी हुई खड़ी फसल को भारी क्षति पहुंची है। इस जिले के लगभग 50 गांवों की फसल नष्ट हो गई है। इनमें लगभग 30 गांवों में 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है। प्रशासनिक अनुमानों के अनुसार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का कूल नुकसान हुआ।

यह क्षेत्र लगातार दूसरे वर्ष सूखे की चपेट में है तथा बड़ी मेहनत के बाद यहां के बाद यहां के किसान को कुछ फसल मिलने की उम्मीद बनी थी। ओलावृष्ठि के कारण इन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। यहां तत्काल विशेष राहत कार्य खोले जाने चाहिए जिससे छोटे कृषक तथा खेतिहर मजदूरों को रोजगार मिल सके। दतिया जिला सिचाई साधनों के अभाव के कारण बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है तथा यहां का किसान प्रकृति के ऊपर अधिक सिचाई के साधन निर्मित किए जा

चाहिए।

मेरी मांग है कि राजघाट परियोजना के तहत नहर निर्माण का अपूर्ण कार्य बड़े पैमाने पर राहत कार्य के तहत पूर्ण कराया जाये। साथ ही फसल बीमा योजना भी प्रभावी ढंग से लागू की जाये। भू-राजस्व तथा कृषकों के बैंक लोन, तकनीकी एवं बिजली बिलों आदि को यथा सम्भव माफ किया जाए अथवा वसूली स्थगित की जावे।

(तीन) उड़ीसा में क्यों झरगढ़ में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करना

[अनुवाद]

**श्री हरिहर सोरन (क्योंझर) : सभापति महोदय, भारत सरकार के पास सातवीं योजना से दौरान उड़ीसा में कुछ दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। क्योंझर का चुनाव ऐसे ही एक दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना के लिए किया गया है, लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि अभी तक क्योंझर में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है। दूरदर्शन रिले केन्द्र की क्योंझर में स्थापना करने की कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात हैं कि अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

कटक और सम्बलपुर में स्थित दो दूरदर्शन रिलु केन्द्र क्योंझर से काफी दूरी पर स्थित है। इसलिए क्योंझर के लोग इन दोनों केन्द्रों में से प्रसारित किसी एक केन्द्र का कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं। यदि क्योंझर में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र की केन्द्र स्थापना कर दी जाए तो यह वहां की संस्कृति और शिक्षा के प्रसार में अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। मनोरंजक कार्यक्रम देने के अलावा यह लोगों में जागरूकता पैदा करने में सहायक सिद्ध होगा गरीब और अशिक्षित लोगों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित उन की भलाई के लिए पिछड़े इलाकों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों का पता चल सकेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान क्योंझर में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना की जाए।

(चार) देश में बुनकरों को सस्ते मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध करना

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद रावत (बाराबंकी) : सूत के दामों में हुई अत्यधिक बढ़ोतरी से बुनकर काफी परेशान है। यह बढ़ौतरी 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक हुई है तथा सरकार द्वारा बुनकरों को रेशम आदि का कच्चा माल उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कच्चा माल मिलाने में तथा कीमत बढ़ जाने से कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं को बेचने में काफी दिक्कत हो रही है सूत के दामों में हुई बेतहासा वृद्धि के कारण बुनकरों का काम बिल्कुल ठप्प हो गया है तथा उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये है। जिन बुनकरों पर सूत व्यापारियों का कर्जा है वह व्यापारी बुनकरों के करघे नीलम करके कर्जा वसूल कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि बुनकरों का कच्चा माल सस्ती दर पर दिलाने तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को खरीदने की व्यवस्था शीघ्र करें।

(पांच) दिल्ली और लखनऊ के बीच वाया सस्ता बन्दौसी एक रेलगाड़ी चलाना

**मूलतः उड़ीया में के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : पिछले कुछ सालों में रेल विभाग ने काफी तरक्की की है और नयी ट्रेनें भी चलायी गयी है। मगर ट्रेनें के मामले में मुरादाबाद डिवीजन अपेक्षित रहा है। मुरादाबाद डिवीजन के लिए कोई भी नयी ट्रेन चलायी नहीं गयी है। मेरे संसदीय क्षेत्र के चन्दौसी कस्बे में अनाज की प्रसिद्ध मण्डी है तथा रेल विभाग का ट्रेनिंग कालिज भी है। वहाँ के लोगों की पुरजोर मांग है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से लखनऊ के लिए वाया चन्दौसी हो कर चलायी जावे। इस रेलगाड़ी के चलने से मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होगी। यदि रेल विभाग द्वारा उक्त ट्रेन चलायी जाती है तो इससे लोग तो लाभान्वित होंगे ही साथ ही साथ रेल विभाग को भी इस ट्रेन के चलाये जाने से अच्छी आमदनी हो सकेगा।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों की सुविधार्थ एक ट्रेन दिल्ली से लखनऊ के लिए वाया चन्दौसी होकर चलाये जाने की कृपा करे।

(छः) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : इन दिनों निजीकरण को कई समस्याओं के हल के रूप में देखा जाता है। राष्ट्र मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा का अनुसरण कर रहा हैं लेकिन साथ-साथ यह जाती हुई बात है कि कुछ दिशाओं में निजी क्षेत्र कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं कर पायेगा समय पर स्वीकार किया जाता रहा है इन दोनो क्षेत्रों के लिए नियत किए गए क्षेत्रों की का पता चलता है। तब भी सेवोन्मुखी क्षेत्रों में जहाँ लाभ प्रदता मापदण्ड नहीं और ऐसे होना भी नहीं चाहिए लोगों को निजीकरण की सिफारिश करते देखा जा रहा है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य को जो उत्तरदायित्व विभाग होता है उसे उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष में यदि सरकारी क्षेत्र सफल नहीं हो पाता है तो उसे निजी क्षेत्र को सौप कर सरकारी क्षेत्र की अक्षमता स्वीकार कर लेना कोई तुक की बात नहीं है। यदि किसी क्षेत्र विशेष में निजी क्षेत्र सफल हो सकता है तो सरकारी क्षेत्र को सफल होना ही होगा। जब कभी भी कोई सरकारी उपक्रम असफल हो तो उसके कारणों का पता लगाना और उन्हें दूर करने के उपायों का पता लगाना चाहिए न कि उसका निजीकरण कर देना। अब यह जाती हुई बात है कि सरकारी क्षेत्र की असफलता मुख्यतया मानवीय उपेक्षा और चूकों की वजह से व उसमें विद्यमान ज्यादा फिजल खर्ची के कारण होती है। इन सभी स्थितियों का उपचार संभव है। चूहे को मारने के लिए हमें घर को नहीं जला देना चाहिए।

मैं इसलिए सरकार से अपील करूंगा कि वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार लायें।

(सात) बागान श्रम अधिनियम, 1951 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन करना

श्री भद्रेश्वर तांती (कालियाबोर) : बागान श्रम अधिनियम 1951 और उसके बाद के संशोधनों और राज्य सरकार द्वारा बताये गये नियमों के कुछ उपबन्धों में जैसे आवास निर्माण, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं प्रसूति सुविधाएं, सफाई आदि संबंधी उपबन्धों शीघ्र संशोधन की

आवश्यकता है। सरकार बागान श्रम अधिनियम और देश में उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने में पूर्णतया असफल रही है विशेषता असम के 800 चाय बागानों में तो और अधिक जिसकी वजह से चाय बागान श्रीलंका जो इन चाय बागानो में कार्य कर रहे हैं को इन चाय बागानों में कार्य कर रहे हैं को इस कानून के अंतर्गत मिलने वाले लाभों से वंचित कर दियां गया है। यह कानून इतना उदार है कि सरकार प्रबंध को इसे लागू करने के लिए बाघा नहीं कर सकती। चूंकि यह कानून सही तरह से लागू नहीं किया जा रहा है इसलिए श्रमिकों का इसमें विश्वास नहीं रहा है। श्रमिक निराश हो चुके है और वे कभी भी आंदोलन कर सकते है। इसलिए यह निवदेन है कि इस कानून में पूरी तरह संशोधन किया जाना चाहिए जिससे इस अधिनियम के उल्लंघन पर चाय उद्योग के प्रबंधकों को पचास हजार रुपये का जुर्माना और कम से कम दो साल की सजा दी जा सके।

(आठ) काफी बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करना

श्री बसुदेव आचार्य (बाकुरा): काफी बोर्ड के कर्मचारी काफी समय से अपनेवेतनमानो में सुधार और अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के लिए पदों में आरक्षण अपनी वाजिब मांगों के संदर्भ में संघर्ष कर रहे लेकिन दुर्भाग्यवश इन समस्याओं का अभी तक समाधान नही किया गया है। बोर्ड कमेटियों, उपकमेटियों, कर्मचारी शिकायत समिति, आदि की नियुक्ती करके देरी करने के तौर तरीके अपनाये जा रहे हैं। इन कमेटियों की रिपोर्ट बोर्ड के लेखाकार में पड़ी धूल चाट रही हैं, लेकिन इन रिपोर्टों और सिफारिशों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। दस्तावेज मात्र केन्द्र सरकार को भेज दिये गये हैं।

काफी बोर्ड के कर्मचारियों को न तो औद्योगिक माना जाता हैं, और न ही केन्द्र सरकार के कर्मचारी माना जाता है, इस तरह उन्हें औद्योगिक श्रमिको को मिलने वाले लाभ और चौथे वेतन चौथे वेतन आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये गये लाभ दोनों से वंचित रखा गया है काफी बोर्ड के कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है यहां तक कि उनके समकक्ष चाय बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से भी उन्हें वंचित कर दिया गया हालांकि बोनस अधिनियम के तहत उन्हें बोनस दिया जाता है फिर भी सभी प्रयोजनों के लिए उन्हें औद्योगिक श्रमिक नहीं माना जाता है। लगातार इसी तरह आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि बाबजूद भी उनका वेतन वहीं का वहीं है। बढ़ती हुई कीमतों से निबटने के लिए जो व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए की गई है वह काफी बोर्ड के कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं है। इस तरह 4500 काफी बोर्ड के तकरीबन कर्मचारी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं कष्ट उठा रहे हैं। में सरकार से अपील करता हूं कि वह मामुले में हस्तक्षेप करें और काफी बोर्ड द्वारा किये जा रहे हैं उनके शोषण को समाप्त कराये।

———

12.37 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[जारी]

(अनुवाद)

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1988 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 21 मार्च, 1988 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेलवे) सं० 2 विधेयक 1988 को जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 21 मार्च, 1988 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेलवे) सं 3 विधेयक, 1988 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 21 मार्च, 1988 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

———

12.38 म० प०

अनुदानों की मांगें 1988-89

[जारी]

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अगला विषय मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत अनुदान मांगों पर मतदान एवं आगे चर्चा डा० सुधीर राय।

डा० सुधीर राय (बर्द्धवान) : मैं मानव संसाधन विकास मन्त्री द्वारा की गयी अनुदान मांगों का विरोध करता हूं। यह एक बड़ा विभाग है और इसके नीचे कई छोटे-छोटे विभाग रखे गए हैं, पर आवंटन बहुत कम है। यह देखा गया है कि सातवीं योजनावधि में कुल खर्च का केवल 1·8% शिक्षा

[डा सुधीर राय]

के लिए रखा गया है। यह सरकार की शिक्षा के प्रति चिन्ता को दर्शाता है। यह एक सबूत है। एक आपरेशन ब्लेक बोर्ड नामक बने कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय सारक्षरता मिशन, साक्षरता उन्मूलन आदि कार्यक्रम हैं। परन्तु इस थोड़े से धन में सरकार सबको शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकती है। अत:, मैं मांग करता हूं कि संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना देना चाहिए। क्योंकि जब तक शिक्षा का अधिकार न्यायिक अधिकार नहीं होगा तब तक सरकार का वो ही घिसा पिटा रुख बना रहेगा। इस बात की बहुत कम आशा है कि हम शिक्षा के सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य तक पहुंच पायेंगे। यदि शिक्षा सबको उपलब्ध नहीं होगी तो हम लोकतन्त्र को मजबूत विकास की आशा कैसे कर सकते हैं। लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की आशा कैसे कर सकते हैं। हम कैसे आशा कर सकते हैं कि बच्चे मजबूत एवं स्वस्थ होंगे।

अत: देश के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना बहुत ही आवश्यक है और यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाना चाहिए।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न है मैं कहना चाहूंगा कि नवोदय विद्यालयों पर ध्यान देने के बजाय 'नेबरहुड स्कूल' पर ध्यान देना चाहिए जहां पर एक जगह के अमीर और गरीब लोगों के बच्चों को प्रवेश मिल सके। यदि 'नेबरहुड स्कूल्स' की प्रवृत्ति का विकास किया गया तो अमीर और प्रभावशाली लोग भी जो उस इलाके में रहते हैं, स्कूलों के विकास पर ध्यान देंगे क्योंकि नवोदय विद्यालय हमारी शिक्षा व्यवस्था को संभ्रान्त झुकाव को ही जारी रखते हैं। विशेषकर मुझे लगता है कि इससे पहले पब्लिक स्कूल व्यवस्था पर इतना अधिक ध्यान नहीं दिया गया।

दुर्भाग्यवश जब से प्रधानमन्त्री ने पदभार संभाला है इन स्कूल को देश के सर्वाधिक आदर्श स्कूल के रूप में दिखाया गया है और सभी पब्लिक स्कूलों की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। अत: इन नवोदय विद्यालयों को स्थापित किया गया। यह केवल हमारी शिक्षा व्यवस्था में सभ्रान्त प्रवृत्ति को ही शक्तिशाली बनाएंगे। इस सन्दर्भ में मैं यह भी कहूंगा कि स्कूलों एवं कालेजों में खेलकूद को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये। जब सोवियत उत्सव का उद्घाटन हुआ तब हमने देखा कि उस देश में 26 करोड़ में से 10 करोड़ लोग रोजाना शारीरिक व्यायाम एवं खेलकूद में हिस्सा लेते हैं। चीन में भी करोड़ों स्त्री-पुरुष नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम तथा खेलकूद में हिस्सा लेते है। परन्तु भारत में बहुत कम सुविधा उपलब्ध है। और क्रिकेट बोर्ड एवं खेल बोर्ड में बड़ी अधिक राजनीति है। अत: सशक्त शिक्षा व्यवस्था के लिए खेलकूद को स्कूलों एवं कालेजों में अनिवार्य किया जाना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अध्यापकों की नियुक्ति चाहे किसी भी वर्ग में हो उन्हें एक से वेतनमान मिलने चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को छोड़ दिया गया है और उन पर धूल जा रही है हमें यह भी बताया गया है कि केन्द्रीय विद्यालयों में 30,000 अध्यापक काम कर रहे हैं। परन्तु उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए पर्याप्त तन्त्र हैं। पदोन्नति व स्थानान्तरण के लिए कोई पक्की नीति नहीं है। और अक्सर शिक्षक नेताओं को परेशान किया जाता

है । अतः मैं निवेदन करता हूं कि मंत्री महोदय केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मामलों की जांच करवायें ।

जहां तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है मैं कहना चाहूंगा कि डा० कोठारी और गजेन्द्र गडकर सबने शिक्षण संस्थाओं के लोकतान्त्रिक प्रबन्ध पर जोर दिया और कहा कि शिक्षक, गैर-शिक्षक कर्मचारी, छात्र एवं अभिभावक शिक्षण संस्थाओं को चलाएं । परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे शासकों ने शिक्षण संस्थाओं में लोकतन्त्र का विचार पसन्द नहीं किया । हमने देखा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक परिपत्र भेजा है कि अनुदान लेने के लिए विश्वविद्यालय कोर्ट या सिंडिकेट में मुख्यत: पदेन या मनोनीत सदस्य होने चाहिएं । अध्यापक निर्वाचित प्रतिनिधियों को न भेजें । छात्रों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए । यही नहीं कुलपति का चयन कुलाधिपति द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा होना चाहिए अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा होना चाहिए और कुलाधिपति को विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को 'वीटो' करने का पूरा अधिकार है । क्योंकि विद्यासागर विश्वविद्यालय मिदनापुर को ये शर्तें मंजूर नहीं थीं अत: उस विश्वविद्यालय को अनुदान नहीं दी गई ।

जबकि उस विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार ने 3 करोड़ से अधिक रुपया खर्च किया है। अब मुझे तर्क समझ में नहीं आता है । कुलाधिपतियों को विश्वविद्यालय द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार है। परन्तु दुर्भाग्यवश हमने देखा है कि कुलाधिपति केन्द्रीय सरकार के केवल राजनीतिक नुमायन्दे हैं । उनके पास शैक्षिक संस्था द्वारा पारित किसी प्रस्ताव को 'वीटो' करने का अधिकार होना चाहिए । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे यह देखें कि विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर को हर साल अनुदान अस्वीकार क्यों कर दिया जाता है ?

स्वायत्तशासी कालेजों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि मैं स्वयं एक कालेजों का अध्यापक हूं । हम कालेज अध्यापक स्वायत्तता के सख्त खिलाफ हैं । क्योंकि हमने देखा है कि कलकत्ता प्रेसीडेंसी कालेज और सेन्ट स्टीफेन कालेज, बम्बई अथवा दिल्ली जैसे अच्छे कालेजों को स्वायत्तता दी गयी है ।

फिर क्या होगा ? विश्वविद्यालय द्वारा दी गयीं डिग्रियों का अवमूल्यन होगा और जो छात्र अन्य कालेजों में पढ़ रहे हैं उन्हें रोजगार के अवसर नहीं प्राप्त होंगे । यही नहीं, इस बात का फायदा उठाकर कुछ लोग जिनका शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान है, वे नये कालेज आरम्भ कर देंगे । वे अत्यधिक शिक्षा शुल्क लेंगे और शैक्षिक स्तर भी कम हो जायेगा । मुझे बताया गया है कि मद्रास में एक प्रतिष्ठित वाणिज्यिक कालेज को स्वायत्तता दी गयी है ।

जब वह कालेज मद्रास विश्वविद्यालय के अधीन था तो चार या पांच विद्यार्थियों की प्रथम श्रेणी आती थी। लेकिन पिछले वर्ष 70 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे और 69 की प्रथम श्रेणी आई । यही नहीं, हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 'मुगलों' ने स्वायत्त कालेजों में अपने नियम लागू किए हैं कि प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होगा । शासी निकाय अध्यापकों के प्रतिनिधियों में बनाई जायेगी जो बारी-बारी से इसमें आएंगे । इसके बहुत से पदेन सदस्य होंगे । अतएव स्वायत्त कालेजों का हम पूरी तरह विरोध करते हैं । हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 500 स्वायत्त कालेज होंगे लेकिन केवल 67 कालेजों को स्वीकृति दी गई है । मैंने देखा है कि इनमें से अधिकतर कालेज तमिलनाडु में हैं ।

[डा० सुधीर राय]

मैं आई० ई० एस० 'भारतीय शिक्षा सेवा' योजना का भी विरोध करना चाहूंगा। इससे केन्द्र सरकार के हाथों में शक्ति केन्द्रित हो जाएगी इससे राज्य व केन्द्र से नाजुक सम्बन्ध विकृत होंगे। इसी के साथ हम कालेजों व विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति के प्रस्ताव का विरोध करते हैं। कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति केवल योग्यता व अनुभव के आधार पर की जानी चाहिए। हम इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन राज्य सेवा आयोग बना दीजिए जैसे कि पश्चिमी बंगाल में हैं। यह इस सेवा आयोग पर छोड़ दें कि वे योग्यता व अनुभव के आधार पर नियुक्ति करें; लेकिन कोई राष्ट्रीय भर्ती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके केन्द्र व राज्य के नाजुक सम्बन्ध बिगड़ेंगे।

जहां तक प्रमुख भारतीय भाषाओं के विकास का सम्बन्ध है उन पर किया जाने वाला खर्च इतना अधिक नहीं है जितना कि सरकार हिन्दी के विकास पर खर्च कर रही है। हम हिन्दी के विकास के खिलाफ नहीं है, हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हिन्दी का विकास एक सम्पर्क भाषा के रूप में किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही सरकार को उन प्रमुख भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भी खर्च करना चाहिए जो जिन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

पिछले वर्ष, सारे देश में कालेज व विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की अभूतपूर्व हड़ताल हुई। यह 32 दिनों तक चली। इस महत्वपूर्ण सभा में सभी दलों के सदस्यों ने अध्यापकों के मामले का समर्थन किया तथा 4 सितम्बर, 1987 को सरकार व अध्यापकों के नेताओं में एक समझौता हुआ। लेकिन सभी समझौतों जैसे पंजाब समझौता आदि के समान इसका भी भविष्य वही रहा क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई आम आदेश नहीं जारी किए हैं तथा इसीलिए राज्य सरकार नए वेतनमान नहीं प्रस्तुत कर सकी है। मणिपुर व गोवा के अतिरिक्त केवल पंजाब ने जहां राष्ट्रपति शासन है यह वेतन मान लागू किए हैं। लेकिन किसी अन्य सरकार ने नए वेतनमान लागू नहीं किए हैं। केन्द्र सरकार ने सामान्य आदेश लागू नहीं किए हैं तथा न इसके लिए आवश्यक धन दिया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे आम आदेश जारी करें ताकि राज्य सरकारें इन सिफारिशों को लागू कर सके।

अन्त में, मैं अपने माननीय मित्र श्री वासनिक का समर्थन करना चाहूंगा जिन्होंने यह मांग की है कि सभी शिक्षक प्रबन्धों में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों ने प्रबन्ध-बोर्ड में प्रतिनिधियों को चुना तथा हम मानते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी परिषद में निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए। इससे अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के मध्य सौहार्द पूर्ण समबन्ध होंगे। फिर अधिकतर समस्याएं सुलझ जाएंगी क्योंकि श्रीमन् आप जानते हैं पंडित चाणक्य ने कहा है :—

"प्राप्ते तु षोडषे वर्षे पुत्रं मित्रवताचरेत'।

अर्थात जो विद्यार्थी वयस्क हैं उन्हें धीरे-धीरे मित्रवत् समझना चाहिए।

डा० फूलरेणु गुहा (कण्टई) : सभापति महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन की जाने वाले अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। इस मंत्रालय के अधीन अनेक विभाग है। अतएव यह सरल नहीं है कि सभी विभागों पर चर्चा की जा सके। कुछेक विभाग पर बहुत ही समय

लग जायेगा। आप जानते हैं कि मैं सदैव आपके घंटी बजाने से पूर्व दो अपनी बात समाप्त कर लेता हूं। आज मैं कुछ अधिक समय लूंगा।

मैं किस विषय से आरम्भ करना यह चयन करना कठिन है। मैं कुछ उन विषयों से शुरू करूंगा जिन्हें इस सभा में शायद अधिकतर मेरे सहयोगियों ने नहीं उठाया है।

यह स्पष्ट है कि पश्चिमी बंगाल सहमत नहीं है कि नवोदय विद्यालय शुरू किए जाएं। मुझे अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानकारी है कि यदि सड़क पर पड़े एक बालक को अवसर मिले तो वह आश्चर्यजनक रूप से विकास कर सकता है। मैं अपने लम्बे जीवन में से आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। शायद आप को मालूम है कि 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था—पश्चिमी बंगाल से पूर्व—1943 में। उस समय बहुत संख्या में गरीब लोग सड़कों पर निराश्रित थे। हमने ऐसे कुछ निराश्रितगरीब लड़के-लड़कियां चुनें और कुछ समय तक उन्हें अपने घर पर रखा तथा हमने पश्चिमी बंगाल में अनेक शिशु गृह खोले। इस उल्लेख से मैं आपको कलकत्ता में उसे गृह के विषय में बता रहा हूं। एक लड़का जब हमने चुना था बहुत छोटा था। हमने सोचा कि वह लड़का सात या आठ साल का होगा। लेकिन कुछ समय बाद जब वह हमारे पास रहा, जब उसको ठीक प्रकार से खिलाया पिलाया गया, तो हमें पता चला कि वह लड़का 12 वर्ष से कम नहीं था। धीरे-धीरे हम अनुभव कर सके थे कि वह न केवल पढ़ाई में अच्छा था अपितु वह बहुत बढ़िया गायक तथा अच्छा चित्रकार हैं। कुछ वर्षों पश्चात् हमने उस लड़के की पेंटिंग को प्रसिद्ध पेन्टर शान्ति निकेतन के अवनिन्द्र नाथ टैगोर के बराबर पहुंचा दिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह लड़का बहुत अधिक पढ़ा-लिखा नहीं था किन्तु उन्होंने उस लड़के को उसकी पेंटिंग के कारण शान्ति निकेतन में अपने संस्थान में रख लिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1947 के बाद, जब कई कालेजों में पेंटिंग अध्यापक की आवश्यकता पड़ी तो अवनिन्द्र नाथ ने उस लड़के को कालेज में भेज दिया। यह केवल एक उदाहरण है। यदि मेरे मित्र चाहें तो मैं यह दिखाने के लिए सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि कैसे एक निराश्रित-गरीब लड़का या लड़की देश की सम्पत्ति के रूप में विकास कर सकते हैं।

महोदय, अब, आपके जरिए मैं अनुरोध करता हूं कि पश्चिमी बंगाल सरकार यह योजना आरम्भ करे। वे नहीं जानते हैं कि वे किस प्रकार लोगों को नकार रहे हैं। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मेरा उनसे अनुरोध है कि इस पर विचार करें। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि 1942 के आन्दोलन में वे सहमत नहीं थे किन्तु बाद में उन्होंने कहा कि यह गलती थी। 1947 में उन्होंने कहा कि "यह स्वतन्त्रता झूठी है।" लेकिन बाद में उन्होंने कहा यह गलती थी और वे स्वतन्त्रता का फायदा उठा रहे हैं। अतएव, वे मान जायेंगे। लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बिना लम्बे अरसे तक इन्तजार किए जल्दी इस फैसले पर पहुंचे।

महोदय, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि लड़कियों के लिए खेलों में नए कार्यक्रम रखे जाएं। आम तौर पर हमारे अभिभावक लड़कियों को खेलों में भेजने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। लड़कियां खेलों में आ सकें इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने जरूरी हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि उप-विभागों तथा गांवों में स्टेडीयम की योजना की सहायता की जानी चाहिए। इस संदर्भ में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने अपने कण्टई उप-विभागों में स्टेडियम के लिए

[डा० फूलरेणु गुहा]

धन प्राप्त करने के लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया किन्तु मुझे सफलता नहीं मिली। मुझे आशा है मैं भविष्य में सफल हो जाऊंगा।

जहां तक मैं जानता हूं नृत्य डिग्री पाठ्यक्रम में आदिवासी नृत्य शामिल नहीं हैं। इसे अवश्य ही शुरू किया जाना चाहिए तथा आदिवासी नृत्यों के लिए आदिवासी व्यक्तियों की शिक्षक के रूप में नियुक्ति की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर से लोग पढ़ें तथा विश्वविद्यालय तथा कालेजों में आएं। आदिवासी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा उन्हें अध्यापक नियुक्त किया जाना चाहिए।

लोक नृत्यों के विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश के दूरवर्ती भागों तथा लोक कथाओं तथा विषयों का संकलन किया जाना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि यदि इनका संकलन किया जा सकता है, तो हमारे देश वास्तव में समृद्ध हैं।

मैं "यात्रा" को देश भक्त पूर्ण और विकासशील उद्देश्य के साथ पुनंज्जीवित करने का सुझाव दूंगा। दल एक गांव से दूसरे गांव जाकर धर्म-निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, महिला समानता आदि का संदेश फैला सकती है। मैं कहूंगी कि देश भक्तपूर्ण 'यात्रा' ने मेरे प्रारम्भिक जीवन को विकसित करने में सहायता की।

युवा कार्य खेल और महिला व बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत बहुत अच्छी योजनाएं है लेकिन मुझे खेद से कहने पड़ता है कि अनुदान देने में देरी के कारण सब काम बिगड़ जाते हैं। यह कहने के लिए बाध्य हूं कि अनुदान में देरी से झूठे लेखों की गुंजाइश होती है और ऐसी स्थिति बन जाती है कि संगठन भली प्रकार धन का उपयोग नहीं कर पाते। अगर महीनों तक धन नहीं दिया जाता है तो अध्यापकों को भुगतान कैसे किया जायेगा, बच्चों को भोजना कैसे मिलेगा, उन्हें चिकित्सा कैसी दी जा सकती हैं। दवाई के लिए धन कहां से आयेगा।

1.00 म० प०

हमारी सरकार की नीति स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की है। लेकिन मुझे खेद है कि कई बार बार बहुत से स्वयंसेवी संगठनों को उचित सहायता नहीं मिलती। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आवेदन पत्र भेजने के बाद, उन्हें लम्बे समय तक लम्बित रखा जाता है। मेरा यह अनुरोध है। अगर सरकार अनुदान नहीं दे सकती तो बताना चाहिए, वे कुछ कारणों से उन्हें अनुदान देने में समर्थ नहीं है उन्हें लम्बित नहीं रखना चाहिए और उन्हें बीच में लटकाए नहीं रखाना चाहिए। उसके बाद धन समय पर नहीं दिया जाता निःसंदेह मुझे कहना चाहिए कि मैं सुझाव देने वाली आखिरी व्यक्ति हूं कि सरकार को स्वयंसेवी संगठनों की उचित जांच किये बिना ही सहायता देनी चाहिए। मैं यह भी सुझाव दूंगी कि कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्हें विभिन्न विदेशी संगठनों से धन मिलता है, सरकार को उन पर उचित निगरानी रखनी चाहिए ताकि वे धन बजट के अनुसार ठीक ढंग से खर्च करें। इस सम्बन्ध में मैं चाहती हूं कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान दें और आवश्यक कदम उठाएं।

सरकार ने निर्णय किया है कि अगर राज्य सरकार द्वारा तीन महीने के अन्दर प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आवेदन पत्र नहीं भेजा जाता तो केन्द्रीय सरकार जांच करेगी और सीधे ही अनुदान दे देगी।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार को दूसरी योजनाओं के लिए भी इस प्रक्रिया को लाभ चाहिए। मुझे खेद है कि कई वर्षों से राज्य सरकारों ने बहुत सी योजनाओं को आगे नहीं भेजा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे इस सुझाव पर विचार करे। मैं यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक केवल राज्य का नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों के बारे में यह मेरा निजी अनुभव है राज्य सरकारों के पास काफी समय से योजनाएं लम्बित पडी रहती है। 'अत: कुछ किया जाना चाहिए। धन उनके पास है। स्वयंसेवी संगठन कष्ट क्यों उठाये और दिये गये धन का लोग लाभ क्यों न उठायें ?

अब, मैं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के बारे में कई बातें कहना चाहूंगी। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड राज्य बोर्डों के आधे सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्य सरकार द्वारा नामजद सदस्यता के बारे में नहीं अपितु केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नामजद सदस्यता के बारे में कह रहा हूं। नामजद करने से पहले केन्द्रीय बोर्ड को प्रत्येक सदस्या के बारे में विस्तार में जाना चाहिए। इन सदस्यों को अच्छा सामाजिक कार्यकर्त्ता होना चाहिए और कुछ सदस्य ग्रामीण स्तर पर कार्यकर्त्ता होने चाहिए। विभिन्न प्रकार और श्रेणी के कार्यकर्त्ताओं का चयन किया जाना चाहिए जिससे कि राज्य बोर्ड विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्रों पर विचार कर सके।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगी कि बहुत से कानून पारित किये गये है, लेकिन वे इतने प्रभावकारी नहीं हैं जैसा कि हम चाहते थे। महिलाओं का दर्जा कुछ अंश तक बढ़ा है, लेकिन यह संतोषजनक नहीं है जब तक महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता और वे आर्थिक रूप से स्वतन्त्रत नहीं होतीं तब तक उनको दर्जा उतना बढ़ाना संभव नहीं है जितना कि हम चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हमें सब लोगों महिलाओं और पुरुषों, के रूख को बदलना होगा। समाज को यह स्त्रीकार करना चाहिए कि घर में और समाज में और जीवन के प्रत्येक पहलू में महिलाओं को बराबर के अधिकार है। इस सम्बन्ध में, मैं इस सदन में अपने सब सहयोगियों से यह प्रतिज्ञा करने का अनुरोध करूंगी कि वे अपने घरों में और हर क्षेत्रों में महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाए क्योंकि बहुत से लोग बाहर तो बहुत कुछ कहते हैं किन्तु अपने घरों में महिलाओं को बराबरी के अधिकार नहीं दिये जाते है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं मंत्रालय से भारत में महिलाओं के दर्जा के सम्बन्ध के अब तक की रिपोर्ट देने का अनुरोध करती हूं। हमें इसे अद्यतन करना है और इसे प्रिंट कराना है क्योंकि इस रिपोर्ट की मांग है। यह उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह बाजार में नहीं है। मैं आशा करती हूं, सभी योजनाएं जैसे शिक्षा नीति जन-साक्षरता आदि जिन्हें शिक्षा मन्त्रालय द्वारा स्वीकार किया गया है, ईमानदारी से शुरू किया जाएगा और उसे गम्भीरता से कार्यान्वित किया जायेगा।

चूंकि समय कम है, महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी) : सभापति महोदय, हमारे माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो डिमाण्ड्स रखी हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं और साथ ही साथ जो कटौती के प्रस्ताव हैं, उनका विरोध करती हूं।

सभापति महोदय, 1986 में नयी शिक्षा नीति का श्रीगणेश हुआ और 1986 के अगस्त में ही उस शिक्षा नीति को एक्शन रूप दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कई विभाग आते हैं:

[श्रीमती प्रभावती गुप्त]

जैसे शिक्षा, संस्कृति, कला, खेल-कूद, युवा और महिलायें। जैसा कि श्रीमती फूलरेणु गुहा जी ने कहा है यहां पर सभी बातों पर तो विस्तार से चर्चा नहीं हो सकती है लेकिन कई बातें जो उल्लेखनीय हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने से हमारे राष्ट्र में शिक्षा के रूप में एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ है। साथ ही सातवीं पंचवर्षीय योजना में मानव ससाधन विकास को नया मोड़ दिया गया है और नये ढंग से इसके बारे में विचार-विमर्श भी शुरू हुआ है। हमारे नौजवान प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी ने सातवी योजना के प्राक्कथन में यह बात ठीक ही कही है कि बांधों और सड़कों के निर्माण से देश का विकास हो सकता है लेकिन जबतक मानव का, मानव घटक का, मानव के सन्दर्भ में उनके विकास की बातें नहीं होंगी तबतक असली विकास नहीं हो सकता है क्योंकि मानव ही एक ऐसा निमित्त है जिसके द्वारा ही सभी कार्य सम्भव हैं और उसी को आधारशिला के रूप में लेकर सारे कार्य हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को असली रूप देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की स्थापना हुई हैं, उसकी कई बैठकें भी हो चुकी हैं। इस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के अन्दर 9 उपसमितियां हैं। हम इस बात के लिए मन्त्रालय के राज्य मन्त्री को भी धन्यवाद देंगे, वे हमारे बिहार से ही आते है, वे इस दिशा में काफी अनुभवी भी हैं और आशा है वे इस दिशा में काम भी करेंगे।

कई बातें जो उल्लेखनीय हैं उनका जिक्र मैं करना चाहूंगी। मैं यह कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से प्रारम्भ हुई है उसके बाद समय समय पर आपने सबसे ज्यादा गए दिया है शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए, शिक्षा को सर्वसुलभी करण करने के लिए और सामान्य लोगों को प्राइमरी शिक्षा देने के लिए जो कि 5 से 14 वर्ष तक की उम्र के हों। आपका यह भी लक्ष्य है कि 1990 तक 1 से 5 क्लास तक की शिक्षा सभी 6 से 11 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से दी जाये। इस बात की हमें खुशी है कि लड़कों के बारे में एन० सी० ई० आर० टी० ने जो मूल्यांकन किया है और जो रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार करीब-करीब 100 प्रतिशत उपलब्धि, जो तीन साल बीते हैं, उनमें होगी लेकिन लड़कियों के बारे में केन्द्रीय सरकार का यह निर्णय है कि जहां भर्ती होगी वहां 5 में से 3 लड़कियां होंगी प्राइमरी क्लासेज में 1 से 8 तक के क्लासेज में। 6 से 8 तक के क्लासेज में जो भर्ती होगी उनमें 2 में से 1 लड़की होगी। लेकिन इतनी सतर्कता के बावजूद, इतने कड़े निर्देशन के बावजूद भी लड़कियों की भर्ती बहुत कम हुई है। प्राइमरी एजूकेशन में पिछले दो-तीन सालों में लड़कियों की भर्ती 44 प्रतिशत हुई है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगी कि दे यह सुनिश्चित करें कि कैसे हमारी लड़कियां स्कूल पढ़ने जायें। यदि वे नहीं जाती हैं, तो मैं कहना चाहती हूं कि आपका जो लक्ष्य 1995 तक सभी बच्चों को लड़के-लड़कियों को शिक्षित बनाने का है, वह पूरा नहीं होगा इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनके कारणों पर ध्यान दें। आपने जो नई शिक्षा नीति बनाई है, उसका आपने मूल्यांकन कराया है। प्रधान मन्त्री जी, शिक्षा मन्त्री और मानव संसाधन मन्त्री-सभी इसमें सतर्क हैं और मूल्यांकन करा रहे हैं, क्या हम दो-तीन वर्षों में आगे बढ़े हैं या नहीं। आपके मूल्यांकन से जो निष्कर्ष निकले हैं, मैं चाहती हूं कि उन निष्कर्षों का पालन करें। सभी शिक्षित हों यह देखें। मेरे पास बहुत से प्वाइंट हैं, जिन पर मैं बोलना चाहती हूं, लेकिन मैं बिन्दू के रूप में ही कहना चाहती हूं कि लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए।

इस बात की हमें खुशी है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। पूरे देश में उच्च शिक्षा में 1986-87 में 11 लाख संख्या थी, जो अब बढ़ कर

14 लाख हो गई है। इतना होते हुए भी उच्च शिक्षा में कम लड़कियां जाती हैं। जब तक घर में रहने वाले और गांव में रहने वाले हर एक बच्चे न पढ़ें, तो देश का विकास नहीं हो सकता है। माँ पहले शिक्षक है। इसीलिए कहा गया है वेद में—मातृवान, पितृवान, आचार्यवान शिक्षा देव: पुरुषोव देशत। लड़की जो कल मां बनेगी, पहले उसको शिक्षक बनाना है। इसके लिए विशेष ध्यान दीजिए। आप यह सुनिश्चित करें कि आपका शत प्रतिशत टार्गेट शिक्षा पर अनिवार्य करेंगे और वह 1995 तक होगी। क्योंकि आपका जो मूल्यांकन है, उससे नहीं लगता है कि आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

जहां तक प्रौढ़ शिक्षा का सवाल है, इस बारे में आपने अच्छे कदम उठाए हैं और प्रौढ़ शिक्षा के बारे में हमारे यहां पहले भी कार्यक्रम थे। आपने देश के पैमाने पर साक्षरता मिशन की स्थापना की है और उसकी समय-समय पर मीटिंग हो रही है। इसके लिए आपने 550 करोड़ रुपया दिया है। हर एक राज्य में आप इसको बनायेंगे। हर एक प्रखण्ड इकाई है। आप अपने मूल्यांकन की रिपोर्ट को देखिए, आपने जो राशि रखी है, जहां-जहां आपको खोलना है, वहां आप खोल नहीं पा रहे हैं। फिर मैं आपसे निवेदन करूंगी कि साक्षरता मिशन की उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए भी आप सुनिश्चित करें कि 1995 तक साक्षरता मिशन सब राज्यों में बनायेंगे। यहीं नहीं नेटवर्क कार्यक्रम के द्वारा यदि साक्षर हो जायें, तो उसको भी आगे बढ़ाने के लिए आपकी योजना है। इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। सही ढंग से इसका कार्यान्वयन हो और आपकी जो मूल्यांकन रिपोर्ट है, वह बेकार न रहे। आप मूल्यांकन कर रहे हैं, हमें आशा है कि करेंगे।

आपने हर एक को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आपरेशन-ब्लैक बोर्ड बनाया है। यह आपकी बड़ी अच्छी योजना है। प्राइमरी स्कूल 1995 तक जहां एक हैं, वहां दो कर दीजिए और जहां एक शिक्षक हो, वहां दो दे दीजिए, जिसमें एक महिला शिक्षक होगी। मेरा आपसे अनुरोध होगा, जिस तरह से उड़ीसा सरकार ने प्राइमरी शिक्षा को लड़कियों के हाथ में सुपुर्द कर दिया है उसी तरह की योजना बनानी चाहिए। मां रहेगी, तो प्रेम से पढ़ाएगी। इस बात को महसूस किया गया है। इसलिए पूरे देश के पैमाने पर मेरा सुझाव है कि आप प्राइमरी शिक्षक महिलाओं को बनायेंगे, और लड़कियों को बनायेंगे। यदि ऐसा करें, तो उनके वेतन-स्तर में सुधार करिए और जहां भी उनको भेजिए, उनके आवास की व्यवस्था भी साथ-साथ करें, ताकि कम से कम वहां रह कर वे लगन से बच्चों को पढ़ायें।

एक बात मैं नवोदय विद्यालय के बारे में कहना चाहती हूं। इसके पहले भी केन्द्रीय विद्यालय है, लेकिन आपने महसूस किया कि केन्द्रीय विद्यालय में जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपके आदर्श हैं, वे पूरे नहीं हो सकेंगे। यह इसलिए नहीं हो सकेगा क्योंकि हमारे यहां पब्लिक स्कूल चल रहे हैं और पब्लिक स्कूल में ऐसे लोग आते हैं, जो सम्पन्न हैं। हम सभी लोग बैठे हुए हैं और मंत्री जो बैठे हुए हैं, हम सभी लोगों के बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि कब तक इस देश में दो तरह की शिक्षा आप चलायेंगे। जब तक दो तरह की शिक्षा चलेगी, तब तक इस देश में दो तरह के नागरिक पैदा होंगे। जबकि यह हमारा लक्ष्य नहीं है, हम स्वतन्त्र भारत में हैं, इसलिए एक तरह का देश हो, एक तरह की शिक्षा हो, एक तरह के नागरिक हों। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन है, पब्लिक स्कूल हैं और बड़े पैमाने पर कैपिटेशन फीस, दार्जिलिंग, शिमला और मसूरी में ली जा रही हैं, इनको बन्द कराइए। इन सभी संस्थाओं को बन्द कीजिए और केन्द्रीय सरकार जरूरत पड़े तो राशि बढ़ाए। मैं आप को बताऊंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो

[श्रीमती प्रभावती गुप्त]

बजट भाषण दिया था, तो 1986-87 के लिए 342 करोड़ रुपये रखा था। उस को बढ़ा कर 800 करोड़ रुपये कर दिया गया है लेकिन 700 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं और 100 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए। ये क्यों नहीं खर्च हुए ? आप खर्च क्यों नहीं करते हैं आप का बजट बड़ा महत्वाकांक्षी है। 1987-88 में 1185 करोड़ रुपये की व्यवस्था है और 1988-89 में 1550 करोड़ रुपये का बजट है। यह शुभ लक्षण है। आप की नीयत में कोई संदेह नहीं है। मैं जानती हूं कि आप इस को करना चाहते हैं लेकिन इस को करने के लिए लगन चाहिए।

अब मैं नवोदय विद्यालयों के बारे में कुछ कहूंगी। देश के जो 442 जिले हैं, उनमें नवोदय विद्यालय खोलने का आप का लक्ष्य है और 1986-87 में 83 नवोदय विद्यालय खुले, 1987-88 में 126 और इस साल 1988-89 में 50 और खोलेंगे। मैं आप से यह पूछना चाहती हूं कि नवोदय विद्यालय की जो आप को परिकल्पना है, आप की इमेजीनेशन है, उस की पूर्ति आप कैसे करेंगे। इस के लिए जो आप ने फंड रखा है, उस की राशि को आप बढ़ाइए। मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि नवोदय विद्यालय खोलने के लिए जब आप चयन करते हैं, तो उस में जिले के सांसद को भी आप विश्वास में लीजिए। उन से पूछिये कि कैसे चयन हो और कहां वह खुलना चाहिए। अध्यापकों का जो चयन हो और गवर्निंग बोडी जो बने, उस में आप सांसदों को इन्वोल्व कीजिए, उन को भागीदार बनाइए, तो आप का काम अच्छा होगा। नवोदय विद्यालय में जो लड़कियों के प्रवेश का लक्ष्य है, वह 33 प्रतिशत है लेकिन अभी प्रवेश हुए हैं, उन में 18 प्रतिशत ही लड़कियों के प्रवेश हुए हैं। इस बात का ख्याल रखिये कि वास्तव में जो आप के सिद्धान्त हैं, उन के अनुसार ग्रामीण इलाकों के 80 पर-सेन्ट बच्चे ही उस में प्रवेश पाएगें लेकिन मैं आप से पूछना चाहती हूं कि उस में कितने हरिजन और आदिवासी और गांव के बच्चे जाते हैं। शहरों में रहने वाले लोगों का जब अच्छी जगह एडमिशन नहीं होता है, तो गांव का पता लिखवा कर उस में वे घुस जाते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि नवोदय विद्यालयों में जिस आधार पर भर्ती होनी चाहिए, उस की पूर्ति हो।

एक मिनट और लेना चाहती हूं। मैं प्री-प्राइमरी एजूकेशन के बारे में कहना चाहती हूं। बच्चे की पहली शिक्षिका माता है। वह घर में उस को पढ़ाती है लेकिन हमारे बच्चों की आधारशिला मजबूत हो, उन की बुनियाद तगड़ी हो, इस के लिए यह आवश्यक है कि किन्डर-गार्डन और मोन्टेसरी ढंग के स्कूल आप गांवों में और शहरों में भी खोलें। जैसे केन्द्रीय विद्यालय खुले हैं, नवोदय विद्यालय खुले हैं, मोन्टेसरी विद्यालय की तरह के विद्यालय वहां पर खोलिये।

शिक्षा के व्यवसायी करण करने की आप की योजना है। 10 जमा 2 जमात में 1990 तक आप 20 पर सेन्ट विद्यार्थियों को लेंगे और जो इस के लिए आप ने रकम रखी है, उस का मैं स्वागत करती हूं। पहले जो बेसिक स्कूल खुले थे, वह सब खत्म हो गये हैं और उन का नामोनिशान नहीं रह गया है। श्री मनोज पांडे बैठे हैं। कुमार बाग में वह चल नहीं रहा है। इस के लिए जो लक्ष्य आप ने रखा था उस को पूरा नहीं किया गया है। आप अपने विभाग की मूल्यांकन रिपोर्ट देखिये।

मैं खेल-कूद के बारे कुछ कहना चाहती हूं। खेल-कूद में हमारा सिर नीचे हुआ है। इस के लिए कौन जिम्मेवार है। इस के लिए वे लोग जिम्मेवार हैं. जो इस काम को देखते हैं। वे अच्छे लोगों का सलेक्शन नहीं करते हैं। ऐसा कब तक होता रहेगा। जो मेधावी, प्रतियावान और ठीक लड़के हों, उन को ही इस में लिया जाना चाहिए।

जो मार्गदर्शक और नीति-निर्देशक सिद्धान्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बनाए हैं, उन का मैं स्वागत करती हूँ। इन सब सिद्धान्तों का पालन करने से ही देश आगे बढ़ेगा और देश का विकास होगा और आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति आएगी।

मैं ने अपने कागज भी नहीं देखे हैं और आप घंटी बजा रहे हैं, इसलिए मैं समाप्त करती हूं।

एक बात मैं अपने क्षेत्र मोतिहारी के बारे में कहना चाहती हूं···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। सम्मिलित न कीजिए।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब जो आप बोल रही हैं, वह रिकार्ड नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

***श्री एम० महालिंग (नागायटि्टनम) :** सभापति महोदय, मुझे मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है।

खेल गतिविधियों पर आवश्यक उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। सन्तुलित व्यक्ति के विकास के लिए स्वास्थ्य शिक्षा महत्वपूर्ण हैं। माननीय डा० एम० जी० आर० खेलों के विकास को बहुत महत्व देते थे। युवाओं के लिए खेलकूद की शिक्षा एक बुनियादी शिक्षा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि तमिलनाडु में खलकूद सम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। मेरा अनुरोध है कि तमिलनाडु के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि के नाम पर उस विश्वविद्यालय का नाम भारत रत्न डा० एम० जी० आर० रखा जाए। जब मन्त्री महोदया श्रीमती मारग्रेट अल्वा ने कोयम्बटूर का दौरा किया था। उन्होंने कोयम्बटूर में खेलकूद कालेज खोलने का वायदा किया था मैं मन्त्री महोदया से अपने वायदे को पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय, जहां तक देश में भाषाओं के विकास के सम्बन्ध है मैं जोर देकर कहूंगा कि तमिलनाडु के लोग हिन्दी थोपने के सभी प्रयासों का जोरदार विरोध करेंगे। आपका जो नवोदय स्कूल स्थापित करने का विचार है जो तमिलनाडु में हिन्दी का प्रचार करने के लिए केन्द्र के रूप कार्य करेंगे। इसलिए, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर नवोदय स्कूल क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो इन्हें तमिलनाडु में ही स्थापित किया जाना चाहिए आप इन स्कूलों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं और इस धन को अनिच्छुक तमिलों पर हिन्दी थोपने के लिए बेकार नहीं किया जाना चाहिए। आपको संविधान की अनुसूची 8 में शामिल सभी 15 भाषाओं को पर्याप्त महत्व देना चाहिए। स्वर्गीय प्रधान मंत्री और जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा दिये गए आश्वासनों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए और सही मायनों में इन आश्वासनों को पूरा किया जाना चाहिए।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एम० महालिंगम]

महिला शिक्षा के बारे में मुझे स्पष्ट रूप से कहना है कि इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। जैसे पुरुष शिक्षा के लिए शहरी क्षेत्रों में जाते है महिलाएं नहीं जाती हैं जब तक आप होस्टल और अन्य सुविधाएं जिनमें शैक्षणिक शुल्क आदि शामिल हैं, उपलब्ध नहीं कराते ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं शहरों में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगी और हमेशा अनपढ़ रहेगी। विकल्प के तौर पर आप गांवों की स्थिति में सुधार करके गांवों में बढ़िया स्तर के शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं।

तमिलनाडु में बेरोजगारी की एक एक गम्भीर समस्या है। आपको और उद्योग स्थापित करने चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। कालेजों और विश्व विद्यालयों से निकलने वाले लाखों स्नातकों को रोजगार नहीं मिलता है। इन्हें अपना उद्योग शुरू करने के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

अध्यापकों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। अध्यापकों ने डा० एम० जी० आर० के समक्ष कतिपय मांगें रखी थी और हमने बहुत सी मांगें स्वीकार की थीं। उन्होंने माननीय मन्त्रियों श्री एन० डी० तिवारी और श्री पी० वी० नरसिंह राव के समक्ष कुछ नई मांगें रखते हुए एक ज्ञापन दिया था। उनकी मांगें पूरी की जानी चाहिए। अध्यापकों के वेतनमानों के सम्बन्ध में चट्टोपाध्याय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य में और उद्योग स्थापित करने चाहिए पिछड़े राज्य में और उद्योग स्थापित करके उसे मूल स्थिति में वापिस लाने में सहायता दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ (बड़ौदा) : सभापति महोदय, मुझे इस वाद-विवाद में हिस्सा लेने की अनुमति देने पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पहले मैं इस मन्त्रालय को दिए गए अनुदानों का समर्थन करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं आबंटन कम है जैसा कि मंत्रालय और सरकार नई शिक्षा नीति जिसमें संस्कृति, शिक्षा और खेलों को शामिल किया गया है, शुरू करने जा रही है सरकार के लिये यह एक बड़ा कदम है और मैं व्यक्तिगत रूप मे महसूस करता हूं कि इसे कार्यान्वित करने से पहले सारा व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए और यह देखने के लिए समय दिया जाना चाहिए कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं।

महोदय, दो मुख्य बातें हैं जिससे हमारी शिक्षा प्रभावित हुई है और वह है ग्रामीण और शहरी लोगों का अलग-अलग रहना। उनका रहने का स्तर अलग है। यह समस्या की एक बुराई है और इस अन्तर को समाप्त किया जाये जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को शहरी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के समान बराबर अवसर तथा महत्व मिल सके।

दूसरे, शिक्षा संस्थाओं कों दूसरी संस्थाओं की तरह ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए स्वायत्तता दी जानी चाहिए। जब कभी प्रतियोगिता होती है हमेशा बढ़िया काम करने का प्रयास किया जाता है। उस कारण से शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए, अच्छी शिक्षण सुविधाओं में सुधार करने के लिए बेहतर यह होगा कि इन संस्थाओं को और अधिक शक्तियां दी जाएं जिससे कि वे अच्छे परिणामों

के लिए एक दूसरे से मुकाबला करें। इसके अतिरिक्त, सरकार की भूमि का एक पर्यवेक्षक की होनी चाहिए और न कि एक सक्रिय हिस्सेदार की जैसे कि अब है।

महोदय, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत अधिक किया जाता है जिससे संस्थाओं के लिए और शैक्षणिक व्यवस्था में भी रुकावट पड़ती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 में अपनाया गया। दुर्भाग्यवश, हमारे देश में पिछले तीन वर्षों से सूखा पड़ रहा है। महसूस करता हूं कि इसके बावजूद भी शिक्षा के लिए निधियों के आबंटन में कटौती नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश के लिए शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, विशेषकर जबकि यहां पर बहुत अधिक निरक्षता है। और इसके विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है कि जनता में, विशेषकर पिछड़े लोगों में, जो अशिक्षित, जागृति लाना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस हिसाब से निधि आबंटन पर्याप्त नहीं है।। और इसमें कटौती भी नहीं की जानी चाहिए थी।

अब मैं संस्कृति के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। मैं संस्कृति का यही अर्थ जानने के लिए शब्दकोष का उल्लेख कर रहा था। इसका अर्थ है, स्पष्ट और परिष्कृत शान और तौर-तरीके के और बृहत शक्ति विशेष तौर पर जब सरकारी स्तर पर संस्कृति का उल्लेख किया जाता है तब कुछ भ्रम सा पैदा होता है। जो भी कार्य हम करते हैं, जैसे खाना, सोना, चलना, बात करना है, इन सभी में संस्कृति की झलक मिलती है। यह सिर्फ एक कला ही नहीं है। संस्कृति जन्मजात होनी चाहिए। जैसाकि शिक्षा किसी के मन में बैठायी जाती है इस प्रकार संस्कृति को नहीं बैठाया जा सकता। निस्संदेह सरकार जनता में संस्कृति के प्रति रुचि पैदा करने का प्रयास करके एक प्रशंसनीय कार्य कर रही है। परन्तु जो सबसे बड़ी गलती उन्होंने की। उसे मैं उद्धृत कर सकता हूं — वह है। 'अपना उत्सव' जिसका आयोजन पिछले वर्ष दिल्ली में किया गया था। यह दिखाने के लिए कोई भी वक्तव्य नहीं दिया गया कि दिल्ली शहर में कितनी संस्कृति का निर्माण किया गया। इतने अधिक खर्च करने और इतनी अधिक संस्कृति दिखाये जो कि है ही नहीं कि क्या इरादा था? इसमें कोई शक नहीं कि यह के० जी0 में जाने वाले दो वर्ष के बच्चे को कानून की किताब देने और उसे इसको पढ़ने के लिए कहे जाने के समान था।

संस्कृति को बढ़ाया जा सकता है। परन्तु, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि जनता इसको किस हद तक स्वीकार करती है। यात्रा के दौरान, आप पायेंगे कि ज्यादातर लोग फिल्मी गाने, गजल, गीत, सुगमसंगीत सुनते हैं परन्तु अचानक आप उनको उच्चकोट के कलाकारों का शास्त्रीय संगीत सुनायें तो स्वाभाविक तौर पर वे वह नहीं समझ पायेंगे कि क्या हो रहा है। धीरे-धीरे सुगम संगीत से इसे समझा जा सकता है, इसी प्रकार धीरे-धीरे मधुर संगीत और उत्तम कलाकारों को समझा जा सकता है।

लोक नृत्यों में भी ऐसा ही है। लोक नृत्य कथात्मक नहीं होते सारे लोक नृत्य नहीं, परन्तु इनमें से अधिकतर का झुकाव कलात्मकता की ओर नहीं होता है। कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो उत्सव अथवा दूसरे अनुष्ठानों के दौरान अपने आप हो जाती हैं। ये हमेशा अपने वातावरण और क्षेत्र में ही ठीक लगते हैं। इनको स्टेज पर नहीं किया जा सकता और लोगों को यह नहीं कहा जा सकता कि इनको एक कला के रूप में स्वीकार करें।

यह सब इन उत्सवों का आयोजन करने से पहले सोचा जाना चाहिए था। इसमें कोई संदेह

[श्री रणजीत सिंह गायकवाड़]

नहीं कि यह एक बहुत अच्छी बात है कि अन्य देशों जहां यह संस्कृति नहीं है और जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, को यह बताया जाए कि हमारे देश की संस्कृति क्या है ? हमारे देश की संस्कृति बहुत सम्पन्न है और इसमें बहुत विभिन्नता है। संस्कृति एक ऐसी चीज है जो शब्दों को प्रतिस्थापित कर सकती है। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि जो हमारी सरकार कहना चाहती है, उसे शब्दों में कहा जाए।

हमारे देश में काफी संख्या में संग्रहालय हैं। समूचे विश्व में ऐसे संग्रहालय हैं जिनको शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में मान्यता मिली हुई है। मैं पिछले पांच वर्ष से यह कहता रहा हूं कि सरकार ने यह कदम क्यों नहीं उठाया जिसके तरह हमारे संग्रहालयों को शैक्षणिक संस्थायें माना गया है। और जहां पर हमारी संस्कृति सुरक्षित है। सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई भी नीति नहीं बनायी है।

आजकल संग्रहालयों, विशेषकर निजी संग्रहालयों के लिए अपने शिल्प तथ्य और प्रदर्शित वस्तुओं का रखरखाव करना बहुत कठिन है क्योंकि इनको भारी कर चुकाना पड़ता है इनको धर्मार्थ अथवा सार्वजानिक न्यासों के बराबर नहीं माना जाता यदि सरकार सही मायनों में संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए कुछ करना चाहती है तो सरकार को यह एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। निस्सन्देह, सरकार को इस बारे में सावधानी बरतनी चाहिए कि किसे मान्यता दी जाए और किसे नहीं, परन्तु, जहां पर सांस्कृतिक पहलुओं की देखभाल के लिए सार्वजनिक स्वायत्त संस्थाओं को प्रोत्साहन किया जाता है और जहां पर निजी संस्थाओं की देखभाल के लिए प्रोत्साहनदिया जाता है, सरकारों को इन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार से प्रत्येक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती और न ही की जानी चाहिए। संग्रहालयों को भी बहुत कम धन आबंटित किया गया है मुझे समिति में शामिल होने का अवसर मिला था। मैं जानता हूं कि इनके लिए बहुत कम धन आबंटित किया गया है, जबकि दूसरी तरफ हमारे शिल्प तथ्यों और प्रदर्शित वस्तुओं को विदेशों में भेजने के लिए हम काफी धन खर्च कर रहे हैं। परन्तु हमारे संग्रहालयों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जिनमें बहुत सी प्रदर्शनकारी बहुमूल्य वस्तुयें हैं, जो और किसी देश में नहीं हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को यह कार्य करना चाहिए ताकि शिक्षा और संस्कृति के साथ साथ चल सकें। शिक्षा के माध्यम से संस्कृति को प्रारम्भिक अवस्था से ही सिखाया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश, खेलकूद जटिल और खर्चीला है। हम ऐसा क्यों करते हैं ? हमारी अपने सांस्कृतिक खेल हैं हमारे खेल हैं जिनका आयोजन करना सुलभ और सस्ता होता है परन्तु हम ऐसा नहीं करते हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और अधिक लोकप्रिय खेलों को अधिक महत्व देते हैं। हम भारतीय ओलंपिक खेलों अथवा इसी तरह के खेलों का आयोजन करने का प्रयास क्यों नहीं करते ? हमारे यहां कई ऐसे खेल हैं जिनमें गरीब बच्चे आसानी से भाग ले सकते हैं क्योंकि इनके लिए टेनिस अथवा बैडमिंटन खेलने के लिए आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। मैं सरकार को इस बात के लिए भी राजी करने का प्रयास करता रहा हूं कि हमें अपने देशी खेलों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए परन्तु इस दिशा में बहुत कम प्रगति की गयी है।

दूसरे, काफी ऐसे युवक, प्रतिभाशाली कलाकार, खिलाड़ी और प्रसिद्ध कलाकर हैं जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं परन्तु इनकी भी अलग पहचान नहीं की है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने यह उदाहरण पिछले वर्ष भी दिया था। बड़ौदा विश्वविद्यालय के एक गरीब कलाकार ने फोटोग्राफी में जीत हासिल की और इसके बदले मे बहुमूल्य जापानी कैमरा मिला। यह कैमरा अब भी सीमा

शुल्क अधिकारियों के पास पड़ा हुआ है क्योंकि वह गरीब कलाकार कर देकर इसे छुड़वा नहीं सकता है। सरकार आगे आकर इस कलाकार की मदद क्यों नहीं कर सकती ? उन्हें इस गरीब फोटोग्राफर को यह कैमरा देने के सिवाव कुछ नहीं करना है, जिसने इस देश के लिए सम्मान प्राप्त किया है। ये छोटे-छोटे कार्य सरकार को करने हैं, बड़े नहीं। स्वायत्त संस्थाओं को सांस्कृतिक कार्य करने देना चाहिए। सरकार ने अपनी निगरानी में यह देखना चाहिए कि कार्य का सही वितरण और आबंटन हो रहा है। जो आंकड़े मेरे पास हैं मैं उन्हें उद्धृत कर सकता हूं और मैं बताना नहीं चाहता हूं मैं सरकार को परेशान नहीं करना चाहता हूं। 'अपना उत्सव' के दौरान कितने धन का दुरुपयोग किया गया ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे जैसे देश के लिए धन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और अच्छे प्रबन्ध और विचारधारा द्वारा अच्छे परिणाम निकाले जा सकते थे।

दूसरा माध्यम दूरदर्शन और रेडियो हैं। ये भी सरकार की एजेंसियां हैं जो प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, जो ये नहीं करती आयी हैं। कई वर्षों से, आल इण्डिया रेडियो सभी प्रकार की प्रतियोगितायें करता आ रहा है। ये पुरस्कार देती हैं परन्तु एक भी व्यक्ति इन एजेंसियों के माध्यम से आगे नहीं आया है, जिनका श्रेय इनको जाता हो। इनके द्वारा विदेशों में नाम कमाए जाने के बाद ही, सरकारी एजेंसियों ने इनको महत्व दिया है। क्या हमारे पास ऐसे विशेषज्ञ नहीं हैं जो इसका फैसला कर दें कि अच्छा और बुरा कौन है ? क्या विदेशियों द्वारा ही इनकी प्रतिभा को मानने के बाद ही हम उनकी प्रतिभा को मानना आरम्भ करते हैं ? खेलों में भी ऐसा ही हो रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन बातों पर ध्यान दिया जाए और हर क्षेत्र में भाग लिया जाना चाहिए।

मैं संगीत के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ जो मेरा प्रिय विषय है। घराने, जिनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, हमारे संगीत के आधार हैं और तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं। आज सरकार ने क्या किया है ? कुछ भी नहीं किया है। ग्वालियर घराना तथा आगरा घराना समाप्त होते जा रहे हैं। सरकार कहती है कि अभिलेखागार उनका संग्रह नहीं कर रहे हैं। इनकी सहायता कौन कर रहे हैं ? वे किसी की भी सहायता नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थी उनसे कोई लाभ नहीं उठा सकते। यदि इन अभिलेखों से किसी को सहायता नहीं मिलती है तो इनके रखने का क्या लाभ है ? क्योंकि ऐसे कार्यक्रम के लिए सरकार को, जहां पर हो सके, संस्कृति को सुरक्षित रखने और प्रोत्साहन देने के लिए आगे आना चाहिए। महोदय, मुझे अपने विचार व्यक्त करने हेतु बहुत समय देने के लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं।

श्री के० एस० राव (मछली पट्टनम) : सभापति महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। सिर्फ यही नहीं, मैं चाहता हूं कि बजट में आबंटित समस्त धन राशि का इस्तेमाल करते हुए, माननीय मन्त्री पर्याप्त अनुपूरक मांगों के लिए आगे आयेंगे। कारण यह है कि जब से शिक्षा मन्त्रालय से इसका नाम मानव संसाधन विकास मन्त्रालय रखा गया है, तब से ही संभवतया सरकार ने मानव संसाधनों में सुधार के महत्व को महसूस किया है। जैसाकि मैंने पहले कहा है, समाज अथवा अर्थव्यवस्था में सभी बुराइयां इस वजह से हैं क्योंकि लोगों की दक्षता में सुधार पर पर्याप्त ध्यान नहीं किया गया है जो इस देश में प्रचुर मात्रा में हैं। यदि वित्त मंत्री यह कहते हैं कि उनके पास पर्याप्त राजस्व की कमी है, तो मैं यह कहता हूं कि यह राजस्व अधिक से अधिक सम्पदा अर्जन से आना था, जो केवल तभी संभव है जब यहां पर इसे अर्जित करने के लिए योग्य व्यक्ति हों। एक बार फिर इससे मानव संसाधन विकास को बढ़ावा मिलता है।

[श्री के० एस० राव]

मानव संसाधन सभी समस्याओं, चाहे ये वित्त मन्त्रालय, नागर विमानन अथवा दूसरे मंत्रालयों की हों, समाधान करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यदि किसी भी मंत्रालयों को लिया जाए तो आप पायेंगे कि अन्तत: यह सही लोगों तक जाता है, जिनकी आवश्यकता सम्पदा प्रबन्ध अथवा सम्पदा अर्जन अथवा उसके विकास के लिए होती है। मेरा यह विचार है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को किए गए आबंटन पर्याप्त नहीं हैं तथा स्पष्टत: इसका महत्व पूरी तरह नहीं महसूस किया गया यद्यपि कुछ हद तक महसूस किया गया है।

इस देश में इस बात को सभी ने स्वीकार किया है कि इस देश में शिक्षा प्रणाली वर्तमान आवश्यकताओं के उपयुक्त नहीं है। विशेष तौर पर यदि हम विदेशों में प्रगति की तुलना में इस पर गौर करें। बहुत से देश प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम विशेष तौर पर जापान को लेते हैं; वे संपत्ति अर्जन के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि वे धनी कैसे बन गये, कुछ क्षेत्रों में जापान अमरीका से भी आगे कैसे बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण वहां मानव संसाधनों को उन्नत करना है। शायद वहां यह सरकार का पक्का इरादा था तथा वहां सरकार ने मानव कौशल को तथा मूल्यों को उन्नत करने पर बल दिया था, जो बहुत आवश्यक है। लोगों पर वह प्रभाव डालना चाहिए कि उन्नति करने अथवा समाज में बेहतर ढंग से रहने के लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और कौशल आवश्यक हैं। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बना देना चाहिए तथा शुरू से ही, प्राथमिक विद्यालय से ही शिक्षा के महत्व पर बल दिया जाना चाहिए।

नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि शिक्षा के स्तर में सुधार करने पर अधिक जोर दिया गया है। शिक्षा नीति में प्रत्येक शब्द बहुत महत्वपूर्ण और रुचिकर है परन्तु मैं केवल श्री साही से ही—श्री नरसिंह राव यहां नहीं हैं। निवेदन करता हूं कि शिक्षा नीति में जो भी लिखित है उसे पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए; केवल पूरी तरह ही नहीं बल्कि बहुत तेजी से लागू किया जाना चाहिए। मेरे विचार में पिछले दो वर्षों में, जब नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, इसमें वह गति पूरी तरह नहीं है। मैं नहीं जानता कि किस स्तर पर कमी है, मन्त्री स्तर पर है या अधिकारी स्तर पर, परन्तु जिस परिवर्तन की माननीय प्रधानमन्त्री को आशा थी शायद पर्याप्त मात्रा में नहीं आया हो।

यदि आप रिपोर्टरों की ओर देखें, जो अब तक हमारे सामने हैं और जो कुछ यहां कहा जा रहा है उसे रिकार्ड कर रहे हैं, तथा यदि वे कुछ दिन के लिए अनुपस्थित रहें तो मुझे विश्वास है कि काम रुक जायेगा। कारण यह है कि बेहतर रिपोर्टर उपलब्ध नहीं हैं, बेहतर भाषान्तरकार उपलब्ध नहीं हैं तथा बेहतर व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं जो लेखा-विधि, 'प्रौद्योगिकी अथवा ग्रामीण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर सकें जिसकी आवश्यकता है। आपके पास दक्ष लोग नहीं हैं। कमी केवल दक्ष लोगों, सक्षम लोगों की है। इस विभाग तथा इस मन्त्रालय को ये सब चीजें पैदा करनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह पूरी तरह भारत सरकार के हाथ में नहीं है। राज्यों को यह समझना होगा। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के कार्यान्वयन में राज्यों को केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करना होगा।

यह मूल परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का व्यावसायीकरण बेहतर तरीका है। देश में काफी संख्या में स्नातक, स्नातकोत्तर और डाक्टर हैं। परन्तु जब तक उनकी जांच करते हैं कि वे उपयुक्त हैं या नहीं तो यह पाया गया था कि वे किसी की भी जरूरत के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए हम ऐसे

स्नातक या स्नातकोत्तर क्यों पैदा करें जो देश की जरूरतों के योग्य नहीं हैं। हम अपना ध्यान तथा संसाधन, ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक लोगों को दक्ष बनाने, उनको सम्पदा पैदा करने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए लगाना चाहिए। इसलिए, किसी को तो शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। हमें देखना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई अधूरी न छोड़ें। माता-पिता को इस बात के लिए राजी करना चाहिए कि जो शिक्षा उनके बच्चों को मिलेगी उससे उनको रोजगार मिलेगा। वे नौकरियों की ओर देखते हैं। नौकरियों से अभिप्राय बाबूगिरी से नहीं है। अतः सरकार को स्व-रोजगार के लिए शिक्षा पर बल देना चाहिए, बाबूगिरी के लिए नहीं। यह केवल तभी सम्भव होगा जब आप मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देंगे। मेरा यह विचार है—मैंने इसका जिक्र पिछले दो बजट भाषणों में भी किया है कि ग्रामीण प्रशिक्षण विद्यालय अधिक महत्वपूर्ण हैं। आठवीं कक्षा या दसवीं कक्षा अथवा इंटरमीडिएट स्तर के छात्रों को प्रौद्योगिकियों अथवा ऐसी दक्षताओं में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जो एक क्षेत्र विशेष के लिए आवश्यक है। वे लोग सम्पदा अर्जन करेंगे। जब हम निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं तो हमने पाया है कि सैकड़ों-हजारों नौजवान हमारे पास किसी जीविकोपार्जन साधन के लिए आते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि किस विषय पर हम उनकी सहायता कर सकते हैं तो वे कहते हैं कि वे नहीं जानते। वे कुछ भी नहीं जानते। अतः यह हमारा दायित्व है। उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने का हमारा कर्तव्य है। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री भी इस बात पर ध्यान देंगे कि बैंकों द्वारा दिए गए ऋण अथवा उनको बीस सूत्री कार्यक्रम—चाहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हों, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम हो या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो—के अन्तर्गत दी जानी वाली किसी भी तरह की सहायता को इन प्रशिक्षणार्थियों के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए जो ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षण लेकर आते हैं। केवल तब ही उन्हें उस शिक्षा पर विश्वास होगा, जो वे प्राप्त कर रहे हैं, और कहेंगे "जी हां अब हम सम्मान तथा गर्व के साथ रह सकते हैं और अपने स्वयं के पैरों पर खड़े हो सकते हैं।" उनको दी जा रही सहायता बहुत महत्वपूर्ण है। केवल इसके कारण ही वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं।

हम सभी को यह महसूस करना चाहिए कि आज जनसंख्या की समस्या प्रमुख समस्या है। हमारे मंत्रीगण इसका समाधान कर सकते हैं। देश में शिक्षा या साक्षरता का स्तर बढ़ाने के लिए पहले जनसंख्या की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। यदि इस समस्या का समाधान हो जाता है तो स्वतः ही दूसरी समस्या का समाधान भी हो जायेगा। यह समस्या इसीलिए बढ़ रही है कि हमारा स्त्री समुदाय अशिक्षित है। यह बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय को किये गये आबंटनों को कम किया जा सकता है तथा इस मंत्रालय को दिये जा सकते हैं। ऐसा करने से यह मंत्रालय इस देश की जनसंख्या को कम करके बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है।

मेरा यह विचार है कि उच्च शिक्षा हेतु लड़कों के प्रवेश के लिए मानदण्ड ऊंचे रखे जाने चाहियें। ऐसा नहीं है कि सभी को स्नातकोत्तर अथवा डाक्टर के पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाये। जब तक एक लड़का यह साबित न कर दे कि वह बहुत सक्षम है तब तक उसे स्नातकोत्तर या किसी भी अन्य उच्चशिक्षा के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

जब तक बच्चे में नये ढंग से सोचने की प्रवृत्ति अथवा अनुसन्धानोन्मुख प्रकृति न हो तब तक उसे शोधकार्य की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आज बहुत से पी० एच० डी० डिग्री प्राप्त लोग हैं। जब वे बोलते हैं— कुछ एक को छोड़ कर—तो आप देख सकते हैं कि वे कितने खोखले हैं। मेरा

[श्री के० एस० राव]

सुझाव है कि इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति 50 या 60 वर्ष की आयु में भी प्रवेश चाहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। उसमें यह विश्वास होनी चाहिए कि वह इनमें से किसी भी दिशा में जा सकता है, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वह उस दिशा में जाने में सक्षम है।

इसी प्रकार शिक्षा के निजीकरण का मामला लीजिये। बहुत से शिक्षा के निजीकरण चाहते हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि बिना किन्हीं प्रतिबन्धों के शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। परन्तु क्योंकि हमारे पास आवश्यक संसाधनों में बुनियादी ढांचे इत्यादि, शिक्षा के स्तर को सुधरने के लिए, पैसे की कमी है इसलिए कुछ निजी संस्थानों द्वारा परीक्षाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें स्वतन्त्र रूप से प्रोत्साहन देना चाहिए।

1·50 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसी प्रकार शिक्षकों में रोजगार देने के सम्बन्ध में, मेरा विषय यह है कि शिक्षकों की प्रतिष्ठा में वृद्धि की जानी चाहिए—विशेष तौर पर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में। पिछले कुछ दशकों में यह कम हो गई है। उनके पारिश्रमिक में भी वृद्धि की जानी चाहिए। मुझे खुशी है कि उनके पारिश्रमिक में काफी वृद्धि की गई है। इसके बावजूद भी मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि पिछले वर्ष शिक्षकों ने हड़ताल क्यों की थी। शायद उन्हें भारत सरकार के नई शिक्षा नीति बनाने तथा शिक्षा का स्तर सुधारने के कार्य में शामिल नहीं किया गया था।

शारीरिक शिक्षा पर आते हुए — जहां तक मेरी जानकारी है-- केवल एक महाविद्यालय है जिसे भारत सरकार चलाती है और इसका नाम एल० एल० सी० पी० है जो ग्वालियर में है। मेरे जिले के लोगों ने मुझसे वहां एक महाविद्यालय खोलने को कहा है, जिसके लिए वे आवश्यक जमीन तथा धनराशि देने के लिये तैयार है। इस महाविद्यालय को शुरू करने के लिए वे लोगों से पैसा एकत्र करेंगे। यदि सरकार के पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा दिये गये पैसे का उपयोग क्यों नहीं करती जो पैसा देने के लिए बहुत व्यंग्र हैं। यह एक आधारभूत आवश्यकता भी है। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गुदलावेल्लेक नामक स्थान जिसे कुछ वर्ष पहले देश में सबसे अच्छा गांव माना गया था, में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शुरू करने पर विचार करें। लोग भी बहुत प्रगतिशील हैं। शिक्षा महाविद्यालय शुरू करने के लिए यह एक आदर्श स्थान है।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं वास्तव में न केवल मंत्री जी और उपाध्यक्ष महोदय को ही धन्यवाद नहीं देना चाहता बल्कि संसदीय कार्य मन्त्री जी का भी शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। इस समिति रूप में मैं इस विषय को अति महत्वपूर्ण समझता हूं।

मैं मन्त्री जी तथा संसद सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे यह महसूस करें कि यह मन्त्रालय कितना महत्वपूर्ण है तथा इस मन्त्रालय के लिए आबंटन कितना महत्वपूर्ण है। इसलिये मैं कहूंगा कि आबंटन में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं कुछ बातों की ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पहली बात तो यह है कि जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है, तब से शिक्षा प्रयोग की अवस्था से गुजर रही है। पिछले 40 वर्षों से इस पर लगातार प्रयोग किया जा रहा है और अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है।

नई शिक्षा नीति को अब सबसे बेहतर बताया जा रहा है। देश में इस पर काफी बहस हुई है। शिक्षित वर्ग के एक बड़े हिस्से ने इस बात को कहा कि देश की मौजूदा परिस्थिति और आवश्यकता को सामने रखते हुए, जिस नीति की घोषणा की जा रही है, वह उपयोगी नहीं है और यह पुराने तरीके की ही नीति बनाई जा रही है।

हमारी संवैधानिक कमिटमैंट 12 वर्षों में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा करने की थी और सब को साक्षरता प्रदान करने की थी, किन्तु इसमें सरकार को घोर असफलता मिली। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि सब को समान शिक्षा दी जायेगी, राष्ट्रपति हो या भंगी सन्तान सब को शिक्षा एक समान। देश के सामने यह सवाल मौजूद है। कि देश हमें आजादी से पहले जिस तरह की शिक्षा पद्धति थी यानी कि बड़े लोगों के लिये अलग और गरीबों के लिये अलग वैसी ही शिक्षा पद्धति अभी तक चली आ रही है। इस शिक्षा पद्धति के द्वारा बड़े-बड़े अफसरों और अमीरों के लड़कों का एक गिरोह बन गया है और क्लर्कों और टीचरों का दूसरा गिरोह बन गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों के जमाने में जो दृष्टिकोण इस मामले में अपनाया जाता था वही दृष्टिकोण आज भी अपनाया जा रहा है।

बहुत जोर-जोर से सरकार की तरफ से यह कहा गया कि नवोदय विद्यालयों में उन गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को लिया जायेगा जिन को कि पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जब से नई शिक्षा पद्धति को लागू किया गया है तब से यही जाहिर हो रहा है कि नवोदय विद्यालयों में शहरी क्षेत्र के लोगों को और अमीरों के बच्चों को लिया जा रहा है। आप जिस तरह की शिक्षा-पद्धति लाना चाहते हैं वैसी शिक्षा अपने आप नहीं आ सकती है। जब तक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की तरफ आपका ध्यान नहीं जायेगा और उसके ऊपर खुला दिमाग नहीं लगाया जायेगा तब तक आपका ध्येय पूरा नहीं होगा। वैसे आपने नाम रखा 'नवोदय' लेकिन अगर इसको 'अमीरोदय' कहा जाये तो ज्यादा ठीक होगा। इसके जरिये तो अमीरों का उदय हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही। आज देश के अन्दर जो परिस्थिति मौजूद हैं और जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है, उसके जरिये सरकार पर इम्पलायमेंट का बोझ पड़ रहा है। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद नौकरी की तलाश करते हैं। इसके लिए यही सुझाव आया है और सरकार ने भी माना है कि व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाये। मैं ऐसा समझता हूं कि व्यवहार में इसको पूरी तरह नजरअन्दाज किया जा रहा है। वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए जो मदद सरकार की तरफ से मिलनी चाहिये और जो योजना बननी चाहिये, उसका पूर्णतया अभाव ही हमें दिखायी दे रहा है। इस तरफ मन्त्री जी का ध्यान अवश्य जाना चाहिये।

आप तो जानते ही हैं कि बिहार हर मामले में पिछड़ा हुआ है और शिक्षा के मामले में भी पिछड़ा हुआ है। 1981 के सेन्सस के हिसाब से शिक्षित और साक्षर लोगों का जो अखिल भारतीय औसत है वह 36·2 परसेंट है। लेकिन बिहार का यह 26·26 परसेंट ही है। 50 परसेंट से ज्यादा

[श्री विजय कुमार यादव]

विद्यार्थी खुले आकाश में पढ़ाई करते हैं, उनकी परीक्षा समय पर होती नहीं हैं और अगर परीक्षा समय पर हो जाती है तो 2-2 और 3-3 साल तक रिजल्ट ही नहीं निकलता है। इसी प्रकार से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। मैं इस बारे में प्राथमिक विद्यालयों की बात कर रहा हूं। एक तरफ बेरोजगारी है तो दूसरी तरफ हजारों-हजार ट्रेंड लोग खाली बैठे हुए हैं और उनका रोजगार नहीं मिल रहा है। जो एफीलिएटिड कालेज बिहार के अन्दर हैं उनको कान्टिटएयूएण्ट कालेज नहीं बनाया जा रहा है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि टीचरों का भविष्य अन्धकारमय होता जा रहा है और उनके अन्दर असन्तोष बढ़ता जा रहा है। और न ही उनके आवास की समुचित व्यवस्था है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो चर्चा नई एजुकेशन पालिसी में है, वह ज्यादातर कागजों पर ही है। मैं इस बारे में बिहार की ही बात आपको बता रहा है। बाकी जगहों की मुझे जानकारी नहीं है। स्टेट कौंसिल आफ एजुकेशनल ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सेंटर्स का जो सर्वे हुआ है और उसकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बिहार में 40 परसेंट से भी अधिक प्राथमिक विद्यालयों में भवनों का अभाव है और 20 परसेंट से ज्यादा क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं।

2·00 म० प०

39 जिलों के 9 शहरी क्षेत्रों और 120 ब्लाकों में प्राथमिक विद्यालय भवन। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर सर्वे का जो नतीजा निकला है वह इस तरह से है: 13270 प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए चटाई की भी व्यवस्था नहीं है, 7 विद्यालयों में केवल खलनी और इस्टर हैं, 6939 विद्यालयों में भवन नहीं है, 2240 विद्यालयों में केवल एक कमरा है, केवल 114 विद्यालयों में में शौचालय हैं, 9453 विद्यालयों में पीने का पानी कुआं तक की व्यवस्था नहीं है, पुस्तकालय, खेलने का सामान वगैरह की तो अलग बात है, इनका तो अभाव है ही।

रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में, अभी यह जो साल गुजर रहा है, 3133 अतिरिक्त शिक्षकों की, जिसमें 277 महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाय, दो पक्के कमरों का तमाम विद्यालयों में निर्माण 72·27 करोड़ की कीमत की जाए। हुआ क्या है, बिहार सरकार ने आपरेशन ब्लेक बोर्ड के कार्यान्वियन के लिए अभी 27-3-88 को दो-तीन दिन हुए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 18·68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जरूरत यह थी कि केवल विद्यालयों का निर्माण करने के लिए जो अनुशंसा की, 72·27 करोड़ की जरूरत थी केवल दो पक्के कमरों के लिए, लेकिन पूरे आपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए 18·68 करोड़ की मंजूरी दी है और वह भी 27 तारीख को बिहार गवंनमेंट ने दी है। तीन चार दिन में क्या खर्च होगा, इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है कि यह जो इतनी देर हुई है, इसके माने क्या हैं। चार दिन के अन्दर तो कुछ काम नहीं कर सकते हैं इसलिए यह पैसा लौट जायेगा और बिहार पिछड़ा का पिछड़ा रह जायेगा। इसमें स्पष्ट भी है कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड में अन्य सामानों के लिए शायद केन्द्र सरकार पैसा देगी, जैसा मैंने अखबार में देखा कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में पोस्टर, मैप चार्ट, और खेल सामान के लिए 7515 रुपया केन्द्र द्वारा दिया जायेगा लेकिन यह रुपया भी अभी तक केन्द्र द्वारा बिहार को नहीं दिया गया है, जहां तक मेरी जानकारी है।

वयस्क शिक्षा के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं लेकिन जहां तक बिहार प्रान्त का सवाल है, मैं समझता हूं कि वह भी कागज पर है। करोड़ों रुपया जो इस पर खर्च किया जा रहा है, पैसे का

बंगलिंग हो रहा है, कागज रजिस्टर जाली बनाये जा रहे हैं, विद्यार्थियों का नाम रजिस्टर पर गलत लिखा जा रहा है, विद्यार्थी हैं नहीं, केन्द्र नहीं चल रहे हैं और कुछ लोगों का कमाने और खाने का यह जरिया बन गया है। आप हमारी कान्स्टीट्वेंसी राजगीर में जांच करा लीजिये, दूसरे इलाकों में जांच करा लीजिये, आप जो हजारों हजार रुपया देते हैं उसका किस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपकी नीयत बहुत अच्छी है, इस मामले में, लेकिन जो लोग काम करने वाले हैं वह आपकी नीति का वहां पालन नहीं होने दे रहे हैं, उसका क्रियान्वयन नहीं होने दे रहे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक बिहार में उनकी सांठ-गांठ है।

नालन्दा बहुत ही पुरानी हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी रही है। आप जानते होंगे, वहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग होती रही, वह पूरी नहीं हुई जबकि कहा जाता है कि हिस्टोरिकल अनसैस्ट्रल एंड ओल्ड हैरीटेज को कायम रखा जायेगा। हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुनिया में भी नालन्दा यूनिवर्सिटी का नाम है लेकिन सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने कभी इस बात का ख्याल नहीं किया कि उस यूनिवर्सिटी का वहां पुनरद्धार किया जाये। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में यह हुआ कि इसको ओपन यूनिवर्सिटी बनाया जायेगा लेकिन आज तक वहां आफिस नहीं है, आज तक कोई स्टाफ नहीं है, आज तक कोई फण्ड का एलाटमेंट वहां नहीं किया गया है। आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक आपका जो कमिटमैंट है उसको आप कैसे पूरा करना चाहते हैं ? जाहिर बात है कि आप कहते कुछ हैं और कर कुछ रहे हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। हमारे यहां बिहार में जो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति है और जिस तरह से विद्यालयों का अभाव है, वहां पोलिटिकल बेसिस पर, जो विद्यालय खोले जाते हैं और जो वेस्टेज दी जाती है उसमें यह बात दिमाग में रहती है कि अगले इलेक्शन में यहां पोलिंग बूथ बनेगा। नतीजा यह है कि खास तौर से सत्ता पक्ष के लोग, चूंकि यूनिटों का सैंक्शन करने में, प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण में उनका अपर हैण्ड है, ऐसे गांव जहां अच्छी आबादी है, वहां यूनिट नहीं दिया जा रहा है, वहां विद्यालय का निर्माण नहीं किया जा रहा है, हमारे जहानाबाद संसदीय क्षेत्र, मेरे नालन्दा संसदीय क्षेत्र में या बिहार में कहीं भी आप जांच करा लीजिए··· कि किस तरह का पक्षपात हो रहा है। आप यूनिवर्सल साक्षरता की बात करते हैं लेकिन पार्टीजन एटीट्यूड लिया जा रहा है। आप कहियेगा कि यह मामला स्टेट गवर्नमेंट का है, ,यही बात है स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, यह कानकरेन्ट लिस्ट में आया है लेकिन अगर बिहार जैसे राज्य में आप इस पूरी बात को बिहार गवर्नमेंट पर ही छोड़ दीजिएगा और वहां 'मानिटरिंग नहीं कीजिएगा और जनरल तौर पर जो शिकायतें आती हैं उनकी देखभाल करके उचित कार्यवाही नहीं कीजियेगा तो बिहार का विकास कभी सम्भव नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हू कि बिहार के हमारे मन्त्रीजी हैं, उनको अन्दरूनी तौर पर सारी बातों की जानकारी है, उनको जानकारी न हो ऐसी बात नहीं है, एक-एक बात की जानकारी उनको है, उनके पीरियड में इन बातों में सुधार होगा और जहां तक शिक्षा का सवाल है, बिहार आगे बढ़ेगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इन बातों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे प्रधानमन्त्री, श्री राजीव गांधी ने मानव संसाधन विकास के महत्व के सम्बन्ध में सातवीं योजना के प्रारूप में कहा था कि निःसन्देह यह कहा जा सकता है कि विकास का अर्थ मात्र कारखानों, बांधों और सड़कों का विकास ही नहीं है, बुनियादी तौर पर विकास का लक्ष्य है जनता की भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संतुष्टि। मानव घटक और

[श्री जगदीश अवस्थी]

मानव सम्बन्ध ही सर्वोच्च महत्व रखते हैं। भविष्य में इन प्रश्नों पर हमें बहुत अधिक ध्यान देना होगा। सचमुच प्रधानमन्त्री जी ने जो कुछ कहा है, उसके अनुसार ही मानव संसाधन मन्त्रालय ने शिक्षा, संस्कृति, कला विभाग, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए समन्वित प्रयास किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और राज्य सम्बन्धी कार्यक्रमों पर भी राष्ट्र व्यापी प्रयासों को और तेज करने पर बल दिया गया है। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि जो हमारी वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने घोषित की है उसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। अभी हमारे माननीय सदस्य ब्लैक बोर्ड-आपरेशन की बात कर रहे थे। निश्चय ही उसके अन्तर्गत आपने भवनों का निर्माण किया है। भवन बन रहे हैं लेकिन उनमें एक छोटी सी त्रुटि रह जाती है और वह यह है कि जो भवन आप बनाते हैं, जो उसका पैटर्न बनता है, उसमें जो फर्श होती है वह कच्ची रहती है। यह बहुत छोटी सी बात है। मैंने अपने जनपद कानपुर के कई स्कूलों मे जाकर देखा है, वहां पर बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, नल की व्यवस्था नहीं है। वहां पर फर्श भी कच्ची पड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि आपका जो पैटर्न है उसमें आप सुधार करें ताकि जो स्कूल बन रहे हैं वहां पर ठीक से बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था हो और फर्श पक्की हो। इस सम्बन्ध में आप उचित व्यवस्था करें—यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप जो ग्रामीण जनता के लिए नवोदय विद्यालयों की योजना चला रहे है, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह बहुत अच्छी योजना है, यद्यपि जो हमारे यहां पब्लिक स्कूल्स हैं, उनके विकल्प में ही आपने यह योजना बनाई है परन्तु अभी तक जो उसकी प्रगति हुई है वह सन्तोषजनक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं आपने पहले 50 विद्यालय खोले, 1987-88 के लिए आपने 126 नवोदय विद्यालयों की योजना बनाई और 50 आप आगे खोलने जा रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप इस योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो अच्छे विद्यालय स्थापित करें ताकि इस योजना के पीछे जो परिकल्पना है उसकी पूर्ति हो सके। हमारे महानगर कानपुर में आपने अभी एक नवोदय विद्यालय खोला है। लेकिन उसका कोई भवन नहीं है। भर्ती वहां हो रही है, किराए के मकान है, ठीक से व्यवस्था भी नहीं है। हमारे कानपुर देहात, जिसका मैं यहां पर प्रतिनिधित्व करता हूं वहां पर अभी कोई विद्यालय की रचना तक नहीं की गयी है। मैंने अभी 8-10 दिन पहले यहां सदन में इस बात को रखा था और मुझे विश्वास है कि वे पिछड़े जिले, जो उद्योग शून्य भी हैं और पिछड़े भी हैं और नए जिले हैं उनमें प्राथमिकता के आधार पर नवोदय विद्यालय खुलवाएंगे ताकि वहां पर जो गरीब किन्तु प्रतिभावान बच्चे हैं वे वहां पर पढ़ने के लिए आ सकें। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि इन विद्यालयों में वह बुराइयां जो पब्लिक स्कूलों में आती हैं, न आने पावें। जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है मैं भी कहना चाहूंगा कि वहां पर गांव के नाम पर शहर के लोग न घुसने पावें।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत जो प्रौढ़ शिक्षा की योजना आपने बनाई है, वह बहुत अच्छी है। सच बात तो यह है कि हमको चीन की तरह से एक कार्यक्रम करना चाहिए। चीन ने 1948 में एक कार्यक्रम बनाया था और उसने पांच वर्ष के अन्दर सारे देश को साक्षर कर दिया लेकिन हम अभी तक 36 परसेन्ट लोगों को ही साक्षर और शिक्षित कर पाए हैं। मैं चाहूंगा कि आप युद्ध स्तर पर पांच वर्षों का कार्यक्रम बनाकर साक्षरता अभियान को चलाएं और हर व्यक्ति को साक्षर बनाएं। प्रौढ़ शिक्षा के लिए विकास खंडों में जो अनुदेशक

तथा अनुदेशकाएं रखी हैं, उनको आप 100 रुपये देते हैं जो कि बहुत कम है। बूढ़ी महिलाओं और बूढ़े आदमियों को पढ़ाना यद्यपि कठिन है परन्तु यह कार्य राष्ट्र हित में बहुत जरूरी है और देश का एकता के लिए यह बहुत आवश्यक है।

एक बात और कहना चाहूंगा। हमारी शिक्षा जो है, वह व्यवसाय-मूलक नहीं है। नयी नीति के अन्तर्गत उसको व्यवसायमूलक बनाने की आपने चेष्टा की है। इसके लिए आवश्यक है कि जो वर्तमान विद्यालय हैं, उन्हें स्थानीय औद्योगिक घरानों से जोड़ा जाए। जो लड़के हाई स्कूल और इन्टर पास करके निकलते हैं, वे बेकार रहते हैं और कोई काम उनको नहीं मिलता है। इसलिए उनको रोजगार देने के लिए औद्योगिक घरानों से उनको जोड़ा जाए। देहातों में पोलीटेकनीक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएं ताकि लड़के ट्रेनिंग लेकर अपना उद्योग धन्धा कर सकें।

इस के साथ ही यह भी आवश्यक है कि देश में जो तकनीकी शिक्षा के लिए आप ने सारे हिन्दुस्तान में पांच अखिल भारतीय तकनीकी संस्थान (आई० आई० टीज) बनाए हैं, उनका गांव की तकनीकी से कोई सम्बन्ध नहीं है। आई० आई० टीज से जो हमारे प्रतिभावान छात्र निकलते हैं, वे विदेशों में जा कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इन्जीनियर निकलते हैं, डाक्टर निकलते हैं और प्रोफेसर निकलते हैं और वे विदेशों में जा कर अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं परन्तु उन की प्रतिभा का लाभ देश को नहीं मिला पाता है। आई० आई० टीज से जो लड़के निकलते हैं, वे गांवों की सेवा नहीं करते हैं और बाहर चले जाते हैं। जो पांच आई० आई० टीज हैं, उन में से हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बिल्लौर, कानपुर में स्थित है जो सब से अच्छी आई० आई० टीज है। उस के प्रबन्ध के लिए जो गवर्निंग बोडीज बनती हैं, उन में कोई स्थानीय प्रतिनिधि नहीं होता है। वहां पर लोक सभा सदस्य और विधायक होना चाहिए ताकि वहां की स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिल सके। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी मेरे इस सुझाव पर विचार करें।

प्राइमरी शिक्षा के बारे में मैं ने गत वर्ष भी कहा था और इस वर्ष भी कह रहा हूं। माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि दो प्रकार के स्कूल हैं, एक पब्लिक स्कूल और दूसरे प्राइमरी स्कूल, जिस की वजह से दोहरे नागरिक निकलते हैं। अब समय आ गया है कि ये जो पब्लिक स्कूल हैं, इन को बन्द कर देना चाहिए। ये समाजवाद के विपरीत हैं। वाणी में हम समाजवाद की बात कहते हैं लेकिन आचरण में उल्टा काम करते हैं। अगर आप दोहरी व्यवस्था रखेंगे, तो समाजवाद से विश्वास हट जाएगा। आप ऐसे स्कूल बनाइए, जिस में अच्छे नागरिक पैदा हो सकें।

एक बात मैं भाषा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हम सब जानते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय भाषाएं और हिन्दी भाषा बहुत ही समृद्ध हैं। हम अपनी भाषा का नाम लेते हैं लेकिन व्यवहार में उस का ठीक ठीक प्रयोग नहीं होता है। अंग्रेजी भाषा, जो हमारे देश में बैठ गई है, यह भाषा भारतीय भाषा-भाषियों को आपस में लड़ा रही है और देश की एकता को नष्ट कर रही है। अब समय आ गया है कि अंग्रेजी भाषा का सार्वजनिक प्रयोग बन्द किया जाए और भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। मैं अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं हूं लेकिन अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग हो रहा है वह बन्द होना चाहिए। हर प्रदेश में अपनी भारतीय भाषाओं का विकास होना चाहिए।

आखिर में मैं एक बात कर समाप्त करूंगा। वह यह है कि जो आज शिक्षा मौहल्लों में, शहरों में दी जा रही है, नर्सरी स्कूल के नाम पर स्कूल खोले जा रहे हैं और शिक्षा का व्यावसायीकरण हो

[श्री जगदीश अवस्थी]

रहा है, यह बन्द होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप ये चाहे पब्लिक स्कूल हों, या चाहे व्यावसायी स्कूल खोले जाते हैं, ये सब बन्द करें। शिक्षा का व्यावसायीकरण बिल्कुल बन्द होना चाहिए ताकि हमारी शिक्षा का काम ठीक से चले।

साथ ही साथ आज स्कूलों में क्या हो रहा है। हमारे टीचर ट्यूशन करते हैं। स्कूलों में ट्यूशन भी एक व्यवसाय वन गया गया है। जो लड़का अध्यापक से ट्यूशन नहीं पढ़ता वह पास नहीं हो सकता। जो दो सौ इससे ज्यादा ट्यूशन फीस विद्यालय के टीचर को देते हैं वे पास होते हैं। इस ट्यूशन को भी खत्म किया जाना चाहिए।

साथ ही साथ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में क्या हो रहा है। खुले आम परीक्षाओं में नकल हो रही है। छात्र भी नकल करना चाहते हैं और टीचर उन्हें रोकते नहीं। हमारे प्रदेश ही नहीं, हर प्रदेश में यह हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमारी परीक्षा प्रणाली मे जो यह दोष है इसको खत्म करना चाहिए और परीक्षा प्रणाली में कोई आमूल परिवर्तन करना चाहिए।

हमारे जो विश्वविद्यालय बने हुए हैं, उनमें राजनीति चल रहा है, यूनियनबाजी चल रही है। अध्यापकों में यूनियनबाजी होती है। ऐसे-ऐसे लोग विश्वविद्यालयों में पहुंच जाते हैं जिनका कि शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता। वे वहां राजनीति फैलाते हैं। बड़े-बड़े लोग वहां भरती हो जाते हैं। वे यूनियनबाजी फैलाते हैं सब जानते है कि उन यूयियनों के नुमाइन्दे कैसे चुने जाते है। उनके चुनाव बाहर होते है। उन पर हजारों रुपया खर्च होता है। इस प्रकार से छात्रों में अव्यवस्था फैल रही है, राजनीति फैल रही है। आप इसको बन्द कर ताकि शिक्षा ठीक ढंग से चले।

इन शब्दों के साथ मैं आपकी इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सोमनाथ रथ (आस्का) मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। लक्ष्य प्राप्त करने में भरसक प्रयास करने के लिए मैं मानव संसाधन मंत्रालय और मंत्री की बहुत प्रशंसा करता हूं।

विगत वर्ष शिक्षा के लिए बजट अनुमानों 799.57 करोड़ रुपये की तथा 31 मार्च 1988 तक प्रत्याशित व्यय के लिए 751 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। अप्रत्याशित आकस्मिताओं के लिए कुछ धन की व्यवस्था होनी चाहिए। परिव्यय सार्थक और उद्देश्यपूर्ण है।

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि—"सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए 1987-88 का वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए है।"

इसलिए रक्षा सभा में जो चर्चा हो रही है मानवीय मंत्री और मंत्रालय उस पर निश्चित तौर पर ध्यान देंगे और जो कमियाँ है वे दूर की जाए। शिक्षा नीति के बारे में, दो राय नहीं हो सकती जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय एकता जिसकी आज जरूरत है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यवसायीकरण स्व-रोजगार और प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता पर दिया गया है। योजनाओं देश और समाज की आवश्यकताओं के लिए हैं। अध्यापकों का प्रशिक्षण निश्चित तौर पर धुरी है जिस पर यह प्रणाली टिकी है। दरअसल में, संस्कृति के क्षेत्र में ऐसे कदम उठाये गये हैं जो कि मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। लोगों की संस्कृति के प्रति जागरुक करने के प्रयास किये गये हैं।

शिक्षा अब समवर्ती सूची है। इसका अभिप्राय सम्पूर्ण नीति आधुनिक बनाना है जिससे कि चुनौतियों का सामना किया जा सके और सही दिशाओं मांगों को पूरा किया जा सके। सभा में चर्चा से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस देश में जागरुगता है और इसे जन-आन्दोलन बनाया जाए। जिनमें जनता के प्रतिनिधियों, विधायकों और संसद सदस्यों को शामिल किया जाए [उनके दृष्टिकोणों पर विचार किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सहयोग होना चाहिए तथा राज्यों और केन्द्र में निकट सहयोग होना चाहिए। यह साझेदारी के आधार पर है टकराव से नहीं मैं इससे सहमत हूँ केन्द्र की साझेदारी निष्क्रिय साझेदारी की तरह नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ राज्य और विश्वविद्यालय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आगे न आयें और हममें बाधा पहुचाएँ। ऐसी स्थिति में केन्द्र को मूक दर्शक रहना चाहिए राज्यों में राज्यपाल विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान और सहायता देते हैं इसलिए एक निरीक्षक एजेंसी होनी चाहिए जो इसका पता लगाये कि क्या विभिन्न राज्यों और विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले धन का सदुपयोग किया जा रहा है और योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान उड़ीसा के एक विश्वविद्यालय अर्थात बरहामपुर विश्वविद्यालय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उड़ीसा में संस्कृति विश्वविद्यालय सहित चार विश्वविद्यालय है और इन विश्वविद्यालयों में कोई निर्वाचित सीनेट या सिंडीकेट नहीं है वहां प्रशासक है और उनका कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया जा रहा है। मैं अधिकारियों का बिल्कुल निरादर नहीं करता लेकिन बरहमपुर विश्व विद्यालय में प्रशासक एक अधिकारी है। जब तक कोई शिक्षाविद नहीं है तब तक वह शिक्षा प्रणाली को नहीं समझेगा। महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उड़ीसा योजना का लाभ उठाने से कैसे वंचित है। केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वतंत्र रुपये दिये गये अनुदान और सहायता राशि का राज्यों और विश्वविद्यालयों द्वारा लाभ नहीं उठाया जाता है मान्यता प्रदान करते समय राज्य सरकार प्राइवेट कालिजों और संस्थाओं को मान्यता देती क्योंकि उड़ीसा में शिक्षा मुख्यत: प्राइवेट कालिजों के माध्यम से दी जाती है। सरकारी कालिज बहुत कम हैं। इसलिए वे अस्थायी या अंतरिम मान्यता देते हैं और बाद में इसे स्थायी करते हैं इसी तरह विश्वविद्यालय भी अस्थायी संबंध देते हैं और इसे बाद में स्थायी करते हैं। ये प्राइवेट कालिज ऐसे हैं जो सरकरी कालिजों से बहुत बेहतर हैं और इनका बुनियादी ढांचा भी अच्छा है परन्तु इसी की वजह से वे विश्वविद्यालय अनुदान अयोग की सुविधाओं और अनुदान वंचित रह जाते हैं।

विश्वविद्यलय उनके आवेदन पत्रों को कभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नहीं भेजते या जब भेजते हैं तो अन्तरिम या अस्थायी लिख देते हैं। तथा विश्वविद्यालय अनुदान अयोग किसी प्रकार की सहायता भी नहीं देता है यह मामला है जिस पर माननीय मंत्री उड़ीसा में अपने साथी से बात करेंगे और यह पता लगायेंगे कि ऐसी 'अन्तरिम' 'अस्थायी' सहमति न दी जाये सहमति या मत दीजिए, आवेदन पत्र भेजिए या मत भेजिए। वर्षों से यह व्यवस्था चल रही है

बरहामपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यह अच्छा है कि बरहामपुर विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कम कहा गया है। मैंने कहा है कि शिक्षकों का प्रशिक्षण धुरी या आधार है जिस पर शिक्षा सम्बन्धी प्रणाली टिकी है। सरकार कैपीटेशन के विरुद्ध है जब सरकार ने अध्यापकों के पर जोर दिया है तब

बरहमपुर विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम से यह प्रशिक्षण दे रहा है । महोदय, आप कैसे यह कल्पना कर सकते हैं शिक्षण के व्यवहारिक ज्ञान के बिना पत्राचार पाठ्य क्रम के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा और उन्हें अध्यापक नियुक्ति किया जायेगा । यह सिर्फ उड़ीसा के अध्यापकों के बारे में ही नहीं है कि यह पत्राचार पाठ्यक्रम बरहामपुर विश्वविद्यालय में हैं परन्तु यह सम्पूर्ण देश के लिए खुला है । सरकार कैपीटेशन, फीस के विरुद्ध है । विश्वविद्यालय एक हजार रुपये से अधिक ले रहा हैं । अध्यापक और विद्यार्थी इस भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं । आन्ध्रप्रदेश, केरल आदि के अध्यापकों को यह पत्राचार पाठ्य क्रम दिया गया है और लाखों रुपये कैपीटेशन फीस के रूप में एकत्रित किये जा रहे हैं ।

विश्वविद्यालय छावनी के निकट हैं व्यवहारिक रूप से वह सैनिक छावनी का एक भाग बन गया है । गंजम जनपद के एक विधायक जिसमें बरहामपुर विश्वविद्यालय हैं, जब विश्वविद्यालय में कुछ तथ्यों का पता लगाने गये और वहाँ एक क्लर्क से बात की तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उस क्लर्क का दर्जा गिराकर उसे दंडित किया । इसलिए मैं मानवीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रणाली का क्रियान्वन कैसे किया जा सकता जब विम्वविद्यालय और अधिकारी जनता के के प्रतिनिधियों का विश्वास प्राप्त नहीं करते है । इसलिए समय आ गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करने बरहागपुर विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों करने का पता लगाने एवं जाँच करने के लिए एक टीम भेजे और उपयुक्त कदम उठाये ।

महोदय उड़ीसा की क्रियान्वन रिपोर्ट से मुझे ऐसा लगता है कि प्रारम्भिक शिक्षा की अनिवार्यता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । प्रारम्भिक स्कूल के अध्यापकों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला । कृषि के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में वहाँ कोई व्यवस्था नहीं हैं । उड़ीसा में एक भी कालिज को स्वायत्तशासी दर्जा नहीं दिया गया है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में पाँच सौ कालिजों को स्वायत्तशासी दर्जा दिया जाना है । मेरे विचार से ऐसा करना असम्भव है यह पूर्णतः महत्वाकांक्षी है । कम से कम पचास प्रतिशत प्राप्त किया जा सकता है । मैं इसे दोहराता हूँ कि उड़ीसा में एक भी कालिज को स्वायत्तशासी दर्जा नहीं किया गया है । कॉलिजों के सम्बन्ध में प्रशासनिक शक्ति को समाप्त करते के लिए सरकार की रुचि नहीं है और विश्वविद्यालय अप्राइवेट कालिजों के आवेदन पत्र नहीं भेज रहे हैं जो योग्य है तथा जिनके पास स्वायत्तशासी दर्जा प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढाँचा है बरहामपुर विश्वविद्यालय ने के० एस० यू० बी० भंडानगर कॉलिज का आवेदन पत्र नहीं भेजा, मैं एक मामले की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ । वहाँ समितियाँ हैं । इन समितियों में विश्वविद्यालय अनुदान अयोग या केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि रहता है । लेकिन केन्द्रीय सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान अयोग का प्रतिनिधि कौन है ? उस आदमी का सुझाव सम्बन्धित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार ने दिया इसलिए इस तरह से न्याय नहीं किया जा सकता । मेरा सुझाव है कि जब वहा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्र का सदस्य हो तो केन्द्रीय सरकार या विश्वविद्यालय आयोग यहाँ से अपने प्रतिनिधि सम्बन्धित समिति को भेजें और उस राज्य या विश्वविद्यालय के सुझावों को बिना जाँच के नहीं मानें ।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैंने तत्कालीन राज्य शिक्षा मंत्री श्रीमती कृष्णा साही को एक पत्र लिखा जिसका जबाब मुझे 25 जून 1987 को मिला :

"बरहामपुर विश्वविद्यालय में बी० एड० के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम रोकने तथा भंजनगर में के० एस० यू० बी० प्रशिक्षण कोलिज को स्थायी संबन्धन के बारे में आपके दिनांक 16 जून, 1987 के पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुई। मैं इनकी जांच कर रही हूं।"

लेकिन मुझे इस सम्बन्ध में अभी तक कोई जबाब नहीं मिला कि क्या कार्यवाही की गयी। शिक्षा की प्रसांगिकता के बारे में मैं प्रधानमंत्री का उद्धरण देता हूं।

"शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि व्यक्तियों को प्रौद्योगिकी का स्वाभी बनाए न कि दास हमें बिना सोचे समान नियम निकल नहीं करनी चाहिए। हमें ज्ञान को समझना चाहिए तथा देश के हित के लिए उसमें संशोधन करके उसका उपयोग करना चाहिए।"

भारत में प्रतिभा पलायन बिल्कुल नहीं है। यह हमारे स्वदेशी जमीन से जमीन तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र और संवेदनशील भू उपग्रह के उत्पादन से पूरी तरह सिद्ध हो गया है। दर-असल में, शिक्षाविद् और वैज्ञानिक विश्व विभिन्न भागों में जाते हैं लेकिन हमारे वैज्ञानिकों और अभियन्ताओं की उपलब्धियों से हमारी आत्म निर्भरता पूरी तरह सिद्ध हो गयी है।

मैं माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं, कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मामलों की ओर ध्यान दें। भंजनगर में सावित्री महिला कोलिज और बी० एड० कॉलिज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान दिया जाना चाहिए चूंकि खेलकूदों और शिविरों को महत्त्व दिया गया है इसलिए भंजनगर के नेहरू स्मारक संस्था को आवश्यक अनुदान दिया जाए जहां कि स्टेडियम मौजूद है। भंज साहित्य परिषद जो उड़ीसा के गंजम जनपद में भंज नगर की एक महत्त्वपूर्ण ज्ञान पीठ है। इसने कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तथा उड़ीसा के साहित्यक कवियों की कृतियां प्रकाशित की है। इसलिए क्षेत्रीय संस्कृति के विकास के लिए इस संस्था को आवश्यक अनुदान और सहायता दी जाए। इसी प्रकार मेरा अनुरोध है कि भंज नगर कोलिज को स्यायत्तशासी दर्जा दिया जाए।

मेरा सुझाव है कि आचार संहिता केवल विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए ही नहीं बल्कि माध्यमिक शिक्षा से लेकर कॉलिज की शिक्षा तक सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली के लिए होनी चाहिए, तथा उपलब्धियों की जांच की जानी चाहिए, और जहां आवश्यक हो वहां सुधारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए।

दिल्ली के सम्बन्ध में कहा जाता है कि स्कूल जाने वाले बच्चों और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है और यह निश्चय करने के लिए कि अधिक से अधिक बच्चे स्कूल जाए। बीच में पढ़ाई न छोड़े इसके लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। यह कार्य सभी राज्यों में किया जाना चाहिए।

श्री ए० ई० टी० बैरो (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : उपाध्यक्ष महोदय, अपना नाम बुलाए जाने की प्रतीक्षा में मुझे शैक्सपीयर के नाटक "एज यू लाइक इट" के यह शब्द याद आ गए :

"समय विभिन्न व्यक्तियों के साथ विभिन्न गति से बीतता है। मैं आपको बताऊंगा। कि किसके साथ समय धीरे-धीरे बीतता है, किसके साथ समय दुलकी चाल से बीतता है, किसके साथ समय सरपट दौड़ता है और किसके साथ समय पूर्णतः रुक जाता है।"

जो सदस्य अपना नाम पुकारे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है इसके लिए स्थिर हो जाता है

तथा जो सदस्य बोल रहा है उसके लिए समय बहुत तेजी से बीतता है। इस प्रकार जब मैं बोलूंगा तो समय बहुत तेजी से बीतेगा अतः मैं अपने विषय पर सीधे ही बोलूंगा।

मैंने तीन कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे लेकिन इनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य चालन के बारे में है। मैंने एक केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई आलोचना के आधार पर यह टिप्पणी की है, इसका फैसला 13 अगस्त' 1987 को दिया गया था मैं इस फैसले में से उद्धत कर रहा हूं।

> "भारत के संविधान ने उच्च शिक्षा की संस्थाओं में तालमेल रखने तथा स्तर निर्धारित करने के लिए संसद को विशिष्ट अधिकार दे रखा है। संसद ने इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम बनाया है। इसलिए देश के शैक्षिक जीवन निर्माण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। विश्वविद्यालय में एक उच्च स्तर कायम रखने के अपने कर्त्तव्य में यह अस्थिर अथवा असफल नहीं होगा। यह अपेक्षा की जाती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करेगा तथा विश्वविद्यालयों के शैक्षिक जीवन में आवश्यक कायाकल्प करने में और अधिक भूमिका अदा करेगा।"

यह हमारी इस विशिष्ट शैक्षणिक स्तर निर्धारक संस्था जिस पर स्तर को बनाए रखने तथा समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी दे के विरुद्ध सख्त आरोप हैं।

विख्यात शिक्षा शास्त्री डा० अमरीक सिंह ने यू० जी० सी० (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शैक्षिक दृष्टि से अपूर्ण संस्था कहा है। मैं संक्षेप में वह भूमिका बताता हूं जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था।

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा का समीक्षात्मक सर्वेक्षण करने के लिए 1986 में एक समिति का गठन किया था। इस उच्च शिक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधान बनाया गया तथा राज्य में उच्च शिक्षा पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य ने उच्च शिक्षा का राज्य स्तर पर एक आयुक्त कार्यालय का गठन किया। उस्मानियाँ अध्यापक संघ ने इस विधान को इस आधार पर चुनौती दी कि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का दूसरा रूप है आन्ध्र प्रदेश अधिनियम की वैधता को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सही ठहराया। इसके विरुद्ध अपील करने सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की विधार्थी क्षमता से परे बताते हुए इस अधिनियम को रद्द करते हुए अमान्य करार दिया। सर्वोउच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की? इसने कहा कि उच्च शिक्षा के बारे में उच्च शक्ति समिति द्वारा बताई गई त्रुटियाँ तथा कमियाँ विद्यमान रह सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि ऐसे विकार केवल आन्ध्र प्रदेश राज्य ही उच्च शिक्षा में हों। कुछ अन्य रज्यों में भी ये त्रुटियां आम बात हो सकती हैं।

इस फैसले के परिणाम स्वरूप मैं कहूंगा कि हम काल्पनिक स्थिति में पहुंच गये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्य नहीं कर रहा है और जहां राज्य सरकार कार्यवाही करना चाहती है और वह ऐसा नहीं कर पाती तो इसका समाधान क्या है?

इसके अलावा वस्तुतः सभी राज्यों में निम्न स्तर के कालेजों की अनियमित रूप से स्थापना से स्तरों में गिरावट आ रही है ये कालेज हमारे विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक कार्य यह है कि वह कालेजों की स्थापना से सम्बन्धित शर्तों नियमों तथा आवश्यक-

ताओं को निर्धारित करे। अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया है। यह राष्ट्रीय चिन्ता का एक गम्भीर मामला है। एक बार किसी भी तरह से जब कालेज स्थापित हो जाते है मैं नहीं जानता कि दबाव डालकर या अन्य तरीके से, वे सम्बद्ध हो जाते हैं। एक बार सम्बद्ध हो जाने के बाद, क्योंकि वे घटिया स्तर के कालेज है अतः हमारा शिक्षा का स्तर गिर जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम को परित हुए 35 या इससे अधिक वर्ष बीत चुके हैं। अब भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ब्रिटेन में अपने प्रतिरूप से भिन्न है। वहां पर इसका मुख्य कार्य उच्च शिक्षा के लिए धन राशि की व्यवस्था करना है। भारत में, जैसा कि हमारे संविधान में कहा गया है हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्राथमिक कार्य स्तरों को बनाए रखने तथा उनमें तालमेल रखना है। यू० जी० सी० का गौण अथवा छोटा कार्य एक डाक घर के रूप में, धनराशियों को वितरित करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करना है। लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वितरण के लिए धनराशि देने का उद्देश्य यही है कि उच्च स्तरों को बनाए रखने तथा उनमें तालमेल रखने में यह सक्षम हो सके। ऐसा नहीं हुआ है। और मैं समझता हूं कि एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन होना चाहिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य देखे तथा यह देखे कि स्तरों को बनाए रखने तथा तालमेल स्थापित करने के अपने प्राथमिक उद्देश्य में क्या यह असफल रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी उच्च शिक्षा की राज्य परिषदें गठित करने का प्रावधान है। इनका उद्देश्य यह है कि वे उच्च शिक्षा के कार्यक्रम तैयार करे, विकास कार्यक्रमों की समीक्षा तथा निगरानी करें तथा इनमें महत्वपूर्ण यह कार्य करें कि उच्च शिक्षा की संस्थाओं के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करें। महोदय मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय सभा को बताएं कि उच्च शिक्षा की इन परिषदों के गठन के लिए क्या उपाए किये गए हैं।

ये परिषदें कार्य करना कब प्रारम्भ करेगी ? विश्वविद्यालय अनदान आयोग तथा उच्च शिक्षा की ये परिषदें ऐसी संस्थाएं होगी जो उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट तथा घटिया स्तर के कालेजों की अत्यधिक उत्पत्ति को रोकने में समर्थ होगी। इसके अलावा कार्य योजना में एक बात यह है कि "व्यवस्था को कारगर बनाना" जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण तथा अच्छा लगने वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवस्था शीर्षक है। में अनुशासन लाने की आवश्यकता का उल्लेख किया शीर्षक गया है मैं सिर्फ छः शब्द उद्धत कर रहा हूं : "यहां और अब विद्यमान परिस्थितियों में" मैं जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक अनुशासन-हीनता की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन दसवीं कक्षा के एक लड़के द्वारा हमारे एक अखबार को लिखे गए पत्र में से मैं उद्धत करना चाहूंगा। वह कहता है :

> "एक मैं नहीं जानता कि देश किस दिशा में जा रहा है। चिकित्सक, हड़ताल पर हैं, अध्यापक हड़ताल पर हैं, परिवहन कर्मी हड़ताल पर हैं किसान हड़ताल पर हैं तथा यहां तक कि वकील भी हड़ताल पर हैं।"

एक माननीय सदस्य : न्यायाधीश भी।

श्री ए० ई० टी० बैरो : ठीक है, इस बच्चे ने यह नहीं कहा।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : नर्सें भी।

श्री ए० ई० टी० बैरो : महोदय, हर कोई हड़ताल पर है।

श्री पी० वी० नर सिंह राव : आप मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो मुक्त भोगी हूं।

श्री ए० ई० टी० बैरो : महोदय, मैं जानता हूं कि आपने आपने सामना किया था। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं गलत नहीं हूं, अखबारों में यह छपा था कि कांग्रेस पार्टी की बैठक में यह मांग की गयी थी कि हड़तालों पर रोक लगा दी जानी चाहिए। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। सेवाओं से सम्बन्धित प्रत्येक संगठन में हड़तालों पर रोक लगनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : उत्पादन के क्षेत्र में थी।

श्री ए० ई० टी० बैरो : मैं सेवाओं से सम्बन्धित संगठनों की बात कर रहा हूं जैसे अस्पताल, स्कूल, कालेज, अनुसंधान सस्थाएं अर्थात् कोई भी संगठन जो समाज की सेवा में कुछ न कुछ कर रहा है। "अस्पताल और अन्त संस्था (कर्मचारियों की शिकायतों का प्रतितोषण) विधेयक 1987" नामक एक विधेयक श्रम मंत्रालय ने दिसम्बर में प्रस्तुत किया था। उस विधेयक में एक खण्ड 8.1 (क) है जिसमें हड़तालों अथवा कार्य में ढिलाई अथवा एक विवाद के दौरान या शिकायत के निवारण होने तक नियमानुसार कार्य करने पर रोक लगाई गयी है। लेकिन मैं इससे भी आगे जाकर यह कहता हूं कि इन संस्थाओं में हड़तालों पर एक दम रोक लगा देनी चाहिए।

शिकायतों के निवारण के लिए आप अपनी व्यवस्था कीजिए। जैसे ही कोई शिकायतें हों तो इन्हें सही तन्त्र के पास भेजा जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि लोग हड़ताल पर जाना चाहते है इस वजह से संस्थाओं का कार्य में बाधा; रुकावट नहीं आनी चाहिए।

अन्य सदस्यों ने गत वर्ष की अध्यापकों की हड़ताल का उल्लेख किया है। मुझे खुशी है कि मंत्रालय ने उसका सामना किया। मैं समझता हूं कि यह गैर-पेशे पर है। मैं स्कूल अध्यापक रहा था और सम्भवतः काफी पहले की पीढ़ी का था। लेकिन मैं नहीं समझता कि अध्यापन को एक व्यवसाय समझने वाले एक हड़ताल पर जाने के बारे में सोचना चाहिए और यदि अध्यापक इसे व्यवसाय नहीं समझते हैं तब उन्हें हड़ताल पर जाने से अवश्य ही रोका जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यू० जी० सी० तथा राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोगों को भी कहा गया था कि वे शैक्षिक संस्थाओं के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए नियम तय करें। इन सुझाए गए नियमों में एक वर्ष में अध्यापन के कार्य दिवसों की संख्या का निर्धारण करना भी सम्मिलित है। हमारे कालेज आमतौर पर बगैर हड़ताल के 80 से 140 दिनों तक कार्य करते हैं। एक कालेज अथवा विश्वविद्यालय में क्या काम किया जा सकता है? फिर नियमतः परीक्षाएं तथा परिणामों की घोषणा भी होनी चाहिए।

कुछ दिनों पहले मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि दिल्ली में प्रायोगिक परीक्षाओं को स्थगित किया जा सकता है क्योंकि कुछ अनुभाग हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। परीक्षाओं का स्थगत जारी है। यह हमारे विश्वविद्यालय कालेजों में महामारी का रूप ले चुकी है। यह कुछ नियम थे, जो

इन संस्थाओं को लागू करने के लिए कहा गया था। इन कमेटियों की कहा गया था मैं कार्यक्रम क्रियान्वयन में से उद्धृत कर रहा हूं यह मात्र मंत्री महोदय को याद दिलाने के लिए है। मुझे मालूम है कि मंत्री महोदय को यह जबानी याद है :—

"कार्य पद्धति को असरदार बनाने के लिए निष्पादन (जांच) के नियमों का निर्धारण करना"

इसी के साथ मैंने शुरूआत की थी, "पद्धति को कार्यशील बनाना" और यह कमेटियां इस बात की नियमित रूप से सुनिश्चित करेंगी, कि शुरूआत के क्षणों में प्रत्येक तिमाही में एक बार, किस हद तक विभिन्न मापदण्ड लागू किये जा सके हैं।" यहाँ अतिरिक्त वित्त की जरूरत नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह नियम लागू किये जा चुके हैं और क्या इनके निष्पादन पर नजर रखी जा रही हैं। "महोदय मुझे इस बात की चिंता है कि प्रारम्भिक अवस्था में ही नई शिक्षा पद्धति वित्तीय रूप से कष्टकारक लम्बे घबड़ाहट पैदा करने वाले छटपटाहट संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। धन की कमी तथा गलत योजना के कारण इस लम्बे और कष्टकारक संघर्ष के बाद जो उभर कर आए वह शायद गंदा पंतगा हो न कि खुशबू भरी तितली जिसका कि राष्ट्र ने सपना देखा था। मैं समझता हूं कि योजना खराब रही है।

महोदय, अन्त में मैं इजरायल के विरुद्ध डेविस कप मैच में शामिल न होने के हमारे दृष्टिकोण से बहुत चिंतित हूं। डा० नारायणन ने कहा कि यह हमारा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण है लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम इजरायल के विरुद्ध खेलेंगे बशर्ते यह इजरायल की भूमि पर न हों। मंत्री महोदय जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आर्किमिडीसक सिद्धान्त बहुत स्पष्ट है क्योंकि यह पानी के हटाव के बारे में है लेकिन हमारी टीम की हटाने में यह कौन-सा सिद्धान्त जुड़ा हुआ है कि क्योंकि यह इजरायली भूमि पर है। मैं जो महसूस करता हूं वह यह है कि हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। हम किसी भी ऐसे खेल में या मैच में भाग न लें जिसमें इजरायल भाग ले रहा हों। इसके अलावा मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि शुरू से ऐसी नीति बना दी जानी चाहिए जिससे आखिरी क्षणों में हमारी टीमों को ऐसी प्रतियोगिता से नाम वापिस न लेना पड़े। राष्ट्र शर्मिंदा महसूस करता है। इस पर जल्द ही फैसला लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष जी, छः साल शिक्षा के सम्बन्ध में सुनने के बाद, 7 साल सुनाने के बाद, आठवां साल पुनः सुनाने चला हूं और इन 13-14 साल के दरम्यान मैं इन बातों को सुनाता आया हूं। आज भी जब उठा हूं तो लगता है कि घूम फिरकर हम वहीं पर हैं जहां आज से 15 साल पहले थे।

नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति के सम्बन्ध में यदा-कदा गांव घर में लोग पूछा करते हैं कि नई शिक्षा नीति में है क्या ? मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस नई शिक्षा नीति को बनाने के लिए आपने करीब 5 लाख लोगों से सलाह मशवरा किया है।

उसको इस देश के 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से आपको एक एपरेटस इन्वाल्व करने की जरूरत है जिससे वे इस बात को समझें कि नयी शिक्षा नीति है क्या। वे कहते हैं कि पुरानी शिक्षा नीति के तहत जो भी शिक्षा दी गई वह भी बहुत खराब नहीं थी। उसी पुरानी

शिक्षा नीति के तहत जो लोग पढ़कर आए थे उन्हीं लोगों ने, हिन्दुस्तान के उन वैज्ञानिकों ने विश्व में, चाहे वह परमाणु शक्ति का क्षेत्र हो, चाहे हेवी-वाटर बनाने का सन्यत्र हो, या न्यूक्लियर-मिनरल डेवलप करने का साधन हो या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की तैयारी करनी हो, या अंटार्कटिका में रिसर्च करने की बात हो, या समुद्र की तलहट से, समुद्र की गहराई से मिनरल-नोड्यूल्स खोदने की बात हो, हम गर्व के साथ अपना सिर उठाकर कह सकते हैं कि विश्व में इस समय जो 5-6 सम्पन्न और प्रतिभाशाली देश हैं उनमें भारत भी वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी के मामले में एक ऊंचा स्थान रखता है। चाहे वह बायो टेक्नोलोजी का क्षेत्र हो, प्लान्ट टिश्यु की बात जब हम उठाते हैं, एनिमल टिश्यु कल्चर की बात उठाते हैं, एलेक्टानिक्स की बात उठाते हैं, इन तमाम चीजों के बाद चाहें वह कम्प्यूटर का क्षेत्र हो या क्षेत्र हो आप्टिक्स का या मैगनेटिक्स का, सैटेलाइट बनाने का कौन-सा ऐसा क्षेत्र हैं जहां हम पीछे हैं? इनको बनाने वाले जो भी लोग हैं वे इस नयी शिक्षा नीति के बनने के पहले जो शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, उसमें ही पढ़े हुए लोग हैं और उन्हीं लोगों ने आज हमें यहां पर लाकर रखा है। तो नयी शिक्षा नीति में कौन सी नयी बात आ जाती है और नए जो होराइजन्स हैं, हमारे नए जो शिक्षा के क्षेत्र हैं उसमें अगर हम एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आज गहराई से हमें सोच का होगा कि हम किस प्रकार के कदम उठावें जो आम नागरिकों को सम्मान की जिन्दगी जीने के लिए, सुखमय जिन्दगी जीने के लिए तैयार करें। यही हमारी नयी शिक्षा नीति है।

राव साहब, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जहां तक डिफेन्स प्रिपेयर्डनेस का सवाल है, सोनार्स और राडार्स डेवलप करने की बात है, पायलटलेस टार्गेट हिटिंग का सवाल है, या इन्टर कांटिनेन्टल बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात है या सर्फेस-टु-सर्फेस मिसाइल्स की बात है या पनडुब्बी-जहाज में सोनार्स और राडार्स लगाने की बात है, हमारे डिफेन्स की रिसर्च लेबार्टरीज में तथा देश के अन्य प्रयोगशालाओं में जो काम हो रहा है, वह उच्चकोटि का है। हमारे देश की सीमा तो सुरक्षित है लेकिन देश के अन्दर आम नागरिकों के बीच में हमारी जो सम्मानपूर्वक जिन्दगी जीने क्षमता है उस क्षमता को कैसे बरकरार रख सकें और कैसे आगे की ओर बढ़ावें—मैं समझता हूं यही नयी शिक्षा नीति का परम उद्देश्य बना कर आपने रखा है। उसमें आपने टेक्नोलोजी ट्रांसफर की बात और अन्य आस्पेक्ट की बात की है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने जिस ढंग से इस संरचना का आयाम तैयार किया है उसमें एग्रीकल्चर, एग्रोनोमी, एनिमल हस्बेंडरी, टेक्नोलोजी डेवलपमेन्ट, स्वायल एण्ड वाटर मैनेजमेन्ट—ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आप शिक्षा से सीधा सम्बन्धित कीजिए तो नयी शिक्षा नीति का निश्चित रूप से एक इम्पैक्ट पड़ेगा। आज नान-कन्वेंशनल एनर्जी डिपार्टमेंट्स की तरफ जब हम देखते हैं, उसका जो होराइजन है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि नयी शिक्षा नीति में बायो-पास, बायो-गैस, सोलर एनर्जी, इम्प्रूव्ड चूल्हे के सम्बन्ध में भी कहीं न कहीं उसका स्थान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए ऐसी चीजों को जब तक आमने नहीं लायेंगे तो लोग कहेंगे कि नयी शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति में कोई अन्तर नहीं है।

एक निवेदन और कर दूं। खासकर विरोधी दल के लोग 1971-72 के पहले या 1975 के पहले नारे लगाते थे, दीवालों पर मोटा-मोटा लिखा करते थे कि शिक्षा नीति बदल दो, नयी शिक्षा नीति लाओ, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करो। जब हमने इस देश के 5 लाख प्रबुद्ध लोगों के साथ सलाह-मशविरा किया और प्रबुद्धता के साथ उन लोगों ने एक नीति बनाई तब वे कहते हैं कि यही शिक्षा नीति निकम्मी है, बेकार है, इसको बन्द करो तो खास बात समझ में नहीं आती है कि हम

क्या करें । इसलिए विरोधी दलों से मैं निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूं कि भारत सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, भारत के प्रधान मन्त्री की जो नीयत है और जो नीति है, उसको वे परखने की कोशिश करें और अगर उसमें कोई खामी है तो निश्चित रूप से उस पर आप चोट कीजिए ।

3.00 म० प०

कार्यान्वयन में खामी होना एक बात है और राष्ट्रीय नेतृत्व की नीति में परिवर्तन होना या उसके उद्देश्य या ध्येय में परिवर्तन होना एक दूसरी बात है । इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी नीति और नीयत साफ है । इसके इम्पलीमेंटेशन में अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो, तो निश्चित रूप से उसके बारे में कहिये क्योंकि मशीन का दोष है, मशीन तैयार करने वाले का दोष नहीं है, उसको चलाने वाला व्यक्ति जो होता है, ग्रासरूट लेविल पर जो इम्पलीमैंट करता है, उन तमाम लोगों को टाइट करने की आवश्यकता है और मैं कहता हूं कि उसको टाईट करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है । शिक्षा का थ्रस्ट क्या है :

(एक) सातवीं योजना में शिक्षा के जिन क्षेत्रों पर जोर दिया जाता है वह इस प्रकार है :

(दो) सर्वव्यापी प्रारम्भिक शिक्षा ।

(तीन) 15-35 साल के लोगों में अशिक्षा को समाप्त करना । शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक व कुशलता प्रशिक्षण कार्यक्रम का दिया जाना ।

(चार) शिक्षा के सभी स्तरों पर उसका स्तर सुधारना और आधुनिक बताकर कार्य के क्षेत्र के साथ मजबूत सम्बन्ध स्थापित करना और विज्ञान और पर्यावरण और मूल्यगत सिद्धान्तों का विकास करना ।

मैं समझता हूं कि किसी भी विरोधी दल के किसी सदस्य के मन में इससे दुराव नहीं होना चाहिए । इस बात का मानकर चलिए कि नई राष्ट्रीय नीति एक राष्ट्रीय संकल्प है और वह संकल्प किस लिए है । वह संकल्प है ऐसे मजबूत और सुदृढ़ भारत के लिए जिसको हमारे प्रधान मन्त्री जी ने एक जगह कहा है :

"नई शिक्षा नीति एक राष्ट्रीय संकल्प है, देश की एकता और अखण्डता के लिए, समृद्धि और विकास के लिए, विज्ञान और टैक्नोलोजी से लैस मजबूत भारत के लिए"

मैं समझता हूं कि कोई ऐसा शब्द देश के नेतृत्व ने, देश के नेता नेता ने नहीं कहा जिससे आपको मतभेद होगा । अब ये ही चार शब्द हैं, राष्ट्रीय अखण्डता, एकता, समृद्धि, विकास और टेक्नोलोजी से लेस मजबूत भारत । मजबूत भारत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति को असली जामा पहनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए विरोधी दल और सत्ता पक्ष दोनों को मिल-जुलकर बैठना होगा और गंभीरता से इसके बारे में सोचना होगा ।

नवोदय विद्यालयों की बात उठती है । तमिलनाडू की राजनीति से थोड़ा-सा मेरा सम्बन्ध रहा है । कुछ लोग, जो तमिलनाडू के हमारे मित्र हैं, हिन्दी को बहाना बनाकर कहते हैं कि उन्हें नवोदय विद्यालय नहीं चाहिएं । नवोदय विद्यालय की जब परिभाषा आप देखेंगे, तो पायेंगे, कि उसमें यह कहा गया है :

[अनुवाद]

"भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों की ओर ध्यान बिना अच्छे किस्म की आधुनिक शिक्षा जिसमें संस्कृति, मूल्यों की जानकारी, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक कार्य तथा शारीरिक शिक्षा शामिल हो, प्रदान करने के उद्देश्य से देश के प्रत्येक जिले में औसत रूप से एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना आरम्भ की है।"

[हिन्दी]

यही नवोदय विद्यालय का उद्देश्य है। अब नवोदय विद्यालय की स्थापना में कहीं कोई गलती हो गई हो, तो उसको सुधारना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि नवोदय विद्यालय की स्थापना में माननीय मन्त्री जी हड़बड़ी न करके थोड़ा धीरे-धीरे चलें, तो कोई हर्ज नहीं है। शिक्षा मन्त्री की हैसियत से मैंने जो अनुभव किया है और देखा है, वह यह है कि विद्यालय बनाने से पहले आप शिक्षक देना लीजिए। अगर आप शिक्षक नहीं बनायेंगे, तो पांच करोड़ या चार करोड़ नवोदय विद्यालय पर लगा देंगे, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। हर जगह चाहे सैन्ट्रल स्कूल हो या नवोदय विद्यालय हो या कोई पब्लिक स्कूल हो, तो वह हैड-मास्टर पर चलता है। हैड-मास्टर की क्या कैपेबिलिटी है, उस पर नहीं चलता है, सीनियेरिटी पर नहीं चलता है बल्कि जो उसकी आऊटलुक है, जो उसके विचार हैं, उन पर चलता है। नवोदय विद्यालयों में कुछ हड़बड़ी हुई है और मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सारा का सारा पैसा इसमें दिया जा रहा है, तो आपके जो कैम्पस हैं, आई० आई० टी० के कैम्पस हैं, नेशनल लेबोरेटरीज के कैम्पस हैं, सैन्ट्रल स्कूल के कैम्पस हैं और बहुत सारे कारखानों के कैम्पस हैं और उन कैम्पस में आप नवोदय विद्यालय खोलिए और उनका फुल कन्ट्रोल अपने पास रखिये। और वहां पर उन गरीब लड़कों और उन गरीब बच्चों को, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाने की कोशिश कीजिए।

नवोदय विद्यालय में अधिकतर बंगलिंग होती है। मैं तो इतना तक कहूंगा कि नवोदय विद्यालय में एडमीशन में आप वोटर लिस्ट को प्राथमिकता दीजिए। उसमें आप यह देखिये कि पांच साल पहले बच्चे के माता-पिता किस ब्लाक में, किस गांव में थे। यह आप वोटर लिस्ट से पता लगाइये कि वह ग्रामीण है या शहरी आदमी है। क्या होता है कि शहरी लोग अपने पुराने गांव का नाम दे देते हैं, बेकवर्ड एरिया का अपने को बता देते हैं और नवोदय विद्यालय में चले जाते हैं। इस तरह की चतुराई करते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वहां की प्राथमिक पाठशाला में जो तीन साल तक न पढ़ा हो, उसको एडमीशन नहीं मिलता।

श्री डी० पी० यादव : प्राथमिक पाठशाला का सर्टिफिकेट किस ढंग से दिया जाता है, माननीय मन्त्री जी इसमें जाने की कोशिश कीजिए। मैंने निवेदन कर दिया।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह देखने की बात हो सकती है।

श्री डी० पी० यादव : इन सारे विषयों को एग्जामिन किया जाए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हो सकता है आप अपने अनुभव से कह रहे हों।

श्री डी० पी० यादव : मुझे तो देश के एक कोने, बिहार का अनुभव है, उत्तर प्रदेश का मेरा अनुभव नहीं है।

एक प्रकार से नवोदय विद्यालय की नीति में कोई खामी नहीं है, नीयत में कोई खामी नहीं है।

वोकेशनल एजूकेशन के सम्बन्ध में मैंने पिछले साल भी कहा था, इसके बारे में मैं फिर कहना चाहता हूं। इसको जब तक आप ग्रामीण जीवन से नहीं जोड़ियेगा तब तक आप केवल किताब से या किट लगाकर काम नहीं कर सकते हैं। जहां तक प्रोविजन आफ एकेडेमिक सपोर्ट बाईद एन० सी० आर० टी० और सेटिंग अप आफ स्टेट काऊंसिल की बात है, यह अपनी जगह पर ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस जगह पर मैं यह कहता हूं कि आप पांच लाख शिक्षकों को जो जल्दी ओरिएन्टेशन देने का कार्यक्रम चला रहे हैं, इसमें आप कुछ बहुत अधिक ठोस और मौलिक चीज नहीं पा सकेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट भले हो जाएगा, इनपुट ज्यादा नहीं होगा। लिहाजा पांच साल के बजाए इसमें दस साल भी लग जाएं लेकिन कोर्सिज, करीकुलम, डिजाईन वगैरह: प्रोलिफिरेट होने चाहिए जिससे कि निश्चित रूप से इसका असर पड़े।

जहां तक एजूकेशनल टेक्नोलोजी का सवाल है, आपने 22,500 सेकेंडरी स्कूलों को चुना है। आप उन्हें 75 हजार रुपये का इक्विपमेंट देना चाहते हैं और 15 हजार रुपये नकद देना चाहते हैं। यह सब आप कीजिए, लेकिन यह याद रखियेगा कि 8-10 साल पहले तक हरेक हाई स्कूल में होता था उसमें बहुत धांधली होती थी इसलिए इक्विमेंट का स्टेंडर्ड क्वालिटी का जो साइंस मैटीरियल सप्लाई होना चाहिए। जो स्टेंडर्ड इक्विपमेंट का सेन्ट्रल स्कूल ने अडोप्ट किया था उसी क्वालिटी का स्टेंडर्ड इक्विपमेंट होना चाहिए। उसका एक मापदंड बने जिससे कि वह आई० एस० क्वालिटी का हो सके तो अच्छा है, नहीं तो सप्लायर ऐसा हो जो इस बात का लाएबल हो कि जो चीज वह सप्लाई कर रहा हो यूनीफार्म स्टेंडर्ड की हो और आपके नये वैज्ञानिक अनुसंधान के मुताबिक हो।

अन्त में मैं एन० सी० ई० आर० टी० के बारे में कहना चाहता हूं कि इसे स्ट्रेंगदन करने की आवश्यकता आ पड़ी है। आप नये आयाम, नयी नीतियां अडोप्ट कर रहे हैं जिसमें आपको एन० सी० ई० आर टी० को अडोप्ट करना होगा।

एक चीज में और भी देख रहा हूं कि बहुत सारी चीजों को हम सेन्टर में चाहते हैं कि हम अपने आप से करें। उसके कुछ दुष्परिणाम भी हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो राज्य का विषय है, जिसको राज्य को करना है, उसमें थोड़ा राज्य पर ही छोड़ दिया जाए इसलिए कि अंत में यह देखने में आयेगा कि राज्य कहेगा कि सेन्टर ने यह कमीशन बनाया था, इसलिए सेन्टर उसको यूनीफार्म करें। इस पर थोड़ा तवज्जो देने की आवश्यकता है। रिस्पासिबिलटी डिवाईड कर के उन लोगों को भी देने की कोशिश कीजिए।

मैंने दिल्ली का जो वातावरण देखा है, दिल्ली के वातारण को आधार मान कर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को असली जामा नहीं पहनाया जा सकता। हर राज्य में और हर जिले के, हर ब्लाक

के अलग अलग फीचर्स हैं। अगर उन फीचर्स को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो जो बहुत बैकवर्ड इलाके हैं, उन सब जगहों पर दिल्ली वाला इंजेक्शन दिया जाएगा तो वे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी आब्जर्वेशन केपेसिटी है, केपेबिलिटी है, उसके मुताबिक डोज देना होगा, उनको धीरे-धीरे बिल्टअप करना होगा, तभी उनको लाभ मिल सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इसमांग का समर्थन करता हूं।

श्री बलन्वत सिंह रामूवालिया (संगरूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मानवीय मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। अभी पंजाब के गवर्नर श्री सिद्धार्थ शंकर रे ने एक चिट्ठी भी लिखी है और स्टेटमेंन्ट भी दिया है कि पंजब गवर्नमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी को मार दैन 45 परसेंन्ट बजट का पैसा देती है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी में दखल नहीं माना जाता। दखल होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सरकार की जो सजेशंस होती हैं, उनका नोटिस अवश्य लिया जाना चाहिए। जैसे रिक्रूमेंट के मामले में पंजाब यूनिवर्सिटी में कई बातों को नजर अंदाज किया गया है। इसी तरह से पंजाबी लैंग्वेज के विकास के मामले में पंजाब यूनिवर्सिटी हर साल बजट कम करती जा रही है। इसी तरह से पंजाब में तीन यूनिवर्सिटीज हैं, उनका सलेबस, केरीकुलम एक डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट में तब्दील होना होता है, इसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब गवर्नमेंट से कोई को आपरेशन नहीं कर रही है। इसलिए अंडर प्रेसीडेंट रूल गवर्नमेंट अगर कुछ सुझाव देती है तो उन पर नोटिस लिया जाना चाहिए।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ देशों में भ्रमण करने का मौका मिला है। दूसरे देशों में इंडियन पासपोर्टहोल्डर नौजवान हैं जो यहां से मैट्रिक पास करने के बाद चले गए हैं, उनको 4-5-6 साल हो गए हैं। अब वे यहां की किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, लेकिन उनको इसकी इजाजत नहीं दी जाती। आप कहेंगे कि कारसपोंडेंस कोर्स के जरिए वह कर सकता है, लेकिन बहुत से लोगों का स्टेंडर्ड बढ़ गया है और वे डायरेक्टली मैट्रिक के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते है। इसलिए ऐसा कोई तरीका अवश्य निकाला जाना चाहिए कि अगर विदेशों में रहने वाले भारतीय, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, वे हिन्दुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से 4-6 साल बाद मैट्रिक के बाद अगर ग्रेजुएशन करना चाहें तो कर सकें। किसी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए ताकि वे अपनी तालीम में सुधार कर सकें और डिग्री होल्डर बने सकें।

एक बात और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बारे में कहना चाहता हूं। इंस्टीट्यूशन के तमाम क्राइटेरिया पूरा करती हैं। इसको फुयफलेज्ड यूनिवर्सिटी बनाने की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है इसलिए मेरा अनुरोध है कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को फुल फलेज्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। कल भी और आज भी हमारे लरनेड साथियों ने इस बात पर जोर दिया है, इसको मान लिया जाना चाहिए।

आज देश में पब्लिक स्कूल एक शंहशाह का रूप लेते जा रहे हैं। उनका अपना सिस्टम है, अपना सलेबस है जो कि सरकार एजुकेशन पालिसी को बहुत जगह चैलेंज भी करते हैं। उनका

दाखिला देने का तारीका और अन्य चीजों में सरकार का जीरो परसेंट भी दखल नहीं है वे सरकार की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर वे इस देश का हिस्सा है और उन इंस्टच्यूशंस पर भी सरकार का कंट्रौल होना चाहिए।

इसके लिए चाहे सरकार को कोई नया बिल लाना पड़े, लेकिन इस तरह का प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए। पब्लिक स्कूल्स का पूरी तरह से आटोनामस बाडी की तरह वर्क करने का जो सिस्टम है, इस पर जरूर कन्ट्रोल होना चाहिए। किसको अपाइन्टमेंट देना है, किसको निकालना है, सुबह नौकरी दी और शाम को निकाल दिया तथा बच्चों के दाखिले में, हर जगह वे मनमानी करते हैं। इसलिए इन पब्लिक स्कूलों पर कन्ट्रोल करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। कैपीटेशन फीस के बारे में भी बताना चाहूंगा। जो वोकेशनल या प्रोफेशनल इन्स्टीच्युशन्स हैं वे एम० बी० बी० एस० और इंजीनियरिंग के दाखिले में आज एक स्टूडेन्ट से दो-दो लाख रुपये तक लेते हैं। बहुत-सी स्टेट्स में ऐसा होता है। यह पैसा कहां जाता है और कितना अमाउन्ट आपने लीगेलाइज किया है। इस पैसे को कहा जमा करते हैं और कैसे खर्च करते हैं। यह सारा सिस्टम बिल्कुल पैरेलल इकोनोमी की तरह चल रहा है। इससे जो योग्य व्यक्ति हैं उनका हक छीना जाता है। एक माननीय मित्र ने कहा कि किसी राज्य ने कहा है उन्हें नवोद्य विद्यालय नहीं चाहिए। किसी राज्य के एम० पी० ने अपने वातावरण के मुताबिक कहा होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पंजाब में नवोद्य विद्यालय दुगुने कर दिए जाए, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : उपाध्यक्ष जी, मैं मिनिस्ट्री आफ ह्यूमन रिसोर्स डबलपमेंट की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं और ऐसा करते समय मैं माननीय मंत्री जी को, उनके मंत्रालय को और उनके अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा कि नेशनल एजुकेशन पालिसी के अन्तर्गत यह पहला मौका है जबकि एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्टस, यूथ, विमेन और चिल्ड्रन्स के डवलपमेंट की चौमुखी योजनाएं कोआर्डिनेटेड एफर्ट के रूप में हमारे सामने देखने में आती है। उनके जब नामों और कार्यक्रमों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के वे शब्द याद आते हैं जो सेवन्थ प्लान के फोरवर्ड में उन्होंने लिखे थे :

[अनुवाद]

"अन्तिम निष्कर्ष में विकास का आशा मात्र फॅक्टरियों बांधों और सड़कों के विकास से नहीं है इसका आशय लोगों के विकास से है मानवीय कारक, मानवीय सम्बन्ध सर्वोच्च महत्व के है। महत्व के है। हमें इन बातो पर भविष्य मे अधिक ध्यान देना चाहिए।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, समय बहुत कम है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाउगा। लेकिन मांगों के अन्दर हमें देखने को मिलता है कि साइंस, एनवायरनमेंन्ट, वोकेशनल एजुकेशन क्वालिटी आफ

टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में यकीनन् हमारे शिक्षा मंत्रालय के इतिहास में एक नया मोड़ है और नयी दिशा की ओर इशारा करता है नवोदय विद्यालय के बारे में जो कहा गया है, मुझे आश्चर्य हुआ है मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय सदियों से फैले हुए अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर आए हैं जिनका अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को होगा जो सदियों रोशनी किरण के लिए और तालम की किरण के लिए तडफ तड़फ रहे थे । इसका अधिक लाभ उन्हें मिल पायेगा। इसके लिए मंत्रालय पूरी तरह बधाई का पात्र है ।

इसी तरह एडल्ट एजुकेशन के लिए जो नेशनल लिट्रेसी प्रोग्राम में टैक्नोलो जी मिशन आपने बताया है, उसकी भी हम जितनी तारीफ और सराहना करें, वह कम है और यह भी हमारे इतिहास में एक तारीखी मोड़ है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्रालय सारी योजना को रीजनल लैंग्वेजेद में, मुकामी जुबान में तर्जुमा करवाकर बटवाएं और जो डिमान्स्ट्रेशन बड़े-बड़े केन्द्रों में तथा शहरों में किया जा रहा है, वह डिमान्स्ट्रेशन डिस्ट्रीक्ट लेवल तथा पंचायत लेवल पर किया जाए ताकि वालेन्टरी संस्थाएं आगे आए और इस काम में सरकार की पूरी-पूरी मदद करें ।

इसी तरह आपने डीलिंकिग आफ डिग्रीज फ्राम जाब्स नेशनल सिस्टम सर्विस की कल्पना की है जो बात कही है वह भी ऐतिहासिक बात है । उनके लिए भी लोग पूरी तरह बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसको इम्पलीमेंट कराने के लिए जो ट्रेंड सर्सन की जरूरत है उसकी शायद पूरी संख्या आपके पास नहीं है ; न ही प्रान्तों में है, आप कोशिश कीजिए कि यह संख्या मिल सके। जिससे आपका उद्देश्य जल्दी पूरा हो सके। प्राइमरी एजुकेशन की बात आपने कही है और आपने यह घोषणा की है कि 100 प्रतिशत आप कवरेज करने की कौशिश करेंगे, लेकिन खेद की बात है कि चालीस साल पहले जो वायदा हमने किया था, जो शपथ ली थी प्राइमरी एजुकेशन जरूरी होगा इस देश के हर बच्चे के लिए, संविधान में इसकी गारण्टी दी गई थी । उसको आप पूरा नहीं कर पाये हैं।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हमने कहा हम दस में इसे प्राप्त कर लेंगे ।

श्री अजीज कुरेशी : आप संविधान के निर्माताओं में से एक हैं।

[हिन्दी]

मैं चाहूंगा इस ओर ध्यान दिया जाए और वह ख्वाब जो अधूरा है, नामुकम्मल है उसको पूरा करने की जल्दी कोशिश की जाये आपने स्कूल और कालेज के शिक्षकों की बात कही है । उनको नये स्केल दिये हैं, नयी सुविधायें दी हैं, नयी सर्विस कन्डीशंस दी हैं, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। खास तौर से पिछले वर्ष जो हड़ताल की गई, एक वर्ग के द्वारा राष्ट्रीय नुकसान किया गया जो हमारा मंत्रालय है और मंत्री जी हैं उन्होंने जो रोल अदा किया उससे निपटने में मैं उसकी सराहना करता हूं। उन्होंने अच्छी तरह से उसे डील कर मामले को निपटाया। डी० पी० चटोपाध्याय कमीशन बनाया गया था। संसद के दोनों सदनों ने उसको स्वीकार किया था । उसकी रिपोर्ट आ गई है उस रिपोर्ट में जो यूनिफार्म पे स्ट्रक्चर एण्ड सर्विस कन्डीशंस की बात है। हमारे स्कूल के लिए जो अध्यापक हैं उनके लिए क्यों नहीं अमल किया जा रहा है । मैं चाहूंगा इस ओर सरकार ध्यान दे । इस पर तुरन्त अमल कराया जाये ।

जहाँ तक कालेज और यूनिवर्सिटी के टीचर्स की बात है उनका समाज में सम्मान है, लेकिन स्कूल के टीचर्स समाज के अन्दर वह सम्मान प्राप्त नहीं है उनकी वह इज्जत नहीं है जो उनको मिलनी चाहिए थी। इस ओर भी मैं चाहूंगा आपका मंत्रालय और मंत्रीजी आपका ध्यान जाये। अब मैं आपकी वार्षिक रिपोर्ट के बारे में कहना चहूंगा। उसके पेज 38 पर अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्षिटी का जिक्र लिया है। यह ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी जिसकी चर्चा आपने स्वयं अपनी रिपोर्ट में की हैं, लेकिन खेद की बात है कि इन यूनिवर्सिटी काम का जिस तरह होना चाहिए वह नहीं हो रहा है इस संसद ने विश्वविद्यालय के लिए विशेष कानून पास किया। वह इसलिए पास किया कि इस मुल्क के बड़े समुदाय या बहुत बड़े अल्पमत कुछ उनकी मांगों के द्वारा मिल सके स्वर्गीय इन्दरा गांधी ने फौरन उसके लिए इस यूनिवर्सिटी के लिए एक खास कोर्ट की स्थापना की। लेकिन दुर्भाग्य की है कि वह कोर्ट एक डेड बाडी बन चुली हैं। उस कोर्ट के निर्णयों को अमल में नहीं लाया जा रहा है। वहां के वाइस चांसलरे और अधिकारियों के द्वारा इसकी अवहेलना की जा रही है। मैं चाहूंगा मंत्री जी यह देखें कि जो सेपरेटिस्ट टेंडिंसिस आ रही है वहां के वाइस चांसलर और अधिकारियों के द्वारा कश्मीर के नेता को बुलाया गया और उसने यह कहा कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है और जो भारत में कश्मीर का विलय हुआ है वह पूरा नहीं है इस पर दुबारा विचार किया जायेगा ऐसे नेता को वहां बुलाकर डीन आफ स्टूडेंटस बेलफेयर के द्वारा सम्मान किया गया। इसी तरह से कोर्ट ने जो फैसले किए पर अमल नहीं किया जा रहा है। जिसमें खास बता यह है कि दाखिले के अन्दर वाइस चांसलर का कौन सा अधिकार है कि केवल दिल्ली, यू० पी० और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनके अंग अपने आप बढ़ा दिये जाते हैं

बिहार या कुछ दूसरे राज्यों से जितने विद्यार्थी आते हैं, उनके मार्क्स अपने आप कम कर दिए जाते हैं। समझ में नहीं आता कि यह कौन सा न्याय है कौन इन्साफ है, कौन सा अधिकार है कि कुछ यूनिवर्सिटीज के मार्क्स आप बढ़ा दें और बाकी यूनिवर्सिटजी के मार्क्स आप कम करदें। मैं चाहूंगा कि कि मानवीय मंत्री जी इस अन्याय को अविलम्ब दूर कराने की कोशिश करें। साथ ही यूनिसिटीज के वाइस चांसलर को यह निर्देश देने का कष्ट करेंकि कार्ट के जो आदेश हैं, कोर्ट की जो अहमियत है, उस का वे मम्मान करे और पर पूरी तरह अमल करने का प्रयत्न करें।

इसी तरह आपकी रिपोर्ट के पृष्ठ 50 जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया है जामिया मिलिया के बारे में वैसे तो में पहले भी कई बार कह चुका हूं। और मेरे साथियों ने भी कहा है कि जमिया मिलिया वह संस्था है जो महात्मा गान्धी जी के नेतृत्व में इस लिए कायम की गयी थी ताकि मुस्लिम लीग द्वारा वहां फैलायी गयी साम्प्रदायिकता का मुकाबला किया जा सके और इन लोगों ने उसका मुकाबला भी किया, जिसका यह सबूत है कि स्वयं महात्मा गान्धी जी ने अपने पुत्र देवदास गान्धी को इस यूनिवर्सिटी में यह कह कर भेजा कि जाओ और एक टीचर की हैसियत से पढ़ाओ देवदास गान्धी ने केवल वहां जाकर पढ़ाया बल्कि जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो महात्मा गान्धी जी के आदेशों के अनुसार उसे जामिया मिलिया में ही दफनाया गया। वहां उनकी कब्र आज भी मोजूद है। यह इस बात का सबूत है कि महात्मा गान्धी जी ने जामिया मलिया को सारी साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक मोर्चे के रूप में बनाना चाहा था। आज यह दुर्भाग्य की बात है, खेद का विषय है कि जिस जामिया मिलिया को अब तक एक फुलफ्लेज्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान कर दिया जाना चाहिए था, वह आज तक नहीं किया गया जब कि उससे कम अहमित की अनेकों यूनिवर्सित को जो इतिहास, तारीख या कैम्पस आदि अनेक दृष्टियों

से जामिया इसे मिलिया से कम दर्जे की हैं उन्हें सम्पूर्ण यूनिवर्सिटी घोषित किया जा चुका है। इसके पीछे कौन से कारण हैं, वह मैं आज तक नही समझ सका। मैं मांग करता हूं कि जो संस्था इस मुल्क में सेक्यूलर आइडियल्स के लिए, फिरकापरस्ती से लड़ने लिए सदैव तत्तपर रही उसे तुरन्त फुलफलेज्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाए।

उपाध्यक्ष जी, अब मैं आपके माध्यम से थोड़ा कल्चरल एक्टीविटीज के बारे में कहना चाहूंगा। इस फील्ड में अब तक आपके मंत्रालय ने जितना कार्य किया है, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है परन्तु जैसी कल्चरल एक्टीविटी दिल्ली में होती है उनकी तुलना राज्यों से नहीं की जा सकती। यदि आप देखें तो स्टेटस कल्चरल एक्टीविटीज के नाम पर केन्द्रीय शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता अनुदान का खुला दुरुपयोग हो रहा है। मध्य प्रदेश की उर्दू एकाडेमी ने जो वहां के डिपार्टमेंट आफ कल्चर का एक हिस्सा है, स्व०प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी पर एक किताब छापी है, जिस पर दो लाख रुपया खर्च आया है। मैं चाहुंगा कि मानवीय मंत्री जी उस मामले की इंक्वायरी करा लें कि हिन्दुस्तान में कौन सा ऐसा प्रेस है, उसमें कौन सा मेंटीरियल लगा है कि एक हजार प्रतियां छपवाने पर दो लाख रुपये का खर्चा आया। मैं समझता हूं कि संसार के इतिहास में आपको ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा, इससे बड़ा घोर भ्रस्टाचार कहीं और दिखाई नहीं देगा।

अभी कुछ समय पहले फैस्टिवल आँफ यू० एस० एस० आर० इन इण्डिया और फैस्टिवल आँफ इण्डिया इन यू० एस० एस० आर आयोजित किए गए उसकी जितनी सराहना की जाए, कम है परन्तु उपाध्यक्ष जी, इस देश में कल्चरल एक्टीविटीज के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उसे तुरन्त रोका जाना आवश्यक है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि रूस की एक लड़की, जिसने एक भारतीय से शादी की है, बहुत अच्छी आर्टस्ट है परन्तु गढ़ी कोलोनी में दो सात तक इसे बिल्कुल काम नहीं करने दिया गया। इस बारे में मैंने मंत्री जी को लिखा मंत्रालय को भी लिखा परन्तु कुछ नहीं हुआ। बाद में मुझे बताया गया कि एक बड़े अधिकारी की धर्मपत्नी भी उसी तरह की आर्टिस्ट थीं उस काम को करती थीं और इसीलिए वे अधिकारी यह नहीं चाहते थे कि यह कम उस रूसी लड़की को सौंपा जाए। इस तरह प्रतिभावान कलाकारों के साथ जो संन्याय होता है, उसे तुरन्त रोका जाए, क्योंकि हमारे देश में कल्चर एक्टीविटीज चन्द पूंजीपतियों, ब्यूरोक्रेटस या उनकी पत्नियों या उनके परिवारो तक ही सीमित नहीं है। कल्चरल एक्टीविटीज का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे इस देश के लाखों-करोड़ों गरीब, मजदूर, किसानों का हित हो

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है।

श्री अजीत कुरेशी: मैं अगली बार इसे जारी रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं आप अपना भाषण जारी नहीं रख सकते, मैं आपको और अधिक समय नहीं दूंगा।

———

3.30 म० प०

संसदीय वेतन समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव : मैं राज्य सभा और लोक सभा सचिवालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वेतन ढांचे, भत्तों, छुट्टी तथा पेंशन लाभों के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए नियुक्त की गई संसद की समिति की सुख-सविधाओं, विशेष भत्तों और अन्य सामान्य मामलों(अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों सहित) सम्बन्धी दूसरे प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

————

3.31 म० प०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

50 वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषारानी तोमर (अलीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं —

"कि यह सभा 29 मार्च, 1988 को सभा में प्रस्तुत किये गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 50वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 29 मार्च, 1988 को सभा में प्रस्तुत दिये गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 50वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

————

3.32 म० प०

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में संकल्प

[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 18 मार्च, 1988 को प्रस्तुत किए गए केन्द्र-राज्य सम्बन्धों संबंधी संकल्प पर आगे चर्चा आरम्भ करेंगे।

इस संकल्प के प्रस्तावक श्री एच०एम० पटेल को अपना भाषण जारी रखना था। परन्तु चूंकि वह कहीं पर व्यस्त हो गए हैं अतः सदन उनके भाषण को समाप्त समझेगा। श्री शान्ताराम नायक।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में,—

'सभा' के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किये जायें :—

"कुछ राज्य सरकारों के कड़े रवैये, यहां तक कि केन्द्र को न के बराबर मानने के रवैये के कारण"......... (1)

कि संकल्प में,—

'स्वरूप' के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये :—

"तथा केन्द्र के प्रति राज्य सरकारों के रवैये" ....(2)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : कौन सा राज्य केन्द्र को न के बराबर समझता है ? मैं समझता हूं कि यह एक निरर्थक संशोधन है।

श्री शान्ताराम नायक : हमारे देश में जनतन्त्र की इस प्रक्रिया में एक अच्छा और आदर्श संघवाद स्थापित है। हमारे देश में, हमारे संविधान की विभिन्न अनुसूचियों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त विभिन्न राज्य और संघराज्य क्षेत्र हैं। यह वास्तव में विश्व के अन्य विकसित और लोकतान्त्रिक देशों को स्वीकार करने के लिए भी एक आदर्श लोकतान्त्रिक ढांचा है। वास्तव में हमारे देश में केन्द्र और राज्य स्तर पर बहुत से चुनाव हुए हैं। और हमें एक प्रकार से इस बात का गर्व है कि कतिपय राज्यों में हमारे विरोधी राजनैतिक दलों की सरकारें हैं जिन्होंने हमें हराया है और जो देश से विभिन्न राज्यों में शासन कर रही हैं। परन्तु यह एक अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राज्य सरकारें हमारे संविधान के उपबन्धों का पालन नहीं करती और हमारे ढांचे में अन्तर्निहित संघवाद का सम्मान नहीं करतीं हैं। एक राज्य सरकार के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने यहां तक कह दिया है कि वह केन्द्र को न के बराबर समझेगा। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। उसने एक स्थिति में यह तर्क दिया है कि केन्द्र जैसी कोई चीज ही नहीं है। केवल राज्य विद्यमान हैं और केन्द्र तो एक कल्पित वस्तु है। यदि राज्य सरकार अथवा सरकार के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने यह रवैया अपनाया है तो यदि अन्य राज्यों ने भी यही रवैया अपनाना आरम्भ कर दिया तो क्या होगा ? इसलिए मैंने मुख्य संकल्प में यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

दूसरे यद्यपि कुछ राज्य सरकारों को राज्य का शासन चलाने के लिए जनादेश मिला है जिनमें वह राज्य सरकार भी शामिल है जिसका मैंने उल्लेख किया है, क्योंकि वे अपने रवैये के कारण संविधान के अन्तर्गत प्रदान की गई लोगों की आकांक्षाओं को, और लोगों के सामने किए गये अपने वायदों को पूरा करने में असफल रही हैं। अब हमने यह अनुभव किया है—और इस बारे में तक भी सामने आ जायेंगे—कि दक्षिणी भारत के कम से कम दो राज्य वास्तव में दिवालिया बन चुके हैं। मैं यह उल्लेख कर सकता हूं कि मैंने ये खबरें पढ़ी हैं कि सरकार के पास प्रत्येक महीने के पश्चात् कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त निधि नहीं है।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय, वह कौन सा राज्य है ?

श्री शान्ताराम नायक : वह राज्य है** ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ राज्य सरकारें वित्तीय

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मामले में बहुत गैर जिम्मेदारी ढंग से कार्य कर रही हैं। उदाहरणतया हमें सांसद होने के नाते···** मुख्य मन्त्री द्वारा जारी की गई बहुत चमकदार कागजों में लघु पुस्तिकाएं और पैम्फलेट हर पन्द्रह दिनों में मिलते हैं—मैं यह नहीं जानता कि इससे राज्य के राजकोष पर कितनी लागत आती होगी जिनमें यह उल्लेख होता है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को कैसे निर्धारित किया जाए, संविधान के अन्तर्गत दी गई वित्तीय शक्तियों में क्यों परिवर्तन किया जाना चाहिए। और यह बात कौन बताता है? यह बात वह मुख्य मन्त्री बताता है जिसने राज्य को दिवालिया बना दिया है। पहले वह राज्य दिवालिया नहीं था और ऐसा पहले कभी भी नहीं रहा था। वे लोगों हमें ये बातें बताने के लिए चमकदार लघु पुस्तिकाओं पर लाखों रुपये व्यय करने की परवाह नहीं करते है। यदि माननीय मुख्य मन्त्री की इच्छा सांसदों को अपनी राय से अवगत कराने की थी तो यह कोई गलत बात नहीं है परन्तु साधारण तरीके से साधारण लघु पुस्तिकाओं अथवा साइकलोस्टाइल प्रतियों द्वारा भी ऐसा किया जा सकता था। अन्त: राज्य सरकारें इस प्रकार अपने प्रशासन को चला रही हैं······(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी मुख्य मन्त्री की आलोचना नहीं कर सकते।

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, मैं आपकी आपत्ति का उत्तर दूंगा। इन दोनों खंडों में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की चर्चा है और मुझे इस पर चर्चा करनी है। यदि मैं मुख्य मंत्रियों का उल्लेख नहीं कर सकता तो फिर सरकारिया आयोग भी किसी मुख्य मन्त्री का उल्लेख नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विशेष रूप से किसी विशेष मुख्य मन्त्री की आलोचना नहीं कर सकते।

श्री शान्ताराम राम : महोदय मैं ऐसा न करने की कोशिश करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह एक टेलिफोन डाइरेक्टरी है?

श्री शान्ताराम नायक : ऐसा ही प्रतीत होता है राज्य पाल की भूमिका ऐसा एक अन्य पहलू है जिसके बारे में सरकारिया आयोग ने उल्लेख किया है जो केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में हैं। वे बार-बार यह तर्क दे रहे थे कि बिना किसी सलाह के ही राज्यपाल की नियुक्ति कर दी जाती है सबसे पहले जब वे ऐसा तर्क देते है तो उन्हें यह देखना चाहिए कि क्या संविधान में इस बारे में कोई उपबन्ध है। और मैं भी नहीं समझता कि इस बारे में कोई उपबन्ध है सलाह की आवश्यकता होती है कि ऐसी बात नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 155 में केवल यह उल्लेख है? "राज्य के राज्य पाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।" अनुच्छेद 157 में उल्लेख है :

> "कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो ······"(व्यवधान)

अब परम्पराओं की बात आती है। जब उन्हें किसी अनुच्छेद अथवा संविधान के पठन से समर्थन नहीं मिलता है तो फिर वे इन परम्पराओं को ढूंढ लेते है। और जब आप किसी परम्परा को उद्धृत करते हैं तो वे यह कहेंगे कि यह परम्परा कानून के विरुद्ध है। अत: वे इस बारे में इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। प्रश्न यह है कि क्या संविधान को कतिपय प्रक्रियाओं का अनुसरण करना आवश्यक है। कभी-कभी ऐसा सम्भव नहीं होता है—विशेष रूप से जब हमारे यहां कुछ ऐसे विशेष मुख्य मन्त्री हैं— मैं

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शांताराम नायक]
उनके नामों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं—जिनका रवैया ऐसा है कि आप उनसे चाहे किसी प्रकार से विचार-विमर्श कीजिए परन्तु वे कभी भी सहयोग नहीं देंगे, जब इस प्रकार के व्यक्तियों के होने से केन्द्रीय सरकार के लिए उनसे सलाह करना अत्यन्त कठिन हो जाता है।

फिर राज्यपालों की नियुक्ति का प्रश्न आता है। महोदय, यह सच बात है कि राज्य पालों की नियुक्ति के बारे में एक पैरे में जवाहर लाल नेहरू को भी उद्धृत किया गया है और मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि जहां तक सम्भव हो इन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग द्वारा इन सिद्धांतों को दोहराया गया है और मैं उद्धृत करता हूं :

"हम यह सिफारिश करते हैं कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए :

(1) वह किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो।

(2) वह व्यक्ति उस राज्य का न हो।

(3) वह व्यक्ति उस राज्य की राजनीति से बहुत ज्यादा सम्बद्ध न हो, और

(4) उसने राजनीति में आमतौर पर और अभी हाल ही में बहुत अधिक भाग न लिया हो।

हर समय इन सभी शर्तों का आवश्यक रूप से पालन नहीं किया जा सकता और इसलिए आवश्यक समुचित बातें हैं इनमें मतभेद किया जा सकता है। उदाहरणतया यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य पाल नियुक्त किया जाता है जो एक सक्रिय मुख्य मन्त्री रहा है। यह आवश्यक नहीं है कि वह संविधान द्वारा उसे प्रदान की गई शक्तियों से बाहर भूमिका अदा करेगा। वास्तव में कुछ स्थितियों को छोड़कर संविधान के अनुसार राज्य पाल की अधिक भूमिका नहीं होती है।

यद्यपि हम ऐसा कह सकते हैं कि अब अवसर होता है तो भारत के राष्ट्रपति की भी यही शक्ति होती है और राज्यपाल की भी भूमिका होती है। हमें यह मानना चाहिए कि वास्तव में राज्यपाल और राष्ट्रपति नाममात्र के प्रधान होते हैं। इस बात के बावजूद कि विरोधी पक्ष के नेता राज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी कुछ भी नहीं होता है। कतिपय मामलों में राज्यपाल अपने स्व विवेक का प्रयोग नहीं करता है। और यह एक मान्य तथ्य है कि संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति को नाममात्र की शक्तियां प्राप्त होती है। सरकारिया आयोग ने भी इस बात को माना है और उन्होंने संविधान के प्राधिकारियों का हवाला भी दिया है। उन्होंने राज्यपाल की भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख करने के लिए कुछ संवैधानिक प्राधिकारियों का हवाला दिया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकारिया आयोग की इस रिपोर्ट में प्रशासकों की भूमिका की उचित प्रकार से समीक्षा नहीं की गई है। हमारे यहां संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासक होते हैं। यहां के वास्तव में शक्ति सम्पन्न होते है। संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम क अन्तर्गत यदि मंत्रि परिषद द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासक उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक प्रशासक मंत्रि परिषद के निर्णय की अवहेलना कर सकता है। मैं बार-बार यह निवेदन करता रहा हूं कि इस स्थिति के बारे में पुनः विचार किया जाना चाहिए।

एक राज्य के राज्यपाल में निहित शक्तियां ही कम से कम उन प्रशासकों को दी जानी चाहिए

जहां विधान सभाएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी एक निर्वाचित विधान सभा है—अब केवल संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी बचता है—यदि एक संघ राज्य क्षेत्र की मंत्रि परिषद एक विशेष ढंग से प्रशासक को सलाह देती है तो एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए अथवा हमें संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम में संशोधन करना चाहिए, ताकि सलाह बाध्यकारी हो। अन्यथा इसका अभिप्राय है कि हम उन संघ राज्य क्षेत्रों जिनसे एक निर्वाचित विधान सभा होती है राज्य से कि अलग व्यवहार करते हैं। महोदय मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विसंगति को दूर करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम में संशोधन किया जाय ताकि मंत्रि परिषद को संघ राज्य क्षेत्र में अधिक शक्तियां प्रदान की जा सके। वास्तव में मेरी यह राय है मैं इसे पहले भी दोहरा चुका हूं कि सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और उस अधिनियम के सभी उपबन्धों को एक नया अध्याय जोड़कर संविधान में सम्मिलित कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 को संसद ने पारित किया है और संघ राज्य क्षेत्रों का शासन इस अधिनियम के अनुसार ही चलता है जबकि राज्यों का प्रशासन संविधान के अन्तर्गत चलाया जाता है। अत: इस प्रकार यह अधिनियम उन्हें एक राज्य के नागरिक से नीचे का दर्जा प्रदान करता है। इस विसंगति को दूर करने के लिए मैं यह सुझाव देता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम में इतना संशोधन किया जाए और संशोधनों के सीमित यह उपबन्ध संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू हो जैसा कि संविधान के उपबन्धों में प्रस्ताव किया गया है।

दूसरे, राज्य तथा केन्द्र के संबंधों में सदा विपक्षी दलों से सलाह लेने की जरूरत है। वास्तव में हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने प्रारंभिक चरणों में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ परामर्श किया। किंतु इस संबंध में हमारा बहुत ही कटु अनुभव रहा है। हो सकता है कि श्री दंडवते जैसे कुछ लोग कुछ बातों में सरकार के साथ सहयोग करते होंगे। किंतु बाद में विपक्षी दलों की भूमिका इतनी संयोगपूर्ण नहीं रही है।

अब, उदाहरणतया पंजाब को ही लीजिए। हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि वह ऐन मौके पर यह रॉकेट छोड़ रहे हैं। हम आपात काल के लिए संविधान में संशोधन कर रहे हैं। किंतु उन्होंने इसका विरोध किया है। जब वास्तविक रूप में पंजाब में आतंकवादियों ने युद्ध छेड़ा था और हालात इतने खराब हुए थे तो उन्होंने संविधान में संशोधन करने वाले उपबंधों का विरोध किया। इसी प्रकार वह सरकार के निर्णय के प्रत्येक पहलू का पूरी शक्ति से विरोध करते हैं। यदि वे सच्चे मन से सहयोग देते तो शायद स्थिति बेहतर होती।

चुनाव सुधारों के संबंध में, जो इस प्रणाली के अनिवार्य अंग हैं, भी यही हो रहा है। यद्यपि चुनाव सुधार के लिए हमारे पास स्वतन्त्र विकास है, केन्द्रीय सरकार को ही चुनाव आयोग और विभिन्न दलों के साथ परामर्श करके चुनाव सुधार करने हैं। वास्तव में मैं विभिन्न राजनीतिज्ञ दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा कि वे इस मामले की ओर ध्यान दें। यह इसलिए हैं कि सभी लोग स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में हैं। हो सकता है कि कुछ इलाकों में कुछ बातों का प्रभाव हो। किंतु प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी प्रणाली चाहता है जो अत्यन्त स्वतन्त्र और निष्पक्ष हो और हम भी आज चुनाव की प्रक्रिया में चलने वाली धन शक्ति की भूमिका को घटाने के पक्ष में हैं। उन्हें भी दिलचस्पी है; सत्तारूढ़ दल को भी रुचि है। वास्तव में आज कुछ सदस्यों ने इस पहलू के बारे में कहा है। अत: मान लीजिए यदि हम अपने विचारों का समन्वय करें और मिलकर बैठकर बात करें तो मैं समझता हूं कि चुनाव

[श्री शान्ताराम नायक]

सुधारों के संबंध में एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम अथवा योजना बन सकती है अत: मैं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले में हमें सहयोग दें।

अन्त में, मैं उन तीन सूचियों के संबंध में कहूंगा जो इन संबंधों से जुड़ी हुई हैं। विषयों को संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची में ठीक से लिखा गया है। उदाहरण के तौर पर, कई बार हम क्या करते हैं, शिक्षा को ही लीजिए। यह एक समवर्ती विषय है। इस पर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। किंतु क्या होता है, शिक्षा के मामले में, शिक्षानीति के संबंध में, यदि कोई राज्य सरकार उस नीति का पालन नहीं करती तो हमें असुविधा होती है। अत: समवर्ती सूची के इन मामलों में नीति की अपेक्षा हमारे पास किसी प्रकार के मार्गनिर्देश होने चाहिए। जब हम कहते हैं कि यह एक नीति है तो इसे पूरी तरह प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करना है और हमें किसी को इसका उल्लंघन करने का अवसर नहीं देना चाहिए। संघ सूची के इस मामले में हम एक नीति बना सकते हैं और इसे कार्यान्वित कर सकते है क्योंकि केन्द्र के पास इसका पूरा प्रभाव है। किन्तु जहां तक समवर्ती सूची का संबंध है, उसमें यह समस्या है। हम समवर्ती सूची में किसी विषय पर कोई नीति लागू करते हैं और कुछ राज्य सहयोग नहीं देते हैं और असफलता केन्द्र की मानी जाती है वास्तव में केन्द्र पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वास्तविक निष्पादन अथवा कार्यान्वयन राज्य सरकार के हाथ में ही है। अत: इस सूची में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि केवल शिक्षा ही नहीं किंतु जहां भी समवर्ती विषय है वहां नीति के स्थान पर कुछ मार्ग निर्देश होने चाहिए, ताकि हम राज्य सरकार को विशेष कर शिक्षा के क्षेत्र में कोई अवसर न दें।

जहां तक शिक्षा नीति का संबंध है, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य सरकारें किसी भी प्रकार से सहयोग देने को तैयार नहीं हैं। वे यह बहाना करती हैं कि उनसे सलाह नहीं ली गई। मैंने देखा है कि उनसे सलाह ली गई है। प्रारूप नीति उनके पास भेजी गई थी। किंतु वे यह बहाना करते हैं कि उनसे सलाह नहीं ली गई है। वे नीति के हर मुद्दे में दोष निकालते हैं। इससे बचने के लिए मैं यह कहूंगा कि हमें इस विषय पर मार्ग निर्देश रख सकते है। जहां तक संघ का संबंध हैं हम यह नीति अपना सकते हैं।

मैं कहता हूं कि मैंने केन्द्र राज्य संबंधों पर केवल तीन या चार मुद्दों का उल्लेख किया है। किसी भी तरह से हम सरकारिया आयोग प्रतिवेदन पर विस्तृत चर्चा करेंगे और हम आशा करें कि इस चर्चा में दोनों ओर से कुछ प्रमाणित मुद्दे सामने आयेंगे और सरकार भविष्य में इस संबंध को और सुदृण कर सकेगी।

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं श्री एच० एम० पटेल का आभारी हूं कि उन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है जिससे हमें केन्द्र और राज्य के बीच संबंध की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने का अवसर मिला है।

वर्षों से हमने कुछ प्रतिष्ठित नीतियां बनाई हैं, कुछ सिद्धांत बनाए हैं, और सबसे ऊपर हमारा संविधान है जो केन्द्र और राज्य के बीच संबंधों का संरक्षण कर सकता है।

मैं स्वतन्त्रता से पूर्व कांग्रेस दल के संकल्पों का उल्लेख कर सकता हूं : उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों के बारे में क्या कहा है ?

विभिन्न संकल्पों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि स्वतन्त्रता के पश्चात् केन्द्र में एक सरकार होगी किंतु राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां दी जाएंगी, ताकि वह ठीक तरह से काम कर सकेंगी। किंतु यदि हम स्वतन्त्रता के पश्चात् का इतिहास देखेंगे हम देखते हैं कि केन्द्र की सरकार राज्य सरकारों को परित्यक्त करने और विभिन्न प्रकार से कमजोर करने के निरन्तर प्रयास करती हैं। यह उनका निरन्तर प्रयास है। दोनों चुनी हुई सरकारें हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही चुनी हुई हैं और यह हमारे देश की जनता द्वारा चुनी हुई हैं। संविधान के अनुरूप केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार की भूमिका निभानी है और विभिन्न जिम्मेदारियां निभानी हैं। व्यवहारिक दृष्टि से हमारे अनुभव पर विस्तृत चर्चा होती है।

हमारे केन्द्रीय मंत्री जब विभिन्न राज्यों विशेषकर गैर-कांग्रेस (इ) राज्यों में जाते हैं, तो वहां उनकी एकमात्र गतिविधि राज्य सरकारों की गतिविधियों की निन्दा करना होता है। यह केन्द्रीय मंत्रियों की एकमात्र गतिविधि है।

आप जानते हैं कि संविधान का एक अनुच्छेद 356 है। जब सभी केन्द्रीय मंत्री गैर-कांग्रेस (ई) राज्यों में जाते हैं वे सदा भाषण देते हैं कि वे अनुच्छेद 356 का प्रयोग निर्वाचित राज्य सरकारों में वहां की सरकार हटाने के लिए करेंगे। इस समय यह केन्द्रीय मंत्रियों की प्रथा रही है। वे इस प्रकार का कार्य करते हैं। जैसे कि यह देश उनकी निजी सम्पत्ति बन गई है।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मुझे खेद है कि यह सही नहीं है।

श्री शान्ताराम नायक : वह गलत बयान दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कहते हैं कि आपका वक्तव्य सही नहीं है।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : मुझे बहुत प्रसन्नता है यदि मेरा वक्तव्य गलत है। किन्तु मैं श्री बूटा सिंह से एक बार फिर कलकत्ता जाने को कहता हूं। श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने उन्हें कलकत्ता जाने को कहा। मैं भी उन्हें कलकत्ता जाने के लिए निवेदन करता हूं। (**व्यवधान**) कृपया कलकत्ता जाइए और अपने लोगों से पूछिए। कृपया पंचायत चुनावों के दौरान कलकत्ता में प्रकाशित सभी दैनिक समाचार पत्र पढ़िये। (**व्यवधान**)

सरदार बूटा सिंह : क्या आप एक क्षण के लिए मानेंगे? यह विपक्ष की समस्या है। मैं बार-बार कह चुका हूं कि अखबारों में छपी खबरों अफवाहों की ओर ध्यान मत दीजिए। आप किसी भी केन्द्रीय मंत्री का उदाहरण दीजिए जो कलकत्ता गया है और यह कहा है जो आपने अभी कहा है कि हम पश्चिम बंगाल की सरकार के विरुद्ध अनुच्छेद 356 को इस्तेमाल करेंगे। किसी भी मंत्री का उदाहरण दीजिए।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : मैं श्री बूटा सिंह का बहुत आभारी हूं। किंतु हमारा अनुभव इसके विपरीत है। हमने श्री गनी खां चौधरी को देखा है। जब वह केन्द्रीय मंत्री थे। (**व्यवधान**) हमने श्री प्रियरंजन दास मुंशी को सुना है। (**व्यवधान**)

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : उन्होंने बंगाल की खाड़ी की बात की है। (**व्यवधान**)

श्री सत्य गोपाल मिश्र : त्रिपुरा में क्या हुआ? चुनावों से पूर्व, राज्य सरकार की सहमति के

[श्री सत्यगोपाल मिश्र]

बिना सेना तैनात कर दी गई। केन्द्र में निर्वाचन आयोग की सलाह के बिना ही सेना तैनात कर दी गई। इस प्रकार हमारे केन्द्र-राज्य संबंध चल रहे हैं।

आप देखिए ऋण मेले चल रहे हैं। यह बहुत अच्छा है। यदि आप गरीब लोगों को ऋण देंगे, तो कोई भी इसकी आपत्ति नहीं करेगा। किंतु भलीभांति ढंग से ऐसा कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक है, इसके अनुदेश भी हैं और बैंकिग प्रणाली भी है। आप जितना चाहें गरीबों को ऋण दीजिए। किंतु समुचित ढंग से ऐसा कीजिए। गैर-कांग्रेस (आई) सरकारों में, एक विशेष दल केन्द्र का सत्तारूढ़ दल कुछ धन के साथ आवेदन पत्र इकट्ठे करेगा और फिर बैंकों को ऋण देने के लिए कहा जाएगा। केन्द्र का मंत्री जाकर (स्वयं) आलोकतांत्रिक ढंग से ऋण बांट देगा। यह क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनावों से पूर्व ग्रामीण विकास के प्रभारी मंत्री पश्चिम बंगाल गए और एक विशेष राजनीतिक दल के एक विशेष क्लब को ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए कुछ पैसों की मंजूरी दे दी : क्या यही तरीका है? **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : यह सच नहीं है। यह एक सामाजिक संस्था है। **(व्यवधान)**

डा० फूलरेणु गुहा (कंटई) : मंजूरी तो चुनाव की घोषणा से पूर्व दी गई। **(व्यवधान)**

श्री सत्य गोपाल मिश्र : यह सच है। मेरे जिले में ऐसा हुआ है। मुझे मालूम है। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। इस प्रकार इस समय वे केन्द्र राज्य संबंधों को बनाए रख रहे हैं।

मैंने श्री शान्ताराम नायक को सुना है। उन्होंने एक दर्शन दिया है जिसके मुताबिक राज्य सरकारें नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि कोई केन्द्र सरकार नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति को आदेश देना चाहिए और ऐसा ही चलता रहे। उन्होंने यह विचार दिया है। वह कुछ राज्य सरकारों के दिवालियेपन के बारे में कह रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। कुछ राज्य सरकारें वित्तीय दृष्टि से कमजोर क्यों हैं। यह किसकी गलती है? आप यहां केन्द्र में क्या कर रहे हैं? क्या आपका वित्तीय दृष्टि से दिवाला नहीं निकला है? आपका वित्तीय घाटा 700 करोड़ रुपये से 800 करोड़ रुपये हैं, जो कि सालों-साल बढ़ता जा रहा है। **(व्यवधान)** क्या राज्य सरकार के पास ऐसा कोई तन्त्र है जिससे वे नोट छाप सकें? आपका कहना है :

"आपको सभी ओवर ड्राफ्ट रोकने पड़ेंगे।" क्या इस केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों को यह कहने का नैतिक अधिकार है कि ओवर ड्राफ्ट रोक दिये जायें, जबकि वे स्वयं प्रत्येक वर्ष घाटे की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं और वित्तीय घाटे की राशि प्रत्येक वर्ष बढ़ जाती है?

जब कोई प्राकृतिक आपका जैसे बाढ़ या कुछ सूखा पड़ जाता है तो क्या होता है?"

4.00 म० प०

वित्त आयोग के अनुसार राज्य सरकार के पास कुछ अतिरिक्त धन राशि है; लेकिन अब अतिरिक्त धन राशि अपर्याप्त हो जाती है तो फिर एक केन्द्रीय दल वहां जाता है, वे इसे देखेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक वे राज्य सरकार को कुछ धन मंजूर करेंगे। इस तरीके से क्या बाढ़ स्थिति या सूखे

की स्थिति से बचा जा सकता है—चाहे यह कांग्रेस (इ) शासित राज्यों में हो या गैर कांग्रेस (इ) शासित राज्यों में हो ? यह सब उचित तरीके से संबद्ध राज्य-सरकार से परामर्श करके किया जाना चाहिए ताकि बाढ़ या सूखे की स्थिति से एक उचित ढंग से निपटा जा सके।

समय-समय पर वित्त आयोग गठित किया जाता है और उनकी सिफारिशों के अनुसार वित्तीय मामलों में कुछ पुनंगठन किया जाता है। परन्तु पिछले वित्त आयोग की सिफारिशों का क्या हुआ ? उस वित्त आयोग की सिफारशें केन्द्र में सरकार द्वारा रद्द कर दी गई और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को 325 करोड़ रुपये से वंचित रखा गया था। ऐसा क्यों हुआ ? आमतौर पर वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जाता है। परन्तु जब पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को लाभ प्राप्त होने वाला था तो सरकार ने एक स्तर पर निर्णय लिया कि उस वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार न की जायें।

महोदय, मुझे राज्यपाल के पद संबंधी प्रश्न पर चर्चा करनी है। श्री शान्ता नायक ने राज्य पालों की कार्यों और नियुक्तियों के बारे काफी कुछ कहा है। यह उन व्यक्तियों का एक राजनैतिक पुनर्वास केन्द्र बन गया है जो केन्द्र में सत्तारूढ़ दल से संबंधित हैं। कुछ बहाली व्यक्ति अपना चुनाव हार जाते हैं और उन्हें राज्य पाल नियुक्त कर दिया जाता है। मंत्रियों को मंत्री पद से हटाकर उनकी राज्यपाल के रूप में पुर्न नियुक्ति कर दी जाती है। इस प्रकार वे पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं। यह 1957 से शुरू हुआ जब केरल की विधिवत चुनी हुई राज्य सरकार को हटा दिया गया था। कुछ समाचार पत्रों में यह छपा था कि केरल सरकार को हटाने के लिए सी० आई० ए० ने धन दिया था।

अब केन्द्र में सत्तारूढ़ दल राज्य सरकारों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। पिछले जब कुछ वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा दो सिंचाई परियोजनायें शुरू की गयीं—एक पंजाब में भांखड़ा नांगल और दूसरी पश्चिम बंगाल में तीस्ता। इन दोनों राज्यों को हमारे देश के विभाजन के कारण नुकसान उठाना पड़ा था। भांखड़ा नांगल का निर्माण केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया था। परन्तु तीस्ता परियोजना का क्या हुआ ? भांखड़ा नांगल पूरी हुई, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु तीस्ता के निर्माण के लिए अब तक उन्होंने 450 करोड़ रुपये की कुल लागत में से केवल 5 करोड़ रुपये ही दिये हैं। इस प्रकार का पक्षपात चल रहा है।

माल-भाड़ा समकरण के बारे में काफी कुछ कहा गया था। यह बात केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार की गई थी कि माल-भाड़ा समकरण अधिनियम वापस ले लिया जायेगा। वर्ष पर वर्ष बीतते जा रहे हैं। इसमें कितना समय लगेगा जब हम यह प्रश्न पूछते हैं तो वे कहते हैं कि राज्य सरकारों में कुछ मत-भेद हैं। आप मुख्य मंत्रियों को आने के लिए कहिए और एक स्वतन्त्र चर्चा कराइये तथा एक निर्णय लीजिए। हम कब तक माल भाड़ा समकरण नीति को वापिस लिये जाने के लिए इन्तजार करते रहेंगे।

इसी प्रकार परेषित माल-कर के बारे में क्या किया जा रहा है ? राज्य सरकारों को परेषित माल कर से वंचित रखा जा रहा है। प्रतिवर्ष यह जारी है और परेषित माल अधिनियम को पारित किया जाना अभी तक लम्बित पड़ा है। मैं नहीं जानता कि यह कब तक हो जायेगा।

महोदय, कल सभा में माननीय उद्योग मंत्री ने कहा था कि हलदिया पेट्रो रसायन काम्प्लेक्स के संबंध में प्रत्येक चीज मंजूर कर ली गई है। 1977 से हम पश्चिम बंगाल में हलदिया में एक पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु अब तक हमें औद्योगिक लाईसेंस नहीं

[श्री सत्यगोपाल मिश्र]

मिला है। कल माननीय उद्योग मंत्री ने एक अस्पष्ट उत्तर दिया था कि प्रत्येक चीज मंजूर कर ली गई है। क्या मंजूर किया गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है या नहीं ?

इस बीच देश के कुछ अन्य भागों में पेट्रो रसायन काम्पलेक्स स्थापित किए गए हैं। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हल्दिया के पेट्रो रसायन काम्प्लेक्स का क्या हुआ है। श्री पी० शिव शंकर ने इस सभा में, जब वे इस मंत्रालय के मंत्री थे, हमें स्पष्ट रूप से उत्तर दिया था कि हल्दिया पेट्रो रसायन काम्प्लेक्स आरंभ हो जायेगी लेकिन काफी वर्ष बीत चुके हैं और इस परियोजना का भाग्य अभी तक अधर में लटका है। मैं नहीं जानता कि औद्योगिक लाईसेंस कब जारी किया जाएगा।

महोदय, कलकत्ता में साल्ट लेक के इलेक्ट्रानिक्स काम्प्लेक्स के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक मूल्यवान भूमि के टुकड़े पर कब्जा कर लिया है और इसे पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रानिकी के विकास के लिए आरक्षित कर लिया है। यद्यपि देश के अन्य भागों में इलैक्ट्रानिक्स काम्प्लेक्स खोलने की स्वीकृति दी गई है फिर भी जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है यह सफाई दी गई है कि पश्चिम बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है और इस वजह से साल्ट लेक में इलेक्ट्रानिक्स काम्प्लैक्स स्थापित नहीं किया जा सकता है जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ अन्य सीमावर्ती राज्यों में इलेक्ट्रानिक्स काम्प्लेक्स स्थापित किये गये हैं। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य को इससे क्यों वंचित रखा जा रहा है ? यही मुख्य प्रश्न हैं।

महोदय, उत्तर प्रदेश में चालू योजना में कुछ उर्वरक इकाइयां खुल रही है यह अच्छी बात है परन्तु हल्दिया उर्वरक काम्प्लेक्स का क्या किया गया है ? परियोजना कब शुरू की जायेगी ? बार-बार हमने यह प्रश्न पूछा है लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है और इस तरह से केन्द्र सरकार गैर-कांग्रेस (ई) राज्यों के साथ पक्षपात कर रही है। अतः देश में एक ऐसी स्थिति पैदा की गई है जहां हमारे संविधान में केन्द्र-राज्य संबंधों को बनाये रखने के सुरक्षोपायों में कमी आ गई है और केन्द्र सरकार द्वारा जानबूझ कर ऐसे प्रयास किये गये हैं ताकि राज्य सरकार ठीक प्रकार से कार्य न कर सकें। खुले आम पक्षपात किया जा रहा है ताकि गैर-कांग्रेस (ई) सरकार न चल सके। उनकी परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दी जाती है। धन समय पर जारी नहीं किया जाता है। अतः समय आ गया है जबकि इस मामले से अच्छे ढंग से निपटा जाये।

महोदय, जब इस विषय पर देश-व्यापी आन्दोलन चल रहा था तो केन्द्र सरकार ने सरकारिया आयोग गठित किया। उन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की है। हमारे पास रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि है लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि कौन-सी सिफारिशें वह स्वीकार कर रही है या रद्द कर रही हैं। इसलिए सरकारिया आयोग की सिफारिशों का भाग्य हवा में लटका पड़ा है और मैं नहीं जानता कि कितने समय तक यह हवा में लटका रहेगा। इस प्रकार सरकार ने अपने कार्यकरण का केन्द्रीय करण कर दिया है। उनके रवैये ने हमारे देश के अधिकांश लोगों में भ्रम पैदा कर दिया है। इस संबंध में मैं कुछ ठोस सुझाव रखना चाहता हूं। राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार दोनों चुनी जाती हैं। दोनों को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। कोई भी नहीं चाहता है कि केन्द्र में एक कमजोर सरकार हो। केन्द्र में एक शक्तिशाली सरकार होनी चाहिए साथ ही मेरा सुझाव है कि शक्तिशाली राज्य सरकारें होनी चाहिए ताकि वे ठीक प्रकार से कार्य कर सकें।

सभी वित्तीय संसाधनों का ठीक ढंग से वितरण किया जाना चाहिए। रक्षा, परिवहन, संचार, बैंक, विदेश जैसे क्षेत्र केन्द्र के पास होने चाहिए। वे ही इन मामलों से निपटेंगे। अन्य कार्य राज्यों को दिये जाने चाहिए। उन्हें वे अन्य कार्य और उत्तर दायित्व निभाने चाहिए जो इस वक्त केन्द्र निभा रहा है।

जहां तक वित्तीय संसाधनों का संबंध है केन्द्रीय राजस्व से 75 प्रतिशत धन विभिन्न राज्यों में वितरित किया जाना चाहिए। यह पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य हो सकते हैं। शेष 25 प्रतिशत वित्तीय संसाधनों से केन्द्र सरकार अपने कार्य पूरा करें। यदि हम इस प्रकार चलें तो हमारा भार मजबूत होगा जिसकी केन्द्र और राज्य सरकारें मजबूत होंगी।

मैं आशा करता हूं कि मेरे सुझाव पर विचार किया जायेगा।

स्वतन्त्रता के 40 वर्ष पश्चात् भी टकराव की राजनीति चल रही है। मैं इसे पुन: दोहरा सकता हूं। श्री बूटा सिंह इस पर प्रतिक्रिया करने के लिये यहां हैं। हर बार जब केन्द्रीय मंत्री गैर-कांग्रेस सरकार वाले राज्यों में जाते हैं तो वे राज्य सरकारों पर दोषारोपण करते जाते हैं। यह उनका नियमित कार्य हो गया है। उन्हें डर है कि यदि इस प्रकार कार्य न करें तो हो सकता है उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़े। इस प्रकार की चीजें सहन नहीं की जा सकतीं। ऐसा समय आ गया है जब हमें केन्द्र राज्य संबंधों को एक अर्थपूर्ण रूप में परिभाषित करना चाहिए? अत: श्री एच० एम० पटेल द्वारा प्रस्तुत किया गया संकल्प स्वीकार किया जा सकता है। धन्यवाद।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् आज जो दो भाषण दिए गए उन्हें मैंने बड़े ध्यान से सुना है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि न तो हमारा संविधान संघीय है और न एकात्मक हैं। यह अपने आप में अद्वितीय है। यह एक ऐसे समाज तथा राष्ट्र के लिए बनाया गया है जो कि एक महाद्वीप है। हमारे सामने एक और इंग्लैंड का उदाहरण था तथा दूसरी ओर अमेरिका का। लेकिन हमने इसके ढांचे को इस प्रकार से विकसित किया है जो कि हमारी परिस्थितियों के अनुरूप हों। इसकी कोई अन्तिम अवस्था या निश्चयात्मकता नहीं है। हमारी व्यावहारिक समस्याओं के अनुसार इसे कि विकसित किया गया है।

शुरू में, जब संविधान सभा का समायोजन किया गया था तब हमारा विचार था कि केन्द्र के हाथ में कुछ समिति शक्तियां दी जाएं। उस समय हमें भारतीय रजवाड़ों उनके राजाओं के साथ बातचीत करनी थी। इन सबसे ऊपर, ग्रेट ब्रिटेन से भी बातचीत की। धीरे-धीरे, भारतीय राज्य समाप्त कर दिए गए। राजा तथा उनके तानाशाह शासन भी समाप्त कर दिए गए। भारत राजनैतिक रूप से एक बन गया, तथा लोकतंत्र के प्रति समर्पित कर दिया गया।

4.15 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

परिणामस्वरूप, सरदार पटेल के नेतृत्व में हमने यह सोचा कि सबसे पहले एक मजबूत केन्द्र होना चाहिए। उसके बाद सारी संविधान सभा सहमत हो गई कि एक मजबूत केन्द्र होना चाहिए तथा इसके साथ ही कुछ शक्तियों के साथ कुछ राज्य होने चाहिए जो अपने निर्वाचन विधान मंडल की सहायता से स्वायत्त रूप से कार्य करें। लेकिन इसी बीच हमने सोचा कि राज्य सरकारों, राज्य विधान मंडलों और केन्द्र के बीच सम्बन्ध होना चाहिए। इसलिए हमने अंग्रेजी व्यवस्था को चुना। हमने

[श्री एन० जी० रंगा]

राज्यपालों की नियुक्ति की पद्धति अपनाई। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करेगा। निश्चित रूप से राष्ट्रपति के माध्यम से केन्द्र ही यह कार्य करता लेकिन उसके बाद हमने विचार किया कि राज्यपालों की नियुक्ति करने से पूर्व हमें राज्य सरकारों के साथ विचारविमर्श करना चाहिए। पंडित नेहरू के समय में, सभी राज्यों में केवल कांग्रेस सरकारें थीं। राज्यपालों की नियुक्ति के सम्बन्ध उनके मुख्य मंत्रियों के साथ सलाह करना बुद्धिमानी की बात होगी क्योंकि उस समय हम सब एक दूसरे को जानते थे। हम सब एक विशाल परिवार के समान राजनैतिक जीवन में आए थे तथा इसलिए हम एक-दूसरे को जानते थे। जब मुख्य मंत्रियों से उनके राज्यों में विचारविमर्श किया गया, उन्हें सब लोगों की जानकारी थी कि किसे राज्यपाल नियुक्त किया जायेगा। लेकिन जब उन राज्यों के मुख्य मंत्री जानते होंगे कि पूरे देश में राज्यपाल चुने जाने के लिए कौन क्या है, कौन अधिक अच्छा है, अधिक उपयुक्त है, बड़ा तथा अनुभवी है। अतएव हम उस प्रकार के प्रयोग कैसे जारी रख सकते हैं जोकि पंडित जवाहर लाल नेहरू 15 वर्ष से भी अधिक अवधि में कर पाए थे। उसके बाद बदलाव आए। हमने अनेक लोगों के विषय में सोचा। हो सकता प्रशासनिकों के पास जीवन वृत्तांत हो। हमने राजनीतिज्ञों तथा राजनैतिक नेताओं पर विचार किया। केन्द्र व राज्यों में हमारी राजनैतिक मतभेदों के कारण, वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहते जो कभी सदस्य नहीं रहा हो अथवा महत्वपूर्ण नेता न रहा हो अथवा केन्द्र में सत्ता में न रहा हो। आज वह कांग्रेस है। कुछ समय पहले वहां 'जनता' थी। इसलिए हम उस प्रयोग पर पूरी तरह से निर्भर नहीं कर सकते हैं जिसे जवाहरलाल ने एक सुस्थापित परिपाटी के समान आरंभ नहीं किया था, लेकिन उन्हें आशा थी कि उस समय उन्होंने जिन परिस्थितियों का सामना किया था वह वैसी ही चलती रहेंगी किन्तु आज यह संभव नहीं है।

दूसरे, कुछ राज्य सरकारों तथा नेताओं ने अभियान चलाया है कि हम उन लोगों को नियुक्त न करें जिनको प्रशासनिक अनुभव है। कुछ दूसरों का कहना है कि हमें ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो कभी राजनीति में रहा हो। यह सब शर्तें हैं जो पूरी नहीं की जा सकतीं। उनमें से कुछ प्रशासनिक हो सकते हैं, कुछ राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, उनमें से कुछ प्रवक्ता होंगे तथा कुछ दार्शनिक हो सकते है। यह सब परिस्थिति पर निर्भर करता है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि हम राधाकृष्णन जैसे दार्शनिक तथा डा० जाकिर हुसैन जैसे शिक्षाविद् को राष्ट्रपति के पद पर लायेंगे। हम नहीं कर सकते। लेकिन इसे उसी प्रकार से किया गया। अतएव, मैं इस प्रकार की आलोचना से सहमत नहीं हूं जो उन राज्यों में प्रमुख नेताओं द्वारा की जा रही है, जो राज्य उन दलों द्वारा चलाए जा रहे जो केन्द्रीय से मतभेद रखते हैं।

साथ ही साथ हमें इस बात से भी सहमत होना चाहिए कि ,राज्यपाल के पद को हमें महत्व तथा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। मद्रास में एक राज्यपाल थे। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दिए जाने वाले भोजन की किस्म पर आपत्ति उठाई तथा 24 घंटों के अन्दर उन्हें हटा दिया गया। मुझे इससे अचम्भा हुआ था तथा मैं आज तक इसे समझ नहीं सका। मैं इस प्रकार के कार्य के तर्क को समझ नहीं सका।

यह एक तरफ की चरम सीमा है। दूसरी ओर, अभी हाल ही में, एक मंत्रि मंडल में राज्यपाल के विरोध में संकल्प पारित किया गया है, तथा एक राजनैतिक दल तो राज्यपाल की आलोचना जो रिकार्ड में है। इस महत्त्वपूर्ण पद के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। फिर वे

राज्यपाल की जांच इस बात से करना चाहते हैं कि वह कितना धन खर्च करता है। संविधान में जो कार्य राज्यपाल को सौंपे गए हैं उनके अतिरिक्त उसके क्या कार्य हैं ? बहुत से गैर-राजनैतिक कार्य हैं जैसे रेडक्रास, सामाजिक गतिविधियां, अल्पसंख्यक आदिवासी, अनुसूचित जाति तथा कम विकसित वर्गों व क्षेत्रों तथा विशेषरूप से अपंग महिलाओं व विकलांग लोगों के कल्याण संबंधी संगठनों के लिए कार्य करना। इन लोगों के लिए उनका वास्तविक रक्षक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है, अपितु राज्यपाल है। क्योंकि वह वहां पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तथा वह उस विशेष हिस्से में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अतएव, राज्यपाल को इन संगठनों की संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है तथा इन लोगों को नेतृत्व भी प्रदान करना होता है लेकिन गैर राजनीतिज्ञ प्रकार से, सभी मायनों में तथा एक राजनेता के अनुरूप। एक ओर इन शर्तों को राज्यपालों द्वारा तथा दूसरी ओर जो मंत्री अपने राज्यों में वहां सत्ता में होते हैं उन द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

राज्यपालों के विषय में कहने के बाद अब शक्तियों के बंटवारे के बारे में कहूंगा एक समय में मद्रास सरकार द्वारा राजमन्नर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हाल ही में, विपक्ष द्वारा दबाव डाले जाने से तथा क्षेत्रीय वर्गों व क्षेत्रों द्वारा दबाव डाले जाने से सरकारिया आयोग की भी नियुक्ति की गई। उन्होंने अब हमें एक रिपोर्ट दी है। मैं नहीं समझता कि किसी समय यह रिपोर्ट अन्तिम हो सकती है। न ही कोर्ट रिपोर्ट अन्तिम हो सकती है क्योंकि हमारे देश में जो हम राजनैतिक जीवन जी रहे हैं यह उसी की एक विकसित प्रक्रिया है। लेकिन चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो यह एक महत्त्वपूर्ण आयोग है। निश्चय ही हमें उनकी सिफारिशों को अत्याधिक सम्मान देना चाहिए। मैं मानता हूं, लेकिन, फिर इसमें जब शक्तियों के विभाजन की बात आती है तो आप देखें कि जल संसाधनों को लेकर कुछ राज्यों ने किस प्रकार का बर्ताव किया। इसे राज्य का विषय माना गया। हमने शुरूआत में गलती की। हमने सोचा शिक्षा भी राज्य का विषय होना चाहिए। हमने इस आवश्यकता पर अधिक ध्यान क्यों नहीं दिया कि इन बातों के सम्बन्ध में केन्द्र की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए ? उस समय हमने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया तथा हम अपने पहले के ब्रिटिश अनुभवों के आधार पर ही चलते रहे। अतएव हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। कृषि, वानिकी, शिक्षा, जल संसाधन, सिंचाई व यह सब राज्य के विषय हैं। इन चालीस वर्षों के दौरान हमने यह जरूरी नहीं समझा कि इन्हें अधिक से अधिक शक्तियां दी जाएं, इससे अधिक नहीं जो राज्यों के पास हैं इनमें से बहुत-सी चीजों को शुरू करने के केन्द्र के पास अधिकार नहीं थे। हमने ऐसा किया। इसलिए उत्तरदायित्वों का विभाजन तथा अधिकार इतने लचीले होने चाहिए कि प्राप्त अनुभवों के आधार पर उन्हें बदला जा सके। पर्यावरण अब पूरे देश की जिम्मेदारी बन गया है। क्या इस पर कोई आपत्ति कर सकता है। परन्तु एक राज्य सरकार, जो किसी सिंचाई परियोजना अथवा किसी और परियोजना के प्रति इच्छुक हो और इसके विषय में अधीर हो उसे इस पर आपत्ति हो सकती है कि पर्यावरण केन्द्र के अन्तर्गत है और इस परियोजना को इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। इसे किसी और क्षेत्र में होना चाहिए। नहीं तो वहां पर प्रदूषण होगा पर्यावरण की हानि होगी। और फिर राज्य सरकारें एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगी। यह सब व्यावहारिक समस्याएं हैं। जल संसाधनों को हमने राज्यों पर छोड़ दिया है। महाराष्ट्र और आंध्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में कृष्णा, गोदावरी यथा कावेरी के बारे में क्या हुआ, वे इसे सुलझा नहीं पाए। इसलिए केन्द्र को बार-बार आना पड़ा। हमारे अपने संसद सदस्यों के एक के बाद एक, हर रोज केन्द्र सरकार से कहा कि तो राज्य सरकारों को निश्चित रूप से किसी समझौते पर पहुंचने के लिए यदि आवश्यक हो तो एक विशेष कानून बनाया जाए अथवा केन्द्र सरकार के निर्णय को

[श्री एन० जी० रंगा]

स्वीकार किया जाए। हमने भी इस मामले को देखा था। न्यायाधिकरण की नियुक्ति के बारे में हमने एक कानून पास किया था। फिर यह शिकायत की गई थी कि इसे नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार आए और कहे कि हम न्यायाधिकरण की नियुक्ति करें उससे पहले हमें राज्य सरकारों को इस बात पर सहमत कराना होगा। यह व्यावहारिक दिक्कतें हैं। हम इनसे कैसे निपटेंगे। हमें प्रयास और अनुभव के द्वारा उनसे निपटना होगा। इसका अर्थ हुआ कि केन्द्र और राज्यों के बीच सौहार्द्र पूर्ण सम्बन्ध होने चाहिएं।

जब राष्ट्रीय विकास परिषद् का स्वयं मुख्यमंत्री बहिष्कार करेंगे तो क्या होगा। आप उनकी धृष्टता के बारे में सोचिए। आज सुबह ही हम शिक्षा नीति पर चर्चा कर रहे थे।

हम देखना चाहते हैं कि विद्यार्थियों को अनुशासन कैसे सिखाया जाये। लेकिन प्रोफेसर, प्रवक्ता अध्यापक प्रत्येक व्यक्ति अनुशासन ही न है। अब यहां देखिये शीर्ष से ही देखिये, जिन लोगों को हमारे देश के बाकी लोगों के लिए उदाहरण हीनता में संलग्न है। वे बड़ी आसानी से राष्ट्रीय विकास परिषद् से 'वाक आउट' कर जाते हैं उनमें से कितनों ने हिस्सा लिया 27 या 28 व्यक्ति होंगे जो जिसमें हमारे देश में सभी प्रकार के प्रशासन भी शामिल हैं। ये तीस लोग एक साथ मिलकर नहीं बैठ सकते वे एक दूसरे को आपस में सम्मान देते हुए धैर्य से व्यवहार नहीं कर सकते। अब ऐसे लोग हमारे देश के नेता के रूप में है तो हम राज्य और केन्द्र के बीच जिम्मेदारियों उत्तरदायित्व और शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं कर सकते।

अब भाषा के प्रश्न पर आता हूं। बेलगाम के बारे में एक प्रश्न है। मुझे सम्बंधित मंत्रियों की तरह गरीब लोगों की चिन्ता है। इस समस्या के समाधान में विलंब का आरोप इन्दिरा जी पर लगाने का क्या फाइदा है। वे लोग पढ़े-लिखे, प्रशिक्षित, अनुभवी और वयोवृद्ध मुख्यमंत्री है जो एक-दूसरे से मिलजुलकर नहीं बैठ सकते और किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते। एक पक्ष कहता है कि हम एक शहर के लिए 100 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हैं और दूसरा पक्ष कहता है कि 100 करोड़ रुपये क्या है। आप इस तरह का पागलपन देखिये। इसका क्या समाधान है? इसका कानून द्वारा समाधान नहीं है। इसका समाधान दोनों पक्ष के नेताओं के दिलों में है।

श्रीलंका में दो क्षेत्र हैं— दक्षिणी और उत्तरी। इन दो क्षेत्रों के बीच में एक बौद्ध क्षेत्र है। दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र तमिल बाहुलय वाले हैं। हम उन दो क्षेत्रों को मिलाकर एक प्रान्त बनाने के लिए सहमत हो गए हैं और उन्हें प्रान्तीय सरकार देंगे। क्या यह कार्य हमने नहीं किया है? क्या हम भी इस तरह समाधान नहीं सोच सकते? अगर हम ऐसा करते हैं, क्या हम इस समस्या को सुलझाने में समर्थ नहीं होंगे; पंजाब में दो ताल्लुकों से सम्बंधित समस्या है, लेकिन वे लड़ना आरम्भ कर देते हैं। पंजाब में ये सब समस्याएं हैं। तीन या चार गांव हैं जहां कुछ दूसरी भाषाऐं प्रचलित हैं। उसका क्या होता है? अगर श्रीलंका में एक समाधान संभव है, इसी तरह का समाधान हमारे देश में भी संभव क्यों नहीं हो सकता? लेकिन लोगों को संवेदन शील सहयोगी विचार वाले होना चाहिए। उन्हें राज नेता बनाना चाहिए। उन्हें राजनेता की तरह व्यवहार करना चाहिए लेकिन वे ऐसा नहीं करते। साधारण व्यक्ति और राजनेता के बीच क्या अन्तर है? साधारण व्यक्ति के मामले का जब तक उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटारा नहीं हो जाता तब तक वह शांत नहीं बैठता।

वह जिज्ञासु एवं विनोदी होता है। लेकिन एक राजनेता आदान-प्रदान की नीति का अनुगमन करने के लिए तैयार रहता है। यही मैं जोर देना चाहता हूँ कि राजनेता को इसी तरह की अनुमति दी जानी चाहिए और वह तभी हो सकता है जब संसदीय कार्यों को और विधान कार्यों को बुद्धिमता से किया जाये।

एक मुख्य मंत्री थे जिन्होंने कहा था कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक से धन निकालने की पूर्णतया स्वतन्त्रता होनी चाहिए। अब भारतीय रिजर्व बैंक से धन लगाने के लिए कहिए जो उनके अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए आवश्यक है। इन योजनाओं पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। लेकिन धन के लिए सीमा है अतः केन्द्र कहता है, उनके अपने लोग कहते हैं और वह कहते हैं कि केन्द्र के पास जाइए। केन्द्र को कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य करना होता है, रक्षा खर्च और रक्षा सम्बन्धी शेष सभी खर्च करने पड़ते हैं, मुद्रा स्फीति का सामना करना पड़ता है घाटे की वित्त व्यवस्था का सामना करना पड़ता है और भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक से अधिक छापने के लिए कहना पड़ता है। अगर यह केन्द्र सरकार के लिए संभव है तो यह मेरे लिए क्यों संभव नही है। अब उन्हें संविधान की शुरू की बातें कौन बताए राजनीति जीवन का शुरूआत कौन बताये। अगर ग्राम पंचायत का विरोध करती है, मंडल पंचायत का विरोध करती है, मंडल पंचायत जिला परिषद् का विरोध करती है फिर जिला परिषद राज्य सरकार का विरोध करती है। तो उन्हें इस स्थिति पर विचार करना चाहिए। तो उन्हें केवल एक व्यक्ति की तरह नहीं सभी मुख्य मंत्रियों को इस बारे में सोचने दीजिए और तब वे इस आवश्यकता को महसूस करेंगे। उनके लिए संविधान का अनुसरण करना बुद्धिमत्ता है लेकिन केन्द्र को संविधान के अनुसार कार्य करना है और राज्य सरकारों को भी भली प्रकार करना है। वे 'व्यवहार' शब्द को पसंद नहीं करते। वे कहते हैं आप कौन होते हैं?" यही समस्या त्रिपुरा में है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। त्रिपुरा में क्या हुआ था। हमने उन्हें राज्य का दर्जा दिया लेकिन इसकी जनसंख्या कितने मिलियन है, इसका आकार कितना है। विशाल देश का यह छोटा सा भाग हैं। इसलिए उन्हें सुरक्षा के बारे में सरकार की गलती निकालनी चाहिए क्योंकि केन्द्र का हस्ताक्षेप करना आवश्यक है। एक राज्य से पड़ोसी राज्यों में आवागमन के बारे में अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता।

मेरे माननीय मित्र इस संकल्प के प्रस्तावक ओक्सफोर्ड में तथा भारत में मेरे अच्छे मित्र थे। दशक के दौरान, जब हम स्वतन्त्र पार्टी में थे तो हम भी उसी तरफ बैठे थे जहां आज प्रो० दंडवते बैठे हैं। वह हमारे देश में एक अत्याधिक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ है और जानबूझकर उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है, जल्दी पुनः निर्माण करना ताकि संघवाद—और आदि इत्यादि वह सीधे यह नहीं कहते कि राज्य सरकार को इतने अधिक अधिकार (शक्ति) होने चाहिए। पहले ही उनके पास काफी अधिकार हैं निश्चित ही हम इसके जल्दी पुनर्निर्माण करने के पक्ष में है। यह कोई जल्दी नही है यह तो हमेशा होने वाला कार्य है, लेकिन समय-समय पर हमें इसका पुनः निर्माण करना चाहिए। परन्तु, जैसा समय आता है, मैं कहूंगा कि समय आ गया है। यह आयेगा बशर्ते प्रथमतया राज्यों में मुख्यमन्त्रियों, दूसरे प्रधानमन्त्री, तीसरे अपने आयोग साबित राष्ट्रीय योजना आयोग, जिसे संविधान पारित करते समय आपने शामिल नहीं किया था, देश को एक बनाने में सहयोग दे रहे हैं एक राजनेता की तरह सहयोग के इच्छुक हों, और वे इस तरह व्यवहार न करें जैसे कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद् से उठकर चले गए उन्होंने उद्यमी छात्रों जैसे व्यवहार किया। अतः समय आ

[प्रो० एन० जी० रंगी]

गया है बशर्ते कि इस तरह का बातारण हो। जब तक ऐसा वातावरण नहीं बनता मैं संविधान की कसम खाने के लिए तैयार हूं कि मैं इससे नहीं हटूंगा।

दूसरी बात कुछ मुख्य मंत्रियों का कहना है कि अन्तर्महाद्वीपीय अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियां भी हमारे पास होनी चाहिए। एक राज्य सरकार से प्रस्ताव आये थे कि उन्हें अन्य देशों से ऋण लिये जाने, अन्य देशों से औद्योगिक कम्पनियों को आमन्त्रित करने तथा उनके अपने औद्योगिक संस्थानों में भागीदार बनने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। इस दिशा में हम कहां जायेंगे। मैं अपने माननीय मित्र से कहूंगा कि वे इस पर गम्भीरता से सोचें। यदि आप इस तरह की बातों की अनुमति देंगे तो हमारा देश बर्बाद हो जायेगा। ये मुगल काल में पहुंच जायेगा जब एक महान पेशवा यहां पर था— क्या वह एक पेशवा था वह क्या था ?

एक बादशाह हार गया और उसके अपने सरदार ने उसके ऊपर बैठकर उसकी आंखें निकाल लीं यह सब औरंगजेब के बाद हुआ। हमारे देश में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, यही कारण है कि मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न था उस समय भी इन्दिरा जी ने जोर देकर कहीं और कहा "कुछ नहीं होगा" यदि आप चाहते हैं तो हमारे योजना आयोग से बात कर लें। यदि वे सहमत हो जाते है कि आपके लिए अमुक औद्योगिक संस्थान की अत्यन्त आवश्यकता है तो आप योजना आयोग से बातचीत करें कि आप इसके लिए पैसा कहां से लायेंगे। चाहे वह अमेरिका की संस्था हो या संसकीय कोई भी अन्य विदेशी संस्था जो कि आपकी स्थानीय संस्था के साथ सहभागी बनने की इच्छुक है इन्हें इस पर चर्चा करने दीजिए। लेकिन यह हमारे तत्वाधान में, हमारे योजना आयोग के तत्वाधान में होना चाहिए। उसके बाद हम निश्चय करेंगे। उस पूरी विदेशी पूंजी को आम राष्ट्रीय संसाधन माना जाना चाहिए। उसके बाद इसे एक दूसरे राज्य में बांटा जा सकता है। केवल एक राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि बाहर से पैसा उधार ले जबकि अन्य सभी राज्य पैसे के लिए शोर मचा रहे हैं। जब धन, पूंजीनिवेश औद्योगिक विकास राष्ट्रीय विकास तथा शैक्षणिक विकास के मामले में पूरा देश एक है।

अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहूंगा। इसकी क्या स्थिति है। हमारे यहां नवोदय योजना है, जो कि बहुत अच्छी योजना है हाल ही में प्रधानमंत्री ने बड़े अच्छे तरीके से इस बारे में बताया मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में कभी कोशिश नहीं की गई थी हरिजनों यहां तक अल्पसंख्यकों, मुसलमानों अन्य वर्गों महिलाओं सभी की उपेक्षा की जाती रही देश में राष्ट्रीय प्रतिभा के लिए आप एक जाति पर निर्भर रहते हैं। इसलिए देश का पतन हुआ धीरे-धीरे अंग्रेज यहां आये और शिक्षा का व्यापक विस्तार किया। अब प्रधानमंत्री आए हैं। शिक्षा मंत्री नवोदय नामक क्रांतिकारी योजना लाये हैं। इसका उद्देश्य उन सभी अल्पसंख्यक समुदायों, अविकसित लोगों, दलित लोगों और विशेष तौर पर निर्धन लोगों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना है। इन्हें दिलाई जाने वाली दून अथवा किसी भी पब्लिक स्कूल अथवा विदेश या अमेरिका या कैम्ब्रिज या ओक्सफोर्ड में दिवाई गई शिक्षा स्तर के बराबर ही होगी। उन्हें ऐसी शिक्षा दिलाई जायेगी। इस तरह से हमारी वही स्थिति होगी जैसे कुएं में से भूमिगत पानी बाहर आता है। इतनी अधिक संख्या में लोग है जिन्हें राष्ट्र को अच्छी बनाने, राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रीय बुद्धिमत्ता के लिए नहीं बुलाया गया था। बौद्धिक विकास के लिए यह एक महान संदेश है कोई भी सरकार अपनी बुद्धिमत्ता से क्या कहती है। उन्हें यह कहां से मिलेगी। सिर्फ भगवान् ही जानता है। हम नवोदय का उपयोग करने नहीं जा रहे है। उनमें थोड़ी

बहुत बुद्धि क्या यह पूरब से है या पश्चिम से भगवान ही जानता है लेकिन वे इसे नहीं चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वह कौन सा हल है जो कि आप या तो राजामनार या सरकारिया या आनन्दपुर के गुरुद्वारा से प्राप्त कर सकते हैं जहां पर खालिस्तान बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमें निश्चित ही पुनर्निर्माण करना चाहिए लेकिन अभी नहीं। कब ? जब सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ राजनेता की भांति प्रगतिशील व्यवहार से तथा उस तरीके से जिसमें हमने पिछला संविधान बनाया था, व्यवहार करेंगे।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, संविधान के प्रारम्भ में डा० अम्बेडकर ने हमें सावधान किया था और कहा था कि संविधान को लागू करने के लिए हमें सज्जन व्यक्तियों की जरूरत है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महिलायें भी।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं मानता हूं कि सज्जन व्यक्तियों में महिलायें भी शामिल है।

जब मैं अपने सम्माननीय श्री एन० जी० रंगा का भाषण सुन रहा था तो मैं दरअसल में प्रभावित हुआ और मैं सोच रहा था कि वास्तव में वह समय आ गया है जब हमें इसका पता लगाना चाहिए कि भारत देश कहां जा रहा है, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या हम अपना रास्ता भूल गये हैं और हमें अपने आपको सही रास्ते पर लाने के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि हम वास्तव में संघीय, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप कार्यकरण में अपने आप को परिपक्व बना सकें।

महोदय, राजनीति को हमेशा एक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अन्तर्गत आप यह तय करते हैं कि किसको, क्या कितना और कैसे मिला है। राजनीति का सम्बन्ध समाज की परिसम्पत्ति, संसाधनों, वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से है। परन्तु हमारे देश में राजनीति का मूल्य कम होकर प्रतियोगितात्मक अर्जन का एक खेल बन गया है और राजनीतिज्ञ शायद अभिगृहीत जानवर है। बड़ी आशापूर्वक अपने राज्यों, क्षेत्रों और समुदायों के लिए अधिक धन प्राप्त करने के लिए हम एक दूसरे से हमेशा झगड़ रहे हैं। कुछ संघर्ष जरूरी है, कुछ हद तक प्रतियोगिता भी आवश्यक है, परंतु जब यह प्रतियोगिता उस स्तर पर पहुंच जाती है जहां हम अपने देश के दूसरे क्षेत्र की तथा अपने देश के दूसरे क्षेत्र की तथा अपने देश के दूसरे समुदाय की वैध आकांक्षाओं का अतिक्रमण करना शुरू कर देते हैं तब शायद हम उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं जो उस सामजस्य के लिए उचित नहीं है जिसका प्रो० रंगा ने उल्लेख किया है।

महोदय, आज हमारे पास समस्याओं की तरफ ध्यान देने के दो तरीके हैं। एक दरअसल में, समकालिक वास्तविकता ठोस तथ्यों की जांच करना है। दूसरा धारणात्मक विचार पर ध्यान देना है और मेरे विचार से सरकारिया आयोग ने यही करने की कोशिश की है, क्या किया जाए तथा क्या व्यवस्था है जिस पर हम आगे बढ़े। दरअसल में, इसकी वास्तविक जांच होती रहेगी कि हम समकालिक वास्तविकता को सैद्धान्तिक में कैसे बदल सकते हैं, बार-बार जिसे हम दोहरा रहे हैं। परन्तु आज हमें सभी की वही प्रवृत्ति लगती है, चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो कि विगत 40 वर्षों में रही है, इस बात को ध्यान में रखकर कि परित्याग ही अंतिम परीक्षण है हमारे देश में प्रत्येक राजनीतिक दल और प्रत्येक राजनीतिक नेता सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं।

परन्तु वास्तव में हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि प्रवृत्ति केन्द्रीयकरण की तरफ रही है। अधिक से अधिक शक्तियां अधिक से अधिक अधिकार और अधिक से अधिक कार्य स्थानीय निकायों या नगरपालिकाओं के स्तर से ऊपर चले गए हैं। जो कार्य कभी पंचायतों द्वारा किये जाते थे, वे सभी कार्य नौकरशाही या जिला प्रशासन या राज्य सरकारों के हाथ में चले गये हैं। कुछ हद तक इनमें से अधिकांश कार्य केन्द्रीय सरकार के हाथ में केन्द्रित हो गए हैं।

इसे करने के तरीके हैं। जब राज्य के संसाधनों पर आपका नियन्त्रण है तो मेरे विचार से यह आपका ओछापन है तथा मुख्यमंत्री का बार-बार दिल्ली जाकर एक करोड़ या दो करोड़ या दस करोड़ मांग रहे हैं लेने के लिए तर्क दे रहे हैं और जितना हो सकता है वे लेने की कोशिश करते हैं। दे दिया जाता है और कुछ को नहीं दिया जाता है।

मेरे विचार से उससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जो व्यापक राष्ट्रीय हित में नहीं होनी चाहिए। हमें इसे रोकना चाहिए मेरे विचार से यह प्रश्न है। हमें इस विचार से शुरू करना चाहिए कि यह 40 वर्षों की प्रवृत्ति बदल जाए गांधी जी ने ग्राम पंचायतों के बारे में कहा था। इसलिए मैं जब केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में सोचता हूं तो मैं केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों तक ही सीमित नहीं रहूंगा। मैं समझता हूं कि आपको केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण पर विचार करना चाहिए और इसके बाद राज्य सरकार को भी अपनी शक्तियों में जिला स्तर और जिला स्तर पर जो भी प्राधिकारी है उसको भागीदार बनाना चाहिए और इसके बाद खण्ड स्तर और पंचायत स्तर पर शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए।

एक दिन जब प्रधानमन्त्री ने योजना प्रक्रिया को बदलने के बारे में कहा तो मैं बहुत खुश था। हम कई वर्षों से यही इसी के लिए तर्क कर रहे हैं कि इस देश की आर्थिक और सामाजिक योजना का निर्माण अकेले दिल्ली में ही नहीं होना चाहिए। इसे निचले स्तर से शुरू किया जाना चाहिए। गांवों की योजनाओं के संयोजन से पंचायत योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। पंचायत योजनाओं के संयोजन से जिला योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। जिला योजना के संयोजन से राज्य योजना का निर्माण किया जाना चाहिए और अन्त में इसी के समरूप राज्य योजनाओं के संयोजन से राष्ट्रीय योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। वास्तव में, मैं उन विशिष्ट क्षेत्रों की सत्ता के बारे में नहीं कहा रहा हूं उदाहरणार्थ जिनमें केन्द्र सर्वोपरि है। दरअसल में, उस मामले की केन्द्र को स्वयं योजना बनानी है। मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा। परन्तु स्थूल रूप से यह व्यवस्था होनी चाहिए।

यह कहने के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्य की दृष्टि से इतिहास और भूगोल की दृष्टि से देश के आकार की दृष्टि से और अनेकता की दृष्टि से, जो कि इतिहास की देन है, प्रशासन में कार्यकुशलता और जिम्मेदारी सत्ता के विकेन्द्रीकरण के बिना संभव नहीं है। यदि गांव का अध्यापक कार्य नहीं कर रहा है तो केन्द्रीय शिक्षा मंत्री उस पर नियन्त्रण नहीं कर सकता। यह असम्भव है। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी अपने कार्य की तरफ ध्यान दे रहा है तो यह केवल उस स्तर पर उसका कार्य नियन्त्रित किया जा सकता है और उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसलिए उस स्तर पर निगरानी होनी चाहिए। उस निगरानी को प्रभावी बनाने के लिए उस स्तर पर अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसलिए पूर्णत: कार्य की दृष्टि से हमें उस प्रत्येक स्तर के लिए जिम्मेदारी के क्षेत्र निर्धारित करने पड़ेंगे जिसका मैंने जिक्र किया है। नि:सन्देह हमने इन केन्द्रीय विषयों के बारे में विचार

किया। मेरे विचार से हम इससे बिल्कुल भी असहमत नहीं हुए बल्कि हमेशा सहमत रहे हैं कि सम्प्रभुता के सम्बन्ध में कुछ ऐसे कार्य हैं जो सिर्फ केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा ही किये जा सकते हैं। देश की स्वतंत्रता के अनुरक्षण देश की एकता विदेशी शत्रुओं से इसके संचार का राष्ट्रीय नेटवर्क, इसकी राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली, इसके व्यापक आर्थिक सम्बन्ध भी, आर्थिक व्यवस्था और विश्व के दूसरे देशों के साथ इसके सम्बन्ध क्योंकि आज विश्व में कोई भी अर्थव्यवस्था निर्वात में नहीं चलती इसे विश्व के पर्यावरण में चलाना पड़ता है ये सभी कार्य केवल एक केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा किये जा सकते हैं। मन स्थिति से कुछ कठिनाई है। मेरे विचार से प्रत्येक व्यक्ति इसे मानता है और स्वीकार करता है। परन्तु हमारे मन में कुछ संदेह और भय है जो हमारे विचार को इस दिशा में प्रेरित करता है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण या स्वायत्तता का अन्तिम अर्थ देश का विघटन हो सकता है। यह भय है। हमने हमेशा कहा है और अपने छोटे से राजनैतिक जीवन में बहुत से वक्ताओं को यह कहते हुए सुना है कि भारत भारत ही है या अपने स्वरूप को बनाये रखा है केवल तब जब केन्द्र मजबूत है और जब केन्द्र कमजोर था तो भारत का विभाजन हो गया।

मैं समझता हूं कि इतिहास से सबक सीखना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही पीछे की सरकारों ने वे सभी कार्य नहीं किये जिनकी हम आजकल की सरकारों से अपेक्षा करते हैं और इसलिए सभी चार मुद्दों के बारे में कोई तुलना नहीं हो सकती। यही कारण है कि मैं यह कार्यात्मक दृष्टिकोण ले रहा हूं कि कुछ स्वीकृत कार्य ऐसे हैं जो केवल केन्द द्वारा ही निष्पादित हो सकते हैं, लेकिन आपको इसके साथ ही यह स्वीकार करना चाहिए कि कुछ कार्यों का निष्पादन केवल ग्राम स्तर पर ही हो सकता है, कुछ कार्यों का पंचायत स्तर पर अथवा जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर पर ही निष्पादन हो सकता है। केवल वही कार्य जो निचले स्तर पर निष्पादित नहीं हो सकते उन्हें ही उच्च स्तर पर लिया जाना चाहिए। यही हमारा सर्वमान्य सिद्धान्त होना चाहिए और यही हमारी अवधारणात्मक रूप-रेखा होनी चाहिए और मेरे विचार से इसके बगैर हम वास्तव में सही सन्तुलन प्राप्त नहीं सकते।

यह समस्या देश के कतिपय केन्द्रीय भू भाग की भौगोलिक स्थिति और इसके चारों ओर के क्षेत्र से उनके सम्बन्भ से उत्पन्न हुई भी है। आजादी के चालीस वर्ष बाद मुझे इस बारे में अत्यधिक चिंता है कि जिस प्रकार हमने अपनी राज्य व्यवस्था को चलाया है, उससे हम अपने देश के अन्य क्षेत्रों की वैध आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए हैं। हमारे देश के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग महसूस करते है कि वे इस व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है, वे इसमें भाग नहीं ले रहे है, वे इस योजना से अलग हैं; राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण अथवा संकल्प में उनका योगदान नगण्य होता है। यह तो वह केन्द्रीय स्थान ही जो सब कुछ निर्धारित करता है तथा नियम बनाता है और वे ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे इस व्यवस्था में केवल लक्ष्य मात्र हैं इस व्यवस्था में बराबर के सहभागी नहीं हैं। अब, यह डर पूर्णत: सही नहीं हो सकता लेकिन यह डर तथा आंशका विद्यमान है तथा यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे देश के अन्य क्षेत्रों के लोग इस प्रकार के विचार अथवा भावनाएं न रखें।

मैं एक और सामान्य बात कहना चाहूंगा। हमारे में जब भी कोई भी समस्या विद्यमान होती है, राष्ट्रीय स्तर की कोई स्थिति होती है तो सर्वसम्मति से इससे निपटने के लिए एक निश्चित राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना होता हैं। ऐसी समस्या के अनुरूप एक राष्ट्रीय सर्वसम्मति, एक राष्ट्रीय मानक, एक राष्ट्रीय स्तर, इससे निपटने के एक राष्ट्रीय तरीके की आवश्यकता है क्योंकि समस्याएं स्थान-स्थान पर तथा समय समय पर आती रहती है लेकिन मूलरूप से ये समस्याएं एक ही स्थिति की अभिव्यक्ति हैं। उदारण के लिए, चाहे आप सामाजिक हिंसा से निपट रहे हैं या भाषायी अल्पसंख्यकों से निपट

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

रहे हैं अथवा आप स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से निपट रहे हैं अथवा आप प्राथमिक शिक्षा की समस्या से निपट रहे हैं, तब आपको प्राधिकार तथा नियम इन दो बातों को पृथक रखना चाहिए। नियम एक समान होने चाहिए, सार्वभौमिक, व राष्ट्रीय होने चाहिए क्योंकि हम अपने सभी लोगों को एक मानते हैं हम मानते हैं कि हमारे देश के सभी भाग समान व्यवहार पाने के पात्र हैं। इसलिए जब मैं इस विचार को केन्द्र राज्य सम्बन्धों के मामले में प्रयुक्त करता हूं संसद में पंजाब पर बोलते हुए भी पहले मैंने कहा है कि चाहे मैं कितना ही अधिक विभिन्न राज्यों के लिए स्वायत्तता की जरूरत तथा और अधिक स्वायत्तता का समर्थन करता हूँ लेकिन भारत के किसी भी राज्य के लिए पृथक शासन के लिए मैं सहमत नहीं हो सकता। हां, कश्मीर का मामला ऐतिहासिक स्थितियों तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण ऐसा है। फिर भी आप इतिहास को उलट नहीं सकते हैं। इतिहास है। लेकिन फिर भारत के सभी राज्यों पर केन्द्रीय निगरानी केन्दीय अथवा केन्दीय नियन्त्रण आदि अधिक या कम मात्रा में सभी पर एक ही पद्धति के अनुसार, समान में लागू होने चाहिए। यह एक राज्य के मामले के कम और दूसरे के मामले में अधिक नहीं हो सकता। इस प्रकार में एक रूपता के इस सिद्धांत का सिर्फ एक विशिष्ट समस्या के लिए ही करता हूं बल्कि केन्द-राज्य सम्बन्धों जैसे बड़े सन्दर्भ में भी इसे प्रयुक्त करता हूं। फिर भी में इस स्थिति को उस समय हास्यास्पद पाता हूं जब यद्यपि हम एक समान स्तर निर्धारित करते है लेकिन वास्तविक स्थितियों से इन्हें प्रयुक्त करते समय किसी प्रकार से हम अपने व्यवहार में पक्षपाती बनने लगते हैं, हम बहुत स्पष्ट नहीं हो पाते हैं हम प्रत्येक स्थिति को समान रूप से नहीं देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की शिकायतों अथवा आकांक्षाओं को हम एक समान दृष्टि से नहीं देखते हैं। कोई हमारा है तथा कोई हमारा नहीं है। कुछ सरकारें उसी पार्टी की हैं जो केन्द में है तथा कुछ राज्यों में ऐसा नहीं है। इसलिए कुछ का समर्थन किया जाता है तथा कुछ को बहिष्कृत किया जाता है और हमारे राजनैतिक तंत्र सगेसम्बन्धियों और दूसरे बहिष्कृत व्यक्तियों का यह खेल चलता रहता है और इसी बात पर मुझे आपत्ति हैं। कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए क्योंकि पक्षपात से सदा गुंडा गर्दी पैदा होती है जिसकी प्रो० रंगा जी ने शिकायत की है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सभापति महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। श्री शाहबुद्दीन महोदय, आप बार बार अपने भाषण में भी यह कह रहे हैं कि वितरण तथा अन्य बातों के मामले में केन्द्र राज्यों को बराबर अवसर नहीं दे रहा है कृपया हमें इस बारे में कोई उदाहरण दीजिए जहाँ केन्द्र ने इस प्रकार का व्यवहार किया हो।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि सभापति महोदय मुझे इतना समय देंगे लेकिन मुझे विश्वास है कि जो समझते हैं उन्हें यह समझ आ जाएगा। जो समझते हैं उन्हें इसके बारे में पता है।

श्री राम प्यारे पनिका : वह इस मुद्दे को बार-बार दोहरा रहे हैं। इसलिए हमें वास्तविकता का पता लगना चाहिए। (**व्यवधान**) मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा राज्य कौन सा है। कृपया ऐसा एक उदाहरण दीजिए जहां पर राज्य की उपेक्षा की गयी है। (**व्यवधान**)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैंने कहा कि कुछ का समर्थन किया जाता है तो कुछ को बहिष्कृत किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : बहिष्कृत कौन हैं? (**व्यवधान**)

श्री राम प्यारे पनिका : एक उदाहरण दीजिए। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : जब आप राज्यों की मांगों पर विचार करते हैं तो किसी प्रकार से आप यह महसूस करने लगते हैं कि आप एक विचित्र स्थिति में हैं अथवा आप राजनैतिक रूप में उसी पार्टी के नहीं हैं। कुछ भेदभाव आने लगता है। हो सकता है यह मानवीय प्रकृति का एक अंग है, संभवत: यह एक राज्य की कार्य प्रक्रिया का ही भाग है, इस बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन भारतीय राजनैतिक स्थिति का एक निष्पक्ष प्रेक्षक इस बात को स्वीकार करेगा कि यद्यपि हम एक समान मानक तथा एक समान नियमों का निर्धारण तो कर देते हैं लेकिन जब इन्हें लागू करने का समय आता है तब हम संतुलन की उसी मात्रा अथवा भावना से विचार नहीं करते हैं। मुझे यहां पर कुछ और नहीं बताना है, यहां बहुत से विद्वान व्यक्ति विद्यमान हैं, वे मेरी बात को समझते हैं।

महोदय, अब इस मुद्दे पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं छोटे राज्यों के पक्ष में हूं क्योंकि एक प्रकार से मदद मिलती है कि जब आप के पास छोटे राज्य हैं जो एक दूसरे से तुलना योग्य है तब एक शक्तिशाली राज्य और एक कमजोर राज्य के मामले में होने वाले भेदभाव में संभवत कमी आ जाएगी। हम जानते हैं कि कम से कम उत्तर में तो ऐसे कुछ राज्य इतिहास में वास्तव में अचानक ही उभरकर सामने आए हैं। इन राज्यों के अन्तर्गत काफी विस्तृत भूमि है जहां मुश्किल से ही हितों में कोई समानता है, एक क्षेत्र से सम्बन्धित होने की भावना नहीं है और इसलिए जब आप इतिहास को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप पाते हैं कि हमारे इतिहास में कुछ विशेष इकाइयां भी जिनका विशेष सांस्कृतिक महत्व है, जिन्होंने हमारे इतिहास में अनूठा योगदान किया है, प्रशासनिक दृष्टि से उनकी व्यवस्था ठीक थी या नहीं इस प्रश्न के अलावा उनका नाम बीते समय के इतिहास में अभी भी गूंजता है इसलिए इस क्षेत्र के लोगों में परस्पर एक समझ हैं तथा एक साझे लक्ष्य के लिए एक दूसरे के साथ कार्य करने और सहयोग करने की काफी संभावना है। यही वजह है कि मैं छोटे राज्यों के समर्थन में बोलता हूं। एक बार आप छोटे राज्य बना लेते हैं तो केन्द्र तथा राज्यों के बीच सही सन्तुलन स्थापित करने की और अधिक संभावनाएं होंगी। यह भी इस मामले का एक पक्ष है क्योंकि कभी कभी केन्द्र को विभिन्न राज्यों के बारे में सोचना होता है जिनमें किसी की आबादी 12 करोड़ होती है और कही दस लाख से भी कम की आबादी होती है और जिन एक समान मानकों का मैंने जिक्र किया है उन्हें ऐसी स्थिति में प्रयुक्त करने में केन्द्र कठिनाई महसूस करता है। इसे संभवत इस प्रकार से दूर किया जा सकता है कि इतिहास, भूगोल, संस्कृति, भाषा को ध्यान में रखा जाए और फिर ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक इकाईयां बनाने का प्रयास किया जाए जिनमें एक रूपता हो जहां ऐसी आकांक्षाएं हों जिनके लिए लोग प्रयास करे तथा सभापति महोदय, यह भी एक कारण है कि मैं महसूस करता हूं कि इसकी वजह से छोटे राज्यों का विकास काफी तेजी से हुआ है। हरियाणा जैसा राज्य जो संसाधनों के मामले में मेरे बिहार राज्य से बहुत पीछे है उसने भी काफी तेजी से प्रगति की है।

एक माननीय सदस्य : आप झारखंड का समर्थन कर रहे हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : यह मेरी केवल अवधारणात्मक प्रस्तुति है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : झारखंडी मत बनिए। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं जन्मजात झारखंडी हूं, कुछ भी हो।

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

5.00 म० प०

अब जहां तक संवैधानिक तथा कानूनी उपबन्धों का संबंध है, बेशक, जब हम सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे उस समय हमें इस बारे में विस्तार में जाने का अवसर मिलेगा। मुझे आशा है कि इसे संसद के सामने सरकार की विचारधारा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा और जैसा कि गृह मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है हमें सिफारिशों पर विस्तार से तथा गहराई में चर्चा करने का अवसर मिलेगा और उस मुद्दे पर हम एक राष्ट्रीय सहमति पर पहुंच जाएंगे।

एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में है और यह हमेशा एक विवादास्पद प्रश्न रहा है, यह है कि अवशिष्ट शक्तियां कहां होनी चाहिएं। मेरे विचार में वह हमसे 1920 से ही छीन ली गयी है जबकि हमने शक्ति के संविधानिक हस्तांतरण की अपेक्षायें करने लगे। मैं यह महसूस करता हूं कि जब मैं नीचे से शुरू होता हूं और मैं उत्तरदायित्वों तथा कर्त्तव्यों का कार्यात्मक आवंटन चाहता हूं—जो नीचे से शुरू किया जाये तो यह स्पष्ट और तर्कसंगत है कि अवशिष्ट शक्ति अन्ततः केन्द्र सरकार में निहित होनी चाहिएं। क्योंकि मैं नीचे से शुरू होकर कार्यात्मक रूप से धीरे-धीरे, कदम दर कदम आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए मेरे विचार में अवशिष्ट शक्ति केन्द्र सरकार के पास होनी चाहिए। परन्तु हमें हर स्तर के प्रति ईमानदार होना चाहिए और हमें जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें उनके साथ बहुत ईमानदार होना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके साथ न्याय करने के लिए जो कुछ संभव है लोगों के हित में प्रभावी कार्य करने के लिए कुछ संभव है लोगों के लगाव को अपने अन्तिम उद्देश्य के रूप में समझना चाहिए। उन शक्तियों को परिभाषित करने में हमें उदार होना चाहिए और फिर सैद्धान्तिक तौर पर कुछ शक्तियां बचेंगी और वे भी निःसन्देह केन्द्र सरकार के पास ही जाएंगी।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : गांव में धर्म निरपेक्षता का कोई माहौल नहीं है। यहां सब जातिवाद है। मेहरबानी करके याद कीजिए कि बिहार और आन्ध्र प्रदेश में क्या भयंकर काण्ड किये गये हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : वे वही लोग हैं जो हमें चुनकर संसद में भेजते हैं। मैं नहीं कह सकता कि मैं ग्रामीण हूं परन्तु मुझे कहना चाहिए कि मैं गांवों में भी गया था। **(व्यवधान)**

बहरहाल, मुझे एक संस्था, राज्य पास रूपी संस्था का उल्लेख करना चाहिए। एक दृष्टिकोण है और मेरे विचार में इस पद को समाप्त करने के लिए उचित मामला बनाया जा सकता है परन्तु शायद एक समान ही बेहतर मामला उस पद को बनाए रखने के लिए बनाया जा सकता है परन्तु दुर्भाग्यवश राज्यपाल का पद जो एक संवैधानिक पद है जैसाकि संविधान में उल्लेख किया गया है उसे व्यावहारिक तौर पर केन्द्र सरकार का एक एजेन्ट बनाया जा रहा है। मैं कटु वाक्य इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मैं उन्हें केन्द्र सरकार की कठपुतली कह सकता था परन्तु मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप ऐसे कितने ही उदाहरण ले लीजिए जिनमें राज्यपाल ने केन्द्र सरकार के कहने पर कार्य किया है और मेरे विचार में यह बात ही इस संस्था को खाये जा रही है। बेशक हमारे पास सरकारिया आयोग की सिफारिशें हैं कि कम से कम सक्रिय राजनीतिज्ञों को राज्यपालों के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग का कहना है कि सेवा निवृत्त मंत्रियों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए...

कार्मिक, लोकशिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : क्या हमें निष्क्रिय राजनीतिज्ञों को नियुक्त करना चाहिए ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : उन राजनीतिज्ञों को नियुक्त करना चाहिए जिन्होंने राजनीति छोड़ दी है।

श्री पी० चिदम्बरम् : इस बात के लिए मैं सबसे पहले तैयार हूं।

प्रो० मधु दंडवते : यही बात वह कहते हैं : जब उम्मीदवार चुनाव में हार जाते हैं तो वे निष्क्रिय राजनीतिज्ञ हो जाते हैं।

श्री वीरसेन (खुर्जा) : क्या आप चाहते हैं कि नौकरशाहों को राज्यपाल नियुक्त किया जाए?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : कोई भी हो सकता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हम राजनीतिज्ञ सोचते हैं कि हम बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। नहीं। देश वास्तव में उन लोगों द्वारा चलाया जा रहा है जो राजनीतिज्ञ नहीं हैं।

इसी प्रकार आपात कालीन उपबन्धों के संबंध में मेरी एक अनुभूति है कि आपात कालीन उपबन्धों का अत्यन्त प्रयोग होता है। मेरे विचार से इनका अत्यधिक उदारता से उपयोग किया गया है और मैं इस सभा को केवल यह कहना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता के 40 वर्षों के दशकों में बांटकर देखा जाए। पहले 10 वर्षों के उदाहरण को ही लीजिए, फिर अगले 10 वर्षों को, और फिर उससे अगले दस वर्षों को और फिर सबसे अंतिम 10 वर्षों को। संभवतः आप देखेंगे कि गत 10 वर्षों में हमने आपात कालीन उपबंधों को जितनी बार लागू किया है वह गत 30 वर्षों में लागू करने के अवसरों की संख्या से कहीं अधिक है। अतः या तो राज्य व्यवस्था किसी हद तक बिगड़ गयी है जो वास्तव में चिन्ता का विषय है अथवा शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि संविधान में आपात कालीन उपबन्ध होने चाहिए किंतु इनका अत्यन्त सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिये।

मैं दो या तीन बातें और कहना चाहता हूं। जहां तक सेवाओं का संबंध है, मेरे विचार में मोटे तौर पर एक राष्ट्रीय सर्व सम्मति है कि सेवाओं द्वारा और अधिक कार्य किए जाने चाहिएं। और अधिक अखिल भारतीय सेवाएं होनी चाहिए। उदाहरण: अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के संबंध में बहुत चर्चा हो रही। न्यायपालिका के संबंध में मैं थोड़ा सावधान कर देना चाहता हूं। पिछली बार राज्य सभा का सदस्य बनने पर मैंने न्यायपालिका की सर्वोच्च परिषद् के गठन के बारे में एक विधेयक प्रस्तुत किया था ताकि न्यायाधीशों के चयन के मामले में आज कार्यपालिका अपने जिस प्रभाव का प्रयोग करती है उसे कम किया जा सके। यह विशुद्ध रूप से एक न्यायिक कृत्य होना चाहिए जिसमें सम्बन्ध उच्च न्यायालय, बार काउंसेल, भारत का मुख्य न्यायाधीश योगदान देते हैं, किंतु राष्ट्रपति यथा संभव केवल दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और मुहर लगाने तक ही है। यह स्थिति है। इस बात से राजनीति बीच में आती है। मुझे विश्वास है कि यह बीच में आ रही है और जैसे प्रो० एन० जी० रंगा ने ठीक ही कहा कि जिन महारथी व्यक्तियों ने अच्छी परम्पराएं स्थापित करने का प्रताव किया था आज यहां नहीं हैं।

प्रो० मधु दंडवते : आज उन्हें रोक दिया गया है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : आर्थिक तथा सामाजिक योजना पर मेरा एक मुद्दा है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का सम्पूर्ण विचार है मेरे लिए एक अभिशाप है। मैं यह सुझाव देता हूं कि केन्द्र की व्यापक धारणा इकट्ठा करने वाली एजेन्सी और फिर इन संसाधनों का वितरण करने वाली एजेन्सी होना चाहिए, जो भी फार्मूला वित्त आयोग देगा, और राष्ट्रीय सर्वसम्मति से अनुमोदन होगा, फिर

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होना चाहिए। यह एक ऐसा मंत्रालय है जिसका कोई प्रशासनिक कृत्य नहीं है। उदाहरण के तौर पर शिक्षा मंत्रालय। यह कोई बाध्य नहीं बनाता है, और इनके पास कोई बाढ़ नियंत्रण योजना भी नहीं है। यह किसी भी प्रकार का संचालन नहीं करती है। यह धन को केवल थोड़ा-थोड़ा करके बांट देता है। यह केवल धन बांटने वाली एजेन्सी है। मैं इस एजेन्सी का समर्थन नहीं करता हूं। यदि काम राज्य सरकार को करना है तो पैसा भी राज्य सरकार को ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि वह तीस्ता परियोजना अथवा महानदी घाटी परियोजना को पसन्द करते हैं तो उसके लिए राज्य सरकार को आकर धन की भीख नहीं मांगनी चाहिए।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : यही कार्य सिंचाई मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। वह और अधिक महत्त्वपूर्ण है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं बात समझ गया मेरा एक मुद्दा है। मैंने सभा में कहा है कि तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन ऐसी नहीं है। मैं वित्तीय पहलू की बात कर रहा हूं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : यह देखना है कि क्या तकनीकी विशेषज्ञता उचित और व्यवहार है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : इसी बारे में तो राज्य शिकायत करते हैं। कभी आप किसी परियोजना को तत्काल स्वीकृति दे देते हैं। कभी उसमें दशक लग जाते हैं। इसी में तो राजनीति बीच में आ जाती है।

श्री शांताराम नायक : आप को विवादों का भी निपटारा करना चाहिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मंत्रालय के बजट में तकनीकी विशेषज्ञता के लिए भुगतान करने की व्यवस्था नहीं होती। मंत्रालय का जो बजट होता है। जो आबंटन उपलब्ध होता है, अंततः इसका 90% भाग राज्य द्वारा प्रयोग किया जाता है। मैं कहता हूं "इसे स्वयं आरंभ में ही राज्यों को दे दो। उन्हें अपने द्वार के भिखारी मत बनाओ।"

यह विचार कि प्रधान मंत्री कहीं दौरे पर जाते हैं और उदारता से सहायता अनुदान की अथवा परियोजना की घोषणा कर देते हैं, मेरे विचार में यह भी बहुत अधिक राजनीतिक है।

प्रो० मधु दंडवते : चुनाव की पूर्व संध्या पर।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : उनकी अपनी कुछ अलग मजबूरियां होंगी। उस के अलावा आखिरकार हम सरकार चला रहे हैं प्रशासन चला रहे हैं। जैसे मेरे मित्र ने कहा है परियोजना का मूल्यांकन और अध्ययन किया जाना चाहिए और राज्य सरकार को इसमें शामिल होना चाहिए आदि। यह सामान्य रूप से किया जाना चाहिए। किंतु क्यों एक राजनीतिक **···।

मेरा एक और मुद्दा प्रचार माध्यमों से संबंधित है। विगत में मैंने इस विषय पर चर्चा की थी और सुझाव दिया कि इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। संसद भी कभी** करती है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट संगठन) : ** शब्द का प्रयोग मत कीजिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : **···अकेले नहीं होता।

सभापति महोदय : मैं देखूंगा कि क्या यह संसदीय है। फिर हम इस पर विचार करेंगे।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : जहां तक प्रचार माध्यमों का संबंध है, मैं समझता हूं कि इनकी बहुत जबरदस्त शक्ति है। हम पूर्ण नियंत्रण की ओर जा रहे हैं। वास्तव में मैंने कहा है कि लोकतन्त्र में सूचना मंत्रालय की आवश्यकता नहीं है। या तो प्रचार माध्यम पूर्णतया स्वतन्त्र होने चाहिए या कम से कम यह विकेन्द्रित किए जाने चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय नेटवर्क से आप सबसे नीचे के स्तर पर जनता की शिकायतों और आकांक्षाओं की ओर ध्यान नहीं दे सकते हैं। अतः मैंने कहा है कि हम तीन चैनल क्यों नहीं बना सकते हैं। एक राज्य चैनल हो सकता है। और एक जिला चैनल भी हो सकता है। क्योंकि केवल ऐसा करने से ही हम विकास और शिक्षा के लिए उन लोगों की शक्ति को काम में ला सकते हैं।

अन्त में मैं यह कहकर समाप्त करता हूं कि यदि हम एक बार यह समझ सकें कि संसाधनों को जुटाने की जिम्मेदारी केन्द्र की है। किंतु वितरण कुछ एक समान मानदण्डों के अनुसार होना चाहिए और उन क्षेत्रों को छोड़कर जो पूर्णत: केन्द्रीय सरकार के अधिकार में हैं, शेष क्षेत्र राज्य सरकार के पास ही होने चाहिए। इसके पश्चात् हमारी वर्तमान योजना पद्धति, हमारी वर्तमान नियतन प्रणाली के बारे में बहुत कुछ करने की जरूरत है और इस मनमुटाव में काफी दुर्भाव उत्पन्न होता है जिससे हमें अलग रहना चाहिए यदि हमें केन्द्र और राज्य के बीच संबंधों को उचित बनाना है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं बड़े गौर से अपने दोस्त श्री शाहबुद्दीन की बातें सुन रहा था, वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको एक घंटे से सुन रहा था, लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा।

[अनुवाद]

मैं मानता हूं कि मेरी समझ कमजोर है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं घोड़े को पानी तक ले जा सकता हूं किंतु उसको पानी नहीं पिला सकता।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इतिहास सब कुछ नहीं होता है, हिस्ट्री सब कुछ नहीं है। कभी इतिहास कहता था कि स्ट्रांग सेंटर होना चाहिए, अब वह बात नहीं है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : स्ट्रांग सेंटर तो होना ही चाहिए, किसने कहा कि नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

किंतु इसके अपने क्षेत्र में।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : लेकिन मैंने सुना है कि

[अनुवाद]

जो इतिहास से नहीं सीखते हैं, वह इसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं।

[हिन्दी]

हम यदि हाल के इतिहास को अभी नहीं समझ पाए तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा। अंग्रेजों के आने के पहले इस देश का क्या हाल था, उनके चले जाने के बाद इस देश का क्या हाल हुआ? अभी हमारे आदरणीय रंगा जी ने कितने ल्यूसिड तरीके से समझाया कि कांस्टीट्यूशन असेम्बली के लोगों ने जब कांस्टीट्यूशन बनाया तो क्या सोचा था। ना तो हमारा कांस्टीट्यूशन यूनेट्री है, ना फैडरल है, यह अपने आप में बेजोड़ है और इसे बेजोड़ ही रहने देना चाहिए।

आप थोड़ी देर के लिए राजनीति की बात भूल जाएं और हृदय पर हाथ रखकर सोचें कि जो वाका अभी इस देश में हो रहा है, उसमें क्या केन्द्र को कमजोर कर देना चाहिए? क्या यह आपके और हमारे इण्ट्रेस्ट में, हित में होगा? केन्द्र कमजोर हो गया तो इस देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे और हम व आप कहीं के नहीं रहेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : स्टेन मजबूत होने से केन्द्र कैसे कमजोर होता है?

डा० गौरी शंकर राजहंस : कमजोर कैसे होता है, यह मैं बताता हूं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : देश है तो प्रदेश है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : किसी मकान के पाए को मजबूत करो, छत को छोड़ दो। मेरा कहना है कि छत को भी मजबूत करो और पाए को भी मजबूत करो। आप कहते हैं कि हाथ-पैर को मजबूत करो और सिर को छोड़ दो। मेरा कहना है कि हाथ-पैर को भी मजबूत करो और सिर को भी मजबूत करो। (**व्यवधान**)

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : हम तो यह चाहते हैं कि केन्द्र भी मजबूत हो और राज्य भी मजबूत हों। (**व्यवधान**)

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जरा शांति से सुनिए और केन्द्र को मजबूत होने दीजिए। आज के समय में स्ट्रांग सेंटर की बड़ी आवश्यकता है। मैं आपको एक सच्ची बात बतलाना चाहता हूं। हमारे बिहार में लोग इस बात को बहुत उचित महसूस करते हैं कि जहां-जहां सेंटर का दखल है वहां स्थायित्व और मजबूती है और जहां राज्य सरकार का दखल है वहां कमजोरी है। लोग खुले आम यह कहते हैं कि एजूकेशन को कन्करेंट सबजेक्ट में नहीं रहना चाहिए। यह एक केन्द्रीय विषय होती होगी। वे शिक्षा ग्रहण करने होना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि जितनी वहां पढ़ाई में धांधली होती है-शायद ही कहीं और के बाद जब दिल्ली में नौकरी करने के बाद जब दिल्ली में नौकरी करने के लिए आते हैं तो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। उसमें उन अभागे लड़कों का क्या कसूर है? हमें कहीं न कहीं एक लाइन खींचनी होगी और देश हित को सर्वोपरि मानना होगा। इसके साथ ही साथ जिसमें जिसका हित हो उसमें सेंटर और स्टेट की बात नहीं लानी चाहिए। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि देश का हित किसमें है?

अराजकता जब फैलती है तो आज भी लोग सी० आर० पी० और बी० एस० एफ० के नाम से डरते हैं। स्टेट पुलिस के बारे में तो वह यह सोचते हैं कि वह पक्षपात करती है। मैं तो यही कहूंगा कि आप केन्द्र को मजबूत होने का एक मौका दीजिए।

हमारे विरोधी भाइयों ने एक बात ओवर-ड्राफ्ट की भी की है। (**व्यवधान**)

इसमें आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा दिया जाता है और कहा जाता है कि जब सेंटर डेफिसिटी

फाइनेंसिंग कर सकता है और नोट छाप सकता है तो हम ओवर-ड्राफ्ट क्यों नहीं कर सकते। यह एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि आप जितना चाहो फिजूलखर्ची करो और उसको पूरा करने के लिए हम नोट छापें। मैं यह कहूंगा कि यह एक अपने आप में एक उदाहरण है कि इन्दिरा जी और राजीव जी के समय में जिन कांग्रेस शासित राज्यों ने ओवर-ड्राफ्ट ज्यादा किया उनको उनका प्राइस-पे करना पड़ा और उन पर एक्शन हुआ। आप तो अपनी पब्लिसिटी पर पैसा खर्च करने के लिए ओवर-ड्राफ्ड लेते हैं। अब आप ही बताइए कि इस ओवर-ड्राफ्ट का क्या मतलब है? मैं तो यह कहूंगा कि आप देश के हित को सामने रखिए। यह आपका हक नहीं हो जाता है कि जितना चाहेंगे ओवर-ड्राफ्ट करेंगे। आप यहां सेंटर से पैसा लेते हैं। क्या सेंटर को एकाउन्ट देना आपका कर्तव्य नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ गैर कांग्रेस आई शासित राज्य हैं जिनको बाढ़ के दिनों में बिहार से ज्यादा ऐड दिया गया और जब उनसे हिसाब मांगा गया तो उनके अन्दर एक खलबली मच गई और वे कहने लगे कि हमसे हिसाब नहीं पूछ सकते हो। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड मत कीजिए।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं तो यही कहूंगा। मैं चाइना गया था थोड़े दिन के लिए, रसीया भी गया था। चाइना में सेंटर मजबूत नहीं होगा तो स्टेट्स कैसे मजबूत होंगे इसलिए सेंटर को स्टेट्स से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। इसी तरह सोवियत संघ में भी स्टेट्स को मजबूत होने के लिए सेंटर को मजबूत होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि ओवर ड्राफ्ट नहीं होना चाहिए।

सेंटर को और भी मजबूत होना चाहिए और स्टेट्स को इस तरह से खुले आम ओवरड्राफ्ट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और इसके बारे में सख्त से सख्त पाबन्दी करनी चाहिए क्योंकि एक स्टेट में फिजूलखर्ची के कारण सारा देश, सारे देश की गरीब जनता उसको क्यों भुगते।

मैं दूसरी बात कहूं, हमारे मित्र ने कहा कि हम भूगोल से भी नहीं सीखते हैं, मैं बताता हूं कि आपको हमारे जियो पोलिटिकल रीजंस ऐसे हैं जिसके कारण भी आपको स्ट्रांग सेंटर चाहिए और यदि आपने सेंटर को स्ट्रांग नहीं बनाया तब आप कहीं के नहीं रहेंगे।

आपने गवर्नर की बात की···(व्यवधान)···एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने गवर्नर के बारे में लिखा, सरकारिया कमीशन ने भी गवर्नर के बारे में लिखा है और मैं कहता हूं कि आप इतिहास को देख लें, अपने देश में आजादी के बाद जितने गवर्नर्स की बहाली होती थी, इवन राष्ट्रपति की बहाली होती थी तो कोई एजुकेशनिस्ट हुए, ट्रेड यूनियनिस्ट हुए। जैसे डा० वी० वी० गिरि ट्रेड्यूनियलिस्ट थे तो आप किसी वर्ग विशेष के लोगों को कैसे कह सकते हैं कि उसको बनाइए और इनको मत बनाइये। सभी कहते हैं कि ऐसे लोगों को बनाइये, जिन्हें किसी न किसी क्षेत्र में अनुभव हो और जो निष्पक्ष हो सकें। वैसे ही लोगों को तो गवर्नर बनाया जाता है और किसी को भी गवर्नर बनाया जाय तो आपको एतराज होगा ही। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए।···

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया नहीं गया।

[श्री गौरीशंकर राजहंस]

(व्यवधान)···हमने रामलाल जी को बनाया था तो हमने रामलाल जी को विदक्षा भी कर लिया था। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि गवर्नर का जो आफिस है वह एक बहुत ही पवित्र आफिस है, बहुत ही सैक्रेड आफिस है, उस पर कण्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिये और हमने जब भी गवर्नर के पावर्स, राइट्स के बारे में बात की तो हमने उस इन्स्टीट्यूशन को मजबूत करने की कोशिश की जबकि विपक्ष के लोगों ने हमेशा उसमें नुक्स निकाला। एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है और अखबार में भी बहुत लिखा जाता है, कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह अलग-अलग राज्यों के डी० एम्स० को बुलाकर सीधे बात करें। इसमें क्या बुराई है? बताइये इसमें भी बुराई है। मैं आपको कहता हूं, प्राइम मिनिस्टर की इन्स्टीट्यूशन ऐसी है, प्राइम मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो पूरे देश के हैं। पूरे देश के डवलपमेंट के लिये कोई आदमी काम करना चाहता है तो आपको तकलीफ क्या है? जब डी० एम्स० को एतराज नहीं है, जब जनता को एतराज नहीं है तो अपोजीशन के लोगों को इसमें क्या एतराज हो सकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिये आबंटित समय लगभग उमाप्त हो गया। क्या सभा की इच्छा है कि दो घंटे समय और बढ़ा दिया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : अतः सभा की सहमति से इस संकल्प का ममय दो घंटे और बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधान मन्त्री द्वारा जिलाधीशों को बुलाना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कंसल्ट करना एक सही कदम है और मैं चाहता हूं कि यह कंसलटेशन और भी ज्यादा हो जिससे कम से कम प्रधान मन्त्री को पता तो चले कि देश में क्या हो रहा है। मैं कहता हूं कि हर एक स्टेट में होना चाहिए और इससे नॉन कांग्रेस स्टेट के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर स्टेट को ऐट्रैण्डम करके किसी भी स्टेट के किसी भी डी० एम० को बुलाकर बात करें और पूछें कि क्या हो रहा है···

मैंने इस सदन में पहले भी कहा है और फिर कहता हूं कि आपका डेवलपमेंट का पैसा सही-सही नहीं खर्च हो रहा है। कई बार मैंने इस सदन में कहा है कि यह कोई बात हुई कि आपने पैसा दे दिया और कह दिया कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूट नहीं करती है, चाहे कांग्रेस स्टेट हो या नॉन-कांग्रेस स्टेट हो। आपका जो एक डायरेक्ट प्रोजेक्ट है रेलवे, देखिये वह कितनी एफिशिऐंटली चल रहा है, पोस्ट एण्ड टेलिग्राफ कितनी एफिशिऐंटली चल रहा है। लेकिन आपने कोसी प्रोजेक्ट के लिये पैसा दिया और स्टेट गवर्नमेंट के हवाले कर दिया तो क्या कूड़ा बन गया है और वहां कितना खर्चा बढ़ गया है? इसलिये मैं दोनों स्टेट्स की बात कहता हूं—कांग्रेस स्टेट्स और नान-कांग्रेस स्टेट्स—यदि सेंटर किसी प्रोजेक्ट के लिए उसको पैसा देता है तो सेंटर ही उसको इम्प्लीमेंट करवाये। जैसे कि रेलवे में इम्प्लीमेंट करवाता है, जैसे कि पोस्ट एंड टेलिग्राफ में इम्प्लीमेंट करवाता है। अगर वहां पर भी सेंटर ही इम्प्लीमेंट करवाये तब फिर आप देखिये कि एफिशिएन्सी कितनी बढ़ जाती है।

दो-एक बातें मैं और कहना चाहूंगा फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल पावर्स के संबंध में। फाइनेंस कमीशन बना हुआ है। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो फाइनेंस कमीशन के पास आप रिप्रेजेन्टेशन दें, उस पर जरूर अमल होगा लेकिन इधर-उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है।

मास-मीडिया की बात कही जाती है। लोग कहते हैं कि टेलिविजन के दो चैनल्स होने चाहिए, तीन चैनल्स होने चाहिए। एक चैनल तो हम चला नहीं पा रहे हैं फिर दो, तीन या पांच चेनल्स कैसे होंगे ? और जो लोग मास-मीडिया को प्राइवेट हैण्ड्स में देना चाहते हैं, उनकी नीयत पर मुझे शक है। देश में उत्थान हो रहा है। देश में तरक्की हो रही है उस तरक्की में योगदान देना चाहिए या हाच-पाच करके रख देना चाहिए ? जैसे कि पोलिटिकल पार्टीज हाच-पाच हैं वैसे ही हाच-पाच करके रख देना चाहिए ? मास-मीडिया से देश को डायरेक्शन मिलता है, दूर देहात के लोग समझते हैं कि दिल्ली की थिंकिंग क्या है, देश किधर जा रहा है। यदि अलग-अलग मास-मीडिया के चैनल्स हो जाएंगे तो सिवाय, कंट्रोडिक्शन के और क्या होगा ? उन क्षेत्रों में जहां पैरेलल सिस्टम बना सेंटर और स्टेट का वहां हम आलरेडी मुसीबत में हैं। उसमें और अधिक कांप्लिकेशंस और मुसीबत पैदा करने से क्या फायदा होगा ?

हमारे एक साथी ने त्रिपुरा की बात की। पचास बार इस हाउस में त्रिपुरा की बात की गयी है। एक हिंदी में कहावत है :

हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। त्रिपुरा की जनता आज जितनी खुश है पहले कभी नहीं थी। इस देश में तीन-चौथाई अखबार विपक्षी भूमिका ही निभा रहे हैं। अखबारों ने भी आज तक नहीं कहा कि चुनाव के बाद त्रिपुरा की जनता प्रसन्न है। इस प्रकार से गलत कहना कि वहां पर मिलिट्री लगा दी गई, चुनाव गलत हुए, वहां की जनता खुश नहीं है, वाजिब नहीं है। ताज्जुब की बात है कि वेस्ट बंगाल में पंचायत एलेक्शंस हुए तो उसमें आपके मिनिस्टरों ने दोष लगाया कि रिगिंग हुई है—दूसरों की बात तो आप छोड़ दीजिये। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि सरकारिया कमीशन पर हम अलग से विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और उसमें जो सेन्टर स्टेट रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, गवर्नर्स का एप्वाइन्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात है, मास-मीडिया की बात है, जजेज की बात है—सभी बातों पर विस्तार से सोचेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। परन्तु मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के दोस्तों के विचार साफ होने चाहिए, हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसमें योगदान दीजिये, लोगों में भ्रम मत फैलाइये कि सेंटर ज्यादा मजबूत हो रहा है और स्टेट्स कमजोर हो रही हैं। सेंटर भी मजबूत हो रहा है, स्टेट्स मजबूत हो रही हैं और उसके साथ-साथ देश भी मजबूत हो हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री कावम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवली) : सभापति महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भूतपूर्व वित्त मन्त्री द्वारा लाया गया यह एक बहुत अच्छा संकल्प है। प्रो० रंगा की बातें सुनने के बाद, जो कि एक पर्याप्त अनुभवी व्यक्ति हैं जो गांधी जी के समय भी रहे थे और अब राजीव गांधी के समय में भी जीवित हैं, उन्होंने पुनर्गठन के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की है जो कि वर्तमान भारत के लिये

[श्री कादुम्बुर जनार्दन]

अपरिहार्य हैं, इस मुद्दे के आधार पर कि मैं एक कृषक हूं—मैं एक वकील नहीं हूं जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सम्बन्धों के कानूनी पक्ष के बारे में बोल सकूं—एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से मैं यह कहूंगा कि केन्द्र और राज्यों के बीच संबंध माता और पुत्र के बीच संबंधों के समान होने चाहिए। पिता अपने बच्चे को पसन्द अथवा नापसन्द कर सकता है परन्तु मां के बारे में ऐसी बात नहीं है। चाहे हमारा रवैया गलत है अथवा ठीक परन्तु उस भूमि की वर्तमान स्थिति को देखते हुये जहां भगतसिंह पैदा हुआ था. आज क्या स्थिति है ? इस समय केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों की स्थिति मधुर नहीं है। यद्यपि हम अखंडित हैं परन्तु हमारे संबंध मधुर नहीं हैं। यहां वकील तथा अन्य हर व्यक्ति एक मजबूत केन्द्र की बात करता है। वर्ष 1947 से लेकर वर्तमान समय तक केन्द्र शक्तिशाली रहा है। हमारे मतदाताओं हमारे स्वामियों ने केन्द्रीय सरकार को उस समय भी यथासंभव शक्तिशाली बनाया है जबकि 1977 में सरकार में परिवर्तन हुआ था। उन्होंने कभी भी केन्द्रीय सरकार को एक कमजोर सरकार नहीं बनाया। हम राजनीतिज्ञ को यह कहना चाहिए कि हमारे स्वामियों ने भारत को शक्तिशाली बनाया है। मैं यह कहूंगा कि यदि केन्द्र मजबूत होता है और राज्य उससे ज्यादा मजबूत होते हैं तो देश के लोग मजबूत होंगे। यह सिद्धांत होना चाहिए। मैं यह नहीं समझता कि मजबूत भारत से आपका अभिप्राय क्या है। राजीव के पक्ष में 401 संसद सदस्य होने का अभिप्राय मजबूत केन्द्र नहीं है। केवल कानूनों से ही शक्ति नहीं आ सकती। उदाहरणतया राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में विचार कीजिये। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। वे उस हर जगह से मच्छरों का उन्मूलन करते हैं जहां भी वे रहते हैं। मैं कहता हूं कि केन्द्र पर भार ज्यादा पड़ा हुआ है। हमें अपना बोझ देश के सर्वोच्च पदों पर आधीन नवयुवकों के कंधों पर डाल देना चाहिए। जब मैं हवाई जहाज से दिल्ली आता हूं तो मैं सभी राज्यों से बहुत से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दिल्ली आते हुए देखता हूं। इससे यह जाहिर होता है कि वे स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ हैं। प्रो० रंगा राजमन्नार आयोग का उल्लेख कर रहे थे जो तमिलनाडु के थे। हमें इस पर गर्व है और आज हमारे यहां सरकारिया आयोग नियुक्त हैं। बहुत से आयोगों में एकता नहीं आएगी अपितु यह केवल मामलों को समझ सकते हैं।

किसी भी मनुष्य में भाषा की भावना जन्म से होती है। हरेक की मातृ भाषा को समान अवसर दिया जाना चाहिए। जब भी मैं तमिलनाडु एक्सप्रेस में चढ़ूं तो मुझे दिल्ली में भी तमिल सुनाई देनी चाहिए। मुझे बम्बई में भी तमिल सुनाई देनी चाहिए। मीनाक्षी मन्दिर का दौरा करके मदुरै से महाराष्ट्र आने वाले व्यक्ति को, वहां पर भी अपनी भाषा सुनाई देनी चाहिए। भुवनेश्वर से बंगलौर आने वाले व्यक्ति को वहां भी अपनी भाषा सुनाई देनी चाहिए। केवल तभी देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलेगा और एकता की भावना विकसित होगी। आपका त्रि-भाषा सूत्र है। फार्मूले चाहे जो भी हों वे कैमिकल्स के लिये होते हैं मानवों के लिए नहीं।

मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और मैं बुद्धिजीवियों से केवल एक अपील कर सकता हूं। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। यदि देश विघटित हो जायेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एकीकृत होने चाहिए अन्यथा हमारा अस्तित्व कायम नहीं रह सकता।

हमारा अस्तित्व और हमारी संस्कृति केवल तभी मजबूत होगी, जब हम अखंडित रहेंगे।

अन्त में मैं पुनः सभी बुद्धिजीवियों से यह अपील करना चाहूंगा कि केन्द्र और राज्यों के बीच संबंध माता और पुत्र के समान होने चाहिए, पिता और पुत्र के संबंधों के समान नहीं, जैसे कि आजकल संबंध हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता महोदय, हमारा संविधान, हमारी परिस्थितियों के अनुकूल इस प्रकार का बना हुआ है जिसको न हम पूर्णतः संघात्मक और न एकात्मक कह सकते हैं। वह दोनों का समन्वय है और अभी तक की जो परिस्थितियां हमारे देश के सामने आई हैं, हमारा संविधान उन सारी परिस्थितियों का मुकाबला करने में खरा उतरा है। चाहे जिस प्रकार का दबाव हमारी राजनीतिक प्रणाली पर पड़ा हो, हम उसका जवाब देने में, उसके दबाव में अपने आप में, दृढ़ रहने में और उसका प्रतिरोध करने में सक्षम सिद्ध हुए हैं। मैं नहीं समझता कि अभी ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां पैदा हुई हैं जिनके रहते हमें कोई विस्तृत विवेचन करने या उनके सम्बन्ध में कोई अवलोकन करने की जरूरत पड़े।

बहुधा हमारे मित्रों, विशेष तौर पर, हमारे विपक्ष के मित्रों द्वारा यह बात बराबर उठायी जाती रही है कि केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों का पुनर्निधारण होना चाहिए। मैं यह समझता हूं कि कोई ऐसी राजनीतिक परिस्थिति किसी राज्य विशेष में आती है और किसी राज्य विशेष का कोई दल विशेष किसी प्रकार का दबाव अपने ऊपर महसूस करता है तो उस परिस्थिति में वह एक ही नारा उछालता है कि केन्द्र और केन्द्र की सरकार उसके साथ ज्यादती कर रही है। चाहे यह उसका राजनीतिक मसला हो या चाहे वित्तीय मसला हो।

बहुधा तीन बातों को लेकर के ये बातें कही जाती हैं एक तो गवर्नर की इन्स्टीच्यूट को ले कर के, दूसरे केन्द्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय परिस्थितियां हैं उनको ले कर और तीसरे विभिन्न क्षेत्रीय दल इस बात को अपने निजी राजनीतिक उद्देश्य के लिए, अपने राज्य विशेष में अपनी परिस्थितियों से बाध्य होकर के इस बात को उठाते हैं। यदि इन तीनों मसलों को लेकर के इस बात को उठाया जाता है तो इन मसलों की गहराई में अगर हम जाएंगे तो बहुधा यही पाएंगे कि इन तीनों के पीछे राजनीतिक उद्देश्य ही एक प्रमुख कारण रहता है जिसको लेकर इस बात को बराबर कहा जाता है।

सर, यदि हम पश्चिम बंगाल की सरकार को लें, जो इस समय वहां है। पश्चिम बंगाल की सरकार बहुधा अपनी असफलता को छिपाने के लिए, कोई दिक्कत या कोई परेशानी जो एक वक्त विशेष में उसके सामने आती है, उसकी जिम्मेदारी केन्द्र पर डालने के लिए बराबर इस बात को कहती है कि केन्द्र सरकार को कहती है कि सरकार उनको वह स्वायत्तता नहीं दे रही है जो स्वायत्तता उनको कार्य करने के लिए अपने राज्य विशेष में उनको दी जानी चाहिए। जबकि हकीकत यह है कि हमारा संविधान कोई नया नहीं है, कोई दो-चार या दस वर्ष का नहीं है। इस समय जो व्यवस्था केन्द्र और राज्यों के बीच में है, जो समीकरण है।

वर्षों पहले बना हुआ संविधान है, जिसका संविधान निर्माताओं ने बनाया है। इतने वर्षों तक कोई दिक्कत या किसी प्रकार की परेशानी इससे पैदा नहीं हुई, लेकिन ज्यों ही केन्द्र के अन्दर एक पार्टी की सरकार और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है तो यह बात उछल कर सामने आती है। राज्यों की बहुधा शिकायत रहती है कि हमारे वित्तीय पक्ष को केन्द्र सरकार नहीं

[श्री हरीश रावत]

देखती, अपेक्षित संसाधन नहीं दिए जाते, जिससे विकास कार्य पूरे नहीं हो पाते। मूलतः विकास की जिम्मेदारी राज्यों की है और उनको पूरा करने के लिए राज्यों को धन चाहिए। इसके लिए राज्य अपना पक्ष वित्त आयोग के सामने पेश करते रहते हैं और तदनुसार वित्त संसाधनों का बंटवारा होता है। संविधान में भी इस बारे में साफ तौर पर कहा गया है, लेकिन जब कभी हम देखते हैं कि कुछ राज्य सरकारें अपेक्षित वित्तीय संसाधन पैदा नहीं कर पा रही हैं, इतना पैसा उनके पास नहीं है कि वह विकास कार्यों की आवश्यकता को पूरा कर सके, राज्य विशेष की जनता की आकांक्षा के अनुरूप काम कर सके, तब वे राज्य सरकारें ऐसी बात कहती हैं कि केन्द्र हमको अपेक्षित धनराशि उपलब्ध नहीं करवा रहा है।

मैं माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय जो वित्त आयोग बैठा हुआ है, वित्त आयोग वित्तीय संसाधनों के निर्धारण के विषय में विचार करेगा कि राज्यों को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे शेयर दे सकते हैं, इस पर विचार होना चाहिए, मनन होना चाहिए, लेकिन एक बार जो रेखा तय हो जाती है, लाइन खींच दी जाती है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन भारी परिवर्तन करने से एक तरह का असंतुलन पैदा हो जाता है और बहुधा उसकी आड़ में कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं।

पिछले दिनों कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा प्रधानमन्त्री को कुछ सुझाव दिए गए। जब प्रधानमन्त्री जी से उन्होंने बातचीत की तो उस समय उन्होंने दूसरी बात कही। उनकी जो सिफारिशें थीं, उन प्रस्तावों का कोई ठोस स्वरूप नहीं था, फिर भी प्रधानमन्त्री जी ने कहा कि इनको हम वित्त आयोग के सामने पहुंचा देंगे आप सीधे भी वित्त आयोग से बात कर सकते हैं। लेकिन बाहर निकल कर प्रधानमंत्री जी से बातचीत करने के बाद बाहर पत्रकारों को जो बातें उन्होंने कहीं, वे ठीक उसके विपरीत थीं। उन्होंने बाहर एक प्रकार से यह जताने की कोशिश की कि प्रधानमन्त्री जी के सामने उन्होंने जो पक्ष रखा है उनका पक्ष तर्कसंगत था और प्रधानमन्त्री जी ने उनकी तर्कसंगत बात को नहीं सुना। राजनीति के अन्दर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं और कही जाती हैं, मगर उन सब की गहराई में नहीं जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ इस बात को निवेदन के तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्रियों, जो विपक्ष के मुख्यमन्त्री हैं, उनको भी इस बात को समझाना चाहिए कि आखिरकार जिन राज्यों में कांग्रेस सरकारें हैं, वे भी तो उन्हीं वित्तीय सीमाओं के अन्तर्गत जो केन्द्रद्वारा निर्धारित हैं, योजना आयोग द्वारा निर्धारित हैं, काम करती हैं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : वे भी इधर-उधर खिलाफ बोलते हैं।

श्री हरीश रावत : वे खिलाफ नहीं बोलते, वे सुझाव देते हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के मुख्यमन्त्रियों द्वारा सुझाव दिया गया कि जो अल्प बचत का पैसा है, उसका कुछ अंश राज्य को ज्यादा दिया जाना चाहिए। यह एक ठोस सुझाव था, लेकिन इस प्रकार का ठोस सुझाव कभी पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सरकार की तरफ से नहीं आया। इस प्रकार के ठोस सुझाव देना संघीय व्यवस्था के अनुरूप है, राज्यों के मुख्यमन्त्री इस प्रकार के सुझाव दे सकते हैं और केन्द्र को इस पर विचार करना चाहिए। अगर राज्यों के मुख्यमन्त्रियों के तर्कसंगत सुझावों को मानने से केन्द्र इन्कार करता है तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हमारे संबंधों पर पुनर्विचार होना चाहिए।

तर्कसंगत सुझावों को स्वीकार किया जा सकता है, उन पर विचार-विमर्श किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति तर्कसंगत सुझाव न देकर बलिक बातों को राजनीतिक स्वरूप देकर आक्षेप और आरोप के दायरे में रहता है तो इससे इन राज्यों का कोई हितसाधन होनेवाला है, इससे नाही हमारी व्यवस्था का हितसाधन होने वाला है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे राज्यों के कुछ मुख्य मन्त्रियों ने इस सवाल को पूरे तरीके के राजनीतिकरण कर दिया है। कहीं पर कांक्लेव हो तो उसमें यही सवाल, कहीं पर दो-तीन पार्टियों के अध्यक्ष मिलेंगे तो एक होने का सवाल और उसके साथ राज्यों के सम्बन्धों पर पुनर्विचार का सवाल उठाते हैं। तब जागरूकता आती है जब आपसी संबंधों के निर्धारण में फेल हो जाते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में देख लीजिए। जिस पार्टी के अन्दर किसी प्रकार का असंतोष पैदा हो रहा हो चाहे वह जनता पार्टी या लेफ्ट फ्रन्ट के विभिन्न घटकों के बीच आपसी समन्वय न बैठ रहा हो तो अपनी तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए केन्द्र सरकार के ऊपर नाना प्रकार के आक्षेप करते हैं। यदि केन्द्र सरकार कुछ पैसा देती है तो उस पैसे को लेकर और उन प्रस्तावों को लेकर के भी जो उनके डवलपमेंट के लिए, ठीक से खर्च नहीं कर पाते।.... (व्यवधान) यदि किसी योजना की शुरूआत की जाती है तो उस योजना के ठीक से क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार कुछ कहती है या केन्द्र का मुखिया कुछ कहता है तो उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखना कहां तक न्यायसंगत है। आपको याद होगा, पिछले दिनों प्रधानमन्त्रीजी ने एक बात कही कि राज्य को जो वित्तीय संसाधन दिये जा रहे हैं, उनका वह ठीक से उपयोग करें, इसको देखना हमारा काम है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत काम है। यह बात किसी एक राज्य के लिए नहीं कही। इस बात को लेकर बहुत सारे हमारे राजनीतिक दलों ने बहुत हल्ला-गुल्ला मचाया। उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि प्रधानमन्त्री जी उनकी आंतरिक व्यवस्था या उन राज्यों के कार्यों के अन्दर दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। कौन प्रधानमन्त्री ऐसा होगा, जो यह नहीं चाहेगा कि उनका देश आगे बढ़े। प्रधानमन्त्री जी का सारे देश के प्रति कर्तव्य है, उसी के लिए वह प्रतिबद्ध हैं। उसी प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के लिए, कर्तव्य का पालन करने के लिए, जब प्रधानमन्त्री इस बात को राज्यों के मुख्यमन्त्रियों को कहते हैं कि उस पैसे को ठीक से खर्च कीजिए, जिस तरह की योजना है, उसके अनुरूप खर्च कीजिए तो मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ गलती है। यदि विपक्ष के साथ आमने-सामने बैठकर विचार करें तो वे भी इस बात को मंजूर करेंगे कि इसमें कोई गलती नहीं है। इसको कुछ मुख्यमन्त्रियों ने और कुछ राजनीतिक दलों ने अपने तरीके से पेश करने की कोशिश की जो कि बुरी है। एन० आर०इ० पी०, आर० एल० इ० जी० पी० और और सूखा राहत के नाम पर दिया जा रहा पैसा कुछ राज्य उसको सिर्फ ऐसी चीज में खर्च करें जिससे उनके किसी दल विशेष को फायदा होने वाला हो तो मैं समझता हूं कि प्रधानमन्त्री जी का चिंतित होना स्वाभाविक है। न केवल प्रधानमन्त्री बलिक सारा राष्ट्र चिंतित होगा। मैं इसको आक्षेप तौर पर नहीं कह रहा हूं। बहुत सी हमारी राज्य सरकारें, केन्द्र से जो धन मिलता है, उनको योजना का जो स्वरूप स्वीकृत होता है, उसके पैरा-मीटर के अन्दर काम नहीं करते हैं। जिस मद के लिए पैसा मिलता है, उस मद के लिए खर्च न करके दूसरी मद के लिए पैसा खर्च करते हैं। ऐसी-ऐसी मदों के लिए खर्च किया जा रहा है जिससे देश को लाभ नहीं हो रहा है। कोई तो दो रुपया किलो चावल देने में खर्च कर रहा है।

दो रुपये किलो चावल देकर आप थोड़े से वोट हासिल कर सकते हैं, वाह-वाही लूट सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन इससे देश की जनता को और राज्य विशेष की जनता को वास्तव में

[श्री हरीश रावत]

कितना लाभ हो रहा है, इसका कोई मूल्यांकन करने की आपने कोशिश नहीं की है और न कर रहे हैं। कुछ राज्य जिनको पैसा दिया जा रहा है वह तरह-तरह के नामों से जैसे सौभाग्यशाली आदि नाम देकर खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पैसे को अपने कैडर को मजबूत करने के लिए खर्च किया जा रहा है। योजना एक बार स्वीकृत हो जाती है, जिस मद के लिए पैसा दिया जाता है उसी मद में पैसा खर्च हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि इसे सुनिश्चित करने के काम को कुछ राज्य सरकारें मानती हैं कि उनके आन्तरिक कार्यों में दखल दिया जा रहा है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। राज्यों की वित्तीय स्थिति का एक फैक्चुअल इवेल्यूएशन होना चाहिए। हम राज्यों को ज्यादा अधिकार दे सकते हैं अपने संसाधनों को पैदा करने के लिए, इसका गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। कुछ राज्य हो सकता है पैसे का दुरुपयोग करें, लेकिन अधिकांश राज्य ऐसे नहीं हैं। राज्यों को जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उससे जनता के कल्याण की योजनायें लोगों तक पहुंचेगी जिससे आर्थिक समृद्धि आयेगी और आर्थिक समृद्धि आती है तो राज्य विशेष के साथ-साथ उसका लाभ देश को भी मिलेगा। हमारे कई मित्र इस बात को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब राज्य सरकारें मजबूत होंगी तो केन्द्र भी मजबूत होगा। जैसे हमारे हाथ, पैर आदि शरीर के अंग मजबूत रहेंगे तो पूरा शरीर मजबूत होगा यही संघीय व्यवस्था हमारे देश में है। राज्य विकास करेंगे तो सारा देश विकास करेगा और पूरा देश मजबूत होगा। मगर इस समय जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं जिस तरह के क्षेत्रीय दल जगह-जगह सिर उठा रहे हैं जैसे आंध्र के अन्दर, असम के अन्दर और भी कई जगह हैं और उनको ऐसे-ऐसे नाम दिए जा रहे हैं जिनसे ऐसा बोध होता है कि वह केवल क्षेत्रीय दल नहीं बना रहे हैं बल्कि ऐसे दल बना रहे हैं, जैसे तेलगू देशम है, जब भारत एक देश है तो देशम और बनाने की क्या जरूरत है। जगह-जगह क्षेत्रीय दल सिर उठा रहे हैं इस पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

श्री नारायण चौबे : यह सेन्टर का फेलियोर है।

श्री हरीश रावत : यह हमारा फेलियोर नहीं है। यदि केन्द्र का फेलियोर होता तो हमारी संघीय व्यवस्था चरमरा गई होती। अभी तक इसका प्रभाव राजनीतिक प्रणाली पर पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कालांतर में पड़ सकता है। कई क्षेत्रीय दल इस ध्येय को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे परिस्थितियां अनुकूल होने की बजाय प्रतिकूल होती जा रही हैं। आज क्षेत्रीयता की भावना और बलवती होती जा रही है। जो अखिल भारतीय दल हैं उनका स्वरूप भी धीरे-धीरे सिमटता जा रहा है। कोई भी दल एक बार सत्ता में आ गया राज्य में तो वह पूरी कोशिश करता है कि येन, केन, प्रकारेण वह ही सत्ता में बना रहे। उनके सोचने का तरीका, उनके काम करने का तरीका पूरी तरह से क्षेत्रीय होता जा रहा है। चाहे नारा वह किसी प्रकार का दें, लेकिन उनकी आन्तरिक कार्यप्रणाली एक तरह से क्षेत्रीय दलों की तरह होती जा रही है। मैं गृह मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि इस बात पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है कि क्षेत्रीय दलों को इस चुनाव प्रणाली के अन्तर्गत अस्तित्व बनाये रखने की इजाजत देना अब कहां तक सम्भव होगा···

मैं नहीं कहता कि किसी क्षेत्रीय दल पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए परन्तु आजकल हमारे देश में जिस तरीके से गैर-जिम्मेदार क्षेत्रीय दल उभरते जा रहे हैं, आज हमें जगह-जगह एरिया-

वाद, क्षेत्रवाद के नारे सुनायी दे रहे हैं, जिसकी मर्जी आये बागी हो गया, नाराज हो गया और अपने क्षेत्र में जाकर उसने एक नये क्षेत्रीय दल का गठन कर लिया और इस तरह के एक नहीं अनेकों क्षेत्रीय नारे हमें आज सुनायी दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज वह समय आ गया है जब हमें ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाना होगा। असम के कई भाग हुए, वहां 6-7 राज्य बन गए, उसके बावजूद भी वहां और विभाजन की मांग उठ रही है। वहां दो-तीन क्षेत्रीय दल इस किस्म की मांग कर रहे हैं। वही स्थिति बिहार, उत्तर प्रदेश आदि कई राज्यों की है। यदि छोटे राज्यों को छोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूं कि आज हर राज्य के विभाजन की माग की जा रही है। सभापति जी, आपके राज्य में भी ऐसी मांग उठ रही है। इसके प्रति हमारा चिन्तन होना स्वाभाविक है। इसका अन्त कहां होगा, वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इससे कांग्रेस को को किसी तरह का नुकसान होने वाला नहीं है, न इससे कांग्रेस का अन्त होगा बल्कि कुछ विशेष क्षेत्रीय दलों का ही नुकसान हो जाएगा जैसे कि हमारे पश्चिमी बंगाल में सत्ताधारी राजनैतिक पार्टी गोरखालैंड मूवमेंट की वजह से बुरी तरह उलझी हुई है। यदि देखा जाए तो वह पार्टी उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, दोषी है। अब क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व में आने के पीछे कारण कुछ भी रहे हों, परन्तु हमें इस समस्या पर आज के परिप्रेक्ष्य में गहराई से विचार करना होगा, मनन करना होगा अन्यथा इनका हमारी राजनैतिक प्रणाली पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। जब हम स्वतन्त्र हुए, उस समय दूसरे हालात थे। स्वतन्त्रता मिलने से पहले हमारे बीच ऐसी पीढ़ी थी जो राष्ट्रीय भावना से पूरी तरह ओतप्रोत थी, जिसमें राष्ट्र के लिए कुछ भी करने की, समर्पण की भावना थी परन्तु आज की नई पीढ़ी ने गुलामी के समय के कष्टों को नहीं देखा। उन्हें स्वतन्त्र भारत में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने विकासोन्मुख भारत के दर्शन किए। वे समझते हैं कि आज जिस तरह का हिन्दुस्तान है, शायद पहले भी इसी तरह का समय रहा होगा परन्तु इस नई पीढ़ी को गुमराह करने वाले बहुत सारे लोग आज हमारे बीच पैदा हो गए हैं। आज जगह-जगह क्षेत्रीयता को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्षेत्रीयता का बोलबाला है। इस सब के पीछे नौजवानों का रोष प्रमुख है। किसी को रोजगार न मिलने से रोष है, किसी को नौकरी न मिलने का अफसोस है। ऐसे तमाम लोग क्षेत्रीय दलों में शामिल होते जा रहे हैं और वे कुछ न कुछ राष्ट्र-विरोधी नारा लगा देते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि आप ऐसे क्षेत्रीय दलों पर प्रतिबन्ध लगायें, विशेषकर ऐसे क्षेत्रीय दलों पर जिनका स्वरूप पूरी तरह से क्षेत्रीयता की भावना पर आधारित हो, जिनकी मनोवृत्ति संकीर्ण हो जो केवल राष्ट्र-विरोधी नारा लगाकर चल रहे हों, जिनकी कोई पोलिटीकल फिलोसफी न हो, जिनसे एरियावाद की गंध आती हो, ऐसे तमाम राजनैतिक दलों के उद्भव पर तत्काल प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए।

यहां गवर्नर के इंस्टीट्यूशन को लेकर बहुत-सी बातें कही गयीं। हम जानते हैं कि जहां किसी स्टेट में सांविधानिक संकट पैदा हुआ, गवर्नर की इन्स्टीट्यूशन ने बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। यह इन्स्टीट्यूशन बहुत हद तक हमारे देश में डेमोक्रेसी को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुआ है, कामयाब रहा है। यदि उसके विषय में किसी प्रकार का आक्षेप या दोषारोपण किया जाए तो मैं उसे राजनीति से प्रेरित मानता हूं। यदि किसी राज्य में वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए गवर्नर ने कुछ कह दिया तो उसे लेकर हल्ला-गुल्ला खड़ा कर देना किसी सूझबूझ का परिचायक नहीं कहा जा सकता। उस राज्य विशेष में सत्तारूढ़ राजनैतिक दल क्या चाहता है, आवश्यक नहीं कि गवर्नर भी उससे हर मामले में सहमत हो। सभी राजनैतिक दल अपने-अपने स्वार्थ को सामने रखकर हर मामले पर निर्णय करते

[श्री हरीश रावत]

हैं, यदि उस पर गवर्नर ने कुछ कह दिया तो उसके विरुद्ध प्रस्ताव पास करना, इस इन्स्टीट्यूशन पर आक्षेप लगाना जैसी गलत प्रवृत्तियां हमारे देश में विकसित होती जा रही हैं, जिन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जावा बहुत आवश्यक है। मैं अपने विरोधी दल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि वे इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें।

———

6.00 म० प०

आधे घंटे की चर्चा

रेलवे स्कूल

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं माननीय रेल मन्त्री द्वारा दिनांक 17-3-88 को मेरे प्रश्न संख्या 3429 के उत्तर के बारे में मैं आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ करना चाहता हूं। मैं इस बारे में सरकार को चिढ़ाना अथवा परेशान करना नहीं चाहता हूं। मैं इस बात को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारतीय रेल के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के बारे में सरकार के कुछ दायित्व हैं। मन्त्री महोदय, इसके उत्तर से बच गए हैं। उन्होंने यह उल्लेख किया है कि रेलवे विभाग द्वारा इस समय 51 हाई स्कूल, 34 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 7 इन्टरमीडिएट कालेज और एक डिग्री कालेज चलाया जा रहा है। मेरा प्रश्न था : इन रेलवे स्कूलों और कालेजों द्वारा किस पाठ्यक्रम को अपनाया जाता है? क्या यह एक वास्तविकता नहीं है कि वे स्कूल उन विभिन्न राज्यों के शिक्षा निदेशालय के पाठ्यक्रमों का अनुसरण करते हैं, जहां वे स्थापित हैं? अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में उनके स्तर, उनकी संख्या के बारे में क्या वे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और विभिन्न राज्यों के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन नहीं करते हैं। परन्तु मन्त्री महोदय ने इन प्रश्नों का उत्तर भली प्रकार नहीं दिया। यह कहा गया है कि रेलवे स्कूलों के अध्यापकों की अहर्ताओं और वेतनमानों के मामले में केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जो मानदण्ड निर्धारित किया गया है, वह अपनाया जाता है।

अतः मेरा पहला प्रश्न यह है : उत्तर में उल्लिखित स्कूलों और कालेजों में कितने स्कूल और कालेज, डब्ल्यू० बी० एस० ई० से सम्बद्ध है और कितने स्कूल और कालेज विभिन्न राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं? मैंने भारत की सबसे बड़ी रेलवे कालोनी खड़गपुर से हूं। मैं बी० एन० आर० भारतीय रेलवे उच्च विद्यालय का छात्र था। अपने सम्पूर्ण जीवन के दौरान मैंने यह देखा है कि ये स्कूल राज्य सरकार के पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं। उनका शिक्षा का स्तर भी राज्य सरकार के बराबर है। नियुक्ति किए जाने वाले अध्यापकों की संख्या भी राज्य सरकार के फार्मूले के आधार पर निर्धारित की जाती है। परन्तु मितव्यता अभियान के इन दिनों में आप पर्याप्त संख्या में अध्यापक नियुक्त नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है। आप जानते हैं कि जब रेलवे स्कूल विभाग के अधिकारी स्कूलों की मान्यता के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में आवेदन करते हैं तो वे स्पष्ट रूप से इस बात पर बल देते हैं कि वे

अध्यापकों के और पाठ्यक्रमों के उसी मानदण्ड का अनुसरण करेंगे जो सम्बन्धित राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है। मान लीजिए, बंगाल से एक व्यक्ति को बिहार में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो वह बिहार के पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा। यदि उसका स्थानान्तरण बंगाल में हो जाता है तो फिर वह बंगाल के पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा··· (व्यवधान)**

सभापति महोदय : किसी बात को रिकार्ड मत कीजिए—

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : अज्ञानता, अज्ञानता है। मैं भी कई बातों से अनभिज्ञ हूं परन्तु इस बात से नहीं···(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री चौबे, आप कृपया अपने भाषण को जारी रखिए।

श्री नारायण चौबे : महोदय, स्कूलों का दौरा राज्य के विद्यालय निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। स्कूलों का निरीक्षण राज्य सरकार के विद्यालय निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। हाल ही में मिदनापुर जिले में विद्यालय निरीक्षक ने खड़गपुर के रेलवे स्कूलों का दौरा किया था और उसने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि वहां पर्याप्त अध्यापक नहीं हैं। हम रेलवे विभाग से सिफारिश करते हैं कि वहां अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। मैं अपने अनुभव से एक उदाहरण देता हूं। रेलवे विभाग ने मुझे एक उत्तर दिया है कि वे अपने मानदण्ड का ही अनुसरण करते हैं। रेलवे को चलाने के लिए रेलवे का एक मानदण्ड है। विद्यालयों को चलाने के लिये रेलवे का एक मानदण्ड कैसे हो सकता है? रेलवे या तो राज्य सरकार के मानदण्ड का अनुसरण करता है अथवा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के मानदण्ड का अनुसरण करता है। वे इनमें से किसी एक मानदण्ड का अनुसरण करते हैं। मैं फिर इस बात पर जोर देता हूं कि मितव्ययता अभियान के नाम पर वे कम अध्यापकों की नियुक्ति करना चाहते हैं इसलिये वे ऐसा कर रहे हैं। मैं सरकार और मंत्री महोदय से यह अपील करता हूं कि यद्यपि उन्होंने बहुत से क्लर्कों, दस्तकारों की भर्ती को रोक दिया है परन्तु कम से कम रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिये उन्हें इस मितव्ययिता अभियान को बीच में मत लाने दीजिये और उन्हें पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की भर्ती करने दीजिए। खड़गपुर रेलवे हाई स्कूल में ऐसा एक भी अध्यापक नहीं है जिसने बी० ए० में भूगोल जैसे विषय का अध्ययन किया हो। इस समय ऐसा कोई अध्यापक नहीं है जोकि जीव विज्ञान से उत्तीर्ण हुआ हो परन्तु उसे जीव विज्ञान पढ़ानी पड़ती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे बोर्ड के अधिकारी अथवा रेलवे मन्त्री अपने पुत्र एवं पुत्री अथवा पोतों एवं पोतियों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाने की अनुमति देंगे। उनके लिये दून स्कूल है, उनके लिये कुर्सियांग में स्कूल है, उनके लिये कलीमपोंगे में स्कूल हैं। उनके लिए देहरादून में स्कूल है पर रेलवे कर्मचारियों के लिये···(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न उत्पन्न करें।

श्री नारायण चौबे : अतः श्रीमान मेरा प्रश्न स्पष्ट है। जब रेलवे राज्य सरकार के पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं, क्या वे राज्य सरकार के शिक्षा महानिदेशालय के मानदण्ड के अनुसार

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री नारायण चौबे]

अध्यापकों की नियुक्ति कर रहे हैं क्योंकि ये स्कूल विभिन्न राज्यों में स्थापित हैं। ये मेरा प्रश्न है। यदि वे ऐसा करते हैं तो कोई आकाश टूट के नहीं गिर पड़ेगा। यदि वे ऐसा करते हैं, तो कोई करोड़ों रुपया नहीं खर्च होगा। यदि वे लोको या रेक खरीदने के लिए एक अधिकारी को लन्दन, जापान या इंग्लैंड भेज सकते हैं, जिसमें वे लाखों रुपया खर्च करते हैं आधुनिकीकरण के नाम पर वे ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जोकि रेलवे के लिये आवश्यक नहीं है। पर केवल गरीब रेलवे-कर्मियों के पुत्र एवं पुत्रियों की शिक्षा के लिये ये काम अवश्य हो जाना चाहिए। मैं आदर का एक मामला दृष्टिगत करना चाहूंगा जहां से कामरेड बसुदेव आचार्य आये हैं। इतनी बड़ी रेलवे कॉलोनी जहां पर कम से कम 30,000 रेलवे कर्मी रह रहे हैं, केवल एक प्राइमरी स्कूल है और वह प्राइमरी स्कूल भी ऐसी जगह पर स्थित है जहां से छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिये 3 से 4 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। श्री बसुदेव आचार्य के कहने से एक नये स्कूल भवन का निर्माण किया गया है। पर वह आधी बनी है और पूरी नहीं हुई है। अब वे कह रहे हैं कि वह भवन स्कूल के लिए नहीं है। कभी-कभी सरकार कहती है कि शिक्षा राज्य सूची का विषय है। हां, शिक्षा राज्य सूची का विषय है परन्तु सरकार स्कूल चला रही है और वह स्कूल चलाने के लिये बाध्य है। जमालपुर, खड़गपुर, आद्रा, बिलासपुर और चक्रधरपुर में रेलवे स्कूल हैं। अतः मैं रेलवे मन्त्री से कहूंगा कि रेलवे स्कूलों में राज्य सरकारों के मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त अध्यापकों की नियुक्ति करें यह नम्बर एक है। नम्बर दो यह है। मुझे खुशी है कि हमारे पास सात माध्यमिक विद्यालय तथा एक महाविद्यालय है। परन्तु भारत में सबसे बड़ी रेलवे कॉलोनी…

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : पढ़ाई का माध्यम क्या है? आप यह क्यों नहीं बताते ?

श्री नारायण चौबे : पढ़ाई का माध्यम उनकी अपनी भाषा है। चिंता न करें।

पीयूष तिरकी : राज्यवार अलग-अलग हैं।

श्री नारायण चौबे : यह राज्यवार अलग-अलग हैं।

सभापति महोदय : कृपया बाधा न डालें।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : आपके कॉलेज हैं। परन्तु हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि खड़गपुर में कॉलेज की स्थापना करें जोकि भारत की सबसे बड़ी रेलवे कालोनी है जहां पर 30,000 से 40,000 से अधिक रेलवेकर्मी रहते हैं और उन रेलवे कर्मियों एवं उनके परिवारों की संख्या दो लाख से भी अधिक है। आपका खड़गपुर में एक कॉलेज है। हमने सलाह दी है कि बिना नये भवन के निर्माण किये खड़गपुर में एक रात्रि कॉलेज केवल वाणिज्य अथवा कला के साथ बिना विज्ञान के खोला जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर दें। जिससे कि हम यह आश्वस्त हो सकें कि सरकार रेलवे कर्मियों के पुत्र एवं पुत्रियों की शिक्षा के विषय में चिन्तित है जैसे कि वह अपने पुत्र एवं पुत्रियों अथवा पोते एवं पोतियों की शिक्षा के विषय में चिंतित है ?

श्री पीयूष तिरकी : महोदय, जैसाकि मुझे नासमझ कहा गया है। कृपया मुझे मेरी नासमझी व्यक्त करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं मैं अनुमति नहीं दूंगा। माननीय मंत्री महोदय श्री चौबे के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : माननीय सभापति महोदय, सम्मानित विद्वान सदस्य ने रेलवे स्कूल के संदर्भ में एक संक्षिप्त वक्तव्य के द्वारा प्रश्न पूछे, उन्होंने मुझसे कई प्रश्नों का उत्तर चाहा। एक प्रश्न था कि क्या सभी स्कूल सेंट्रल बोर्ड आफ एजूकेशन, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित हैं, ऐसा नहीं है। केवल 5 स्कूल हैं, बिलासपुर, भुसावल, झारपानी, गोरखपुर और इटारसी, इन पांचों स्कूलों के अलावा बाकी हमारे जितने स्कूल्स हैं, चाहे वह बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में हों, रेलवे के सब के सब स्कूल्स राज्य सरकारों के पाठ्यक्रम से गवर्न होते हैं, राज्य सरकार उनकी देख-रेख करती है।

इसके बाद दूसरा प्रश्न आपने पाठ्यक्रम के बारे में पूछा, इस संदर्भ में जब हमारे सारे विद्यालय राज्य सरकार से चलाये जाते हैं और चूंकि विभिन्न प्रकार के लोगों का तबादला हुआ करता है, तो इसमें पाठ्यक्रम, करीकुलम राज्य सरकारों से संबंधित होता है।

तीसरा प्रश्न आपने अध्यापकों की नियुक्ति के संदर्भ में पूछा और आपने कहा कि इसमें सरकार कोताही करती है। मैं आपके माध्यम से माननीय विद्वान सदस्य श्री चौबे जी को बताना चाहता हूं कि एक मानक होता है, रेलवे स्कूल में एक यूनिटी, एक समरूपता लाने की बात चलती है। रेलवे विभाग द्वारा संचालित स्कूलों मे सप्ताह में 29 पीरियड पढ़ाने की बात करके हम सब जगह एक समानता स्थापित करते हैं। विभिन्न राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार से सप्ताह में कुल पीरियड रखती हैं, उदाहरण के लिये पश्चिम बंगाल में 25 पीरियड ही सप्ताह में पढ़ाने की बात करते हैं, इस तरह के देश से उच्चतर माध्यमिक स्कूल खड़गपुर में 73 अध्यापक आते हैं लेकिन उनके हिसाब से 90 अध्यापक आते हैं तो स्कूल में हमारे 17 अध्यापक कम पड़ते हैं···तो इस आधार से यदि हम देखें तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश—हर जगह मानक अलग-अलग हैं और उसके आधार पर यदि हम अध्यापकों की नियुक्ति करना चाहें तो उसमें एकरूपता नहीं ला सकते हैं। 29 पीरियड प्रति सप्ताह का मानक बना हुआ है हमारे रेलवे के स्कूलों में और उसी को आधार मानकर हम चलते हैं और उस आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करते हैं।

श्री नारायण चौबे : सब्जेक्ट-वाइज बताइये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद : चौबे जी, मैं भी एक अध्यापक हूं, 1958 से लेक्चरर हूं और मैं जानता हूं कि विषय-वाइज अध्यापक होने चाहिए। मैंने आपकी बात को नोट कर लिया है। बाद में मैं आपको बतला दूंगा कि किस तरह से हो रहा है।

आपने इस बात का भी जिक्र किया कि खड़गपुर में कोई निरीक्षक निरीक्षण करने के लिये गया और उसने अपनी रिपोर्ट दी। इस प्रकार से जो रिपोर्ट आती है उनको नोट करके उनके आधार पर हम समुचित कार्यवाही करते हैं।

एक प्रश्न आपने यह उठाया कि रेलवे कर्मचारियों के लड़कों को पढ़ाने के लिये हम अधिक व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं आप समाजवादी हैं किंतु आपने एक शब्द "दून" स्कूल का

[श्री महावीर प्रसाद]

प्रयोग किया। परन्तु मैं समझता हूं हमारे कांग्रेस दल में और हमारी रेलवे में इसके अनुरूप कोई व्यवस्था नहीं है। हम दून फैक्टरी के आधार पर कोई व्यवस्था नहीं करते हैं, हम तो एकरूपता के आधार पर चलते हैं। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि हम समानता बरतते हैं (व्यवधान)

आप थोड़ा धैर्य रखकर मेरी बात को सुनिये। (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : मैं दून व्यवस्था नहीं चाहता हूं। आप सब्जेक्ट-वाइज टीचर्स दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद : आप पहले मेरी बात सुन लीजिये, बाद में एन्टरप्ट कीजिये।

मैं कह रहा था कि पूरे भारतीय रेलवे में 684 ऐसे विद्यालय हैं जो रेलवे द्वारा चलाए जाते हैं और 48 केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 732 विद्यालय हमारे यहां हैं और सभी में हम एकरूपता लाते हैं। (व्यवधान) मैंने आपकी बात को नोट कर लिया है और यदि कहीं पर किसी प्रकार की अनियमितता होगी तो उसको हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

आपका एक प्रश्न दाखले के संदर्भ में था। जितने भी विद्यालय हैं सभी में हम एकरूपता लाना चाहेंगे। आपने खड़गपुर में विद्यालय खोलने के बारे में कहा। तो खड़गपुर के कालेज के विषय में हमने नोट कर लिया है, उसकी हम जांच करवा लेंगे और उसको देखें कि किस प्रकार से क्या हो सकता है।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं बड़ी विनम्रता से यह कहना चाहूंगा कि रेलवे जो है वह अपने कर्मचारियों के कल्याण पर सबसे कम खर्च करती है। वह तनख्वाह और बोनस तो अच्छा देती है लेकिन इस प्रकार की वेलफेयर एक्टिविटीज पर रेलवे बहुत कम पैसा खर्च करती है और शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही कम पैसा खर्च करती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे में और स्कूल खुलवाने के लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

दूसरा प्रश्न यह है कि रेलवे स्कूलों के पैटर्न पर ढालने के लिए उनके सामने कोई प्रस्ताव है। जिस तरह से केन्द्रीय विद्यालय हैं, उन केन्द्रीय विद्यालयों के समान रेलवे स्कूलों को भी स्वरूप प्रदान हो और उनकी राज्य के अन्तर्गत जो शिक्षा पद्धति है, उसके साथ जोड़ने के बजाए, केन्द्रीय शिक्षा पद्धति के साथ जोड़ने के लिए क्या मंत्रीजी विचार करेंगे।

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं एक मिनट ही लूंगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि ईस्टर्न रेलवे में खासकर जमालपुर में कोई इन्टरमीडिएट कालेज नहीं खोला गया है और डिग्री कालेज तो है ही नहीं और जमालपुर में 40, 50 हजार मजदूर लोग काम करते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि रेलवे कर्मचारी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रान्सफर होते हैं और एक राज्य में पढ़ने का करीकुलम एक तरह का है, दूसरे राज्य में दूसरी तरह का है और तीसरे राज्य में तीसरी तरह का है। इसलिए कोशिश यह होनी चाहिए कि सेकेन्डरी एजुकेशन, हायर सैकेन्डरी एजुकेशन या इन्टरमीडिएट एजुकेशन या डिग्री कालेज एजुकेशन हमके बच्चों को इस तरह की मिलनी चाहिए कि किसी भी स्टेट में चले जाएं, तो उनको पढ़ने में दिक्कत न

हो। रेलवे कर्मचारियों की हालत बड़ी दयनीय है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी अलग से आमदनी है और पचासों बातें हैं। मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरा जीवन वे रेलवे पर आते-जाते सफर करते हुए बिताते हैं चाहे वह ड्राइवर हो, चाहे टिकट कलक्टर हों, चाहे टिकट चैकर हो या फर्श साफ करने वाला हो। उनकी जिन्दगी रेलों में ही बीतती है। वह जानता नहीं है कि उसका घर क्या है। उस बेचारे को फुर्सत नहीं है कि वह देख सके कि उसके बच्चे पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो कब पढ़ते हैं। तो उनको कम से कम ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए जिससे उनमें संतोष हो कि उनके बच्चे सही रास्ते पर जा रहे हैं ठीक से पढ़ रहे हैं। एक जमाना था कि रेलवे के स्कूलों का बड़ा नाम था, खास कर रेलवे के स्कूलों का फुटबाल में बड़ा अच्छा नाम था। फुटबाल के अच्छे प्लेयर बिहार और वैस्ट बंगाल के रेलवे स्कूलों से निकला करते थे। अब वह परम्परा खत्म हो गई है। लोगों को कहीं एडमिशन नहीं मिलता है, तो रेलवे के स्कूलों में एडमिशन ले लेते हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी से यह आग्रह करूंगा कि रेलवे स्कूलों का स्तर ऊंचा हो और एक तरह का स्तर पूरे देश में हो और जहां पर बहुत ज्यादा रेलवे कर्मचारी हैं, वहां पर इन्टमीडिएट और डिग्री कालेज मन्त्री जी खुलवाएं।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : वास्तव में, माननीय मंत्री महोदय पिछले प्रश्न का उत्तर बहुत ऊंची आवाज में दे रहे थे। मैं एक क्षण के लिए यह अचम्भा कर रहा था कि माननीय मन्त्री महोदय हिस्सा ले रहे थे या हम लोग हिस्सा ले रहे थे। मन्त्री कौन है, हम मन्त्री हैं या आप मंत्री हैं। बहरहाल, आपका उत्साह प्रशंसनीय है। मैं एक बात जानना चाहता हूं। श्री नारायण चौबे के प्रश्न के मूल उत्तर में कहा गया है कि सामान्यत: रेलवे विद्यालयों में जहां सी० बी० एस० ई० से अनुबन्धित हैं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है। "सामान्यत:" का अर्थ है, क्या ऐसे विद्यालय हैं जहां स्थानीय पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है अथवा जहां स्थानीय राज्य सरकार पाठ्यक्रम लागू है अथवा कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां ये लागू नहीं हैं।

श्री नारायण चौबे के उत्तर के दूसरे भाग में कहा गया है कि "शिक्षा विभाग द्वारा केन्द्र द्वारा प्रबन्धित विद्यालयों के लिए प्रस्तावित ढांचा रेलवे स्कूल के अध्यापकों के लिए लागू होता है।" यदि आप छात्रों के लिए राज्य के पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं तो अध्यापकों के लिए केन्द्रीय ढांचे का अनुसरण क्यों किया जा रहा है। इन स्कूलों का स्तर क्या है ? मैं जानना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति का रेलवे द्वारा प्रबन्धित विद्यालयों पर क्या असर है। क्या आपके मंत्रालय ने रेलवे द्वारा प्रबन्धित विद्यालयों के सम्बन्ध में विशेष मार्ग निर्देशों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्पर्क किया है अथवा आपके स्कूलों को इस नीति से कोई मतलब नहीं है ? इस रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि रेलवे द्वारा प्रबन्धित विद्यालय होने चाहिए। क्या रेलवे विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र राष्ट्रीय नीति से पूर्णत: अलग हैं ? कृपया स्पष्ट करें।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद : सम्मानित सभापति महोदय, हमारे विद्वान सांसद् श्री हरीश रावत जी ने पूछा कि क्या रेलवे में कर्मचारियों के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता। मैं उनको बताना चाहता हूं कि रेलवे में कर्मचारी कल्याण पर खर्च 262,14 करोड़ रुपया होता है और शिक्षा सुविधाओं पर खर्च 20.65 करोड़ रुपया होता है। रावत जी आपने संभवत: मेरा उत्तर सुना नहीं। मैंने उत्तर में बताया है कि रेलवे प्रशासन उनके अनुरक्षण के लिए, उन लोगों के विकास के लिए, उन

[श्री महावीर प्रसाद]

लोगों के कल्याण के लिए काफी पैसा खर्च करता है। इसलिए आपको इस बात से संतुष्टि होनी चाहिए कि भारत सरकार और रेलवे प्रशासन रेलवे कर्मचारियों के प्रति काफी जागरूक हैं।

हमारे सम्मानित डा० गौरीशंकर राजहंस जी ने प्रश्न उठाया कि रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण हुआ करता है। यह बिल्कुल सच बात है कि स्थानांतरण होता है। लेकिन पहले ही मैंने श्री चौबेजी के प्रश्न के उत्तर में बताया कि केन्द्रीय विद्यालयों में पाठ्यक्रम सारे भारत में एक समान है और वह पाठ्यक्रम स्थानान्तरण पर जाने वाले कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए पहले मैंने स्पष्ट किया था कि पांच स्थानों में—बिलासपुर, भुसावल, झाड़ीपानी, गोरखपुर, इटारसी—विद्यालयों में एकरूपता, एक समानता है। इसलिए स्थानांतरण पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को कोई कठिनाई नहीं होती। वहां केवल वेतनमानों और अर्हताओं के सम्बन्ध में एकरूपता अपनाई जाती है जो कि केन्द्रीय पैटर्न की है।

गोआ के विद्वान सदस्य श्री शांताराम नायक जी जो गोआ के सम्मानित सदस्य हैं—शायद वे वहां मंत्री भी हों, (व्यवधान) मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी आवाज में कमी नहीं है, मैं लाखों लोगों के बीच में इसी प्रकार बोला करता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने, चौबे जी चले गये, मैंने उनको भी बताया था कि आपके प्रश्नों में जो सुझाव आये हैं उनको मैंने नोट कर लिया है और उनको मैं देख लूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं आधे घण्टे की बहस समाप्त करता हूं।

6.29 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 4 अप्रैल, 1988/15 चैत्र 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

सन लाइट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली